त्रयोदश माला, खंड 1, अंक 7

गुरुवार, 28 अक्तूबर, 1999
6 कार्तिक, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 60
Date 8/11

(खण्ड 1 में अंक 1 से 8 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 1, पहला सत्र, 1999/1921 (शक)

अंक 7, गुरुवार, 28 अक्तूबर, 1999/6 कार्तिक, 1921 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
सभा के कार्य के बारे में	2
सभा पटल पर रखे गए पत्र	2-9
राज्य सभा और लोक सभा सचिवालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों से संबंधित वेतन समिति	9
पहला प्रतिवेदन	
मंत्रियों का परिचय	10
मंत्री द्वारा वक्तव्य	10-13
अमरीका के ऊर्जा मंत्री की हाल ही में की गई यात्रा	
श्री प्रमोद महाजन	10-13
विधेयक—*पुरःस्थापित*	14-45
प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक	14
प्रतिभूति विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक	14
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक	15-44
याचिका का प्रस्तुतीकरण	45
नियम 377 के अधीन मामले	46-52
(एक) राजस्थान में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	46
(दो) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कृभको द्वारा उर्वरक संयंत्र के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
योगी आदित्यनाथ	46-47
(तीन) रायसेन, सिहोर और होशंगाबाद जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री शिवराज सिंह चौहान	47

विषय		कॉलम
(चार)	बिहार के गोड्डा और अन्य जिलों में बाढ़ से हुई हानि का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दल भेजे जाने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	47
(पांच)	मैसूर विमान पत्तन का दर्जा बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार	48
(छह)	आन्ध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति के कारण कपास उत्पादकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	48
(सात)	केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत शिक्षण संवर्ग को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समतुल्य लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री नेपाल चन्द्र दास	48-49
(आठ)	आन्ध्र प्रदेश में नलगोंडा-मछेरला और रायचूर के बीच रेल लाइन के निर्माण कार्य को शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	डा. मन्दा जगन्नाथ	49
(नौ)	उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एन.टी.सी. के अन्तर्गत गणेश शुगर मिल्स को अर्थक्षम बनाए जाने की आवश्यकता	
	कुंवर अखिलेश सिंह	50
(दस)	कोयला और अन्य खनिज उत्पादों पर रायल्टी दरों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी	50-51
(ग्यारह)	हरियाणा में सूखे के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दल भेजे जाने और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री अजय सिंह चौटाला	51
(बारह)	डीजल के मूल्यों में कमी किये जाने की आवश्यकता	
	श्री वरकला राधाकृष्णन	51-52
(तेरह)	पश्चिम बंगाल में इटहार, माल्दा और मुर्शिदाबाद में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए व्यापक मास्टर प्लान बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रियरंजन दासमुंशी	52
आयकर (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और आयकर (संशोधन) विधेयक		69-76
विचार करने के लिए प्रस्ताव		70
श्री बसुदेव आचार्य		69
श्री यशवन्त सिन्हा		70, 74
श्री के.पी. सिंह देव		72, 75

विषय	कॉलम
श्री रमेश चेन्नितला	73
श्री जी.एम. बनातवाला	73
खण्ड 2, 3 और 1	75-76
पारित करने के लिए प्रस्ताव	76
भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक	76-77
विचार करने के लिए प्रस्ताव	77
खण्ड 2, 3 और 1	77
पारित करने के लिए प्रस्ताव	77
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	78-87
विचार करने के लिए प्रस्ताव	80
श्री रमेश चेन्नितला	78-79
श्री ओ. राजगोपाल	79-80,86
श्री वरकला राधाकृष्णन	80-81
श्री वी.एम. सुधीरन	81
श्री अली मोहम्मद नायक	85-86
खण्ड 2, 3 और 1	87
पारित करने के लिए प्रस्ताव	87
नियम 193 के अधीन चर्चा	87-153
पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में प्राकृतिक आपदाएं	
श्री अजय चक्रवर्ती	87-92
श्री अनादि साहू	92-97
श्री के.पी. सिंह देव	97-101
डा. मन्दा जगन्नाथ	101-102
श्री सुकदेव पासवान	102-104
श्री एन. जनार्दन रेड्डी	104-109
श्री राजीव प्रताप रूडी	109-112
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	112-115
श्री महबूब जहेदी	115-117
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	117-121

विषय	कॉलम
श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी	121-122
श्री कालवा श्रीनिवासुलु	122-124
श्री रनेन बर्मन	124-125
श्री के. येरननायडू	125-126
श्री अनिल बसु	126-128
श्री विक्रम केशरी देव	128-129
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन	129-133
श्री अमर राय प्रधान	135-136
श्री शिवराज सिंह चौहान	137-138
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	138-139
श्री रघुनाथ झा	139-141
श्री खारवेल स्वाइं	141-142
श्रीमती जयश्री बैनर्जी	142
श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव	142-146
कुंवर अखिलेश सिंह	147
श्री प्रभुनाथ सिंह	148
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	149
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	153-166
श्री शिवराज वी. पाटील	153-160
श्री रघुनाथ झा	161-164
श्री पी. राजेन्द्रन	164-166

लोक सभा

गुरुवार, 28 अक्तूबर, 1999/6 कार्तिक, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण - *जारी*

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब महासचिव श्री महेश्वर सिंह को शपथ ग्रहण करने के लिए बुलाएंगे।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी)

[हिन्दी]

श्री कांति लाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, देश में डीजल का भाव बढ़ने से किसान बहुत परेशान हैं।... *(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, किसान भुखमरी के कगार पर पहुँच गया है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 2, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री कांति लाल भूरिया : अध्यक्ष महोदय, देश के हालात खराब हो गए हैं। किसान परेशान हैं।... *(व्यवधान)* सरकार ने पूँजीपतियों के साथ समझौता कर लिया है। ... *(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, गन्ना, चीनी मिलें बन्द हो गई हैं।... *(व्यवधान)* वहाँ करोड़ों रुपया किसानों का बकाया है।... *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, बसों के किराए 100 फीसदी बढ़ा दिए गए हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष-पीठ का कुछ अभिमत है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, किसान भुखमरी के कगार पर पहुँच गया है। चीनी मिलें बन्द हो गई हैं। ... *(व्यवधान)* उनको जेलों में डालने की धमकी दी जा रही है। ... *(व्यवधान)* उनका सारा पैसा दिलाया जाए। ... *(व्यवधान)* यह मामला बहुत गंभीर है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : आपने डीज़ल का मूल्य बढ़ा दिया है। ... *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.03 बजे

सभा के कार्य के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसा कि आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है, सभा वैधानिक कार्य समाप्त होने के तत्काल बाद नियम 193 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में चर्चा करेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में अपराह्न 2.00 बजे चर्चा की जाएगी। धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में उत्तर कल दिया जाएगा। जो सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, उनको बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए सभा आज देर तक बैठ सकती है।

मैं आशा करता हूँ कि सभा इससे सहमत है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, बस मालिकों ने बसों के किराए 100 फीसदी बढ़ा दिए हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है। ... *(व्यवधान)* वहाँ कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोलिए।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, मैं भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, 1905 की धारा 2 के अन्तर्गत जारी रेल बोर्ड अधिनियम,

1989 की धारा 30 और 31 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के समस्त कार्य और शक्तियों को रेल बोर्ड में विनिहित करने वाली अधिसूचना संख्या का. आ. 990 जो 31 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 34/99]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : महोदय, श्री राम जेठमलानी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) लागत लेखाविधि अभिलेख (टायर और ट्यूब) संशोधन नियम, 1999 जो 28 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 555(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लागत लेखाविधि अभिलेख (विद्युत पंखे) संशोधन नियम, 1999 जो 28 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 556(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) लागत लेखाविधि अभिलेख (शुष्क सैल बैटरी के अतिरिक्त अन्य बैटरी) संशोधन नियम, 1999 जो 28 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 667(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) लागत लेखाविधि अभिलेख (रूम एअरकंडीशनर) संशोधन नियम, 1999 जो 28 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 668(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) लागत लेखाविधि अभिलेख (रेफ्रीजरेटर्स) संशोधन नियम, 1999 जो 28 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 669(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) लागत लेखाविधि अभिलेख (विद्युत लैम्प) संशोधन नियम, 1999 जो 28 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 670(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 35/99]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 4, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ... *(व्यवधान)*। आश्वासन वर्ष 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, में दिए गए थे और की गई कार्यवाई सम्बन्धी वक्तव्य अभी सभा पटल पर रखा जा रहा है। नियमों के अन्तर्गत यदि सभा में आश्वासन दिया जाता है तो उसे तीन माह के भीतर कार्यान्वित किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे :

नौवीं लोक सभा

(1) विवरण संख्या 23 प्रथम सत्र 1989

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 36/99]

(2) विवरण संख्या 46 दूसरा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 37/99]

(3) विवरण संख्या 38 तीसरा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 38/99]

(4) विवरण संख्या 32 छठा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 39/99]

दसवीं लोक सभा

(5) विवरण संख्या 41 प्रथम सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 40/99]

(6) विवरण संख्या 35 दूसरा सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 41/99]

(7) विवरण संख्या 39 तीसरा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 42/99]

(8) विवरण संख्या 37 चौथा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 43/99]

(9) विवरण संख्या 31 पाँचवां सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 44/99]

(10) विवरण संख्या 34 छठा सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 45/99]

(11) विवरण संख्या 29 सातवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 46/99]

(12) विवरण संख्या 29 आठवीं सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 47/99]

(13) विवरण संख्या 27 नौवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 48/99]

(14) विवरण संख्या 22 ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 49/99]

(15) विवरण संख्या 21 बारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 50/99]

(16) विवरण संख्या 19 तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 51/99]

(17) विवरण संख्या 16 चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 52/99]

(18) विवरण संख्या 13 पन्द्रहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 53/99]

(19) विवरण संख्या 11 सोलहवां सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 54/99]

ग्यारहवीं लोक सभा

(20) विवरण संख्या 11 दूसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 55/99]

(21) विवरण संख्या 10 तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 56/99]

(22) विवरण संख्या 9 चौथा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 57/99]

(23) विवरण संख्या 7 पाँचवां सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 58/99]

(24) विवरण संख्या 7 छठा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 59/99]

बारहवीं लोक सभा

(25) विवरण संख्या 5 प्रथम सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 60/99]

(26) विवरण संख्या 5 दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 61/99]

(27) विवरण संख्या 2 तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 62/99]

(28) विवरण संख्या 1 चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 63/99]

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, इस मामले को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए ... *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार 8 या 9 वर्ष के पश्चात् आश्वासनों को क्रियान्वित करती है और यदि आप मामले को गम्भीरता से नहीं लेते तो यह एक रसम बन जाएगी। इसे प्रतिदिन की कार्यवाही के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मंत्री जी ने दस वर्षों के पश्चात् आश्वासनों के कियान्वयन सम्बन्धी वक्तव्य अब दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, श्री मुनि लाल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) (एक) बी. बी. गिरि नेशनल लेबर इन्स्टीट्यूट, नौएडा के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) बी. बी. गिरि नेशनल लेबर इन्स्टीट्यूट, नौएडा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 64/99]

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के

अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कम्पनी (केन्द्र सरकार) साधारण नियम और फार्म (तीसरा संशोधन) नियम, 1999 जो 23 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 130(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) (संशोधन) नियम, 1999 जो 12 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 204(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कम्पनी (आवेदन पर शुल्क) नियम, 1999 जो 6 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 501(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी और गैरसूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) नियम, 1999 जो 6 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 502(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) कम्पनी (आवेदन पर शुल्क) संशोधन नियम, 1999 जो 5 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 578(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) 'दि मेट्रोपोलिटन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड' और 'दि तमिलनाडु अर्बन फाइनेन्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड अमलगमेशन' आदेश 1999 जो 23 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 182(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 66/99]

(दो) 'दि हरियाणा होटल्स लिमिटेड एण्ड हरियाणा टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (अमलगमेशन)' आदेश, 1999 जो 1 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 704(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 67/99]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अंतर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची छः में कतिपय संशोधन जो दिनांक 22 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 129(अ) में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 68/99]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620(क) की उपधारा (3) के अंतर्गत मैसर्स त्रिकोन म्युचुअल बैनिफीट लिमिटेड, लखनऊ को एक निधि के रूप में अधिसूचना में से निकाला गया है जो 23 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 282(अ) में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 69/99]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1999, जो 15 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 209(अ) में प्रकाशित हुए थे और उसका शुद्धिपत्र जो दिनांक 29 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 678(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (सदस्य के विरुद्ध जांच करने की प्रक्रिया) नियम, 1999, जो दिनांक 16 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 210(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (वार्षिक लेखाओं और अभिलेखों का प्रपत्र) नियम, 1999, जो 21 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 236(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (विविध) नियम, 1999, जो 20 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 217(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पाँच) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (विविध) संशोधन नियम, 1999, जो 31 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 235(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छः) टी. आर. ए. आई. (प्रदत्त सेवा, याचिकाओं, विविध आवेदन-पत्रों और निर्णयों की प्रति पर फीस का उद्ग्रहण) विनियमन, 1999, जो 24 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5-5/98 टी. आर. ए. आई. (ए. एंड आर.) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) टी. आर. ए. आई. "कार्य-निष्पादन हेतु बैठकें" विनियमन, 1999, जो 24 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5-5/98 टी. आर. ए. आई. (ए. एंड आर.) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) टी. आर. ए. आई. कर्मचारीवृंद (वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें) विनियमन, 1999, जो 5 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या 5-5/ 98 टी. आर. ए. आई. (ए. एंड आर.) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) रजिस्टर ऑफ इंटरकनैक्ट एग्रीमेंट्स रेगुलेशन्स, 1999, जो 1 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 409-1/98 टी. आर. ए. आई. (संचार) में प्रकाशित हुआ था।

(दस) दूरसंचार अन्तःसम्बन्ध (शुल्क और राजस्व में हिस्सेदारी) विनियम, 1999, जो 28 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 311-1/99 टी. आर. ए. आई. (इकोन.) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) दूरसंचार अन्तःसम्बन्ध (शुल्क और राजस्व में हिस्सेदारी) (पहला संशोधन) विनियम, 1999, जो 21 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 311-1/99-टी. आर. ए. आई. (इकोन.) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल. टी. 70/99]

पूर्वाह्न 11.06 बजे

राज्य सभा और लोक सभा सचिवालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमानों से संबंधित वेतन समिति

पहला प्रतिवेदन

महासचिव : महोदय, संसदीय वेतन समिति के सभापति ने राज्य सभा और लोक सभा सचिवालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन ढाँचे, भत्तों, छुट्टी और पेंशन लाभों के संबंध में नियुक्त समिति का वेतनमानों के बारे में पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) बारहवीं लोक सभा के माननीय अध्यक्ष को, उस लोक सभा के विघटन से पूर्व 26 अप्रैल 1999 को प्रस्तुत किया था। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अन्तर्गत इस प्रतिवेदन के मुद्रण और परिचालन का आदेश दिया है।

अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क (6) के अनुसरण में मैं समिति के पहले प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 10 लेंगे।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मुझे एक याचिका प्रस्तुत करनी है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, मैं उस मद पर बाद में आ रहा हूँ अब मंत्री जी मंत्रिपरिषद के कुछ मंत्रियों का परिचय कराएँगे।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

मंत्रियों का परिचय

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपको और आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा को मंत्रिपरिषद में अपने कुछ सहयोगियों का परिचय कराना चाहता हूँ।

राज्य मंत्री

डॉ. वल्लभभाई रामजीभाई कथीरिया	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुभाष भेडरिया	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बाबूलाल मरांडी	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री तपन सिकदर	संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, उनके वक्तव्य देने से पूर्व मैं कहना चाहता हूँ कि डीजल के मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा पर हमने रोषपूर्वक सरकार से आग्रह किया था कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और इस बारे में संपूर्ण सभा एकमत है यहाँ तक कि उस पक्ष के हमारे सहयोगी ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पायलट, अभी हमने सभा पटल पर रखे जाने वाले सभी पत्र सभा पटल पर नहीं रखे हैं।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया समझने की कोशिश करें।

पूर्वाह्न 11. 10 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अमरीका के ऊर्जा मंत्री की हाल ही में की गई यात्रा

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, माननीय विदेश मंत्री जी की ओर से मैं यह वक्तव्य देता हूं।

संयुक्त राज्य अमरीका के ऊर्जा मंत्री श्री बिल रिचर्डसन ने 26 अक्तूबर को दिल्ली की यात्रा की।

ऊर्जा मंत्री श्री रिचर्डसन ने ऊर्जा प्रवीणता और पर्यावरण पर सी. आई. आई. के एक सम्मेलन को सम्बोधित किया तथा व्यापार और उद्योग क्षेत्र के अनेक नेताओं के साथ बातचीत की।

उनके सरकारी कार्यक्रमों में ऊर्जा मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री तथा विदेश मंत्री के साथ बैठकें शामिल थी। सभी सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री ने की। ऊर्जा मंत्री रिचर्डसन ने प्रधान मंत्री से भी मुलाकात की तथा उन्होंने प्रधानमंत्री को सम्बोधित राष्ट्रपति क्लिंटन का एक पत्र दिया।

ऊर्जा तथा संबद्ध मामलों में सहयोग संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। ऊर्जा मंत्री श्री रिचर्डसन की यात्रा का उद्देश्य ऊर्जा तथा संबद्ध पर्यावरण मामलों में सहयोग की समीक्षा करना तथा इन्हें और भी समन्वित एवं संकेन्द्रित तरीके से गति प्रदान करना था। इस यात्रा से इन पहलुओं पर ठोस चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ।

हम श्री रिचर्डसन की इस यात्रा का स्वागत करते हैं जो संयुक्त राज्य अमरीका के साथ व्यापक संबंधों का विकास करने तथा परस्पर लाभ के लिए द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों को व्यापक और विविध बनाने के लिए जारी प्रक्रिया का एक अंग है।

इस यात्रा के दौरान ऊर्जा एवं संबद्ध पर्यावरणीय मामलों में सहयोग से संबंधित संयुक्त वक्तव्य पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

अमरीकी ऊर्जा मंत्री श्री बिल रिचर्डसन की यात्रा के दौरान ऊर्जा और पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित सहयोग पर 26, अक्तूबर, 1999 को हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य
(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)*

विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र तथा प्रचुर प्राकृतिक, वैज्ञानिक और कुशल मानव संसाधनों से सम्पन्न भारत और अमरीका के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग एवं व्यापार, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण तथा संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्रों में पारस्परिक लाभकारी सहयोग का लम्बा इतिहास रहा है। दोनों देशों ने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्रगति के लिए असीम संभावनाओं को स्वीकार करते हुए इस क्षेत्र में अपने सहयोग में तेजी लाने का निर्णय लिया है।

दोनों देश पिछले उस सहयोग का स्मरण करते हैं जिसने ऊर्जा के क्षेत्र में और साथ-ही-साथ भारत में पारम्परिक ऊर्जा परियोजनाओं में अनुप्राणित निजी सहयोग में अनुसंधान एवं विकास के लिए दोनों सरकारों तथा उनके अभिकरणों के बीच कई संयुक्त पहलकदमियों के लिए रूपरेखा तैयार की थी।

दोनों देशों की सरकारों ने इन सहयोगी परियोजनाओं में हुई प्रगति पर गौर करते हुए और ऊर्जा के क्षेत्र में सार्थक सहयोग की असीम संभावनाओं को स्वीकार करते हुए, पारम्परिक ऊर्जा परियोजनाओं पुनर्नवीकरणयोग्य ऊर्जा, शुद्ध कोयला प्रौद्योगिकी, ऊर्जा क्षमता और पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित जैसे ऊर्जा के क्षेत्रों में अपने सहयोग को और अधिक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

वे इसे भी स्वीकार करते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में भावी विकास को ऊर्जा की बढ़ती हुई माँग, पृथ्वी के सीमित संसाधनों के सर्वाधिक सक्षम और न्यायोचित तरीके से विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व और हमारे पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए।

भारत, जो कि गैर पारम्परिक ऊर्जा संसाधनों के लिए पूर्ण विकसित मंत्रालय की स्थापना करने वाला पहला देश है, पुनर्नवीकरणयोग्य ऊर्जा संसाधनों को भारत की आपूर्ति का एक व्यवहार्य तथा महत्वपूर्ण भाग बनाने के लिए कार्य कर रहा है। भारत विश्व में पवन-ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले देशों में से एक है और अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन करने में भी इसने प्रभावकारी प्रगति की है। पारम्परिक ऊर्जा के क्षेत्र में भारत जीवावशेष ईंधन ऊर्जा को उत्तरोत्तर शुद्ध तथा अधिक सक्षम बना रहा है।

अमरीका एक वर्धमान पर्यावरण अनुकूल रीति से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कतिपय प्रमुख उपाय कर रहा है। उदाहरण के लिए, अमरीकी सरकार ने 2010 जब जैव-ऊर्जा और जैव-परियोजनाओं के त्रिविध उपयोग का एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे कार्बन का 100 मिलियन मीट्रिक टन तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घट सकता है। अमरीकी सरकार ने भवनों से 1990 के स्तर से 2010 तक 30 प्रतिशत तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने के लिए प्रत्येक संघीय अभिकरण को आदेश दिया है। अमरीकी सरकार स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सक्षम प्रौद्योगिकियों में कई बिलियन डालर का निवेश करना जारी रखे हुए हैं और प्रदूषण तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने एवं स्वच्छ तथा स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा स्रोतों की तलाश करने के संबंध में अमरीकी उद्योगों और समुदायों के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

दोनों सरकारें, ऐसी भावना से प्रेरित होकर, जिसकी विशेषता अपने स्वयं के उपायों से पर्यावरण और जलवायु पर ऊर्जा उत्पादन का प्रभाव कम हो, अपने द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग में इन पहलुओं के लिए उच्च महत्ता प्रदान करें।

उन्होंने आर्थिक समृद्धि संवर्धित करते समय, मौसम परिवर्तन के खतरे से विश्व के लोगों को संरक्षित करने के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए, सामान्य किन्तु विभेदक दायित्वों के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक-दूसरे के साथ घनिष्टता से तथा अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करने का निश्चय किया है।

संसार में ग्रीन हाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जक के नाते, अमरीका जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान करने संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों की अगुआई में सहायता करने के अपने दायित्वों को समझता है। क्योटो प्रोतोकोल में अमरीका के लिए एक बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य का प्रावधान है, जिसके परिणामस्वरूप, 2008-2012 में प्रस्तावित स्तर के लगभग 30 प्रतिशत तक घट जाएगा।

---

* सभापटल पर रखा गया। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 72/99]

भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर, स्वैच्छिक "कोई खेद नहीं उपायों" की आवश्यकता को मानती है, जिसके परिणामस्वरूप वायु और जल प्रदूषण, शहरी परिवहन और घरेलू अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करने से अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे।

दोनों सरकारें जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय के लक्ष्यों को विकसित करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र में अपने विभिन्न सत्रों में सम्मेलन के पक्षकारों के निर्णयों के अनुसार उपयुक्त मंचों पर सहयोग और एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए सहमत हैं।

भारत सरकार और अमरीकी सरकार जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन और उसके सहायक निकायों की रूपरेखा के भीतर क्योटो व्यवस्था के प्रावधानों संबंधी शीघ्र सहमति की दिशा में कार्य करने में सहयोग करने के लिए सहमत हैं।

विशेष रूप में भारत और अमरीका की सरकारें इस बात पर सहमत हुई हैं कि क्योटो व्यवस्थाएँ औद्योगिक तथा विकासशील देशों के बीच परस्पर लाभकारी भागीदारी प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं। भारत तथा अमरीका की सरकारें क्लीन डिवलपमेंट व्यवस्थाएँ सहित क्योटो व्यवस्था के लिए सहमत अन्तर्राष्ट्रीय नियमों और क्रियाविधियों को तैयार करने के लिए अन्य देशों के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करने का संकल्प लेती हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में लाभकारी सहयोग के व्यापक अवसरों तथा उनके विशाल संसाधनों एवं कौशल के उपयोग के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत और अमरीका की सरकारें द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों संदर्भों में निजी क्षेत्र के ऊर्जा उद्यमों को प्रोत्साहित करने, अनुसंधान तथा विकास में सहयोग करने और सन्तुलित एवं सतत् आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण संवर्धन एवं जलवायु के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोतों तथा प्रोद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने के लिए उपाय करने का संकल्प लेती हैं।

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कृपया मुझे बोलने दीजिए। आप इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चला सकते।

अध्यक्ष महोदय : और दो मदों पर चर्चा की जानी है, उसके बाद मैं आपको बोलने की अनुमति दूँगा। श्री यशवंत सिन्हा जी।

... (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, यह एक अलग मुद्दा है। आप कृपया यह बात समझिए। मैं आपकी बात पर बाद में आऊँगा।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री रूपचन्द पाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज की संशोधित कार्यसूची के अंतर्गत मद संख्या 9 पर, याचिका प्रस्तुत किए जाने के लिए मेरा नाम है और नियम पुस्तिका के अनुसार...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके मद पर भी चर्चा करूँगा। आपको पता होना चाहिए यह एक अलग मद है।

श्री रूपचन्द पाल : ठीक है।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिभूति (विनियमन) अधिनियम, 1956 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

प्रतिभूति विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और निक्षेपागार अधिनियम 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 में और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.10.99 में प्रकाशित।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 13, श्री यशवंत सिन्हा जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह बहुत ही विवादास्पद मामला है। हमने इस संबंध में सूचनाएँ दी हैं और हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले के संबंध में भी सूचना दी है। ... *(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि बीमा पोलिसी-धारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग का विनियमन, संप्रवर्तन तथा उसका व्यवस्थित रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों और बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।" ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बीमा पोलिसी-धारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग का विनियमन, संप्रवर्तन तथा उसका व्यवस्थित रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों और बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज एक नई पद्धति क्यों अपनाई जाए? हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर सूचनाएँ दी हैं। हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। यह कोई पद्धति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री रूपचंद पाल को अपनी याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दे रहा हूँ।

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज कोई नई पद्धति क्यों विकसित की जा रही है? हमने 'शून्य काल' के मामलों के बारे में सूचनाएँ दी हैं। यह कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रूपचन्द पाल को बोलने की अनुमति इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब तक मंत्री जी विधेयक को पुरःस्थापित नहीं करते तब तक कोई अन्य सदस्य इस मुद्दे पर कैसे बोल सकता है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। यह सभा केवल सरकार से ताल-मेल बिठाने के लिए ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रूपचन्द पाल का नाम पुकारा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सही तरीका नहीं है। ऐसा लगता है कि यह सभा केवल सरकार के लिए ही बनी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रूपचंद पाल का नाम पुकारा है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैंने एक सूचना दी है।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, आप हमें एक-एक करके क्यों नहीं बुलाते ताकि हम बैठ जाएँ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूँगा?

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज की संशोधित कार्यसूची में, मद संख्या 9 में यह दर्ज था कि मैं भारतीय बीमा उद्योग के निजीकरण तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 1999 के माध्यम से बीमा क्षेत्र को विदेशी कम्पनियों के लिए खोले जाने के विरोध में श्री आर. पी. मनचन्दा तथा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संगठन, अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ, साधारण बीमा कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करूँगा।

आज की संशोधित कार्यसूची में यह इस तरह से लिखा गया है। स्वयं याचिका में भी मैंने यह उल्लेख किया था कि इस पहल का कड़ा विरोध हो रहा है। मैं समाज के सभी वर्गों और सभी राज्यों से संबंधित, इस देश के 1.5 करोड़ से अधिक लोगों, जिन्हें आज संसदीय सौध में याचिका समिति के विचारार्थ ट्रकों में लाया जाएगा, द्वारा हस्ताक्षरित विरोध पत्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

महोदय, मैंने आपसे मिलकर अनुरोध किया था कि माननीय मंत्री जी द्वारा विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने से पहले मुझे याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका कारण यह है कि याचिका नियम के अनुसार यह कहा गया है कि सभा के समक्ष लम्बित पड़े किसी भी मामले—यह मामला सभा में लम्बित पड़ा हुआ है—और अनुलग्नक के अनुसार भी—आप प्रपत्र में भी यही देखेंगे, मैंने अनुरोध किया था कि सत्ता पक्ष के मंत्री को विधेयक का पुरःस्थापन नहीं करना चाहिए।

किन्तु प्रक्रिया के नियमों के अनुसार किए गए मेरे आग्रह की उपेक्षा की गई। माननीय मंत्री मेरी याचिका के प्रस्तुत किए जाने से पूर्व विधेयक पुरःस्थापित नहीं कर सकते हैं। अब मैं याचिका प्रस्तुत करना चाहता हूँ और उसके बाद ही विधेयक पुरःस्थापित किया जा सकता है जिसका हम पुनःविरोध करेंगे ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, नियम स्पष्टतः कहता है कि याचिका को विधेयक के पुरःस्थापित करने के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ... *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : नहीं। ... *(व्यवधान)*

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 28.10.99 में प्रकाशित।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : महोदय, लगता है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने में कुछ परेशानी है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री रूपचंद पाल को बोलने की अनुमति दी है। आप कृपया बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : महोदय क्या मैं नियम को उद्धृत करूं? ... *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : याचिका ऐसे विधेयक के विरुद्ध होनी चाहिए, जो यहाँ सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब सभा में यह विधेयक ही नहीं है तो कोई सदस्य उस पर याचिका कैसे प्रस्तुत कर सकता है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास उन लोगों के नामों की सूची है जिन्होंने सूचना दी है।

... (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं नियम उद्धृत कर रहा हूं: ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह स्पष्ट करने के लिए तारक चिन्ह को कैसे लगाया गया कि याचिका का प्रस्तुतीकरण क्रम संख्या 13 पर सूचीबद्ध बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने के बाद किया जाएगा ... *(व्यवधान)* यह किस प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया...*(व्यवधान)* यह किस नियम के अन्तर्गत किया गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ बाबू, मेरे पास सूची है।

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यही सूची का कोई प्रश्न नहीं है। इस विधेयक को याचिका के प्रस्तुत किए जाने के बाद पुरःस्थापित किया जाना है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास उन 11 सदस्यों के नामों की सूची है जिन्होंने सूचना दी है। मैं उन सदस्यों के नाम पुकार रहा हूं।

... (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय आज की कार्य सूची में यह मद संख्या 9 में सूचीबद्ध है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं उन सदस्यों के नाम पुकार रहा हूं जिन्होंने सूचना दी है।

... (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मुझे नियम उद्धृत करने की अनुमति दी जाए ... *(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : यह कैसे हो सकता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब मैं उन सदस्यों के नाम पुकार रहा हूं जिन्होंने सूचना दी है।

... (व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, यदि किसी सदस्य को विधेयक को पुरःस्थापित करने के समय उसका विरोध करना है ... *(व्यवधान)*

श्री एम. एन. कृष्णदास (पालघाट) : नहीं। यह इससे भिन्न है ... *(व्यवधान)* विधेयक को याचिका के प्रस्तुत किए जाने के बाद ही पुरःस्थापित किया जा सकता है। ... *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं नियम उद्धृत कर रहा हूं ... *(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, यह आज की कार्यसूची में मद संख्या 9 में सूचीबद्ध है ... *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं नियम उद्धृत करना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने दें।

... (व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, नियम 160 के अनुसार 'अध्यक्ष की सहमति से निम्न पर याचिकाएँ सभा में प्रस्तुत की जा सकेंगी अथवा रखी जा सकेंगी' ... *(व्यवधान)*

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : माननीय अध्यक्ष ने पहले ही सहमति दे दी है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दें।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, वर्तमान स्थिति में नियम 160 (एक) लागू होता है। इसमें कहा गया है, "ऐसा विधेयक जो नियम 64 के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका हो अथवा जो सभा में पुरःस्थापित हो चुका हो।" यदि आप नियम 64 पर नजर डालें तो नियम 64 कहता है, 'अध्यक्ष से प्रार्थना किए जाने पर, वह किसी विधेयक के गजट में प्रकाशन का आदेश दे सकेगा।' ... *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह इससे संबंधित नहीं है। मंत्री जी सभा को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दें। जब आपका नाम पुकारा जाएगा तब आप बोल सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह सहमति का प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न पूर्णतः भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री जी को बोलने दें।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, नियम में तीन शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त है अध्यक्ष की सहमति। वह आपने दे दी है और उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि विधेयक नियम 64 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया हो। यह विधेयक नियम 64 के अन्तर्गत प्रकाशित नहीं किया गया है। और तीसरी शर्त यह है कि 'जो सभा में पुरःस्थापित हो चुका हो।' इस विधेयक को सभा में पुरःस्थापित नहीं किया गया है। अतः इस विधेयक को न तो नियम 64 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है और न ही सभा में पुरःस्थापित किया गया है। अतः जब तक यह शर्त पूरी नहीं होती तब तक इस विधेयक के विरुद्ध सभा में कोई भी याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती है ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अत्यन्त लोक महत्व का मामला है।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, श्री रूपचन्द पाल ने एक आपत्ति उठाई है। उन्हें इस नियम को उद्धृत करने दीजिए जिसके अन्तर्गत उन्होंने आपत्ति उठाई है।

श्री रूपचन्द पाल : नियम 160, जिसका मंत्रीजी ने केवल एक भाग पढ़ा है, के अन्तर्गत, अध्यक्ष की सहमति से निम्न पर याचिकाएँ सभा में प्रस्तुत की जा सकेंगी अथवा रखी जा सकेंगी (एक) ऐसा विधेयक जो नियम 64 के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका हो, आदि, आदि (दो) सभा के समक्ष लम्बित कार्य से संबंधित कोई विषय ... *(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय, माननीय सदस्य ने उक्त वाक्य के उस हिस्से को नहीं पढ़ा जिसमें कहा गया है, 'जो सभा में पुरःस्थापित हो चुका हो।' विधेयक को सभा में पुरःस्थापित करने के बाद ही याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।

श्री प्रमोद महाजन : यदि वे नियम 160 (दो) या नियम 160 (तीन) का प्रयोग करना चाहते थे तो उन्हें अपनी याचिका में यह नहीं बताना चाहिए था कि वे याचिका को विधेयक के विरुद्ध प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि याचिका में कहा जाता है कि यह किसी विधेयक के विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है तो पहले उस विधेयक को सभा के समक्ष लाया जाना चाहिए। वे सभा के कार्य की किसी भी मद के अन्तर्गत याचिका प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। वे इसे एक विशेष विधेयक के विरुद्ध प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः याचिका से पहले उस विधेयक को सभा के समक्ष आना चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम' के पृष्ठ 149 जिसमें पहली अनुसूची में याचिका का प्रपत्र दिया गया है, में कहा गया है "....और तदनुसार आपको याचिका देने वाला (या याचिका देने वाले) प्रार्थना करता है (करते हैं) कि विधेयक के संबंध में आगे कार्यवाही की जाए या न की जाए। इसी बात पर मैं बल देने का प्रयास कर रहा था। इसी के अनुसरण में मैंने कहा है कि सरकार को इस विधेयक के संबंध में आगे कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपने याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दी है और इसीलिए यह आज की कार्य सूची में है। प्रश्न यह है, 'याचिका किस समय प्रस्तुत की जाएगी?' जहाँ तक आपकी सहमति का संबंध है यह आपने पहले ही दे दी है। अन्यथा यह कार्य सूची में नहीं होता।

महोदय, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 160 को देखिए। इसमें कहा गया है :

"अध्यक्ष की सम्मति से याचिकाएँ सभा में उपस्थित या प्रस्तुत की जा सकेंगी...।"

अब वह सम्मति दी गई है अन्यथा यह कार्यसूची में नहीं आ सकती थी।

नियम 160 के अनुसार याचिकाएँ तीन विकल्पों के साथ अध्यक्ष की सम्मति से सभा में उपस्थित अथवा प्रस्तुत की जा सकेंगी।

अतः नियम 160 कहता है :

"अध्यक्ष की सम्मति से निम्न पर याचिकाएँ सभा में उपस्थित अथवा प्रस्तुत की जा सकेंगी :

(एक) ऐसा विधेयक जो नियम 64 के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका हो या जो सभा में पुरःस्थापित हो चुका हो।

(दो) सभा के सामने लम्बित कार्य से सम्बन्धित कोई विषय वह व्यापक नहीं हो। यह इसका पहला उप खण्ड है।

(तीन) सामान्य लोक-हित का कोई भी विषय, परन्तु वह ऐसा न हो:"

महोदय तीन प्रावधान हैं।

अब महोदय, यह सामान्य लोकहित का मामला है और आप पहले ही इसकी स्वीकृति दे चुके हैं। प्रक्रिया के किस नियम अथवा उप नियम के अन्तर्गत आपने इसको स्वीकृति दी है। हम समय में इसके प्रस्तुतीकरण के समय के प्रश्न को उठा रहे हैं। इस बारे के पूर्व अनुमति आपके द्वारा दी गई थी।

अब अचानक हमने देखा कि आज की कार्यसूची में ताकर चिह्न है ... *(व्यवधान)* इसीलिए हम माननीय अध्यक्ष के सामने यह मामला उठा रहे हैं ... *(व्यवधान)* माननीय वित्त मंत्री जी मैं आपके सामने इसे नहीं उठा रहा हूं। ... *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मैं भी आपनी तरह सभा का हिस्सा हूं। आप ही इस सभा के सदस्य नहीं हैं। ... *(व्यवधान)* मैं भी इस सभा का सदस्य हूं ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हाँ आप इस सभा के सदस्य हैं लेकिन ...*(व्यवधान)* अब मैं अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित कर रहा हूं। मैं आपको सम्बोधित नहीं कर रहा हूं...*(व्यवधान)* यह देश का दुर्भाग्य है कि आप वहाँ हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि कोई कहता है कि यह ऐसा मामला है जो जनसाधारण को आन्दोलित नहीं करता है तो वह इसका निर्णय नहीं कर सकता है। लाखों लोग इस मामले पर क्षुब्ध हैं क्योंकि यह सामान्य लोकहित का मामला है। याचिका के बारे में हमने अनुमति ले ली है। आपने यह याचिका दायर करने की अनुमति दी है।

लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और अब अचानक इस याचिका को प्रस्तुत करने से ज्यादा जरूरी विधेयक को पुरःस्थापित करना हो गया है।

मेरा आपके सन्मुख अत्यन्त विनम्र निवेदन है कि आप ऐसी कोई प्रक्रिया न अपनाएं जो ज्ञात न हो अथवा उसका अनुपालन न किया गया हो। अन्यथा यह धारणा बन जाएगी कि यह सभा इस मामले पर लोगों की राय नहीं अभिव्यक्ति में ज्यादा जिसकी नियमों में प्रक्रिया निर्धारित की हुई है इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के बारे में अधिक चिन्तित है। तत्पश्चात् यह अनावश्यक प्रक्रिया बन जाएगी। यह पूर्णतः अवांछनीय होगी। इस पर लोगों की आपत्तियों की अभिव्यक्ति से ज्यादा महत्व यहां विधेयक को प्रस्तुत करने के सरकारी कार्य को दिया जा रहा है।

अतः महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि यदि नियमों के अनुसार विधेयक को पुरःस्थापित करने से पहले हमारी आपत्तियों को कार्यवाही सारांश में अभिलिखित किया जाएगा तो आसमान नहीं गिर जाएगा।

इस प्रकार याचिका को सभा में प्रस्तुत करने दीजिए और उसके पश्चात् सरकार को विधेयक पुरःस्थापित करने दीजिए।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, इस याचिका में विधेयक के बारे में कहा गया है जिसका याचिकावाता विरोध कर रहा है। यदि कोई विधेयक नहीं है तो याचिका भी नहीं है इसलिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाना चाहिए और इसके पश्चात् याचिका आ सकती है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ, गृह मंत्री जी, अब बोलेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री आडवाणी जी का नाम पुकारा है।

... (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? कृपया नियम उद्धृत करें।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, यह प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 160 के अन्तर्गत है।

संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कि "जैसा कि सभा के सन्मुख कोई विधेयक नहीं है इसलिए उसका विरोध करने का प्रश्न ही नहीं होता।" लेकिन यदि आप प्रस्ताव के पाठ को पढ़ेंगे तो ... *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : इस विधेयक के विरुद्ध कोई याचिका नहीं आई है। केवल उसी बात को मैं कह रहा हूँ ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपकी सम्मति देने से पश्चात् इन सब प्रश्नों को उठाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ... *(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, याचिका का पाठ इस प्रकार है :

"बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक 1999 के माध्यम से ... *(व्यवधान)* भारतीय बीमा उद्योग का निजीकरण करने ... *(व्यवधान)* और बीमा क्षेत्र को विदेशी कम्पनियों के लिए खोलने के विरुद्ध अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी फेडरेशन और साधारण बीमा कर्मचारी अखिल भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री आर. पी. मनचन्दा तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की"

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, यह क्या है?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री वसुदेव आचार्य : यह सरकार के प्रस्ताव के विरोध में है। इस प्रकार विधेयक का प्रश्न कहाँ है?

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री वसुदेव आचार्य : श्री रूपचन्द पाल को पहले उनकी याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए तत्पश्चात् माननीय मंत्री विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री लालकृष्ण आडवाणी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी कोई तरीका बता दीजिए जिससे हमारी बात सुनी जाए। ... *(व्यवधान)* हमें क्यों नहीं सुना जा रहा है। हमें मौका नहीं देंगे, मजबूर करेंगे तो दिक्कत आएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी को बुलाया है। आप किस नियम ने अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर रूल 160 के अन्तर्गत है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक नियम और परम्पराओं का सवाल है वे भी महत्वपूर्ण हैं और इससे मैं इंकार भी नहीं करता, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूरे देश में बीमा बिल पर हो रही हलचल है। आज इस मुद्दे पर करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाएँगे। इसलिए इसे पेश करने से पहले जो बात समझनी जरूरी है, उसे मैं दो मिनट में आपके सामने रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, 1956 में जब बीमा बिल... *(व्यवधान)* आप पहले मेरी बात सुनें। आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं।... *(व्यवधान)* आप मेरी बात पहले सुनें तभी आपको समझ में आएगा। उस समय सरकार ने केवल पाँच करोड़ रुपया लगाया और उसके बाद... *(व्यवधान)* आप मेरी बात पहले सुनें। यह लोकहित की बात है। आज इसके द्वारा देश को विदेशी कंपनियों के हाथों में दिया जा रहा है। हम ऐसे लोगों से जरूर

सावधान करना चाहते हैं... *(व्यवधान)* स्वदेशी जागरण मंच के हमारे आदरणीय मुरली मनोहर जोशी और बहन उमा जी यहाँ शायद नहीं हैं। उन्हें आज स्वदेशी जागरण मंच का नाम बदल देना चाहिए। अगर विदेशी कंपनियाँ देश पर हावी होंगी तो हम केवल देखते ही नहीं रहेंगे। जब से बीमा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में आया है तब से दो हजार करोड़ रुपया सरकार को मुनाफा हुआ है। पिछले साल ही 62 करोड़ उनका खर्च हुआ है, अई करोड़ का मुनाफा हुआ है। फिर 26 फीसदी विदेशी कंपनियों को किस बात का हिस्सा दिया जा रहा है। अगर विदेशी कंपनियों के हाथों में यह क्षेत्र जाएगा तो हम व्यवस्था को भी तोड़कर अपनी बात को सदन में रखेंगे। हम चाहते हैं कि पहले याचिका को सुना जाए और फिर बिल पेश किया जाए।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं प्रक्रिया के नियमों के नियम 64 का उल्लेख कर रहा हूँ। यहाँ प्रश्न यह है कि क्या माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्मति प्रदान की गई है। माननीय अध्यक्ष ने पहले ही अपनी सम्मति दे दी है। जब सम्मति दी गई है तो विधेयक को पुरःस्थापित करने से पहले मद संख्या 9 ली जानी चाहिए। उसे नहीं किया गया है। यह अनुचित है। मान लीजिए प्रकाशन हुआ है तो नियम 64 में विधेयकों के परिचालन के लिए प्रावधान है। तत्पश्चात् याचिका पहले प्रस्तुत की जाएगी और याचिका स्वीकार्य है। इसका प्रकाशन हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि नियम 64 के अनुसार यह स्वीकार्य है।

अब, वे कहते हैं कि प्रकाशन नहीं हुआ है प्रकाशन हुआ है इसलिए यह उपयुक्त है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन्, यहाँ 'प्रकाशन' का अर्थ है 'राजपत्र में प्रकाशन'।

... (व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसे प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन के बावजूद इसे पुरःस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है... *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आप यह ध्यान में रखें कि इस मामले पर आपने पहले ही अपनी सम्मति दे दी है और जब आपने सम्मति दे दी है तो यह मामला आपकी सम्मति के विरुद्ध नहीं जा सकता है... *(व्यवधान)* जब आपने अपनी सम्मति दे दी है तो यह विधेयक कैसे पुरःस्थापित किया जा सकता है

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन्, आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

... (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, प्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दे पर काफी लम्बी चर्चा हुई है। मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण याचिका है और इस पर काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किए हैं... *(व्यवधान)* मुद्दा केवल यह है कि क्या यह याचिका नियम 161 के अन्तर्गत आती है अथवा नियम 163 के अन्तर्गत। यह सम्पूर्ण चर्चा का मुख्य मुद्दा है। मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यदि श्री रूपचंद पाल ने अपनी याचिका का मसौदा तैयार किया होता और याचिका के अन्त में ये शब्द लिखे होते 'विदेशी कम्पनियों के लिए बीमा क्षेत्र का खोला जाना' तो विधेयक का कोई औचित्य नहीं होता... *(व्यवधान)* याचिका प्रस्तुत की जा सकती थी। *... (व्यवधान)*

मैं समझता हूँ कि सचिवालय ने नियमों का काफी स्पष्ट अध्ययन किया है। अतः जब उन्होंने यह पाया कि याचिका में यह कहा गया है कि 'बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 1999' के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है तो उन्हें तत्काल यह लगा कि यह याचिका नियम 161 के अन्तर्गत आती है। नियम 161 के अन्तर्गत, विधेयक पुरःस्थापित किए जाने के बाद ही याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। अतः उन्होंने उस पर तारक चिह्न लगा दिया, जिस पर श्री सोमनाथ चटर्जी ने आपत्ति की। मेरे विचार में सचिवालय ने अपना काम बहुत स्पष्ट तरीके से किया है और इसलिए सचिवालय ने कहा है कि यह विशिष्ट याचिका विधेयक पेश किए जाने के बाद प्रस्तुत की जाएगी *... (व्यवधान)*

श्री वैको : यह शत-प्रतिशत सही है *... (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन्, कृपया उन्हें बात पूरी करने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री रूपचन्द पाल ने एक और बात कही है कि प्रथम अनुसूची जिसमें याचिका का प्रपत्र दिया गया है में यह कहा गया है, "कि विधेयक के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जाए या न की जाए" *... (व्यवधान)* जी हाँ, मैं यह जानता हूँ।

इसमें यह नहीं कहा गया है कि 'विधेयक को पुरःस्थापित न किया जाए'। इसका अर्थ है कि विधेयक को पुरःस्थापित किया जाएगा और तत्पश्चात् उस पर आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी 'आगे कार्यवाही' का अर्थ है, पुरःस्थापित करने के बाद आगे कार्यवाही। *... (व्यवधान)*

महोदय, मेरे विचार में सचिवालय का निर्णय बिल्कुल उपयुक्त तथा स्पष्ट है। अतः विधेयक को पुरःस्थापित होने दें उसके बाद याचिका प्रस्तुत की जाएगी *... (व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, सरकार इसे सम्मान का प्रश्न क्यों बना रही है। आप कृपया एक बार नियम पुस्तक तो देख लें। *... (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएँ।

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, कृपया नियम 160 देखें। इसमें कहा गया है कि 'अध्यक्ष की सम्मति से ऐसे विधेयक पर याचिकाएं सभा में उपस्थित या प्रस्तुत की जा सकेंगी जो नियम 64 के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुकी हों...' अब यह कहा गया है कि यह प्रकाशन राजपत्रित नहीं था। अतः आपको इसे ऐसा विधेयक नहीं समझना चाहिए था जो कि नियम 64 के अनुसार हो अथवा सभा में पुरःस्थापित किया गया हो।

महोदय, आप इसे सभा में पुरःस्थापित विधेयक नहीं मान सकते हैं। आपने किस आधार पर अपनी सम्मति दी है? मैं बहुत आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि गृहमंत्री परेशान हैं। इसे इतनी गंभीरता से क्यों लिया गया है। मैं अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिए जाने के उनके विनिर्णय पर भरोसा कर रहा हूँ। यह सम्मति दूसरे उपखंड के अनुसरण में भी दी जा सकती थी। अन्यथा, सम्मति नहीं दी गई होती। सम्मति अभी नहीं दी जा रही है। इसे वास्तव में प्रस्तुतीकरण के लिए सूचीबद्ध किया गया है न कि प्रस्तुत करने की अनुमति माँगने के लिए। अतः मंत्री महोदय कृपया किसी प्रकार की व्याख्या न करें। पता नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या आप अपने योग्य वित्त मंत्री की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इसे लाने की जरूरत नहीं थी।

महोदय, मेरा यह विचार है कि यदि आज केवल आपके द्वारा दी गई सम्मति को निष्प्रभाव करने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, तो यह अध्यक्ष पीठ का अपमान होगा।

श्री रूपचन्द पाल : माननीय गृह मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सभा को गुमराह किया गया है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है। मेरी याचिका की प्रति अन्य माननीय सदस्यों के पास नहीं है, मैं उसकी अन्तिम पंक्ति पढ़ रहा हूँ। उसमें कहा गया है, 'आगे कार्यवाही न की जाए अथवा राष्ट्र हित में उसे उठाया न जाए' यह मुख्य मुद्दा है। वह इसकी अन्तिम पंक्ति अथवा अन्तिम भाग को निकाल रहे हैं। वे सभा को गुमराह कर रहे हैं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

मुझे ग्यारह माननीय सदस्यों से नोटिस प्राप्त हुए हैं। मैं उनके नाम बुला रहा हूँ।

... (व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, यह याचिका प्रस्तुत की जानी है। लेकिन आप विधेयक पुरःस्थापित करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ उठाने के लिए जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिए हैं, उनका उल्लेख कर रहे हैं। यह दोनों बातें भिन्न हैं। आपको इन दोनों बातों को आपस में मिलाना नहीं चाहिए। याचिका का प्रस्तुतीकरण एक भिन्न मुद्दा है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, आप अपनी बात को समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करने से पहले एक याचिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन् मैंने श्री रूपचन्द पाल को अनुमति दी है।

... (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं आपकी अनुमति के अनुसार आई आर ए विधेयक पुरःस्थापित करने से पहले ही याचिका प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ और सामान्य बीमा कर्मचारी अखिल भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री आर. पी. मनचंदा तथा अन्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूँ...

अध्यक्ष महोदय : नहीं। नहीं। श्री रूपचन्द पाल, कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं याचिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। *... (व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है और मैंने पहले ही विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव रखा है। अब, सभा को इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करना है... *(व्यवधान)* वह याचिका कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? *... (व्यवधान)* मैंने पहले ही विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव रखा है। वह याचिका कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? *... (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएँ।

... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : केवल वही संरक्षक नहीं है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं।

... (व्यवधान)

श्री वैको : प्रक्रिया के अनुसार आपको मंत्री महोदय को विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए बुलाना चाहिए *... (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएँ।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएँ।

... (व्यवधान)

श्री वैको : उन्हें स्वतन्त्रता है कि वो इसका विरोध करें और इस पर कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन अब प्रक्रिया है कि विधेयक को पुरःस्थापित किया जाए... *(व्यवधान)* उन्हें इसका विरोध करने की पूरी आजादी है और इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मंत्री जी को अब विधेयक पुरःस्थापित करना है... *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : कृपया मुझे अब समाप्त करने दीजिए... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, आपने पहले ही वित्त मन्त्री को विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दे दी है। अब सभा को इसके बारे में निर्णय लेने दीजिये... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*... (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है कि बाधा पहुँचाई जाए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, ये विदेशी शक्तियों के हाथों में देश को गिरवी रखना चाहते हैं ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज हमारे पास एक महत्वपूर्ण कार्य भी है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

... (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मेरी याचिका को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाना चाहिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया समझने की कोशिश कीजिये संशोधित कार्यसूची में साफतौर से बताया गया है क्रम सं. 13 में दिये गए बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण विधेयक 1999 को पुरःस्थापित करने के पश्चात् याचिका रखी जाएगी। आप भी संशोधित कार्यसूची देखिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं उन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूँगा जो विधेयक का विरोध कर रहे हैं। अब श्रीमती गीता मुखर्जी बोलेंगी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया संशोधित कार्यसूची देखिए। सूची में स्पष्ट रूप से बताया गया है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं उन माननीय सदस्यों के नाम पुकार रहा हूँ जो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण विधेयक, जिससे परिचयात्मक प्रक्रम पर निजी क्षेत्र के लिए बीमा क्षेत्र को खोला जाना है, का विरोध करती हूँ। ... *(व्यवधान)* यह देखा गया है कि भारतीय जीवन बीमा और साधारण बीमा दोनों ने हमेशा लाभ कमाया है और सरकार के खजाने में काफी अंशदान किया है ... *(व्यवधान)* इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि विदेशी बीमा कम्पनियाँ अत्यन्त खराब स्थिति में हैं। उनके विरुद्ध अमरीका, इंगलैण्ड और अन्य यूरोपीय देशों में जाँच चल रही है ... *(व्यवधान)* पूरे विश्व में इन कंपनियों के विरुद्ध मुकद्दमे चल रहे हैं। ... *(व्यवधान)* इसके अलावा याचिका समिति जो 1994-95 में श्रीमती सुषमा स्वराज के नेतृत्व में गठित की गई थी, ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि इस क्षेत्र को विदेशी कम्पनियों के लिए खोला जाना चाहिए।... *(व्यवधान)* इसलिए महोदय, मैं परिचयात्मक प्रक्रम पर विधेयक का विरोध करती हूँ ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*... (व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, विदेशी शक्तियों के हाथों में देश जा रहा है, भाजपा स्वदेशी जागरण मंच खत्म करे और विदेशी जागरण मंच चलाए, इसकी शुरूआत हो गई है इसलिये इसके विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.49 बजे

इस समय श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, अब आप बोलिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य क्या आप विधेयक का विरोध कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : मैंने सूचना दी हुई है। मैं पूरा जोर लगाकर विधेयक के पुरःस्थापना का विरोध कर रहा हूँ ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने अपना नाम पुकारा है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन श्री रूपचन्द पाल जी की पिटीशन को प्रस्तुत करने के लिए आपने अपनी जो कंसेंट दी थी और उसको प्रस्तुत नहीं होने दिया गया उस प्रश्न के ऊपर आपने अपनी रूलिंग नहीं दी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप स्पष्ट रूप से कहिए क्या आप विधेयक का विरोध कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : जी हाँ, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मैं पूरा जोर लगाकर इस विधेयक का विरोध करूँगा।

श्री तरित बरन तोपदार (बैरकपुर) : लेकिन याचिका को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसे अवश्य किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप कार्यसूची देख सकते हैं। सूची में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मद संख्या 13 के पश्चात् मदसंख्या 9 ली जाएगी।

... (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : हमने सूचनाएँ दी हुई हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप विधेयक का विरोध कर रहे हैं? आपको कारण बताना पड़ेगा कि आप विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : जी हाँ महोदय, मेरी राय में याचिका, जिसको अध्यक्ष पीठ ने अनुमति दी हुई है, पहले ली जानी चाहिए। हमने अपनी बात पहले ही बता दी है कि विधेयक के पुरःस्थापन से पहले श्री रूपचन्द पाल को क्यों अपनी याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मामले की तहकीकात क्या है ... *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : अध्यक्ष महोदय, आपने वरिष्ठ सदस्य से विशेषकर पूछा है क्या वह विधेयक पर बोलना चाहते हैं। वह याचिका के बारे में बोल रहे हैं। यदि उनकी तरह वरिष्ठ सदस्य व्यवहार करेंगे तो कनिष्ठ सदस्य क्या करेंगे? सदस्य को अध्यक्षपीठ की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उन्हें आपकी बातों का सम्मान करना चाहिए... *(व्यवधान)* यह माननीय सभा है राजनीतिक मंच नहीं। उन्हें अध्यक्ष पीठ की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उन्हें कम-से-कम यह समझना चाहिये। मैं नहीं जानता क्या चल चल रहा है। अध्यक्ष पीठ ने उन्हें विधेयक पर बोलने ने लिए कहा है और वह याचिका पर बोल रहे हैं।... *(व्यवधान)* यह चुनावी भाषण नहीं है। अध्यक्ष पीठ सदस्य से उचित व्यवहार करने के लिए कह सकते हैं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री तरित बरन तोपदार : महोदय, आप कार्यसूची के अनुसार कार्य करें। इसमें कहा गया है कि याचिका पहले ली जाएगी ... *(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : यह प्रावधान है कि विधेयक के पुरःस्थापन से पहले याचिका प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप विधेयक के संबंध में बोलें न कि याचिका के संबंध में।

श्री वसुदेव आचार्य : आप इसे पढ़े और अपना विनिर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूँ। आप इस बारे में बोल सकते हैं कि आप विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : पहले श्री रूपचन्द पाल को अपनी याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए और फिर मंत्री महोदय को विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह बात खत्म हो चुकी है।

श्री वसुदेव आचार्य : यदि आप प्रस्ताव को पढ़े ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आज हमें सभा के बहुत ही तात्कालिक और महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा करनी है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, सदन में सीनियर मैम्बर जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, क्या हम लोग उनका तमाशा देखने के लिए यहाँ आए हैं? यदि ऐसा ही है, तो सारा समय उन्हें बोलने के लिए ही अलॉट कर दें। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : यदि आप प्रस्ताव को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि याचिका सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम के निजीकरण करने के प्रयास के संबंध में है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, यह मामला समाप्त हो चुका है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आपको प्रक्रिया की जानकारी भी है।

श्री वसुदेव आचार्य : आप उन्हें याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री तरित बरन तोपदार : महोदय, आप सभा की कार्यसूची के विन्यास के लिए निर्देश देख सकते हैं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा का समय बर्बाद न करें।

... (व्यवधान)

श्री तरित बरन तोपदार : याचिका को प्राथमिकता दी जाती है। इसे पहले निपटाया जाना चाहिए। यहाँ इस बात का उल्लेख किया गया है ... *(व्यवधान)* आपने अपना विनिर्णय नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला पहले ही समाप्त हो चुका है।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, आपने पहले ही विनिर्णय दे दिया है कि विधेयक पुरःस्थापित किए जाने के बाद ही याचिका पर चर्चा होगी। ... *(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : सभा की कार्यसूची के विन्यास के संबंध में क्या निदेश हैं? यह अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया निदेश है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, यह मामला समाप्त हो चुका है।

श्री तरित बरन तोपदार : यदि आप अपने निदेश से भिन्न विनिर्णय देना चाहते हैं, तो दीजिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री वसुदेव आचार्य का नाम पुकार चुका हूँ।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि श्री रूपचन्द पाल को विधेयक पुरःस्थापित किए जाने से पहले, अपनी याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई है। पिछली बार, बारहवीं लोक-सभा में भी जब इस विधेयक को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तो हमने इसका पुरजोर विरोध किया था। उस समय आपने यह निदेश दिया था कि यह विधेयक संयुक्त समिति को भेजा जाएगा और यह बात सभा के कार्यवाही वृत्तांत में भी शामिल की गई है। लेकिन विधेयक को संयुक्त समिति को न भेजकर बल्कि स्थायी समिति को भेजा गया। हम नहीं जानते कि आपके द्वारा निदेश दिए जाने के बावजूद भी इस विधेयक को संयुक्त समिति को क्यों नहीं भेजा गया। स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पिछली लोक-सभा में सत्र के अन्तिम दिन प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट सदस्यों के बीच भी परिचालित नहीं की गई थी। हमने स्थायी समिति की रिपोर्ट नहीं देखी है। हमें रिपोर्ट को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। चूँकि नई सभा का गठन हो चुका है इसलिए इस विशिष्ट विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने से पहले इसे संयुक्त समिति को भेजना उपयुक्त होगा।

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : क्या आप इसे प्रस्तुत किए जाने से पहले संयुक्त समिति को भेजना चाहते हैं? ... *(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश के एक करोड़ पचास लाख लोगों ने इस संबंध में याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया है। महोदय, क्या आप हमें किसी ऐसे विधेयक का उदाहरण दे सकते हैं जिससे इतने अधिक लोग प्रभावित हो रहे हों?

इस देश की डेढ़ करोड़ आबादी है जिसमें मजदूर, किसान, इम्पलायज़, इंटलीजैंट्स हैं।

भारतीय मजदूर संघ (बी. एम. एस.) जो कि भा. ज. पा. के अन्तर्गत है, से संबद्ध संघों सहित हमारे देश के सभी वर्गों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। श्री राजगोपाल, आप अपना सिर हिला रहे हैं लेकिन आप यह नहीं जानते कि आपकी यूनियन भी इसका विरोध कर रही है। आई. एन. टी. यू. सी. भी इसका विरोध कर रही है। सभी केन्द्रीय मजदूर संघ भी इस विधान का विरोध कर रहे हैं। वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? महोदय मैं यहाँ नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमरीका में वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से उद्धरित कर सकता हूँ... *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, क्या हम विधेयक की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं? इस समय हमें केवल प्रक्रियात्मक पहलू तक ही सीमित रहना चाहिए ... *(व्यवधान)* जब वह विधेयक पेश करने का विरोध कर रहे हैं तो चर्चा केवल प्रक्रिया के संबंध में ही की जानी चाहिए। उसकी विशेषताओं के संबंध में चर्चा नहीं की जा सकती है ... *(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, उन्होंने वहाँ कहा था कि पुनर्नियुक्ति पर वह तीन दिन के भीतर इस विधेयक को पेश कर देंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

कहाँ? यहाँ नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमरीका में। उन्होंने क्या कहा?

अध्यक्ष महोदय : आपको विधेयक पर चर्चा करने का समय मिलेगा। आपको बताना है कि आप विधेयक पेश करने का विरोध क्यों कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : बैंकिंग क्षेत्र में शक्तिशाली मजदूर संघों के कारण आप बीमा क्षेत्र में यह कदम उठा रहे हैं। लेकिन मैं बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में नहीं जानता? बीमा क्षेत्र के संघों से उन्होंने कैसे निपटा? हम क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारा मूल मुद्दा क्या है? सरकार क्यों समर्पण करना चाहती है? सरकार हमारे देश को बेचना क्यों चाहती है? संयुक्त राज्य अमरीका की बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ और श्री फ्रैंक वाइज़नर, जो कि हमारे देश में राजदूत थे अब....

अध्यक्ष महोदय : इस समय विधेयक पर चर्चा नहीं हो रही और ना ही यह चर्चा का चरण है। कृपया इस बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए कि आप विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध क्यों कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : वे वर्ष 1993 से भारत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि हम संयुक्त राज्य अमरीका की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए अपने बीमा क्षेत्र के दरवाज़े खोल दें। जीवन बीमा निगम में 40 करोड़ की इक्विटी और सामान्य बीमा निगम में 21.5 करोड़ इक्विटी के साथ सरकार ने कितना लाभांश तथा कर एकत्रित किया? उन्होंने देश के विकास में क्या योगदान दिया है? दो वर्ष के भीतर इन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया समझिए।

श्री वसुदेव आचार्य : इन उपक्रमों ने देश के विकास के लिए 40 करोड़ से अधिक का योगदान दिया है। फिर सरकार हमारे देश की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए बीमा क्षेत्र को क्यों खोल रही है?

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अजय चक्रवर्ती।

श्री वसुदेव आचार्य : संयुक्त राज्य अमरीका अपने यहाँ बीमा क्षेत्र में 3 प्रतिशत से अधिक कारोबार करने की अनुमति नहीं दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने सदस्य को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : वे क्यों आना चाहते हैं, वह हमारे देश को क्यों हड़पना चाहते हैं? वे यहाँ लाभ संचित करना चाहते हैं और अपने देश में ले जाना चाहते हैं। हम अपने जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को अपने देश की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को क्यों बेचना चाहते हैं?

जब भा. ज. पा. विपक्ष में थी, जब हमने संयुक्त मोर्चा सरकार को समर्थन दिया ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप समझने की कोशिश करें। आप एक वरिष्ठ सदस्य है। अब श्री अजय चक्रवर्ती बोलेंगे।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने पर सर्वप्रथम मैं एक गंभीर आपत्ति उठाता हूँ ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल श्री अजय चक्रवर्ती का भाषण कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

... *(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, बैठ जाइए। यह क्या है?

... *(व्यवधान)**

श्री अजय चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का इसलिए विरोध करता हूँ कि इसका स्वरूप राष्ट्र विरोधी है और यह हमारे देश की संप्रभुता के अतिलंघन के सिवाए कुछ नहीं है। हमारे देश के हजारों लोग इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने के विरुद्ध हैं क्योंकि बीमा सेक्टर में सरकारी क्षेत्र की कंपनियाँ भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार हमारे देश के बीमा क्षेत्र में प्रवेश के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है।

महोदय, 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उसने बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश का विरोध किया था। उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि जब तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम इस विधेयक को सभा के समक्ष लाए थे तो उन्होंने इस आशय का संशोधन पेश किया था कि वे हमारे देश के बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश का पुरज़ोर विरोध करते हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको पता होगा कि नियम 72 के अनुसार किसी विधेयक के पुरःस्थापन के समय कोई सदस्य केवल संक्षिप्त वक्तव्य ही दे सकता है।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : आप लोगों ने पश्चिम बंगाल को डुबा दिया, अब आप बंगाल की बात कर रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : पश्चिम बंगाल की सरकार विदेशी कम्पनियों को बुलाने के लिए बातचीत करती रही है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, श्रीमती सुषमा स्वराज, जो भाजपा की एक प्रमुख नेत्री हैं, के सभापतित्व में याचिका समिति ने बीमा क्षेत्र के निजीकरण और बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश के विरुद्ध सिफारिश की थी। किन्तु इस सरकार ने विदेशी कंपनियों के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। यह विधेयक राष्ट्र विरोधी है और इस देश के एक करोड़ से अधिक लोगों ने भारतीय बीमा क्षेत्र का निजीकरण करने का विरोध करने वाली याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह इंश्योरेंस की बात चल रही है, आप बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : इनको इसको अपोज करने का कोई हक नहीं है। ... *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृ में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री विष्णु पद राय : पश्चिम बंगाल को आपने डुबो दिया, आप वहाँ फैक्टरी लगाओ। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइए।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय यह विधेयक, जिसका आशय भारतीय बीमा क्षेत्र का निजीकरण करना है और जिसमें विदेशी कंपनियों को हमारे बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने का प्रावधान है, हमारे देश की संप्रभुता का अतिलंघन करता है इसलिए मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का पुरजोर विरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। ये पश्चिम बंगाल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : ये मालिक हैं और आज ये अपोज़ कर रहे हैं। यह बात इनके मुँह से अच्छी नहीं लग रही है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूँ क्योंकि इसमें देश की संप्रभुता के साथ समझौता किया गया है।

बीमा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकारी कंपनियों ने अपनी क्षमता साबित की है। ये कंपनियाँ लाभ में चल रही हैं और हर कोई जानता है कि इन कंपनियों से प्राप्त भारी राशि का उपयोग इस देश की जनता को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने में किया जाता है। इस क्षेत्र को अब मात्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में खोला जा रहा है।

महोदय अब विकल्प सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र नहीं हैं अपितु भारतीय सरकारी क्षेत्र और विदेशी निजी क्षेत्र हैं। अतः स्पष्ट है कि भारतीय निजी क्षेत्र इस क्षेत्र में निवेश के लिए धनराशि न जुटा सके और इससे वही गलत परम्पराएँ स्थापित होंगी जो इस क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण से पूर्व व्याप्त थी।

यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह सरकार विदेशी कंपनियों के लिए एक प्रतिष्ठित क्षेत्र खोलने के लिए ऐसा विधेयक ला रही है। दुर्भाग्यवश मुख्य विपक्षी दल इस विधेयक का समर्थन कर रहा है। मेरे विचार से उन्हें बोफोर्स कंपनी से जुड़ी कंपनियों के सिवाए किसी अन्य विदेशी कंपनी से कोई सरोकार नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, इस समय मैं अपने भाषण को इस विधेयक के विधायी औचित्य तक सीमित रखूँगा। में इस आधार पर इस विधेयक के विधायी औचित्य पर उंगुली उठाता हूँ कि यह राष्ट्र के समक्ष रखी संविधान की भावना और लक्ष्यों के विरुद्ध है। यह भावना राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की भावना है और यह लक्ष्य देश-देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है। बीमा क्षेत्र को विदेशी कम्पनियों के लिए खोलने से हमारी अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को क्षति पहुँचेगी।

दूसरा, यह इस देश के महान स्वाधीनता सेनानियों द्वारा राष्ट्र के समक्ष रखे हुए इस लक्ष्य के विपरीत है कि हमें अन्य देशों के आर्थिक हित साधने के लिए विदेशी दबाव के समक्ष झुकना या घुटने नहीं टेकने चाहिए जैसा कि यहाँ देखा गया है और जिसके बारे में यही उल्लेख किया गया है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बराबर बोलते मत जाइए।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : आपकी पार्टी की सरकार वहाँ विदेशी कंपनीज को ला रही है ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं उन्हें सभा से बाहर समझा सकता हूँ। उन्हें सभा का समय बर्बाद न करने दें।

[हिन्दी]

श्री विष्णुपद राय : आज अण्डमान को खतरा है, भारत को खतरा है, लेकिन आप चीन के बारे में कुछ नहीं बोलते। इन्द्रजीत गोस्वामी जी से पूछिए, वे डिफेंस कमेटी के चेयरमैन थे, उसमें आया था कि चीन से खतरा है, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, यह इस सभा द्वारा और इस देश के महान नेताओं द्वारा उन लुटेरों से सामान्य बीमा और जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों और प्रशंसनीय उद्देश्यों के साथ धोखा है। जो इस देश की गरीब जनता को लूट रहे थे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं।

श्री रूपचन्द पाल : कल्याणकारी सरकार से सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अपने देश की जमीन दे दी। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बीच में न बोलें, यह अच्छी बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं उनकी बात का उत्तर नहीं दे रहा हूँ... *(व्यवधान)*

सामाजिक क्षेत्र की उपेक्षा होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम दोनों योजना प्रक्रिया अर्थात पेयजल, आवास और ऐसे सामाजिक क्षेत्र के लिए 1,00,00 करोड़ रुपये या अधिक उपलब्ध करा सकते हैं। बीमा क्षेत्र को विदेशी कम्पनियों के लिए खोलने से ये खटाई

में पड़ जाएँगे। ... *(व्यवधान)* मैं इस विधेयक का पुरःस्थापन के चरण में ही विरोध करता हूँ क्योंकि यह भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्र के समक्ष निर्धारित लक्ष्यों और स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्र के समक्ष निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध है।

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस राष्ट्र विरोधी विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं भारी मन से कहता हूँ कि इस प्रकार सरकार देश की संप्रभुता के द्वार व्हाइट हाउस के समक्ष खोलने का प्रयास कर रही है।

दूसरे, यद्यपि विधेयक में विदेशी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक ही सीमित करने की माँग की गई है, फिर भी जैसा कि सर्वविदित है, विदेशी बीमा कंपनियाँ पृष्ठभूमि में रहकर संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों को नियंत्रित करेंगी।

तीसरे, मैं इस माननीय सदन के सामने एक अन्य मुद्दा उठाना चाहता हूँ। बारहवीं लोक सभा के दौरान इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विवरण को देखने से पता चलता है कि इस देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफ. डी. आई. में प्रत्येक बार वृद्धि करने की बात की गई।

'परन्तु इस देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि देश में एफ. डी. आई. में वृद्धि किस प्रकार की जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को कैसे बढ़ाया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में लगातार कमी आ रही है और यह कमी जारी है।

अंत में, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे देश की अवसंरचना को सुधारने के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा।

श्री तरित बरन तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मैं इस विधेयक का पुरःस्थापन के स्तर पर ही विरोध इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि यह राजनीति से प्रेरित है और यह विदेशी एकाधिकारियों, विदेशी कम्पनियों और साम्राज्यवादी ताकतों को यह संकेत देता है कि यह सरकार बहुत उदार है और वह सभी साम्राज्यवादी ताकतों की सभी बातों को मानेगी, जिसमें सी .टी. बी. टी. पर हस्ताक्षर करना भी शामिल है। ऐसे विधेयक का पुरःस्थापन देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्योंकि यह देश पूरी तरह बिक जाएगा और यह विधेयक हमारे देश को विदेशी लोगों, विदेशी, एकाधिकारियों और साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा लूटे जाने का मार्ग खोल देगा।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : पश्चिम बंगाल सहित।

श्री तरित बरन तोपदार : जी हाँ, पश्चिम बंगाल सहित क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत का ही एक भाग है। पश्चिम बंगाल भारत के आर्थिक मानदंडों से अलग नहीं रह सकता। यही हमारा संविधान है। यदि राज्य के लिए अधिक शक्तियों का प्रावधान होता जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल ने पहले ही यह उदाहरण प्रस्तुत कर दिया होता कि पूरे देश को किस तरह निर्देशित किया जाता है और समाज को किस दिशा में ले जाया जाना चाहिए। यदि राज्यों को अधिक शक्तियाँ दी जाएँ तो पश्चिम बंगाल देश का नेतृत्व करने में समर्थ होगा। पश्चिम बंगाल जो आज सोचता है, भारत वह कल सोचेगा। हमारे देश में एक बार फिर ऐसा हो रहा है...*(व्यवधान)*

इसलिए मैं समझता हूँ कि यह सभा इस विधेयक के पुरःस्थापन का एक राय से विरोध करेगी। यदि सरकार चाहती है कि यह पुरःस्थापित हो जाए, इस पर चर्चा हो और यह बहुमत से पारित करवाया जाए और वे ऐसा कर सकते हैं, सत्ताधारी दल और कांग्रेस पार्टी मिल जाने से बहुमत हो जाएगा।

मैं अपने विचार विदेशी एकाधिकारियों को केवल यही संकेत देने के लिए रख रहा हूँ कि हम सभी झुकने वाली ताकतें हैं। ऐसा संकेत नहीं दिया जाना चाहिए। देश को इस तरह नहीं बेचा जा सकता। पंद्रह मिलियन लोगों ने इसका विरोध किया है और एक याचिका पर हस्ताक्षर करके इसे संसद के समक्ष रखा गया, फिर भी इसे कार्यसूची में प्राथमिकता देने से मना कर दिया गया। इस समय हमारे लिए यह सबसे अधिक दुःख की बात है। इसलिए मैं देश हित में इस विधेयक का इस स्तर पर विरोध करना चाहता हूँ।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूँ क्योंकि यह हमारे संविधान की मूल भावना अर्थात् आत्मनिर्भरता, के मूल आधार को नष्ट कर देगा। इतना ही नहीं बल्कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का मुख्य नारा हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना था। यह विधेयक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और निजी क्षेत्र के लिए पूँजी के बाजार खोल देगा।

मैं इस विधेयक का विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव के तुरन्त बाद और सरकार बनने के पहले भारतीय उद्योग महासंघ के प्रतिनिधियों ने हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मिलकर बीमा क्षेत्र को गैर-सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के लिए खोलने की सिफारिश की थी।

इस प्रकार, यह विधेयक उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में लाया गया है, जिनका हमारे देश पर एकाधिकार है। इसलिए मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का गंभीरता से और कड़ाई से विरोध कर रहा हूँ। यह विधेयक आत्मनिर्भरता के हमारे मूल आधार को पूरी तरह नष्ट कर देगा और हमारे देश के कर्मचारियों को बेरोजगार बना देगा।

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूँ क्योंकि यह विधेयक हमारे देश के लोगों के हितों के विरुद्ध और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में है।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि आप इस बारे में अवगत हैं या नहीं। सत्ताधारी दल के नेतृत्व में 'स्वदेशी जागरण मंच' नामक एक देशव्यापी आंदोलन चलाया गया था। अब उन्होंने वह आंदोलन समाप्त कर दिया है। अब वे एक नए नाम "विदेशी स्वागत मंच" के साथ मुख्य विपक्षी दल के सहयोग से एक नया आंदोलन चलाने वाले हैं मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है।

महोदय, मैं एक बार फिर पुरःस्थापना के स्तर पर ही इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : अध्यक्ष महोदय, इस सभा में इस विधेयक के पुरःस्थापन के विरोध में की गई टिप्पणियों को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है।

महोदय, मैं उठाए गए मुद्दों के संबंध में बहुत संक्षेप में जवाब दूँगा क्योंकि इस विधेयक के गुणावगुण पर चर्चा नहीं करना चाहता। जब यह विधेयक इस सम्माननीय सदन के समक्ष विचार के लिए लाया जाएगा उस समय इस विधेयक के गुणावगुणों पर चर्चा करने के लिए हमें काफी समय मिलेगा। इस समय हम केवल इस विधेयक की पुरःस्थापना के संबंध में ही चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, यह विधेयक अचानक नहीं आ गया है। इसे लाने का विचार कल ही हमारे मन में नहीं आया है इसका एक इतिहास है। इसका इतिहास तब शुरू होता है जब कांग्रेस दल सत्ता में था और उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गर्वनर की अध्यक्षता में बीमा क्षेत्र की गतिविधियों की जांच करने और इसके उचित कार्यकरण के लिए सिफारिश देने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी सिफारिशें दी थी। उन सिफारिशों पर विचार किया गया था। जब कांग्रेस दल सत्ता में था तब सरकार ने उन पर कार्य शुरू किया था। जब संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में थी तब भी सरकार ने उन पर कार्य शुरू किया था। हम सभी जानते हैं कि सरकार ने इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही इसे इस सदन में प्रस्तुत किया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस विधेयक को वापस लेने का फैसला किया था। इस विधेयक के संबंध में यही सब कुछ हुआ था...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : उस समय आपने भी इसका विरोध किया था इसलिए ऐसा हुआ था।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय उस विधेयक के साथ यही हुआ।

हम जानते हैं कि किन कारणों से तत्कालीन प्रधानमंत्री इस विधेयक को वापस लेने के लिए बाध्य हुए थे। अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोध के कारण इसे वापस नहीं लिया था बल्कि सी. पी. एम. जो सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, ने सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी थी, जिसके कारण प्रधानमंत्री जी उस विधेयक को वापस लेने के लिए बाध्य हो गए थे। परन्तु उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया।...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : क्यों...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : इस बारे में तो आप जानते हैं मुझे इसके बारे में क्या पता...*(व्यवधान)*

वामपंथी दल, जो इस समय इस विधेयक की पुरःस्थापना के स्तर पर इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि उन्होंने उस समय इसे मुद्दा नहीं बनाया था। जब वह सरकार, जिसका वे समर्थन कर रहे थे, यह विधेयक लाई थी। हमने इसका विरोध क्यों किया था? यह कहना बिल्कुल ठीक है कि भाजपा ने विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विरोध किया था। हमने विधेयक को पारित करने का विरोध क्यों किया था? *(व्यवधान)*

हमने इसका इसलिए विरोध किया था क्योंकि इस विधेयक में उन कई मुद्दों को स्पष्ट नहीं किया गया था जिन्हें दबाया गया था या जिन्हें दबाने की मंशा थी...*(व्यवधान)* वह विधेयक वापस ले लिया गया था।

महोदय, 12वीं लोक सभा में, जिसका माननीय वसुदेव आचार्य उल्लेख कर रहे थे, मैंने इस सभा के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया था। उस विधेयक के पुरःस्थापन के संबंध में भी हमें ठीक वैसे ही विरोध का सामना करना पड़ा था जैसा हम आज कर रहे हैं। हमने आपत्तियों का उत्तर दिया। इस सभा ने यह निर्णय लिया कि उस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति मुझे दी जाए। विधेयक पुरःस्थापित किया गया था और महोदय आपने अपने विवेकानुसार इसे स्थाई समिति को सौंपने का निर्णय लिया था।...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, आप कार्यवाही को देखें। आपने यह निर्देश दिया था कि विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह सभा तो पहले ही भंग हो चुकी है। यह एक नई सभा है। कृपया इस बात को समझिए।

...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : यह स्थायी समिति को उल्लिखित किया गया था। इसे स्थायी समिति को उल्लिखित क्यों किया गया था?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हमने भी विरोध किया था।

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैंने उनकी बातें पूरे धैर्य के साथ सुनी हैं। मैंने किसी के भी बोलते समय व्यवधान नहीं डाला। श्री सोमनाथ चटर्जी बोलते समय व्यवधान उत्पन्न होने पर वे नाराज हो जाते हैं तो क्या वे भी अपने सदस्यों को नियंत्रित रखेंगे और मुझे बोलने देंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने अभी-अभी मेरा नाम लिया था।

श्री यशवंत सिन्हा : मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी का नाम इसलिए लिया था क्योंकि जब उनके बोलते समय बीच में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो वे काफी नाराज हो जाते हैं। वे इस सभा के कुछ सदस्यों पर गुस्सा तक उतार देते हैं। महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जैसे उनके सदस्यों को बोलने दिया गया था वैसे ही मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या मैं केवल एक स्पष्टीकरण दे सकता हूँ? यह सच है कि भा. ज. पा. ने श्री चिदम्बरम के विधेयक का विरोध किया था। क्योंकि उसमें वर्तमान वित्त मंत्री के अनुसार कुछ ऐसी बातें थी जिन्हें छुपाया जाना चाहिए था। अब उन सभी बातों का आपने पता लगा लिया इसीलिए आपने इसका विरोध किया। परन्तु आपके दल के 1998 के घोषणापत्र में आपने राष्ट्र से बीमा निजीकरण विधेयक का विरोध करने का वादा क्यों किया था और समता पार्टी—ने जो अब जद (यू) का नया अवतार है—आपका एक सबसे बड़ा समर्थक—न केवल इस देश के लोगों से बीमा विधेयक का विरोध करने के लिए कहा था बल्कि यह भी कहा था कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुलापन अर्थात् आर्थिक उदारता देश के हित में नहीं है तथा वे इसका कड़ाई से विरोध करेंगे? उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह की नीति का कड़ा विरोध किया था। अब आपने अपना 'स्वदेशी जागरण मंच' त्याग दिया है। यह आपका आंतरिक मामला है परन्तु हमें उपदेश न दें। हमने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला है। ...*(व्यवधान)* सही हो या गलत, यह हमारा निर्णय है, परन्तु आप तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। आप गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं क्योंकि आज आप सत्ता में होना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* आप यह स्पष्ट क्यों नहीं करते?

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप सुन लीजिए, आपको मदद मिलेगी।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : हमारी पार्टी का नाम लिया गया है, इसलिए मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ। बंगाल के मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपये खर्च करके विदेशी कंपनियों को निमंत्रण देने के लिए विदेश गए थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है?

श्री मुलायम सिंह यादव : आपने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया है। आपने तो विदेशी कंपनियों को 26 फीसदी शेयर देने की बात कही है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी कितना शेयर देना चाहती थी?

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : इसका इसके साथ क्या लेना देना है?... *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। श्री मुलायम सिंह यादव, जो इस सभा में अपने दल के नेता हैं, और श्री सोमनाथ चटर्जी जी में यदि कुछ धैर्य है तो मैं उन संदेहों को दूर करने तथा स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा जो वे इस समय उठा रहे हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जो विधेयक संयुक्त मोर्चा सरकार ने प्रस्तुत किया था उसको श्री मुलायम सिंह यादव का पूरा समर्थन प्राप्त है क्योंकि वे मंत्रिमंडल के सदस्य थे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : नहीं। मेरी पार्टी ने इसका विरोध किया था। आपकी कैबिनेट में मुरली मनोहर जोशी जी ने, बहन उमा भारती ने और हमने भी विरोध किया था।

हमारी पूरी पार्टी ने विरोध प्रकट किया था।

श्री मदन लाल खुराना : आप उस समय मिनिस्टर थे।

श्री मुलायम सिंह यादव : हाँ, मैं मिनिस्टर था।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : उसे कैबिनेट ने पास किया था और आप कैबिनेट में थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं मुद्दों को श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ नहीं जोड़ना चाहता।...*(व्यवधान)* महोदय, पिछली सभा में, बारहवीं लोक सभा में आपने इस विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति को सौंपा था...*(व्यवधान)*

इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। स्थायी समिति की अध्यक्षता कांग्रेस दल के एक माननीय सदस्य कर रहे थे। जो बारहवीं लोक सभा में इस सभा के सदस्य थे जिसमें इस सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दलों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस समिति ने सभी पहलुओं पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट दी। हमने रिपोर्ट पर विचार किया, हमने स्थायी समिति की सिफारिशें स्वीकार की हैं तथा मैंने इस विधेयक को एक बार फिर बारहवीं लोक सभा में विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया था। महोदय, आपको याद ही होगा कि बारहवीं लोक सभा के अंतिम दो दिनों में लगातार दो दिनों के लिए इसे सूचीबद्ध किया गया था। इसे इस सभा में विचार के लिए तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि अन्य कई कारणों से सभा स्थगित की जानी पड़ी थी। हम आज वही कर रहे हैं, वही अपना रहे हैं जो हमने बारहवीं लोक सभा में किया था और हम यह विधान ला रहे हैं; वित्त संबंधी स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार करके उन्हें शामिल कर रहे हैं ताकि यह विधेयक एक सही रूप ले सके और इसे पूरी सभा का समर्थन प्राप्त हो सके। ऐसा समर्थन किस हद तक मिलना संभव है।...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : नहीं, वित्त मंत्री महोदय, हमारे सदस्यों ने असहमति भरा नोट भेजा था। इस पर कोई सहमति नहीं हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, कृपया बैठ जाइए। वे आपकी बात से सहमत नहीं हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : स्थायी समिति की रिपोर्ट केवल बहुमत की रिपोर्ट थी; यह कोई सर्वसम्मति की रिपोर्ट नहीं थी।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, जिस आधार पर इस सभा के कुछ माननीय सदस्य इस सभा में इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि यह राष्ट्र विरोधी है, असंवैधानिक है, यह जनहित के विरुद्ध है। अपनी बात पर जोर देते हुए मैं उन सभी आरोपों का खण्डन करता हूँ। इसमें क्या समस्या है? ...*(व्यवधान)* समस्या यह है कि इस

सदन के कुछ सदस्यों ने जनहित के संबंध में चिन्ता न करने का फैसला कर लिया है मानों हमारे दिल में जनहित की कोई भावना ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वे इस देश के लोगों द्वारा चुने गए हैं तो हमें भी इस देश के लोगों ने ही चुना है। मुलायम सिंह जी, ये सभी मुद्दे इस देश के मतदाताओं के सामने थे और प्रत्येक दल की अलग-अलग स्थिति को देखते हुए ही इस देश के मतदाताओं ने नेशनल डेमोक्रेटिक्स एलाइन्स को मत देकर जिताया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : वित्त मंत्री जी, नाम लीजिए। हमारा नाम लिया है तो कांग्रेस पार्टी का भी नाम लेकर बताइए कि उन्होंने कितने परसेंट शेयर माँगा था?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है इसलिए कोई भी यह नहीं कह सकता कि हम असंवैधानिक तरीके से और जनहित के विरोध में कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश ऐसा देश है जिसे अपने आप पर विश्वास है, एक ऐसा राष्ट्र जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है, हमारा देश एक ऐसा देश है जो अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में कभी समझौता नहीं करेगा विशेषकर इस सरकार के होते हुए और इसीलिए हम स्थायी समिति की सिफारिशों को मानते हुए एन. आर. आई. और ओ. सी. बी. से संबंधित 14 प्रतिशत को समाप्त करने के लिए बीमा क्षेत्र में केवल 26 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की ही अनुमति दे रहे हैं।

स्थायी समिति की सिफारिशों को देखते हुए हमने उन्हें छोड़ दिया है। अगर हम बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत की मामूली सी शेयरधारिता की अनुमति देते हैं तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम इसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशियों को बेच रहे हैं? ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं आपसे कह रहा हूँ।...*(व्यवधान)* अगर यही बात पश्चिम बंगाल में की जाती तो वह राष्टवादी कहलाता है और अगर हम यह यहाँ करते हैं तो यह राष्ट्र विरोधी कहलाता है।

यदि यह राजनीति नहीं है, फिर क्या है?...*(व्यवधान)* मैं वामपंथी दल के सदस्यों पर केवल राजनीति में उलझे रहने का आरोप लगा रहा हूँ यह केवल राजनीति है और कुछ नहीं। वे चर्चा के लिए मुद्दे उठाना चाहते हैं और हम प्रत्येक उस मुद्दे से निपटने के लिए तैयार हैं। इस महान् राष्ट्र को बेचा नहीं जा सकता है। इस महान् राष्ट्र को किसी के भी द्वारा, इस पृथ्वी पर किसी भी ताकत द्वारा डराया नहीं जा सकता है। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ। उन्होंने यह कहकर सभा को गुमराह करने की कोशिश की है कि हम साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम का निजीकरण करना चाहते हैं?... ऐसा कहाँ कहा गया है? ...*(व्यवधान)* इस विधेयक में यह कहाँ कहा गया है कि इससे सामान्य बीमा निगम और जीवन बीमा निगम का निजीकरण हो जाएगा?...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : आप जीवन बीमा निगर और साधारण बीमा निगम के अधिनियमों को क्यों संशोधित करना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : क्योंकि उन्हें एकाधिकार की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, कृपया व्यवधान न डालें।

... *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : यदि आप नहीं समझते तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। श्री वसुदेव आचार्य, मैं आपको सभा के बाहर समझा सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि यह वास्तव में क्या है। साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम का निजीकरण करना सरकार का उद्देश्य नहीं है। हमारा इरादा उनके एक भी प्रतिशत शेयरों को किसी को बेचने का नहीं है। उनका सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में कार्य करना जारी रहेगा और जो कोई भी बीमा क्षेत्र में प्रवेश करेगा, वे उसके साथ पूरी तरह से प्रतिस्पर्द्धा करेंगे। लेकिन हमारे पास इसे पेश करने के कारण हैं और मैं इस सभा से अपील करूँगा कि वे इसका विरोध न करें और मुझे इस विधेयक को पेश करने की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीमा पोलिसी-धारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग का विनियमन, संप्रवर्तन तथा उसका व्यवस्थित रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों और बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 का और संशोधन करने का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, माननीय मंत्री जी के व्यवहार को देखते हुए, हमारे दल के सदस्य उठकर बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 12.37 बजे

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : विदेशियों के हाथों में पब्लिक सेक्टर देने से दुनिया के देश बरबाद हुए हैं और हिन्दुस्तान के इंश्योरेन्स सेक्टर को इस बिल के द्वारा विदेशियों के हाथों में दिया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 12.38 बजे

इस समय श्री मुलायम सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : यह बिल जनहित विरोधी है और देश के हित के खिलाफ है। हम इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 12.39 बजे

इस समय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अपराह्न 12.40 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 1999 के माध्यम से भारतीय बीमा उद्योग का निजीकरण करने और बीमा क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने के प्रस्ताव के विरुद्ध अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी फेडरेशन और साधारण बीमा कर्मचारी अखिल भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री आर. पी. मनचन्दा तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

[प्रन्यालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 71/99]

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मडोदय मैंने दस बजे से पहले आपको सूचना दी थी। मैं नहीं जानता कि मेरी सूचना देर से पहुँची।

अध्यक्ष मडोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त, मैंने आपका नाम पुकारा था लेकिन आप वहाँ नहीं थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मडोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री का पूरा भाषण नहीं सुन सका था। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि विनियमन के नाम पर—इसे विनियामक अधिनियम कहा गया है—सरकार को इस राष्ट्र की सम्पत्ति तथा परिसम्पत्तियों को विदेशी हाथों में सौंपने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वे इस क्षेत्र को इस तरह से खोलना चाहते हैं कि केवल भारतीय बीमा कम्पनियाँ ही निजी कम्पनियों में प्रवेश करें और निगमों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करें तो बात समझ में आती थी। हालाँकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ फिर भी मैं इस तर्क को समझ सकता था। लेकिन इन दो निगमों की सम्पत्तियाँ तथा परिसम्पत्तियाँ विदेशी कम्पनियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देना तो निश्चय ही लोकहित, राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। यह विनियमन नहीं है यह कुछ और है।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मडोदय, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का वर्तमान भारतीय बीमा कम्पनियों की कोई भी सम्पत्ति अथवा दायित्व विदेशी कम्पनियों को देने का कोई इरादा नहीं है। मुझे आपके द्वारा इस सभा के माननीय वरिष्ठ सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त को यह स्पष्ट करने दीजिए कि यदि हमने भारतीय कम्पनी की परिभाषा दिए बिना ही छोड़ दिया होता तो इसका अर्थ हो सकता था भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कोई भी भारतीय कम्पनी।

हम इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहते हैं और इसलिए हमने यह परिभाषित किया है कि भारतीय कम्पनी का क्या अर्थ है और उसमें विदेशी भागीदारी कितनी हो सकती है। यदि हमने इसे 26 प्रतिशत तक नियंत्रित नहीं किया होता तो यह भागीदारी 74 प्रतिशत, 49 प्रतिशत अथवा 51 प्रतिशत भी हो सकती थी। लेकिन हम यह कहकर इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि इसे 26 प्रतिशत तक नियंत्रित कर दिया जाएगा। मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा कि सरकार का साधारण बीमा निगम अथवा जीवन बीमा निगम का निजीकरण करने का कोई इरादा नहीं है। अतः इन निगमों में से किसी भी निगम, अथवा उनकी किसी सम्पति, और उनकी किसी भागीदारी को किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी अथवा किसी विदेशी कम्पनी को देने का प्रश्न नहीं उठता है।

अध्यक्ष मडोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएँगे।

अपराह्न 12.45 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मडोदय, राजस्थान में इस बार वर्षा नहीं होने के कारण अधिकांश जिलों में घोर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पीने के पानी का भी संकट कई गाँवों और ढाणियों में हो गया है। चारे के अभाव में पशु भी मर रहे हैं। रोजगार और कार्य के अभाव में ग्रामीण जन-धन्धे और काम की तलाश में राज्य के बाहर जाने को विवश हो रहे हैं। राजस्थान सरकार संसाधनों के अभाव में कुछ भी कार्यवाही नहीं कर पा रही है। यदि समय रहते इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएँगे।

अतः केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि समुचित आर्थिक संसाधन जुटाकर राज्य सरकार को अविलम्ब निर्देश देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करवाए जाएँ। हर हाथ को काम दिया जाए तथा पशुधन के लिए सस्ती दरों पर चारे की व्यवस्था कराई जाए।

(दो) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कृभको द्वारा उर्वरक संयंत्र के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्य नाथ (गोरखपुर) : मडोदय, काफी लम्बे समय से बन्द पड़े गोरखपुर खाद कारखाने की जगह कृभको द्वारा नया उर्वरक संयंत्र लगाए जाने की मंजूरी पिछली सरकार दे चुकी है। पूर्वांचल के कृषि उत्पादन को सीधे प्रभावित करने वाले इस खाद कारखाने की स्थापना सम्बन्धी स्वीकृति से तमाम किसानों में उत्साह तथा खुशी की लहर दौड़ गई थी।

---

*सभा पटल पर रखे गए।

सभी आवश्यक औपचारिकताएँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब मैं स्वयं तथा गोरखपुर मण्डल के तमाम लोगों की यही इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा नए संयंत्र का शिलान्यास शीघ्रातिशीघ्र करके लम्बे समय से अवरुद्ध क्षेत्र के भौतिक विकास को गति प्रदान की जाए।

बारहवीं लोक सभा में मेरे द्वारा समय-समय पर खाद कारखाने से सम्बन्धित उठाए गए मुद्दों पर गौर करते हुए, तत्कालीन सरकार ने कृभको द्वारा नया संयंत्र लगाने की मंजूरी दी थी, इसके लिए मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को एवं सरकार को बधाई देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि कारखाने के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री जी जल्द-से-जल्द शिलान्यास कार्य सम्पन्न करने की कृपा करें।

(तीन) रायसेन, सीहोर और होशंगाबाद जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवराज चौहान (विदिशा) : महोदय, मध्य प्रदेश के रायसेन, सीहोर तथा होशंगाबाद जिले के सैकड़ों ग्राम नर्मदा की बाढ़ के कारण बर्बाद हो गए, हजारों मकान ढह पर, लाखों हैक्टेयर में खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई तथा अनेक पशु मारे गए। घरों में रखा अनाज इत्यादि सारा सामान नष्ट हो गया। बाढ़-पीड़ितों को अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा नाममात्र की राहत दी गई है। राहत और पुनर्वास के कार्यों की बड़े व्यापक पैमाने पर आवश्यकता है।

केन्द्र सरकार से आग्रह है कि बाढ़-पीड़ितों को राहत देने तथा पुनर्वास हेतु तत्काल कदम उठाएं।

(चार) बिहार के गोड्डा और अन्य जिलों में बाढ़ से हुई हानि का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दल भेजे जाने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोड्डा) : महोदय, बिहार के गोड्डा जिला के गोड्डा, देवघार, दुमका तथा बाँका जिले के धौरेया रजौन भीषण बाढ़ एवं भारी वर्षा से लगभग पाँच लाख हैक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के साथ-साथ लगभग दो लाख हैक्टेयर क्षेत्र जल-जमाव से प्रभावित होने से लगभग एक लाख लोग बेघर हो गए एवं आंशिक रूप से पाँच लाख लोग प्रभावित हैं; 50 विद्यालय ध्वस्त हो गए हैं तथा लगभग 60 हजार पशुधन बह गए। सड़क, पुल-पुलिया की क्षति बिजली खम्भे, ट्रांसफार्मर, पेयजल समाप्त, फलस्वरूप लगभग 80 लोगों की मौत हो गई। महामारी का प्रकोप एवं सेरीब्रल मलेरिया का भी प्रकोप जारी है जिसमें 11 व्यक्तियों के मरने, दर्जनों व्यक्तियों के आक्रांत होने की खबर है। ऐसी विषम स्थिति के अन्य क्षेत्रों में भी फैलने की प्रबल सम्भावना है।

दोबारा बाढ़ ने और विनाश कर दिया है। दर्जनों गाँव बिल्कुल बाढ़ में बह गए हैं। इन्दिरा आवास की तरह इन्हें फिर से बसाया जाए तथा खेती और बैल के लिए, मकान बनाने के लिए केन्द्र अनुदान दे। मरने वालों को मुआवजा दिया जाए।

साइक्लोन में तुरन्त मदद की जाती है, पर उसी तरह का सर्वनाश यहाँ हुआ है। यह बाढ़ 1899 में सितम्बर के बाद, 1999 सितम्बर में आई। यहाँ के लोग बाढ़ के बारे में अन्जान नहीं थे।

(पाँच) मैसूर विमान पत्तन का दर्जा बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार (मैसूर) : मैसूर विमान पत्तन का दर्जा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव काफी समय से लम्बित पड़ा है। चूँकि मैसूर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और काफी बड़ी संख्या में पर्यटक विशेषकर कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक प्रतिदिन वहाँ जाते हैं इसलिए वर्तमान विमान पत्तन का दर्जा बढ़ाना बहुत आवश्यक है। यदि विमान पत्तन का दर्जा बढ़ाया जाता है तो इससे घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से स्थानीय लोगों के लिए नए रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे और राष्ट्रीय तथा राज्य के राजकोष में अतिरिक्त आय जुड़ेगी।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे भूमि अधिग्रहण और मैसूर विमान-पत्तन का दर्जा बढ़ाए जाने के लिए आवश्यक निर्माण कार्य हेतु कर्नाटक राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान करें।

(छह) आन्ध्र-प्रदेश में सूखे की स्थिति के कारण कपास उत्पादकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के कपास उत्पादक सूखे की स्थिति के शिकार हैं। सूखे के कारण कृषकों को हो रही लगातार हानि से विगत में अनेक आत्महत्याएँ हुई हैं। पिछले वर्ष के दौरान अनेक कपास उत्पादकों ने फसलों की हानि और उनके ऊपर भारी ऋण के बोझ के कारण आत्म-हत्याएँ की थीं। इस वर्ष भी अनेक कपास उत्पादक ऋणों को चुका नहीं पाए और हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के नालगोंडा और कुडप्पा जिलों में हुई दो घटनाओं में एक कृषक सहित चार लोगों ने आत्महत्या कर ली।

तभी से कपास उत्पादक इस स्थिति के शिकार हैं और न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार उनकी समस्याओं को सुलझा पाई है। अतः यह एक अच्छा समय है कि भारत सरकार को आगे आना चाहिए और आन्ध्र प्रदेश के कपास उत्पादकों को मदद तथा सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे भविष्य में आत्म-हत्या करने पर मजबूर न हों।

(सात) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत शिक्षण संवर्ग को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समतुल्य लाए जाने की आवश्यकता

श्री नेपाल चन्द्र दास (करीमगंज) : मैं सरकार का ध्यान भारत सरकार की केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत शिक्षण संवर्ग की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूँ। मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, जी. बी. पन्त अस्पताल, जे. आई. पी. एम. ई. आर. पांडेचेरी और अन्य स्थानों में कार्यरत अत्यन्त अनुभवी और वरिष्ठ प्रोफेसरों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है।

शिक्षण पदों के लिए वांछनीय समान मौलिक और विशिष्ट अर्हताओं के साथ-साथ अनुभव होने के बावजूद के. स्वा. सेवा के शिक्षण संवर्ग को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पी. जी. आई. चण्डीगढ़ इत्यादि के शिक्षण संकाय के बराबर नहीं माना जाता। एम्स, पी. जी. आई. आदि की तुलना में न तो वेतन तथा अन्य परिलब्धियों के मामले में उन्हें बराबर माना जाता है और न ही उन्हें अनुसंधान अनुदानों आदि के रूप में अन्य सुविधाएँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त एम्स, पी. जी. आई. आदि की तुलना में के. स्वा. योजना में कार्यरत ये प्रोफेसर कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक अथवा परिलब्धियाँ अथवा भत्ते प्राप्त किये बिना अपेक्षाकृत अधिक अध्यापन कार्य करते हैं, अधिक संख्या में बाह्य, आन्तरिक और आपातकालीन रोगियों का उपचार करते हैं और रोगियों को साधारण विशेष और अति विशेष उपचार उपलब्ध कराते हैं। चौथे वेतन आयोग से पहले के. स्वा. योजना के शिक्षण संवर्ग को 'एम्स' के संकाय की तुलना में बेहतर वेतनमान दिए जा रहे थे लेकिन एक दशक से स्थिति बद से बदतर हो गई है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वह बराबर काम के लिए बराबर वेतन अर्थात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय के बराबर वेतन देकर विसंगति समाप्त करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कदम उठाए और केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत इन वरिष्ठ अनुभवी प्रोफेसरों की कार्य की स्थितियों में सुधार के लिए कदम उठाएँ। इससे के. स्वा. योजना के अधीन कार्यरत प्रोफेसरों में हो रही निराशा, हताशा और असंतोष को दूर करने में सहायता मिलेगी।

(आठ) आन्ध्र प्रदेश में नालगोंडा-मछेरला और रायचूर के बीच रेल लाइन के निर्माण कार्य को शुरू किए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : मछेरला और रायचूर के बीच बरास्ता नगर कुरनूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया था। इस रेलवे लाइन से गुंटाकल, रायचूर के रास्ते तटवर्ती जिलों और मुम्बई के बीच की दूरी काफी कम हो जाती है और यह रेलवे लाइन तेलगांना में नालगोंडा और महबूब नगर के पिछड़े जिलों में उद्योग लगाने में भी सहायक होगी। नालगोंडा से कुछ सीमेंट फैक्टरियाँ बाहर चली गई हैं। इससे पालमुरू श्रमिकों का पलायन हो जाएगा, जो निर्माण कार्य में माहिर है क्योंकि इस रेलवे लाइन की वजह से उन्हें वहीं रोजगार मिल जाएगा और अच्छी परिवहन व्यवस्था के कारण वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। 11वीं लोक सभा के दौरान मेरे बार-बार अनुरोध किये जाने के पश्चात यह परियोजना जुलाई 1997 में शामिल की गई थी। रेलवे के अनुपूरक बजट में मछेरला और रायचूर रेलवे लाइन के साथ नालगोंडा और मछेरला के बीच की लाइन को शामिल करके इसे एकल परियोजना अर्थात रायचूर-मछेरला-नालगोंडा के बीच रेल लाइन के निर्माण के रूप में पेश किया गया। पहले चरण में नालगोंडा और मछेरला के बीच रेलवे लाइन बिछाने की लागत 48 करोड़ रुपये आंकी गई और पहले चरण का कार्य आरम्भ करने के लिए सांकेतिक राशि नियत कर दी गई। अब मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि नालगोंडा मछेरला और रायचूर के बीच रेल लाइन बिछाने के कार्य को तुरन्त आरम्भ करें ताकि नालगोंडा, महबूबनगर और रायचूर जिलों के लोगों की चिरकालिक इच्छा पूरी हो सके।

(नौ) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एन. टी. सी. के अन्तर्गत गणेश शुगर मिल्स को अर्थक्षम बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज) : महोदय, जनपद महाराजगंज पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा एवं गरीब जिला है। स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कं. लि. की इकाई गणेश शुगर मिल्स की स्थापना जैपुरिया बंधुओं द्वारा सन् 1932 में की गयी थी। यह चीनी मिल्स आनंद नगर कस्बे के मध्य लगभग 33.47 एकड़ भूमि में स्थित है और इसके पास 730 एकड़ के दो कृषि फार्म भी हैं। इस मिल को बाद में भारत सरकार के राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया। अधिगृहण के पश्चात् यह शुगर मिल सुचारु रूप से चली ही नहीं वरन मुनाफा भी देती रही, परन्तु शुरू से ही राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा न तो इसका विस्तारीकरण किया गया और न ही इसकी पेराई क्षमता बढ़ाने की ही कोशिश की गयी। कुप्रबंध एवं वित्तीय अभाव के कारण यह मिल सन् 1990-91 से लाभ के बजाय घाटा उठा रही है। इतना ही नहीं भारत सरकार द्वारा गारंटी न प्रस्तुत करने के कारण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट की सुविधा भी निरस्त कर दी गयी। जिस कारण गन्ना किसानों को न तो मूल्य का भुगतान हो पाया और न ही पर्याप्त गन्ने की खरीद ही की जा सकी जिसके कारण मिल केवल 62 दिन चलने के बाद 3 फरवरी, 1994 को बन्द हो गयी। लगातार घाटे के कारण इस मिल को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्वास संस्थान (बी एफ आई आर) को संदर्भित किया गया था जिसने इसे बीमार इकाई घोषित कर इसके पुनर्वास की योजना भेजने की संस्तुति की परन्तु इस सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। राष्ट्रीय वस्त्र निगम, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों द्वारा बराबर इस मिल को चलाने की अनिच्छा व्यक्त की गयी और मिल को चलाने के लिए सरकार द्वारा अनावश्यक धन भी उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण इस मिल के परिसमापन के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरुद्ध कर्मचारियों ने अपील दायर की जो खारिज कर दी गयी और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उनकी याचिका भी खारिज कर दी।

अब इस समय कम्पनी रजिस्ट्रार कानपुर द्वारा इस औद्योगिक इकाई के परिसमापन का कार्य शुरू किया जाना है जिसके परिणामस्वरूप इसके 700 कर्मचारी वेतन से वंचित हो जायेंगे उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुँच जायेगा, इस पिछड़े क्षेत्र का गन्ना किसान बर्बाद हो जायेगा। गन्ना किसानों को बकाया राशि 234 लाख रुपया डूब जायेगा।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस बीमार औद्योगिक इकाई के पुनर्वास की कार्यवाही शुरू की जाये, वहाँ सरकार द्वारा आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाये, कर्मचारियों के वेतन और गन्ने के बकाये मूल्य का भुगतान कराकर क्षेत्र को बर्बाद होने से बचाया जाए।

[अनुवाद]

(दस) कोयला और अन्य खनिज उत्पादों पर रायल्टी दरों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : आजादी के 52 वर्षों के बाद भी, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के होने के बावजूद उड़ीसा जैसा राज्य लगातार

पिछड़ेपन का शिकार हो रहा है। यह राज्य ऋण के चक्र में फंसा है और भारी ऋण के बोझ को कम करने हेतु कोई प्रभावी उपाय होने के कारण गम्भीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है और वास्तविकता तो यह है कि अब राज्य दिवलिया होने की कगार पर है। लम्बे समय से व्याप्त प्राकृतिक आपदाओं से राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति में निरन्तर गिरावट आ रही है और हाल ही के चक्रवात के कारण, जिसने राज्य के तटीय क्षेत्रों को तहस-नहस कर दिया है, यह स्थिति और भी बदतर हो गई है। यदि केन्द्र राज्य की सहायता के लिए आगे नहीं आता तो राज्य इस समस्या से निजात नहीं पा सकता है। यही समय उचित है कि इसके भरण-पोषण के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाएं। अन्य उपायों के अलावा कोयले की रायल्टी की दरों में वृद्धि, जो काफी समय से लंबित है, की जानी चाहिए। खनिज समृद्ध लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों को, यदि पैट्रोलियम उत्पादों पर संशोधित रायल्टी दरों के समान, खनिजों पर रायल्टी दी जाए तो ये राज्य काफी लाभान्वित होंगे। भारत सरकार को इस पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है और कोयला तथा अन्य खनिज उत्पादों पर रायल्टी दरों में संशोधन करने के लिए आवश्यक उपाय किये जाने की जरूरत है।

(ग्यारह) हरियाणा में सूखे के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दल भेजे जाने और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अजय सिंह चौटाला (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री का ध्यान हरियाणा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भिवानी पड़ता है। यह समस्त इलाका जिसमें हरियाणा राज्य के हिसार, महेन्द्रगढ़, गुड़गाँव आदि जिलों का इलाका भी आता है। इस बार समय पर वर्षा न होने की वजह से गंभीर सूखे की चपेट में हैं। चूँकि इस अधिकतर इलाके में वर्षा पर आधारित खेती-बाड़ी की जाती है, इसलिए समय पर वर्षा न होने से किसानों को अनाज एवं मवेशी चारे की भारी कमी की परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके साथ-साथ केन्द्रीय पूल से पर्याप्त बिजली न मिलने और डीजल के दाम बढ़ने से और भी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इन दोनों के अभाव से ट्यूबवैल को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

अतएव, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि हरियाणा में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक दल जल्दी से जल्दी भेजा जाना चाहिए तथा इस दल की रिपोर्ट आने से पहले तुरन्त सहायता के रूप में राज्य सरकार को पर्याप्त धन मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि किसानों को बिना किसी देरी के राहत प्रदान की जा सके। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् सूखे से हुए नुकसान के अनुरूप किसानों को मुआवजा दिया जा सकता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर शीघ्रातिशीघ्र गौर किया जाये।

(बारह) डीजल के मूल्यों में कमी किए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : हाल ही में डीजल की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप केरल राज्य में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। केरल उपभोक्ता राज्य है। रेल यात्रा और बस यात्रा के किरायों में तुरन्त ही वृद्धि हो जाएगी। जीवन यापन की लागत दोगुनी हो जाएगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि डीजल की कीमतों में कटौती की जाए। बस और लौरी चालक हड़ताल पर हैं इससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(तेरह) पश्चिम बंगाल में इटहार, मालदा और मुर्शिदाबाद में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए व्यापक मास्टर प्लान बनाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (रायगंज) : महोदय, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दीनाजपुर जिलों में प्रतिवर्ष या एक वर्ष छोड़कर बाढ़ आना नियमित आवर्तन बन गया है जिससे अर्थव्यवस्था, कृषि फसल आदि सहित लोगों के जान माल का भारी नुकसान होता है। पश्चिम बंगाल के रायगंज, इटहार, खारबा, राटुवा, हरिश्चन्द्रपुर, मसिकयक जांगीपुर मुर्शिदाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए व्यापक योजना प्लान दस्तावेज अथवा मास्टर प्लान बनाकर संघ सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये गए हैं। चन्द्रधारा, भगवानपुर, खारबा के मटियारपुर अंचलों को तबाही का सामना करना पड़ रहा है। महानंदा और सुई नदियाँ प्रतिवर्ष इदहार को तबाह कर रही हैं।

हाल ही में आई बाढ़ से इटहार, राटुवा, हरिश्चन्द्रपुर, खारबा और रायगंज में एक लाख से अधिक गरीब लोगों के मकान नष्ट हो गए हैं। नगर नदी और इसके कटाव से रायगंज और खारंडीगी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के गाँवों को खतरा उत्पन्न हो गया है।

मैं माँग करता हूं कि जल संसाधन मंत्रालय और योजना आयोग से मिलकर बनाए गए केन्द्रीय सरकार के दल को दीनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद के उपरोक्त बताए गए क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण करना चाहिए और अन्ततः उक्त क्षेत्रों को चालू वर्ष अथवा अगले वित्तीय वर्ष के योजना दस्तावेज में शामिल करना चाहिए और इटहार, उत्तरी मालदा और मुर्शिदाबाद में बाढ़ का सामना करने के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। चुनाव के दौरान आई हाल की बाढ़ से नष्ट हुए मकान सड़क स्कूलों को दुबारा बनाने के लिए इटहार राटुवा, खारबा, रायगंज, हरिश्चन्द्रपुर के लोगों को अत्यधिक सहायता की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब शून्य काल। श्री राजेश पायलट।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पायलट जी का नाम पुकारा है। मैं आपको भी बुलाऊँगा। कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाइए। आपने भी शून्य काल में मामला उठाए जाने के बारे में एक सूचना दी है।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को एक-एक करके बोलने का अवसर दूँगा।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि वित्त मंत्री जी के दिल के पास से पब्लिक इंटरेस्ट दूर चला जाए ... *(व्यवधान)* अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट उनके दिल के पास है, ऐसा उन्होंने अभी कहा है, इससे पहले कि वह दूर चला जाए, श्री राम नाईक जी और श्री यशवंत सिन्हा जी यहाँ बैठे हुए हैं, जब वे बोल रहे थे तो मैं दोनों के दिल के पास पब्लिक इटरेस्ट देख रहा था। मेरी प्रार्थना है कि दो दिन पहले इस सदन में डीजल पर चर्चा हुई और सभी माननीय सदस्यों ने डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के बारे में बहुत चिन्ता जाहिर की। सभी पार्टियों ने चिन्ता व्यक्त की, हमारे उधर के एक भाई, जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, उन्होंने कहा था कि जरूरत नहीं है, अन्यथा बी. जे. पी. के सभी भाइयों ने सरकार से प्रार्थना की थी कि इस बोझ को हल्का किया जाए। मुझे खुशी है कि श्री राम नाईक जी ने अपने भाषण में कहा था कि मुझे भी उतनी ही चिन्ता है और मैं सरकार से इस बारे में जल्दी बात करके, विचार करके जरूर कोशिश करूँगा। ऐसा श्री राम नाईक जी ने कहा था। महोदय, इस सैशन का कल आखिरी दिन है। मैं नाईक जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कम से कम कल तो इस सदन में इत्तिला कर दें कि इसमें आप क्या कदम उठा रहे हो, जिससे किसान और आम-आदमी का बोझ हल्का हो सके और सरकार ने जो आज भावना की बात की है, श्री यशवंत सिन्हा जी ने यह भी कहा कि लोगों की भावनाओं से एन. डी. ए. जीतकर आई है, उन भावनाओं की कद्र करते हुए आप इस पर क्या कदम उठा रहे हो, कृपया वह सदन को बता दें ... *(व्यवधान)*

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि आज एक बहुत बड़ी महिला इस सदन में हैं... *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली-सदर) : अध्यक्ष जी, अब तक सदस्यों ने डीजल की बात कही.... *(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली सरकार ने डी. टी. सी. के किराये दोगुने कर दिए हैं, वह कम करेंगे या नहीं करेंगे ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, उत्तर दे रहे हैं

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी बोल रहे हैं।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजेश पायलट जी ने एक सवाल उठाया, उसका उत्तर मैंने पहले दिया था, मुझे इस समय सदन को यह बताने में बड़ी खुशी है कि ट्रक ऑपरेटरों ने जिन कारणों से हड़ताल प्रारम्भ की थी, वह कल उन्होंने वापस ले ली है। मैंने सोचा कि मैं सदन को बता दूँ, बाकी चीजों के बारे में मैंने पहले वक्तव्य दिया है... *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : यह सही नहीं है ... *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं डी. टी. सी. के बारे में कहना चाहता हूँ कि डी. टी. सी. ने अपनी बसों के किराये सौ प्रतिशत बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में 2300 प्राइवेट बसें हैं। यदि कोई दरें बढ़ती हैं तो एस. टी. ए. उसे पास करती है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह ठीक नहीं है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री खुराना जी का नाम पुकारा है केवल श्री खुराना जी का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, 2300 प्राइवेट बसों ने दरें बढ़ा दी हैं और इस बारे में कोई नोटीफिकेशन नहीं हुआ है। होम मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में प्राइवेट बसों ने किराये की जो दरें बढ़ाई हैं, इन सौ प्रतिशत दरों के बढ़ाने के लिए उन्होंने किसी से पूछा नहीं और न कोई नोटिफिकेशन ही हुआ है। इसे एस. टी. ए. ने भी पास नहीं किया है। मेरी आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसकी सी. बी. आई. द्वारा जाँच होनी चाहिए... *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, इसकी सी. बी. आई. से जाँच होनी चाहिए.... *(व्यवधान)* 2300 प्राइवेट बसों ने किराये बढ़ाये हैं... *(व्यवधान)* किसी ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री खुराना जी को बुला लिया है। कृपया बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको उनके बाद बोलने का मौका दूँगा। मैंने श्री खुराना को अनुमति दे दी है, कृपया बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। आपको समझना चाहिए कि मैंने श्री खुराना को बोलने की अनुमति दी है। कृपया बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, डीजल के दाम बढ़ने के नाम पर दिल्ली में डी. टी. सी. की दरें बढ़ीं, एक एक अलग बात है, लेकिन दिल्ली में सैकड़ों बसें प्राइवेट चल रही हैं, उन्होंने 100 प्रतिशत किराया बढ़ा दिया जबकि एस. टी. ए. या दिल्ली गवर्नमेंट का ऐसा कोई फैसला या प्रस्ताव नहीं है, फिर भी 2300 बसों के किराए 100 प्रतिशत कैसे बढ़ गए? दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया न प्रस्ताव पास किया, फिर निजी बस मालिकों ने कैसे किराए बढ़ा दिए? प्राइवेट बसों के किराए बढ़ाने के लिए मोटर विहीकल एक्ट के अन्तर्गत बाकायदा एस. टी. ए. का प्रस्ताव होता है और गवर्नमेंट का निर्णय होता है, उसके बाद ही दाम बढ़ाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में प्राइवेट बसों के किराए बढ़ाने का न तो एस. टी. ए. का आर्डर है और न दिल्ली गवर्नमेंट का कोई प्रस्ताव है, फिर कैसे किराए बढ़ा दिए गए? इसकी सी. बी. आई. से जाँच होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, डी. टी. सी. ने किराया बढ़ाया, उसकी खिलाफत हम अलग से करेंगे, लेकिन प्राइवेट बसों के मालिकों ने किराए कैसे बढ़ा दिए? इस सम्बन्ध में मेरा आरोप है कि दिल्ली सरकार और प्राइवेट बसों के मालिकों की मिलीभगत है। यहाँ पर गृह मंत्री महोदय बैठे हैं, मेरी उनसे माँग है कि वे सी. बी. आई. से इसकी जाँच कराएँ। मुझे प्रतीत होता है कि इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया दिल्ली की आम जनता से लूटा जा रहा है। अतः इसकी जाँच होनी चाहिए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आप इस बात को समझिए कि अगर आप इस तरह बोलते रहेंगे तो अध्यक्ष पीठ आपका नाम कैसे पुकारेंगे? कृपया, पहले आप बैठ जाइए। मेरे पास एक सूची है और सूची के अनुसार मैं आपका नाम बुलाऊँगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री राजेश पायलट : महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी पहले मंत्रिमंडल की बैठक में जाएँगे और फिर सदन में वापस आएँगे। उसके उपरान्त उन्हें हमें इसके बारे में बताना चाहिए। हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने इस मुद्दे पर चार घंटे तक चर्चा की है और यह उसी विषय के बारे में है।

श्री राजेश पायलट : आप कृपया उनका वक्तव्य पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : वे इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री राजेश पायलट : उन्होंने कहा है, 'मुझे कुछ नहीं कहना है।'. ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे लिए आपको बुलाना मुश्किल होगा। कृपया बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों कृपया बैठ जाइए।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि कार्यवाही वृतान्त की जाँच करें और अगर यदि जो कुछ श्री राजेश पायलट जी कहते हैं कि यह सही है और अगर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वे परामर्श करके सदन में आएँगे तो यह एक आश्वासन हो जाता है और हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि यह सुनिश्चित हो वे अपना आश्वासन पूरा करके इस पर नया वक्तव्य देने के लिए सदन में वापस आएँ।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पदरौना) : अध्यक्ष महोदय, आप हमें भी बोलने का मौका दीजिए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बोलने का मौका देंगे लेकिन पहले आप बैठ जाइये।

... *(व्यवधान)*

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने डी. टी. सी. पर ही नोटिस दिया है कि उन्होंने किराये बढ़ा दिए हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

... *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इन बातों को पहले कैबिनेट में ले जाना पड़ेगा, मंत्रिमंडल में डिसकस करना पड़ेगा तभी मैं कोई जवाब दे सकता हूँ। कल सैशन का आखिरी दिन है।... *(व्यवधान)* क्या आप कल तक जवाब दे देंगे?... *(व्यवधान)* यह पूछने का तो हमारा हक है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : मैं यह दुहराता हूँ कि जो कुछ मैंने उस दिन कहा था मैं उसका अनुपालन करने की कोशिश करूँगा।

श्री राजेश पायलट : नहीं, यह ठीक नहीं है। ... *(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : तो, आपने क्या कहा था?...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मैंने जो कुछ कहा था वह कार्यवाही वृत्तांत में है। ... *(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, आप कार्यवाही वृत्तांत देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम कार्यवाही वृत्तांत जरूर देखेंगे।

श्री राजेश पायलट : महोदय, कल इस सत्र का आखिरी दिन है

और अगर यह कल तक नहीं होता तो हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पाएगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है हम कार्यवाही वृत्तांत देखेंगे।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, कृपया इसे कल तक कर लीजिए। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ बातें यहाँ पर उठाना चाहती हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वह आदिवासी एरिया है। इस देश को आजाद हुए 50 वर्ष हो गये हैं लेकिन किसी भी सरकार ने अभी तक वहाँ की जनता को स्वच्छ पानी मुहैया नहीं किया है। जब मैं पहली बार एम. पी. बनी थी तब मैंने पेय जल योजना के अन्तर्गत 1800 हैंडपम्प वहाँ दिये थे उसकी सूची मुझे दी जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश बीच में मैं चुनाव हार गई। चुनाव हारने के बाद उन हैंडपम्पों का बड़ा दुरुपयोग हुआ है कार्यवाही की जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन हैंडपम्पों को पाँच-पाँच हजार रुपये में बेच दिया। उसे रोका जाए। ... *(व्यवधान)* वहाँ गरीब जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा, मुहैय्या कराया जाए ... *(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर गलत है ... *(व्यवधान)*

श्रीमती फूलन देवी : आप क्यों पर्दा डालते हैं।... *(व्यवधान)* आप इस पर पर्दा मत डालिए। केन्द्र सरकार अतिरिक्त धनराशि देकर मेरे क्षेत्र का विकास कराए।

अध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों को जो लोन मिलता है, उसमें से 20 परसेंट कमीशन वह पहले ही ले लेते हैं। भाजपा के लोग 30 परसेंट ले लेते हैं। इसी तरह इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत जो पैसा मिलता है, वह भी नहीं दिया जाता। उसके लिए उनसे कहा जाता है कि पहले आप पाँच हजार रुपये दो फिर पच्चीस हजार ले जाओ।... *(व्यवधान)* जब हमारी गरीब जनता 100 रुपये में खाना नहीं मुहैया कर पाती तब वह पाँच हजार रुपये कहाँ से देगी ?... *(व्यवधान)* हमारे भाई खुराना जी चिल्ला रहे हैं कि दिल्ली में बसों के किराये बढ़ा दिये गये हैं।... *(व्यवधान)* मुझे बहुत दुख है। आप तो बड़े सीनियर नेता हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)* पूरे देश को देखना चाहिए।... *(व्यवधान)*

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी जिलों में अरबों रुपया किसानों का बकाया है।... *(व्यवधान)*

श्रीमती फूलन देवी : हमारे क्षेत्र की जनता रो रही है।... *(व्यवधान)* पूरे देश की जनता रो रही है और आप यहाँ दिल्ली की बसों के किराये को रो रहे हैं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

श्रीमती फूलन देवी : हमारे देश की गरीब जनता जो कि पम्पसेटों से पानी भरती है, सिंचाई करती है और ट्रैक्टर से खेती करती है, वह हमसे हिसाब पूछ रही है कि बहन जी आपके जीत जाने के बाद चार रुपये डीजल के दाम क्यों बढ़ गये ?... *(व्यवधान)* आप दिल्ली सरकार से हिसाब पूछ रहे हैं, क्योंकि कल आपने मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन पूरे देश की जनता क्या करे ?... *(व्यवधान)* आज उत्तर प्रदेश में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैडम, अब आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान खासतौर से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के गन्ना किसानों की तरफ दिलाना चाहता हूँ।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसलिए हमने आपको मौका दिया है।

... (व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : हमारे यहाँ किसानों का अरबों रुपया बकाया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नौ चीनी मिले हैं।... *(व्यवधान)*

श्रीमती फूलन देवी : गरीब जनता को पीने का पानी और लोन मुहैया कराया जाए।... *(व्यवधान)* हमारे यहाँ बुनकर हैं। उनका कर्जा माफ किया जाए, वहाँ पुलिस शोषण करती है। उसे मुक्त किया जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*... (व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान खास तौर से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नौ चीनी मिले हैं जिनमें से कानपुर की पडरौना और कठकुइयाँ चीनी मिलें पहले से बन्द हैं।... *(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि वह छः चीनी मिलें—छितौनी, घुघली, मुण्डेरवा, मेरठ, रामपुर तथा हरदोई और बन्द करने जा रही हैं। देवरिया में गौरी बाजार पहले से बन्द है।... *(व्यवधान)* गन्ना किसानों का अरबों रुपया बकाया है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का क्या होगा। वे मर रहे हैं। सारी चीनी मिलें बन्द हो जाएँगी तो गन्ना किसान क्या करेंगे।... *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बड़ागरा) : महोदय, आज सूचना देने वाला मैं पहला व्यक्ति था, फिर भी मुझे अभी तक मौका नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मैं भारत सरकार से माँग करता हूँ कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को हिदायत दे कि वह गन्ना किसानों के हितों के लिए चीनी मिलें बन्द न करे और किसानों का जो अरबों रुपया बकाया है, वह दिलवाया जाए।... *(व्यवधान)* लखनऊ में हमारे विधायकों ने धरना दे रखा है, अनशन किया हुआ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि भारत सरकार इस मामले में दखल दे और यहाँ कोई आश्वासन दे।... *(व्यवधान)*

हमारी सरकार दिल्ली में है और उत्तर प्रदेश में भी है। जब वाजपेयी जी चुनाव में गोरखपुर गए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि चीनी मिलें बन्द नहीं होंगी और गन्ना किसानों का जो बकाया है, वह दिया जाएगा। मैं चाहूँगा कि भारत सरकार इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दे।... *(व्यवधान)* लाखों किसान मर रहे हैं। ... *(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहें।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, प्लीज।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, हम इस बात का समर्थन करते हैं। यह उस क्षेत्र के किसानों की एक ज्वलंत समस्या है। सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इसका उत्तर देना चाहेगी?

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मिश्रा जी और पायलट जी ने समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। मैं उसके विषय में कृषि मंत्रालय से बात करके सदन को जानकारी दिलवाऊँगा।

[अनुवाद]

प्रो. ए. के प्रेमाजम : महोदय, मैं इस पवित्र सदन, इस सरकार और पूरे राष्ट्र के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड ने देश में स्कूल के पाठ्यक्रम से मार्क्सवाद को अलग कर दिया है। यह पाठ्यक्रम पूरे भारत और विदेशों में लगभग 5300 स्कूलों में चल रहा है। इस निर्णय के पीछे कोई तर्क नहीं है क्योंकि फासीवाद, उदारवाद और गांधीवाद इस पाठ्यक्रम में पहले ही चल रहे हैं। यह निर्णय संदिग्ध और गुपचुप तरीके से लिया गया है। इसकी किसी भी स्तर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई थी और बिना किसी चर्चा ऐसा निर्णय ले लिया गया था। मुझे इसके पीछे कोई औचित्य नहीं दिखता। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि क्या यही तरीका है–काफी असहिष्णु और हठधर्मी तरीका– जिसके द्वारा वे इस देश को अगली सहस्राब्दि में ले जाना चाहते हैं। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि मार्क्सवाद में क्या खराबी है। मैं सरकार से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या वे मार्क्सवाद को शेष विश्व से हटाना चाहते हैं? मार्क्सवाद भी जीवन का एक दर्शन है जिसे हर व्यक्ति उसी स्तर तथा उसी अनुपात में अपनाना चाहता है।

अपराह्न 1.00 बजे

यह एक दर्शन है, जीवन शैली है, केवल राजनैतिक सिद्धान्त नहीं है। महोदय, मार्क्सवाद को केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है।

हम इस मामले पर पूरी चर्चा करना चाहते हैं। हमें यह जानने के अधिकार से वंचित रखा गया है कि यह निर्णय किस आधार पर लिया गया है। स्कूलों को इसके कारण जानने की अनुमति नहीं दी गई है। यह बहुत ही सन्देहास्पद तरीके से किया गया। यह फासीवाद, कट्टरता और धर्मांधता के साथ सत्ता दल के सम्बन्ध दर्शाता है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया समझने की कोशिश कीजिए। इस मामले पर श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री बसुदेव आचार्य, श्री वरकला राधाकृष्णन, श्रीमती फूलन देवी, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री रूपचन्द पाल सहित कई माननीय सदस्यों ने सूचनाएँ दी हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ, प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा ने भी सूचना दी है। मैं समझता हूँ कि वे सभी स्वयं को उन सदस्यों से सम्बद्ध कर सकते हैं। जो पहले ही इस विषय पर बोल चुके हैं।

... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह हमारे देश की शिक्षा नीति का सवाल है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे सभी अपने आपके इस मामले के साथ जोड़ सकते हैं।

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या मैं श्री लालकृष्ण आडवाणी से अनुरोध कर सकता हूँ। ... *(व्यवधान)*

डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा : महोदय, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अपने आपको उनसे नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं अलग हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आज बिल्कुल समय नहीं है। आप कृपया इसी मामले से जुड़े रहें।

डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा : मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उनसे अलग बोल रहा हूँ। मैं उनके साथ शामिल नहीं हूँ।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह शिक्षा का मामला है। मुझे आशा है कि शिक्षा से जुड़े मामले को दलगत राजनैतिक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। आज 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक न्यूज रिपोर्ट छपी है कि केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड ने मार्क्सवाद को एक राजनैतिक सिद्धान्त के रूप में पाठ्यक्रम से हटा दिया है। तथापि, उदारवाद, समाजवाद, फासीवाद और गांधीवाद

पाठ्यक्रम में जारी रहेंगे। मडोदय, ऐसा लगता है कि केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को इस परिवर्तन के बारे में पता नहीं है। परन्तु कुछ स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने कहा है कि उन्हें नए पाठ्यक्रम की एक प्रति प्राप्त हुई है जिससे मार्क्सवाद को हटा दिया गया है।

मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार को पता था कि सरकार भी इसमें शामिल है। सरकार को इस संबंध में क्या कहना है?

क्या सरकार सोचती है कि वर्तमान प्रणाली में वह राजनीतिक सिद्धान्त के अध्ययन से मार्क्सवाद को हटा कर दुनिया से ही मार्क्सवाद को समाप्त कर सकती है? मडोदय, दुनिया में ऐसे देश हैं ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम तो एक दो मिनट लेंगे। आपने तो टाइम रिजर्व कर लिया। ... *(व्यवधान)*

डॉ विजय कुमार मलहोत्रा : आप सुबह से चार बार बोल चुके हैं। मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला। ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप भी मदन लाल जी के साथ बोले थे।

अध्यक्ष मडोदय : आपको भी मौका देंगे।

... (व्यवधान)

अपराह्न 1.03 बजे

[उपाध्यक्ष मडोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मडोदय, मैं कह रहा हूँ कि यदि सरकार सोचती है कि वह राजनीतिक सिद्धान्त की तरह विश्व से मार्क्सवाद को समाप्त कर सकती है तो वह गलतफहमी में है।

क्या यह भारत सरकार की नीति है कि वह छात्रों के पाठ्यक्रम से मार्क्सवाद को हटाने को बाध्य करने का प्रयास करेगी? मैं जानता हूँ कि शोधकार्य से जुड़े शैक्षणिक क्षेत्रों जैसे ऐतिहासिक अध्ययन परिषद इत्यादि में यह किस प्रकार किया जा रहा है। मैं जानता हूँ कि किस प्रकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आदमी उनमें चुन-चुनकर लाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि असंबद्ध बुद्धिजीवियों को भी हटाया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि क्या वह उसी नीति के क्रम में हो रहा है जिसके तहत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम से राजनीतिक सिद्धान्त के रूप में मार्क्सवाद को हटाया जा रहा है।

मडोदय, यदि ऐसा है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। वे देश में ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर विचारों के स्वतंत्र प्रवाह को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है।

यदि आप सोचते हैं कि यह इस देश के राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा का भगवाकरण करेगा तो हम इसका यहाँ विरोध करेंगे। हम इसका बाहर भी विरोध करेंगे और मुझे आशा है कि इस देश के बहुत सारे लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे आशा है कि गृह मंत्री इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। मैं नहीं जानता कि वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे या नहीं? हमने सूचनाएँ बहुत पहले दे दी थी। मानव संसाधन विकास मंत्री यहाँ उपस्थित नहीं हैं, हम जानना चाहते हैं कि इस पर सरकार का रुख क्या है।

उपाध्यक्ष मडोदय : अब श्री विजय कुमार मलहोत्रा बोलेंगे।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष मडोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि अब इस विषय पर श्री विजय कुमार मलहोत्रा बोलेंगे। यदि आपका नाम सूची में होगा तो मैं आपका नाम पुकारूँगा। श्री वरकला राधाकृष्णन आप केरल विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। मैंने श्री विजय कुमार मलहोत्रा को बोलने की अनुमति दी है। क्या आप दोनों साथ-साथ बोल सकते हैं? मैंने श्री विजय कुमार मलहोत्रा का नाम पुकारा है।

श्री वसुदेव आचार्य : हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष मडोदय : मैं सरकार को इस विषय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूँ। आप यह जानते हैं।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष मडोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन क्या आप बैठने का कष्ट करेंगे? मैं बोल रहा हूँ। सभा के बारे में आपको यह बुनियादी जानकारी है। मैंने बोलने के लिए श्री विजय कुमार मलहोत्रा का नाम पुकारा है। मैं आप लोगों के नाम एक-एक कर पुकारूँगा। यदि आपका नाम सूची में होगा तो मैं उसे पुकारूँगा। आप दोनों एक साथ नहीं बोल सकते हैं।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष मडोदय : यदि आप श्री विजय कुमार मलहोत्रा को बोलने नहीं देंगे तो मैं सभा को स्थगित कर दूँगा। इस तरह साथ-साथ मत बोलिए।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा : उपाध्यक्ष जी, सुबह से यह बात हो रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग किसी भी पार्टी के सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हैं। जब ये बोलते हैं तो हम बीच में इनको नहीं टोकते। सोमनाथ जी दस मिनट तक बोलते हैं, हमने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अब कोई दूसरा सदस्य बोलना चाहता है तो ये बीच में खड़े हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष मडोदय : विजय कुमार जी, आप विषय पर आ जाएँ।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष मडोदय : अपने साथी को इंटरप्ट न करें।

डा. विजय कुमार मलहोत्रा : उपाध्यक्ष जी, आज सुबह एक समाचार पत्र में कोई चीज छपी, 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक खबर छपी, दस नम्बर के पेपर में पाँच-पाँच आइडियोलॉजीज के बारे में बातचीत हो रही है उसमें सोशलिज्म है, गांधिज्म भी है—वे चालू हैं, यह बात कही गई।

मुझे मालूम नहीं कि सी. बी. एस. ई. ने क्या चीज कही है। सोशलिज्म के अन्तर्गत मार्कसिज्म भी आता है और उसकी थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। कोई भी थ्योरी पढ़ाई जाए—उसके बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जिस ढंग से इस बात को पेश किया जा रहा है, कहा जा रहा है सैफ्रोनाइज करने की कोशिश की जा रही है, यह भी कहा जा रहा है कि मार्कसिज्म दुनिया में खत्म नहीं कर सकते, मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया में कौन-सा मुल्क है, जिसमें मार्कसिज्म है? क्या वैस्ट बंगाल में मार्क्सिज्म है... *(व्यवधान)* दुनिया में रूस ने सबसे पहले अपने आप को मार्कसिज्म से अलग कर लिया था। चीन में जहाँ मार्कसिज्म का नाम लेते थे, वही चीन आज अमेरिका का मोस्ट फेवर्ड नेशन है। इसी तरह से वैस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज किया। वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने अखबारों के मुखपृष्ठों पर कोकाकोला का इश्तहार दिया। इस तरह वैस्ट बंगाल में भी मार्कसिज्म का नामो-निशान नहीं है। ये कह रहे हैं कि थ्योरी पढ़ाएँ, परन्तु सिद्धांत में मार्कसिज्म की सबसे ज्यादा हत्या वैस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने की है।

दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है, जिसमें इस समय मार्कसिज्म चल रहा हो। मार्कसिज्म मृत थ्योरी है। मार्क्सिज्म दुनिया में खत्म हो चुका है। अगर आप मृत थ्योरी को पढ़ना चाहें, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राइवटाइजेशन की रूट्स कम्युनिस्ट पार्टी ने वैस्ट बंगाल में डाली है। सारे हिन्दुस्तान में कहीं पर भी इतना प्राइवटाइजेशन नहीं है जितना वेस्ट बंगाल में है। दुनिया में कहाँ डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलेटेरिएट की थ्योरी चल रही है। कहा जा रहा है कि सैफ्रोनाइज कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने वैस्ट बंगाल में किसी जगह पर भी कोई दूसरी थ्योरी नहीं आने दी। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के स्कूलों को भी बन्द कर दिया। कोई दूसरी थ्योरी वहाँ चलने नहीं दी। कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिज्म के तौर पर कोई दूसरी थ्योरी यहाँ पर आने नहीं देना चाहते। कोई सैफ्रोनाइज नहीं किया जा रहा है। कोई शिक्षा पद्धति को बदला नहीं जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसको पहले देखा जाए कि वहाँ पर क्या बात हुई है, फिर इस पर बहस की जाए। बहस की जा सकती है। केवल सिद्धान्त पढ़ा देने से, मार्कसिज्म दुनिया में खत्म हो जाए, उससे काम नहीं चल सकता है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वे सभा को पूर्णतः गुमराह कर रहे हैं... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, अब बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री संतोष मोहन देव का नाम पुकारा है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े भारी मन से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह मुद्दा समाप्त होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव, आपको बाद में मौका मिलेगा।

... (व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैंने भी सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष ने आपका नाम भी शामिल किया है। उन्होंने आपका नाम पढ़ा है। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि हर कोई कुछ बोले। श्री सोमनाथ चटर्जी पहले ही बोल चुके हैं।

... (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मेरी सूचना दूसरे स्थान पर है और मुझे केवल दो मिनट चाहिए। मैंने अपनी सूचना नौ बजे दी थी... *(व्यवधान)*

उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद आज दुनिया में कहीं नहीं है। मैं उन्हें बताती हूं कि चीन मार्क्सवाद का अनुसरण कर रहा है और श्रेष्ठ गणतंत्र क्यूबा भी मार्क्सवाद का अनुसरण कर रहा है। क्या फासीवाद को कार्यसूची में रखना, छात्रों की शिक्षा के मार्गनिर्देशन करने का सही तरीका है मार्क्सवाद को पाठ्यक्रम से क्यों हटाया जाए या उसे मान्यता क्यों न दी जाए?

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : हम सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब मैं श्री राधाकृष्णन का नाम पुकारता हूं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खंडवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में हरिजनों के साथ बर्बरता से पेश आया जा रहा है। इस मामले को उठाने के लिए एक विधायक ज्ञापन देने जा रहे थे। उस विधायक को पुलिस ने जान से मारने की... *(व्यवधान)* एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि के साथ जो हो रहा है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*... (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा ही व्यवहार करते रहेंगे तो मुझे सभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी।

... (व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, अब मैं बोल रहा हूं...*(व्यवधान)* आपने मेरा नाम पुकारा और मैं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठने का कष्ट करेंगे ?

... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय गृह मंत्री

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो दृष्टिकोण विजय कुमार मलहोत्रा जी ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया, मेरे मन में भी एक बहुत ही खतरनाक दृष्टिकोण है। क्या सरकार यह तय करने वाली है कि मार्कसिज्म है या समाप्त हो गया है? क्या इनके ही इरादों से पूरा पाठ्यक्रम तय होने वाला है? मार्कसिज्म एक पोलिटिकल फिलोस्फी है और उस मार्कसिज्म को पाठ्यक्रम से निकालना पूरी तरह से अनुचित है, हम इसमें सोमनाथ जी का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इस संदर्भ में 24 अक्टूबर को हिन्दुस्तान टाइम्स में आया है मैं उसे कोट करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत भारी खतरा है। इसमें कहा गया है:

[अनुवाद]

"कि खुले विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए नियुक्त समिति को उसके दो वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद हाल ही में भंग किया गया,"

[हिन्दी]

हमारे मन में तरह-तरह की शंकाएँ पैदा होती हैं और मैं पूरी तरह से सोमनाथ जी का समर्थन करता हूं कि मार्कसिज्म को पाठ्यक्रम से निकालना पूरी तरह से अनुचित है। हम इस पर सरकार से निश्चितरूप से कोई स्पष्टीकरण चाहेंगे। ... *(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मलहोत्रा : वेस्ट बंगाल में जिस तरह इसे कोर्स से निकाल रहे हैं, उसे भी कंडेम करिए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए। मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को बोलने की अनुमति दी है। कृपया बीच में व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : माननीय मलहोत्रा साहब ने जो तर्क रखे हैं कि मार्कसिज्म पूरे का पूरा दुनिया में खत्म हो गया है, कोई विचारधारा कैसे मिट सकती है। यह सही है, जो सिंधिया साहब ने कहा कि तय नहीं कर सकते। हम भी जानते हैं गांधी जी की विचारधारा को मानने वालों ने गांधी जी की विचारधारा को नष्ट कर दिया, लेकिन क्या हमने किया हम अभी भी गांधीवादी रास्ते पर चल रहे हैं। गृह मंत्री जी, यहीं शंका इसलिए हो रही है क्योंकि पिछली सरकार में आप थे, शिक्षा पद्धति को बदल कर किस तरह की शिक्षा पद्धति ला रहे हैं। देश के शिक्षा मंत्री ने उसका विरोध किया तो आपको मजबूर होकर वापस लेना पड़ा। आप पर फासिज्म की पूरी की पूरी बू आती है। इसी तरह गांधी जी की हत्या भी कर दी। वह बात सही भी हो गई लेकिन कोई दुनिया में गांधी जी के नाम को मिटा नहीं सकता। यह जो धीरे-धीरे इस तरह इतिहास को बदलने की साजिशें हो रही हैं, यह फासिज्म का सीधी-सीधा एक तरीका है। इसलिए अनावश्यक रूप से यह सारे का सारा देश की समस्याओं से हट कर क्या सरकार का काम है। जिसके पास न नीति है, न कार्यक्रम है, न सिद्धान्त है और न ही देश की जनता की कोई चिन्ता है। यह सरकार कभी कोई विधेयक जाएगी, कभी कोई ऐसा सवाल उठा देगी जिससे देश की जनता की जो मूल समस्याएँ हैं उससे देश को हटाया जा सके। यह पूरे का पूरा षड्यन्त्र है, मार्कसिज्म को हटाना गलत है। अगर ऐसे ही हटाना शुरू हो जाएगा तो आप सत्ता में नहीं रहेंगे, आप मिट जाएँगे, बी. जे. पी. मिट जाएगी। उस दिन हम कहेंगे कि बी. जे. पी. मिट गई। अगर आप सत्ता में आ गए हैं या सत्ता से मार्कसिज्म हट गया है, इसका मतलब विचारधारा नहीं मिटी है। मैं आज भी जानता हूं पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और कुछ लॉयर्स के बीच कई ऐसे बड़े लोग हैं जो मार्कसिज्म को अभी मानने वाले हैं जबकि देश की राजनीति में सक्रिय नहीं है। इस तरह तर्क की जगह कुतर्क आप दे रहे हैं। इस पर आप जैसे नेता को सोचना चाहिए।

डा. विजय कुमार मलहोत्रा : सोशलिज्म पढ़ा रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : आपके और हमारे सोशलिज्म में अन्तर है। मैं आपको बता दूं कि मार्क्सवाद की विचारधारा खराब नहीं है लेकिन उनका जो तरीका लागू करने का था वह गलत था, उससे उन्हें नुकसान हुआ। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के भाइयों से कहना चाहता हूं कि उससे आप कुछ सीखो, मार्क्सवाद से सीखो। अगर उनमें कमजोरी आई है तो उन्होंने अपने तरीके से उसमें बदलाव करने की कोशिश की और उस तरफ उनकी सरकार और पार्टी गयी है। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि जो तरीका आप अपना रहे हैं उसके कारण इस देश से आपका सफाया होगा। इसलिए आप उससे कुछ सीखिये। हर स्तर पर सारा इतिहास बदलने की बात मत सोचिये। हमारे बारे में या उनके बारे में गलत लिखवाते हो, इससे क्या होगा? कुछ साथी हमारी राय से सहमत नहीं हो सकते लेकिन मलहोत्रा जी, कहीं-कहीं हमारी बात से गृह मंत्री जी भी सहमत होंगे, जिनसे देश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनका यह काम गलत है। इसलिए उनको सरकार की तरफ से माफी मांगनी चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लाल बिहारी तिवारी।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : उपाध्यक्ष जी, मैं भी बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री लाल बिहारी तिवारी को बोलने के लिए कहा है। उनका नाम भी सूची में है। आपकी तरह उन्होंने भी सूचना दी है। यदि मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं तो आपको आपत्ति क्यों है?

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं अपने दल जनता दल युनाइटेड की ओर से अपने विचार रखना चाहता हूं। ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपने क्या इसी इश्यू पर बोलना है।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : अखबारों में जो मार्क्सवाद को कोर्स से निकालने की बात आई है और जो बात माननीय सोमनाथ जी, मुलायम जी और सिंघिया जी ने रखी हैं मैं उनसे सहमत हूं। माननीय मलहोत्रा जी ने कहा कि दुनिया से मार्क्सवाद खत्म हो रहा है, इसलिए इसे कोर्स से हटा दीजिए।

डा. विजय कुमार मलहोत्रा : मैंने यह नहीं कहा।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : अच्छी बात है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्निथला (मवेलीक्कारा) : महोदय, अन्य विषय भी हैं। इस विषय पर प्रत्येक सदस्य द्वारा बड़ी बातें उठाई गयी हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : प्रश्न सिर्फ कोर्स से निकालने का नहीं है, प्रश्न यह है कि हमारे देश के छात्र जितने भी वाद हैं, वे उनसे अवगत होंगे या नहीं। मार्क्सवाद और हिन्दूवाद एक दर्शन है तथा गांधीवाद को भी हम एक दर्शन के रूप में ले सकते हैं। वह केवल राजनैतिक विचारधारा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको क्या कहना है, वह बताइये। भारत सरकार को क्या करना चाहिए, वह बताइये। इधर-उधर की बात मत करिये।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : मेरा यह कहना है कि अगर सरकार ने ऐसा कोई फैसला किया है तो मार्क्सवाद जो 10+2 के कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, उसे कोर्स से निकाला नहीं जाना चाहिए। अगर इसे कोर्स से निकाला जाएगा तो यह समझा जाएगा कि आप किसी विचारधारा को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस पर बयान दे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो मार्कसिज्म का सवाल उठा है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : वे उसी विषय पर दोबारा क्यों बोल रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : वे एक दल के मुख्य सचेतक हैं। हमें उन्हें मौका देना होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के इस तर्क का समर्थन करता हूं कि पाठ्यक्रम से एक सिद्धान्त के रूप में मार्क्सवाद को नहीं हटाया जाना चाहिए क्योंकि मेरा भी मानना है कि हम सभी सिद्धान्तों का अध्ययन करें। किन्तु मैं श्री सोमनार्थ चटर्जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि वे अपनी पार्टी की राज्य सरकार से पूछें कि पश्चिम बंगाल के अध्यापक इतिहास का पाठ्यक्रम बहाल करवाने के लिए न्यायालय में क्यों गए थे जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने विकृत कर दिया था। मैं गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे देश हित में इस तथ्य की जांच कराएं कि बंगाल में बंगाल विभाजन अध्याय, जो देश का गौरवशाली आन्दोलन है, को 6 पृष्ठ से घटाकर एक पैराग्राफ क्यों किया गया है। गुरुदेव टैगोर की बच्चों के लिए प्राथमिक पुस्तिका 'सहज पथ' को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है... *(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : 'सहज पथ' अभी भी पाठ्यक्रम में है ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप में उनकी बात सुनने का धैर्य होना चाहिए।

श्री वसुदेव आचार्य : वे सभा को गुमराह कर रहे हैं... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, छह पृष्ठीय अध्याय को कम कर आधे पैराग्राफ का बना दिया गया है। ऐसे मामलों पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के तर्क का समर्थन करता हूं। ... *(व्यवधान)* सरकार को पश्चिम बंगाल में इतिहास के पाठ्यक्रम के बारे में जांच करानी चाहिए। भारत छोड़ो आन्दोलन अध्याय को दस पृष्ठ से कम कर एक पैराग्राफ क्यों किया गया है। यह अध्यापकों की मांग है। यह मैं अपने आप नहीं कह रहा हूं। श्री सोमनाथ चटर्जी का समर्थन करते हुए मैं यह भी आग्रह करता हूं कि बंगाल विभाजन अध्याय जिससे छेड़छाड़ की गई है उसे पाठ्यक्रम में पुनः मूल रूप में रखा जाए।

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा समाचार पत्र पर आधारित है। मैं इसमें भाग नहीं ले रहा हूं किन्तु मैं इस सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से तथ्यों का पता लगाऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी प्रतिक्रिया क्या है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरी प्रतिक्रिया यह है कि यह सरकार चाहती है कि प्रत्येक राजनीतिक सिद्धान्त के अध्ययन को समझा जाए। प्रत्येक राजनीतिक सिद्धान्त का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। इस समाचार पत्र में कहा गया है कि फासीवाद का अध्ययन कराया जा रहा है। मार्क्सवाद भी पढ़ाया जाएगा। मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि पाठ्यक्रम में क्या था और क्या हटाया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में कल मानव संसाधन विकास मंत्री वक्तव्य दें।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : यदि इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने की आवश्यकता होगी तो मंत्री जी देंगे। हो सकता यह सच न हो। मैं नहीं

जानता हूं। जो श्री वासमुंशी ने कहा है उस पर आपके प्रतिक्रिया न करने से लगता है कि उनकी बात में सच्चाई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही तो समस्या है। यहां तक कि श्री लालकृष्ण आडवाणी भी उनके द्वारा गुमराह होने से नहीं बच सके हैं।

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, हम उड़ीसा के लोगों के कष्टों के सम्बन्ध में कब चर्चा करेंगे? हम कल से इन्तजार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कुछ समय निर्धारित करेंगे।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुखी हृदय से आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में धोलाई निर्वाचन क्षेत्र में जयनगर स्थान पर 25 अक्तूबर की रात को एक चर्च और 10 घरों को जला दिया गया था। कार्यवाही करने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचना दे दी गई थी। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। अगले दिन फिर हमला हुआ और 6 घरों को जला दिया गया था। मैंने सुबह उपायुक्त से बात की। उन्होंने बताया कि उनके कई अनुरोधों के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी।

इसका प्रभाव मिजोरम पर भी पड़ा जिसमें 80 प्रतिशत ईसाई समुदाय हैं।

मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे असम सरकार को तत्काल कार्यवाही करने के लिए कहें और जो भी दोषी हो उसे अवश्य दण्डित किया जाना चाहिए और तनाव कम करना चाहिए। यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

अपराह्न 1.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.19 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.19 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

आय-कर (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और आयकर (संशोधन) विधेयक

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 जुलाई, 1999 को प्रख्यापित आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस बिल को विदाउट डिस्कशन पास करना है।

[अनुवाद]

जैसा कि सुबह निर्णय लिया गया है, हमें इसे शीघ्र पारित करना है।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक में 1 जुलाई, 1999 को प्रख्यापित आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 7) को प्रतिस्थापित करने की अनुमति मांगी गई है।

करगिल तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के आसपास के इलाकों में पड़ोसी देश द्वारा सैनिक घुसपैठ के कारण हमारे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा था। हमारे देश की सुरक्षा सेनाएँ विकट परिस्थितियों में इस खतरे का सामना करने में लगी हुई थी। अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए सुरक्षा सेनाओं के कुछ सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ सैनिक देश के लिए शहीद हो गए। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जिन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया अथवा जो गंभीर रूप से घायल हुए सरकार तथा देशवासी उनके परिवार के साथ हैं।

अपने सुरक्षा बलों के सदस्यों और उनके परिवारों को अधिकतम सहायता देने के लिए अधिकाधिक धनराशि जुटाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में अंशदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पूरी तरह से छूट देने के लिए 1 जुलाई, 1999 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था क्योंकि उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था।

अब मैं इस अध्यादेश के स्थान पर आयकर (संशोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार कर इसे पारित किया जाए तथा यह भी अनुरोध करता हूं कि इसे बिना अधिक समय लिए पारित किया जाए क्योंकि इसके विरोध में कोई नहीं है। मैं अपने मित्र श्री आचार्य से अनुरोध करूंगा कि वे इस बिल्कुल निर्विवादास्पद विधेयक पर आपत्ति न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 जुलाई, 1999 को प्रख्यापित आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मुझे कुछ कहना है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): श्री आचार्य ने आज कार्य मंत्रणा समिति में इस बात पर सहमति हुई थी

कि इसे बिना चर्चा के पारित किया जाए। हमारे पास केवल डेढ़ दिन रह गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मडाजन जी, उन्होंने अपना सांविधिक संकल्प प्रस्तुत कर दिया है। अतः उन्हें थोड़ा बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : मैं सहृदय इस विधेयक का समर्थन करता हूँ लेकिन मुझे कुछ कहना है।

[हिन्दी]

करगिल युद्ध में हमारे जिन वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है उनके लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह बहुत कम है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह युद्ध क्यों हुआ?

[अनुवाद]

ऐसा क्यों हुआ? घुसपैठ क्यों हुई? सरकार को कई महीनों तक इस बात की जानकारी क्यों नहीं हुई?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, यदि आप कारगिल के मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो इसका कोई अन्त नहीं होगा।

श्री प्रमोद मडाजन : यह बिल्कुल अनुचित है। श्री आचार्य हम आपसे यह उम्मीद नहीं करते। आप धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं। हमने आज सबसे पहले इस पर चर्चा न करने का निर्णय लिया था। अब आप उस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। एक वरिष्ठ सदस्य के लिए यह उचित नहीं है कि वह इस अवसर का लाभ उठायें।

श्री संतोष मोहन देव : श्री प्रमोद मडाजन जी आप राज्य सभा के सदस्य हैं। श्री आचार्य अपने जीवन में बिना बोले किसी बात पर सहमत नहीं हुए हैं। अतः कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दे दीजिए। यह उनकी आदत है।

श्री के. पी. सिंहदेव (ढेंकानाल) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ क्योंकि मैं 1971 की लड़ाई में लड़ा था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देव, श्री आचार्य को अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य : हमको यह देखना है कि हम उन वीर जवानों के लिए और क्या कर सकते हैं? उन वीरों के लिए इस सरकार ने, हमने और इस देश की जनता ने जो कुछ किया है, वह काफी नहीं है। जो जवान शहीद या घायल हुए हैं, उनकी मदद के लिए हमें और भी बहुत कुछ करना है।

उसके बारे में हम सबको सोचना है, हमारे तमाम हाउस को सोचना है... *(व्यवधान)*

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : हमने सोचा भी है और काम भी कर रहे हैं।... *(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : यह काफी नहीं है, हम चाहते हैं कि और कुछ करें। हम सरकार से अपील करेंगे कि उनकी मदद के लिए, प्रोपर रिहैबिलिटेशन के लिए क्या प्रोग्राम है, सरकार ने क्या किया है, क्या करने जा रहे हैं, यह जरा हाउस को बतायें। यह इन्कम टैक्स एक्ट के 80-G सैक्शन में जो संशोधन का प्रस्ताव है, उसका हम समर्थन कर रहे हैं।

श्री के. पी. सिंहदेव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। आपको मुझ पर कृपादृष्टि रखनी चाहिए।

करगिल छुट-पुट छदम् युद्ध का प्रदर्शन है, जो कि पिछले पचास वर्षों से चल रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह केवल करगिल युद्ध के लिए कहा गया है अथवा पूरे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के लिए है, जहाँ हमारे देश के लोग पिछले पचास वर्षों से राष्ट्रीय सम्मान, प्रभुसत्ता तथा देश की अखंडता के लिए लड़ रहे हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे लोग, जो कि जम्मू और कश्मीर में लड़ रहे हैं, उन्हें किसी तरह की रियायत नहीं मिल रही है।

दूसरा, इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग मर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आगे आएगा।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। मैं केवल एक मिनट लूँगा। सामान्यतः जब हम सांविधिक संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमें एक अथवा दो मिनट बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि बिना किसी चर्चा के तीन विधेयक पारित किए जायेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सैनिकों के कल्याण के लिए आयकर जैसे कानून के अन्दर भी *... (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : स्टेचुटरी रैजोल्यूशन में इनका नाम है, आप कहाँ से बीच में आ गये?

... (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : रासा सिंह जी, जब आप इधर बैठते थे तो हर बिल पर बोलते थे। अभी वहाँ चले गये तो एकदम चुप हो गये। *... (व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूँगा। नियमानुसार आपको मुझे एक अथवा दो मिनट देने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस विधेयक तक सीमित रहिएगा। यह बहुत सीमित प्रयोजन के लिए है।

श्री रयेश चेन्नितला : मैं केवल दो बातें कहूँगा महोदय, यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। किसी को इस विधेयक के बारे में कोई झिझक नहीं है। यही केवल चीज है। माननीय वित्त मंत्री जी को इस सभा को बताना चाहिए कि इस प्रयोजन के लिए हमने कितनी धनराशि एकत्र की है। यह पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि समाचार पत्रों में काफी विज्ञापन आ रहे हैं जिनमें कहा जा रहा था कि अमुक समाचार पत्र जनता से धन एकत्र करना चाहता है। इस राष्ट्र के देशभक्त लोग निसन्देह कारगिल कोष में धन राशि देंगे। इस प्रकार कई संस्थाएँ और संस्थान अन्य विज्ञापनों के साथ आगे आएगें। उन्होंने भारी राशि एकत्र की है। अतः आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस प्रकार के विज्ञापनों पर कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिए ताकि अनावश्यक रूप से धन एकत्र न किया जाए और कई संस्थानों और समाचार पत्रों द्वारा उसका दुरुपयोग न किया जाए। मैं माननीय वित्त मन्त्री से अपील करना चाहता हूँ कि वे यह देखें कि कारगिल कोष के इस प्रकार दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई तन्त्र होना चाहिए।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ मैं केवल माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ। हम करगिल में लड़ने वाले अपने सैनिकों का अभिनन्दन करते हैं। हम उनके बलिदान के समक्ष नतमस्तक हैं। यह आवश्यक है कि मुआवजा पर्याप्त और पूर्ण रूप से दिया जाए अतः इस विशेष तथ्य को याद रखना चाहिए।

यहाँ कई कोष हैं। उदाहरण के लिए स्नेह सेना प्रमुख कल्याण कोष है, वायुसेना प्रमुख कल्याण कोष है, राष्ट्रीय सेना कोष है और कुछ अन्य कोष भी हैं। मैं केवल एक बात पर बल देता हूँ। हमें इन सभी कोषों के बीच समन्वय रखना चाहिए ताकि सभी को उचित और पर्याप्त राहत प्रदान की जा सके।

इसके बाद मैं कहूँगा कि इसका भुगतान उचित और तत्परता से किया जाना चाहिए। यह ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए । हमें यह भी बताया जाना चाहिए कि सरकार ने इन करगिल में लड़ने वाले सैनिकों के लिए इन सभी कल्याण उपायों के लिए कितनी धनराशि प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या उनके पास यह सारी जानकारी है।

श्री जी. एम. बनातवाला : माननीय मन्त्री ने कहा है कि हमारे सैनिकों ने विपरीत दशाओं में लड़ाई की है। जी हाँ। ऐसा सरकार द्वारा देर से कार्यवाही करने के कारण हुआ है कि हमारे सैनिकों को अपनी जान और कई को अपने अंग गंवाने पड़े जिसके लिए हमारी सरकार भी जिम्मेदार है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, क्या आप अपने द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को वापस ले रहे हैं?

श्री वसुदेव आचार्य : जी हाँ, मैं इसे वापस ले रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री वसुदेव आचार्य द्वारा रखे गए प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि कारगिल ऑपरेशन के पश्चात् हमारे द्वारा देखी गयी राष्ट्रीयता की लहर अभूतपूर्व थी और यह इसी राष्ट्रीयता की लहर का परिणाम था कि हमें राष्ट्रीय रक्षा कोष में भारी अंशदान प्राप्त हुआ है। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुख्य मंत्री राहत कोष में दिए गए धन का क्या होगा?

श्री यशवन्त सिन्हा : मुख्य मंत्री उस राशि का प्रयोग करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उस अंशदान पर भी बड़ी कर छूट दी जाएगी?

श्री यशवन्त सिन्हा : मुख्य मन्त्री राहत कोष और प्रधानमंत्री राहत कोष आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अलग से रखा जाता है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है उन्हें शत प्रतिशत छूट दी जा रही है।

लेकिन दुर्भाग्य है कि इस कोष को 50 प्रतिशत की छूट है। हमने राष्ट्रीय रक्षा कोष को सेना कल्याण कोष, वायु सेना कल्याण कोष आदि जैसे अन्य कोषों के समकक्ष रखने का साधारण सा कार्य किया है जहाँ आयकर अधिनियम के अन्तर्गत शत प्रतिशत की छूट दी जाती है। इस प्रकार हम इस कोष को भी शत प्रतिशत छूट देना चाहते हैं।

महोदय, जहाँ तक इस कोष में धन एकत्र होने का सम्बन्ध है तो राष्ट्रीय रक्षा कोष की 1 नवम्बर, 1962 को हुई स्थापना के समय से आज तक इस कोष में जमा की गई धनराशि लगभग 638.86 करोड़ रुपये है जिसमें से 400 करोड़ रुपये करगिल युद्ध के दौरान और इसके पश्चात जमा किए गए थे। इस कोष की स्थापना से लेकर अब तक 238 करोड़ रुपये इस कोष में एकत्र हुए थे और 400 करोड़ रुपये करगिल युद्ध के परिणामस्वरूप एकत्र किये गए हैं।

महोदय, करगिल ऑपरेशन के दौरान मारे गए सैनिकों के परिवारों और घायल हुए सैनिकों के कल्याण के लिए इस धन का उपयोग करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। मेरे पास सारे आंकड़े मौजूद हैं। लेकिन मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा और वह यह है कि इस सरकार ने युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों के कल्याण और युद्ध में घायल हुए सैनिक के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है जो कि पहले कभी भी नहीं किए गए थे। हमने कई राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री के साथ परामर्श किया है और प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति ने इन लोगों की सहायता के लिए कई दूरगामी निर्णय भी लिए हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : उपाध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही इस मामले पर पर्याप्त चर्चा कर ली है। वह इसमें कोई नई बात नहीं जोड़ेंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा : नहीं, मैं इसमें कोई नई बात नहीं जोड़ रहा हूं।

श्री सन्तोष मोहन देव : आपने जो किया यह अच्छी बात है। हम इतना अनुमोदन करते हैं। इसको नया आयाम मत दीजिए।

श्री यशवन्त सिन्हा : नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं तथ्यों के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं और उन तथ्यों को सभा के समक्ष रख रहा हूं। यह राशि रक्षा बलों के कल्याण के लिए प्रयोग में लाई जाएगी जिसके लिए यह है।

श्री के. पी. सिंह देव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं। करगिल ऑपरेशन को 'ऑपरेशन विजय' का नाम दिया गया था। यह कोड इस विशेष समय के लिए दिया गया था। लेकिन 52 वर्षों से हमारे सैनिक और अधिकारी मारे जा रहे हैं और उन्हें वन सुविधाएँ भी मिल रही हैं जो करगिल ऑपरेशन के दौरान मारे गए सैनिकों को मिली है। क्या यह सुविधाएँ उन लोगों को भी दी जाएंगी जो छुटपुट परोक्ष युद्ध में लड़ रहे हैं जो कि करगिल में लड़े गए युद्ध के समान है। हमें एक ही कारण के लिए मर रहे हमारे सैनिकों के लिए दो अलग स्तर निर्धारित नहीं करने चाहिए।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि इस कोष का लाभ 'ऑपरेशन विजय' के भाग लेने वाले सशस्त्र बलों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। इसे केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल, राज्य अर्द्ध-सैनिक बल, जो जम्मू व कश्मीर में कार्य कर रही है, और कुली आदि जैसे नागरिकों को भी दिया जाएगा जो इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। माननीय सदस्य श्री के. पी. सिंह देव का उठाया गया यह मुद्दा भी समिति जो रक्षा मंत्री के नेतृत्व में गठित की गई है के विचारार्थ भी रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा इस विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवंत सिन्हा : ı ोठ ̀ प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.36 बजे

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 17 और 18 पर एक साथ चर्चा की जाएगी। श्री बसुदेव आचार्य जी क्या आप प्रस्ताव कर रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नितल्ला जी, मद संख्या 17 के सम्बन्ध में क्या आप प्रस्ताव कर रहे हैं?

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन जी, क्या आप मद संख्या 17 के सम्बन्ध में प्रस्ताव कर रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरियांकिल) : महोदय, मैं प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यही सहयोग है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हाँ, यह एक बहुत अच्छा सहयोग है। इसका भी उत्तर दिया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :*

"भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाए,"

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (1) और 283 (1) के अन्तर्गत भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अधिनियमन भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना तथा ऐसी निधि के संरक्षण तथा इससे धन के भुगतान और निकासी का प्रावधान करने के लिए किया गया था। बारहवीं लोक सभा के भंग होने के समय भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि के कोष में 50 करोड़ रुपया था। चूंकि 'आम चुनाव 1999' उपलब्ध बजटीय अनुदानों और आकस्मिकता निधि से नहीं कराये जा सकते थे तथा

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

लोक सभा भी भंग थी इसलिए आकस्मिकता निधि का तुरन्त संवर्धन कराना जरूरी हो गया था। इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने 28 जुलाई, 1999 को अस्थायी रूप से इस निधि की राशि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 550 करोड़ रुपए करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश 1999 प्रख्यापित किया था।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश का स्थान लेगा।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाए और इस सभा में बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा इस विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 इस विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.20 बजे

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश 1999 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में संकल्प और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 19 और 20 पर एक साथ चर्चा करेंगे।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 जुलाई, 1999 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के कारण बहुत से लोग दिल्ली और हमारे देश के अन्य भागों में आ गए थे। वे लोग विभिन्न कैंपों में रह रहे थे और सरकार ने उन्हें हर प्रकार की राहत दी है। यद्यपि यह पर्याप्त नहीं थी फिर भी सरकार ने उनकी देखभाल की है।

जब यह आम चुनाव हुआ तो देश के नागरिकों के रूप में उनको मत देने का अधिकार था। दुर्भाग्यवश वे दिल्ली और देश के अन्य भागों में हैं जिसके कारण वे अपने राज्य जम्मू-कश्मीर में मतदान नहीं कर सके। इसलिए सरकार ने यह अध्यादेश प्रख्यापित किया है ताकि वे डाक द्वारा अपना मतदान कर सकें। आमतौर पर डाक द्वारा मतदान की व्यवस्था जवानों और ऐसे ही लोगों को दी जाती है परन्तु यह इन लोगों को भी दी गई है।

निश्चित रूप से हम इस काम का स्वागत कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि केरल और अन्य स्थानों के लोगों की काफी लम्बे समय से यह मांग रही है कि उन लोगों को भी मतदान का अधिकार दिया जाए जो खाड़ी तथा अन्य देशों में काम कर रहे हैं। महोदय, आप जानते हैं कि खाड़ी देशों में केरल के बहुत से लोग तथा अन्य भारतीय लोग भी काम कर रहे हैं।

ग्यारहवीं लोक सभा में तत्कालीन वित्त मंत्री ने वचन दिया था कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी और इस सम्बन्ध में कुछ ऐसा कानून बनाएगी जिससे खाड़ी देशों में काम करने वाले अधिकांश लोगों को अपना मतदान करने का मौका मिल सके। जब हम जम्मू-कश्मीर के अप्रवासियों के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह खाड़ी देशों में काम करने वाले लोगों को भी मतदान का अधिकार देने का विचार करते हुए उन्हें इसका अधिकार दे।

मैं नहीं जानता कि सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया है या नहीं। पहले इस सम्बन्ध में एक सुझाव दिया गया था, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता इसलिए मैं उस सुझाव के बारे में चर्चा नहीं करना

[श्री रमेश चेन्नितला]

चाहता। बात केवल यह है कि जब हम इस पर विचार कर रहे हैं तो माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार करें और लम्बे समय से चली आ रही माँग को किसी तरह पूरा करें। अन्य कई सुझाव भी हैं। मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता।

लोगों का इस अधिनियम के सम्बन्ध में व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व जरूरी है। इस अधिनियम में बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। पिछले पचास वर्षों में हमारे अपने देश में प्रजातांत्रिक सरकार रही है। अपने अनुभव से हम यह कह सकते हैं कि हमारी चुनाव व्यवस्था में काफी त्रुटियाँ और कमियाँ हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। इसलिए इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक लाए जाने की आवश्यकता है।

इस सभा ने गोस्वामी समिति का गठन किया था और उस समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं। उन सिफारिशों को देखते हुए मैं यह समझता हूं कि सरकार को हमारे चुनाव सुधार के लिए एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : महोदय, मैं श्री राम जेठमलानी की ओर से प्रस्ताव करता हूं:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जम्मू और कश्मीर राज्य पिछले कई वर्षों से आतंकवादी गतिविधियों का निशाना रहा है। आतंकवादियों द्वारा की जा रही हिंसा से बड़ी भारी संख्या में लोग मारे गए हैं।

कश्मीर घाटी की जनसंख्या का एक बड़ा भाग अन्यत्र चला गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 में किन्हीं विशेष श्रेणी के लोगों द्वारा डाक द्वारा मतदान करने की सुविधा सम्बन्धी प्रावधान है। इन श्रेणियों में मुख्य रूप से सशस्त्र सेना बल के कार्मिक और निवारणात्मक नजरबन्दी के अन्तर्गत निरुद्ध किए गए लोगों को शामिल किया गया है। कश्मीर घाटी से पलायन कर गए मतदाताओं को मतदान का अधिकार देने के लिए 1996 और 1998 और हाल में 1999 में हुए लोक सभा चुनावों के समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 60 में नया खण्ड (ग) जोड़ने हेतु संशोधन के लिए अध्यादेश प्रख्यापित किए गए थे। जिसके अनुसार चुनाव आयोग सरकार के परामर्श से किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को डाक द्वारा मतदान करने के लिए अधिसूचित कर सकता है। भारत के चुनाव आयोग का मत है कि अध्यादेश के इस प्रावधान को सांविधिक पुस्तिका में स्थायी रूप से जोड़ लिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में भी इसी प्रकार की स्थितियों से निपटा जा सके। सरकार चुनाव आयोग के सुझाव से सहमत है और इसलिए उसने 21 जुलाई, 1999 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के स्थान पर इस विधेयक के माध्यम से स्थायी आधार पर अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय किया है।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस मुद्दे के सम्बन्ध में सरकार के साथ सहमत होंगे। और विधेयक को सभा के सभी वर्गों से समर्थन प्राप्त होगा।

महोदय, मैं सभा के विचारार्थ विधेयक की सिफारिश करता हूं। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपना सांविधिक संकल्प वापस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 जुलाई, 1999 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।"

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे कहना है कि आबू धाबी, दुबई, बहरिन, सऊदी अरब, कुवैत और अन्य देशों जैसे खाड़ी देशों में केरल के हजारों लोग काम कर रहे हैं। वे दोहरी नागरिकता नहीं लेते हैं। वे हर तरह से भारत के नागरिक हैं। वहाँ दो तीन वर्ष रहने से उन्हें विदेशी नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार दोहरी नागरिकता अथवा विदेश राज्य की नागरिकता का प्रश्न इस मामले में नहीं उठता है। इस प्रकार से वह भारत के नागरिक हैं। क्योंकि अपने देश में यह रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए हैं उन्हें रोजगार के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा है उन्हें वहाँ रोजगार मिल गया । वे वहाँ विदेशी मुद्रा अर्जित कर हमारे देश भेजते हैं। इस प्रकार से हमें लाभ हुआ है उनके परिवारों को भी लाभ हुआ है। वे अपने परिवारों की प्रगति के साथ-साथ देश के लिए भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

एक साधारण कारण के लिए कि अपनी जीविका कमाने के लिए चुनाव के समय में वह देश में नहीं हैं उन्हें नागरिक के मौलिक अधिकार नामतः मतदान के अधिकार से वंचित करना ठीक नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : माननीय मंत्री जी को अली-भांति मालूम है कि ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : जी है, माननीय मंत्री जी को भी पता है कि उन्हें मूलभूत अधिकार से वंचित किया गया है। यह भारी अन्याय है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जी हाँ, मुझे भी उसके बारे में पता है। अब आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मुझे बहुत खुशी है कि माननीय उपाध्यक्ष को भी इसके बारे में पता है। अतः स्थिति यह है। हम उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित क्यों करें? यह दूतावास अथवा दूतावास द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके किया जा सकता है। डाक द्वारा किए जाने वाले मतदान में घोषणा पत्र होना आवश्यक है। उस घोषणा पत्र पर भारतीय दूतावास अथवा इसके विदेश में रहने वाले प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते हैं और उसकी उपस्थिति में घोषणा पर प्रतिहस्ताक्षर किये जा सकते हैं और उसे सम्बन्धित राज्य को प्रेषित किया जा सकता है जहाँ से उन्हें अपना मतदान करना है।

अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे भारत में चुनाव के समय उन्हें मतदान का अधिकार दिया जा सके। इसे दोहरी नागरिकता के प्रश्न के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है।

मान लीजिए, कुछ लोग अमरीका में रह रहे हैं। उन्होंने देश की नागरिकता धारण कर ली है तो वह दूसरा मामला है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : लेकिन यह वैसा नहीं है। इन दोनों घटनाओं में बिल्कुल समानता नहीं है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देखे कि इन लोगों को आने वाले चुनावों के दौरान मतदान करने का अधिकार मिल सके और यदि इस संशोधन के द्वारा यह किया जाता है तो यह स्वागत योग्य कदम होगा और उस परिपेक्ष्य में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वी. एम. सुधीरन (अलेप्पी) : महोदय, सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री ओ. राजगोपाल को बधाई देना चाहता हूं। चूंकि वे एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय को देख रहे हैं इसलिए मुझे उनसे बड़ी आशाएँ हैं कि वे अपने कार्यकाल के दौरान उन अपेक्षित चुनाव सुधारों को करने का पूरा प्रयास करेंगे जिनका हम लम्बे समय से इंतजार कर रहे हैं।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने एक व्यापक चुनाव सुधार लाने की अपनी नीति पूर्णतः स्पष्ट कर दी है। यह एक स्वागत योग्य प्रयास है। इसमें कोई शक नहीं है। इस स्थिति में सरकार को अधिक ध्यान देना होगा और इसे अधिक सार्थक बनाने के लिए इसमें विस्तृत कार्य करना होगा। प्रारूप तैयार करने से पहले समाज के सभी वर्गों का दृष्टिकोण जानना होगा और इसे राष्ट्रीय बहस का विषय बनाना होगा। सभी वर्गों को विश्वास में लेना होगा और सभी के विचारों को जानना होगा। तत्पश्चात् प्रारूप तैयार करने के बाद इसे राष्ट्रीय बहस का विषय बनाना होगा। यह मेरा सबसे पहला विवाद है।

महोदय, जब तक हम धनबल और बाहुबल को दूर नहीं करेंगे और पक्षपाती और दोषी अधिकारियों को दण्ड नहीं देंगे तब तक हवा में तीर चलाने का कोई अर्थ नहीं है।

मेरे सम्मानीय मित्र श्री वरकला राधाकृष्णन और श्री रमेश चेन्नितला का विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट देने का अधिकार प्रदान करने का विचार होगा। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। लेकिन, मुझे एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न करना है कि जहाँ एक ओर हम विदेशों में रहने वाले लोगों को वोट देने के अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं वहीं भारत में आजादी के 50 वर्ष के बाद भी हमारे अपने लोग सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, वोट देने के अधिकार से वंचित हैं। हमें चुनाव के कार्यसंचालन की प्रवृत्ति को ध्यानपूर्वक देखना होगा। हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि अनेक स्थानों पर बूथों पर कब्जा किया जाता है। मुझे आश्चर्य है और दुःख है कि केरल जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य में इस बार मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहित अनेक क्षेत्रों में हमने बूथों पर कब्जा करते हुए देखा। *...(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। वहाँ से एक भी शिकायत नहीं आई है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उनके बीच में बाधा न डालें। हमारे पास समय नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री वी. एम. सुधीरन : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मुझे पूरा अधिकार है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने भाग लेने के लिए लिखित में दिया है।

...(व्यवधान)

श्री वी. एम. सुधीरन : अगर वे चाहें तो इसका विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुधीरन कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री. वी. एम. सुधीरन : मुझे पूरा-पूरा अधिकार है। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं कहीं और से नहीं, अपने अनुभवों के आधार पर बोल रहा हूं। *...(व्यवधान)* मुझे पूरा अधिकार है। इसमें कोई शक नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 31 बूथों पर कब्जा किया गया था।

श्री एन. एन. कृष्णदास : नहीं महोदय। वहाँ से एक भी शिकायत नहीं आई थी। वह सभा को कैसे गुमराह कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

महोदय, वहाँ चुनाव आयोग के प्रेक्षक थे। क्या उन्होंने उनसे कोई शिकायत की थी?...*(व्यवधान)* वह सभा को कैसे गुमराह कर सकते हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह असंसदीय नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)

श्री वी. एम. सुधीरन : महोदय, जिन बूथों पर कब्जा किया गया था मुझे इस सभा में उनका उल्लेख करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुधीरन, इस विधेयक का बहुत ही सीमित उद्देश्य है। आप स्वयं को विधेयक के उस विशेष संशोधन तक ही सीमित रखिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनके बीच में बाधा न डालें। वे एक माननीय सदस्य हैं। अगर वे कुछ कहते हैं तो किसी प्रमाण के आधार पर कह रहे हैं।

श्री वी. एम. सुधीरन : महोदय, मैंने कभी सभा की कार्यवाही में विघ्न नहीं डाला है। मैंने केरल विधान सभा में अध्यक्ष के पद पर कार्य किया है और मैं चार बार संसद सदस्य रह चुका हूं। उनमें भावनाएँ नहीं हैं पर मुझ में भावनाएँ हैं। मैं आठ चुनाव लड़ चुका हूं, चार बार विधान सभा के लिए और चार बार संसद के लिए। मुझे आज तक ऐसा कटु अनुभव नहीं हुआ जैसा कि इस बार ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाधा क्यों डाल रहे हैं? आप ऐसे व्यवधान मत डालिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बाधा न डालें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री वी. एम. सुधीरन : महोदय आप यहाँ तक संसद में भी मेरे मित्र की असहनशीलता देख रहे हैं, जहाँ हम बोलने के लिए स्वतन्त्र हैं ... *(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, वह सभा को गुमराह कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहाँ गुमराह कर रहे हैं? वह तो वक्तव्य दे रहे हैं। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के अपने अनुभवों को बता रहे हैं।

श्री एन. एन. कृष्णदास : नहीं, महोदय, उन्हें यहाँ उन बूथों का उल्लेख करने दें जिन पर कब्जा किया गया था।

श्री वी. एम. सुधीरन : महोदय, उन्हें विस्तृत जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि गड़बड़ी की आशंका को ध्यान में रखते हुए मैंने चुनाव से पूर्व ही चुनाव आयोग को एक याचिका दायर की थी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुधीरन कृपया अब समाप्त करें। हमारे पास समय नहीं है।

श्री वी. एम. सुधीरन : महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूँगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप तो केरल विधान सभा के अध्यक्ष भी थे।

श्री वी. एम. सुधीरन : महोदय, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो सभा का समय बरबाद करे। मैंने सोचा कि इस सभा में आने के बाद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुए अलोकतान्त्रिक कार्य के बारे में मुझे सभा को अवश्य अवगत कराना चाहिए।

महोदय, मेरे क्षेत्र में केनाकारी पंचायत के सभी सोलह बूथों पर कब्जा कर लिया गया था। नेडमुडी पंचायत में चार बूथों पर कब्जा किया गया था; थाकेज़ी पंचायत में दो बूथों पर कब्जा किया गया था, कलवझा पंचायत में दो बूथों पर कब्जा किया गया था, चंपाकुलम पंचायत में तीन बूथों पर कब्जा कर लिया गया था, अवालुआ पंचायत में तीन बूथों पर और रमनकारी पंचायत में एक बूथ पर कब्जा किया गया था।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, कृपया मुझे बीच में एक मिनट बोलने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री सुधीरन मान जाएँ तभी मैं आपको अनुमति दे सकता हूं।

श्री वी. एम. सुधीरन : महोदय, मैं नहीं मानूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान रहे हैं। आप नए सदस्य नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यदि कुछ आपत्तिजनक होगा तो मैं उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। आप दोनों वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री एन. एन. कृष्णदास : महोदय, चुनाव आयोग के सामने एक भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय मंत्री जी को उत्तर देने के लिए बुला रहा हूं।

श्री वी. एम. सुधीरन : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं आपको चेतावनी देता हूं। कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसमें कुछ असंसदीय होगा या कुछ असत्य होगा तो उसे निकाल दिया जाएगा।

अपराह्न 3.00 बजे

आप आपत्ति क्यों रहे हैं? जब मैं खड़ा हूं, आपको अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। श्री सुधीरन कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

श्री. वी. एम. सुधीरन : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मुझे व्यवस्था के अति विकृत, घिनौने और डरावने रूप का व्यक्तिगत अनुभव है। यह सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा कानून के शासन की सच्ची आत्मा का निरादर करना, सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला है...*(व्यवधान)*

श्री. एन. एन. कृष्णदास : महोदय, इसे रिकोर्ड से निकाल दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* वहाँ भारत के चुनाव आयोग द्वारा पर्यवेक्षक तैनात थे वहाँ एक भी शिकायत नहीं की गई थी ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : वहाँ शिकायतें की गई थी। आप इसकी जाँच कीजिए...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास : वहाँ चुनाव आयोग द्वारा पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय मंत्री जी को उत्तर के लिए बुला रहा हूँ।

...*(व्यवधान)*

श्री वी. एम. सुधीरन : महोदय, एक मिनट। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक उपलब्ध नहीं थे। मैंने समय-समय पर शिकायतें दर्ज कराई थी। ...*(व्यवधान)* यहाँ तक कि चुनावों से पहले ही खतरे को भाँपते हुए मैंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।...*(व्यवधान)* मैंने चुनाव के दिन तीन शिकायतें और अगले दिन एक शिकायत चुनाव आयोग को फैक्स की थीं... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जो कहेंगे केवल वही कार्यवाही-वृत्तान्त में जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री ओ. राजगोपाल : महोदय, हाँलाकि मेरे मित्र चुनाव प्रक्रिया इत्यादि से संबंधित कुछ पहलुओं से असहमत हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्रीजी, कृपया एक मिनट रुकें।

सांविधिक संकल्प वापस लिया जा रहा है। श्री रमेश चेन्नितला क्या आप सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री रमेश चेन्नितला : हाँ महोदय, मैं सांविधिक संकल्प वापस ले रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री रमेश चेन्नितला द्वारा रखे गए सांविधिक संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है?

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री अली मोहम्मद नाईक (अनंतनाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से पूर्व मुझे अपने विचारों को रखने के लिए दो मिनट का समय दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : हाँ।

[हिन्दी]

श्री अली मोहम्मद नाईक : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जहाँ तक कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से निकलने का सवाल है, वे बेचारे दस साल से रियासत से बाहर हैं और कुछ रियासत में हैं।

[अनुवाद]

श्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के अनुसार कश्मीरी पंडित कश्मीरी परिवार के ही सदस्य हैं और उनके बिना कश्मीरी सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता।

[हिन्दी]

उनकी अपने घरों में आबादकारी के लिए रियासते हुकूमत ने एक बड़ा पैकेज उनकी बहाली के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा है और मैं यह चाहूँगा कि उस पैकेज के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फौरन फैसला ले। दूसरा यह कि जहाँ यह वोटिंग राइट का हक है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, मैं इस बिल की हिमायत करता हूँ लेकिन इसमें दिक्कत है और यह एक बड़ा कॉम्पलिकेटेड सिस्टम है। गैजेटेड ऑफिसर्स के पास वोटर्स को शिनाख्त के लिए ले जाना होता है।

[अनुवाद]

यदि वे मतदान करना भी चाहते हों, तो यह उनके लिए कठिन और मुश्किल हो गया है।

[हिन्दी]

मैं गुज़ारिश करूँगा मुताल्लिक मिनिस्टर साहब से कि यहीं उनकी मीटिंग बुलाएँ और जम्मू कश्मीर के लोकल, एम. पीज. की एक मीटिंग बुलाएँ और देखें कि उसमें कौन सी दिक्कतें हैं क्योंकि वे वोट नहीं कर सकते। उसके बाद जो कनसेन्सस हो, उसी के मुताबिक अगले इलेक्शन के लिए मुनासिब अमेण्डमेण्ट किए जाएँ लेकिन उससे बेहतर यह है कि जो पैकेज का प्लान यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा है, उसे मंजूर किया जाए, उस पर फौरी ऐक्शन लिया जाए ताकि वह अपने-अपने घरों में फिर बहाल हो जाएँ।

جناب علی محمد نایک (اننت ناگ) : جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جہاں تک کشمیری پنڈتوں کے کشمیر سے نکالنے کا سوال ہے، وہ بیچارے دس سال سے ریاست سے باہر ہے اور کچھ ریاست میں ہیں۔

According to Sheikh Abdulla, Kashmiri Pandits are the flesh and blood of the Kashmiris and there can be no Kashmiri civilisation without them.

اُن کی اپنے گھروں میں آبادکاری کے لیئے ریاستی حکومت نے ایک بہت بڑا پیکیج اُنکی بحالی کے لئے گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس بھیجا ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ اس پیکیج کے بارے میں گورنمنٹ آف انڈیا فوراً فیصلہ لے۔ دوسرا یہ کہ جہاں تک ووٹنگ رائٹ کا حق ہے، یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے دیا، میں اس بل کی حمایت کرتا ہوں، لیکن اس میں دقت ہے کہ موقع پر It is because they are my constituents. یہ ایک بڑا کمپلیکیٹیڈ سسٹم ہے۔ گزیٹیڈ آفیسرز کے پاس ووٹرس کو شناخت کے لیئے لے جانا ہوتا ہے۔

It has become very cumbersome and very difficult for these people to vote even if they want to vote.

میں اس میں گزارش کروں گا متعلقہ منسٹر صاحب سے کہ یہاں انکی میٹنگ بلائیں اور جموں و کشمیر کے لوکل ایم۔ پیز۔ کی ایک میٹنگ بلائیں اور دیکھیں کہ اس میں کون سی دقتیں ہیں اس کے بعد جو کنسنسس ہو، اسی کے مطابق اگلے الیکشن کے لئے مناسب امینڈمینٹ کئے جائیں لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ جو پیکیج یہاں اسٹیٹ گورنمنٹ نے بھیجا ہے، اسے منظور کیا جائے، اس پر فوری ایکشن لیا جائے تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں پھر بحال ہو جائے۔

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस विधेयक के सिद्धान्तों पर अपनी सहमति व्यक्त की है। निर्वाचन व्यवस्था में सुधार के लिए और पहले दिए गए प्रावधानों और सुविधाओं में कुछ अनियमितताओं के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में भी चुनाव सुधारों का विशेष उल्लेख है। सरकार चुनाव सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है और इस विषय में कोई भी विधेयक लाने से पूर्व सभी राजनैतिक दलों से चुनाव सुधारों के सवाल पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा।

उस समय माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को जिसमें जम्मू-कश्मीर के माननीय सदस्य की सलाह भी शामिल थी, को ध्यान में रखा जा सकता था। जिन मुश्किलों की तरफ इशारा किया गया था उन पर उस समय विचार किया जा सकता था और चुनाव सुधारों के विधान में आवश्यक समावेश किया जा सकता था।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब मैं सभा से अनुरोध करूँगा कि वह इस विधेयक को पारित करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री ओ. राजगोपाल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.08 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में प्राकृतिक आपदाएं

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन मद संख्या 22 पर विचार करेंगे।

श्री अजय चक्रवर्ती।

श्री अजय चक्रवर्ती (बशीरहाट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस माह के मध्य में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में जो प्राकृतिक आपदा आई, इस विषय पर नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ करता हूँ।

महोदय, जब हमारे देशवासी दशहरा और दुर्गा पूजा त्यौहारों की उत्सव संबंधी तरंगों में व्यस्त हैं उसी क्षण त्रासद और प्रचण्ड की महाविपदा घटित हुई और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सम्बद्ध तटीय क्षेत्र के साथ ही आन्ध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को तबाह कर दिया। लहरों से उठे उस प्रचण्ड चक्रवात जिसके परिणामस्वरूप उड़ीसा में 200 से ज्यादा व्यक्ति मारे गए और हजारों-हजारों लोग बेघर और आश्रयहीन हो गए। उड़ीसा के अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल के सभी जिले, बिहार का मुख्य हिस्सा और आन्ध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा विशेषतः श्रीकाकुलम जिला बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

प्रारम्भिक सर्वेक्षण के मुताबिक उड़ीसा के 11 जिलों के सात लाख या आठ लाख से अधिक लोग बुरी तरह प्रभावित हुए और हजारों एकड़ धान और अन्य फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं क्योंकि भारी वर्षा से यह क्षेत्र जलमग्न हो गए या डूब गए। इस कारण से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और आन्ध्र प्रदेश के कुछ हिस्से बुरी तरह प्रभावित हुए। चक्रवात के प्रभाव के कारण पश्चिम बंगाल के 14 जिलों के सभी खण्ड बुरी तरह प्रभावित हुए। इस भारी और अभूतपूर्व बारिश के कारण सिर्फ दक्षिण बंगाल और उत्तरी बंगाल ही नहीं बल्कि मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, उत्तरी 24 परगना और दक्षिण 24 परगना भी अलग-थलग पड़ गए। दक्षिण बंगाल और उत्तरी बंगाल के सभी जिले बुरी तरह प्रभावित हुए और एक-दूसरे से अलग-थलग हो गए। पश्चिम बंगाल के जिले ही नहीं बल्कि कलकत्ता शहर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारी और अभूतपूर्व वर्षा के कारण कलकत्ता शहर कुछ दिनों तक डूबा रहा अथवा जल मग्न रहा।

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लाखों एकड़ धान और अन्य फसलें पानी में डूबी रहीं अथवा जलमग्न रहीं। धान और अन्य फसलों की पौध पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त सड़कें, राजमार्ग और रेलवे लाइन खराब पड़े रहे। इस समय सभी सड़कें विशेष रूप से राजमार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हो गए; कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के कारण सड़कों की स्थिति बहुत खराब हो गई है और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुँचाना बहुत मुश्किल हो गया है।

जब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और आन्ध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक आपदा आई तो मूल्य...

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ एक मिनट। अब सभापति का कोई चैनल नहीं है। अगर सभा सहमत है तो मैं श्री येरननायडू से अध्यक्षता करने का अनुरोध करूँगा।

अपराह्न 3.14 बजे

[श्री के. येरननायडू पीठासीन हुए]

श्री अजय चक्रवर्ती : सभापति महोदय, भारी वर्षा से हुई तबाही के कारण उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और आपके राज्य के कुछ हिस्सों के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए।

क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण पूरी परिवहन प्रणाली अस्त-व्यस्त हो गई। उस समय देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुँचाना बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ बेइमान व्यवसायियों ने इस स्थिति का लाभ उठाया और काला बाजारी और जमाखोरी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया। केवल यही

नहीं, यह दुःख की बात है कि उस समय केवल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में और वृद्धि हुई। लोग कष्ट भोग रहे थे और उन्हें अपूरणीय क्षति और कष्ट भी भोगने पड़े।

इस भीषण विनाश के दौरान संपूर्ण दूरसंचार तथा विद्युत प्रणाली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। धान के पौधे तथा अन्य फसलों के बीज क्षतिग्रस्त तथा नष्ट हो गए। बैल, गाय तथा भैंस जैसे मवेशी मारे गए थे। केवल बीज ही नहीं अपितु मवेशियों की अनुपस्थिति में किसानों के लिए कृषि का कार्य शुरू करना काफी कठिन हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, यह अभूतपूर्व विनाश जिसके कारण लोगों को इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी वह हमारे देश में विशेष रूप से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों में हुआ। संबद्ध राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया। वे एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा राहत कोष से वित्तीय सहायता हेतु गुहार कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करूँगा कि वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें तथा राज्य सरकार को सहायता प्रदान करते वक्त सौतेला व्यवहार न करें। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि जो भी राज्य सरकार सत्ता में हो, वामपंथी सरकार, या कांग्रेस सरकार या राजद सरकार या ते. दे. पा. सरकार, केन्द्र सरकार उन्हें धन दे।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से आग्रह करूँगा कि वे आगे आएँ तथा हमारे देशवासियों को उनकी दुर्दशा से बचाएँ तथा प्राकृतिक आपदा कोष से जो भी धन राज्य सरकार द्वारा माँगा जाए, वह उसे दें। पश्चिम बंगाल राज्य में, सरकार ने राइटर्स बिल्डिंग में एक सर्वदलीय बैठक की तथा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से 721 करोड़ रुपये की राशि देने के संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। अब तक जहाँ तक मैं जानता हूँ, आज की तारीख में एक भी पैसा पश्चिम बंगाल राज्य को नहीं दिया गया।

मैं भारत सरकार से आग्रह करूँगा कि वे इस मुद्दे को राजनीतिक रंग न दें। भारत सरकार इस मुद्दे को सौतेला व्यवहार के रूप में न उठाए। पश्चिम बंगाल भारतीय संघ का अभिन्न अंग है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से 721 करोड़ रुपये की सहायता माँगी है लेकिन राज्य के लिए एक भी पैसा आवंटित नहीं किया गया है। वहाँ लोग पीड़ा झेल रहे हैं। वे राहत सामग्री प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने ठिकाने खो दिए हैं। वे सभी गरीब लोग हैं तथा वे सब घरविहीन हैं। चक्रवाती तूफान ने उनकी सारी खेती योग्य भूमि नष्ट कर दी थी। उनके खेत भारी वर्षा के पानी से भर गए थे।

दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है। हम इस तथ्य से वाकिफ हैं कि पूजा दिनों के दौरान कलकत्ता शहर वियाबान लग रहा था। पश्चिम बंगाल के कई गाँवों तथा शहरों में लोग अपने घरों से निकलकर पूजा पंडाल में जमा नहीं हो सके। उन दिनों पूजा पंडाल सुनसान लग रहा था। इस तूफान ने पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के लोगों को अपूरणीय क्षति पहुँचाई। लेकिन यह दुःख का विषय है कि आज तक केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को एक भी पैसा आवंटित नहीं किया गया है। 1998 में पश्चिम बंगाल में यही हुआ। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों विशेष रूप से मिदनापुर तथा अन्य जिलों में राहत पहुँचाने के लिए 709 करोड़ रुपये मांगे और उन्हें केवल 66 करोड़ रुपये मिले। इस वर्ष पश्चिम बंगाल सरकार ने 721 करोड़ रुपये माँगे हैं।

उड़ीसा सरकार ने, जहाँ तक मैं जानता हूँ, 200 करोड़ रुपये माँगे हैं जबकि उन्हें 50 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। चक्रवात द्वारा प्रभावित राज्यों में, निस्संदेह उड़ीसा सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, उड़ीसा के 11 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। अभूतपूर्व वर्षा के कारण उड़ीसा में धान की हजारों एकड़ भूमि में पानी भर गया। कम-से-कम 100 लोग केवल गंजाम जिले में ही मारे गए। गंजाम जिले में पूरी तबाही हुई। उड़ीसा या पश्चिम बंगाल या बिहार सरकार के लिए ऐसी स्थिति से निबटना काफी कठिन हो जाता है। उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से 200 करोड़ रुपये की सहायता माँगी है। तथापि प्रधानमंत्री द्वारा हवाई सर्वेक्षण किए जाने के बावजूद उड़ीसा के लोगों के लिए केवल 50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। बिहार के भी कई जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई गाँव तथा शहर पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से 1100 करोड़ रुपये माँगा है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, बिहार सरकार को एक भी पैसा मंजूर नहीं किया गया है ताकि वे परिस्थिति से निबट सकें।

महोदय, मुझे यह कहते हुए काफी दुःख हो रहा है कि भारत सरकार इन राज्यों के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है। वे पश्चिम बंगाल या बिहार राज्य को एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, माननीय सदस्य ने उड़ीसा का उल्लेख किया है।

श्री अजय चक्रवर्ती : मैं इससे सहमत नहीं हूँ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य मैं आपको भी अवसर दूँगा। कृपया अब बैठ जाइए।

श्री विक्रम केशरी देव : महोदय, वे कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार ने सौतेला व्यवहार दर्शाया है। यह पूरी तरह से गलत है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री उड़ीसा गए थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सरकार इसका उत्तर देगी। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, आप भी कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती : उड़ीसा सरकार को केवल 50 करोड़ रुपया प्राप्त हुए हैं।

सभापति महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती, कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : उन्होंने योजना सहायता के रूप में 250 करोड़ रुपये दिया है। उड़ीसा सरकार को एक भी पैसा अनुदान के रूप में नहीं दिया गया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया शांत हो जाएँ। सरकार सबका उत्तर देगी।

...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार सरकार एक ही नाव में सवार है।

महोदय, जहाँ तक मैं जानता हूँ चक्रवाती तूफान से आन्ध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम जिला बुरी तरह प्रभावित हुआ था जिसके कारण नारियल तथा काजू के सभी बीज तथा पेड़ पूरी तरह प्रभावित हो गए। मैं जानता हूँ आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने आपके साथ मिलकर हवाई सर्वेक्षण किया था।

सभापति महोदय : हाँ, श्रीकाकुलम मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है।

श्री अजय चक्रवर्ती : हाँ, महोदय, आपके माननीय मुख्यमंत्री ने आपके साथ मिलकर स्थल का दौरा किया था तथा केन्द्र से 40 करोड़ रुपये की सहायता माँगी है। मैं नहीं जानता आपको कितने करोड़ रुपये मिले हैं। लेकिन मुझे आशा है कि आप केन्द्र सरकार से किसी और कारणवश इसे प्राप्त कर लेंगे। मुझे उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है।

लेकिन यह दुःख की बात है कि बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से एक भी पैसा प्राप्त नहीं किया है। यह केवल केन्द्र के सौतेले व्यवहार के कारण ही है।

अतएव, मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करूँगा कि वे सभी राज्य सरकारों के साथ बराबर का व्यवहार करें। सभी राज्य भारत सरकार, संघ के बराबर के हिस्सेदार हैं। यह केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है कि वे आगे आएँ तथा प्रभावित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करें। उन्हें सभी राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। राज्य सरकारों को सभी संभव सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे लोगों को उनकी स्थिति से उबार सके।

महोदय, मैं भारत सरकार से भी आग्रह करूँगा कि वे आगे आएँ तथा लोगों को प्राकृतिक विभीषिका के चंगुल से मुक्त कराएँ।

महोदय, इस संबंध में मैं संबद्ध मंत्रालय के विचारार्थ कुछ सुझाव दूँगा। प्रथमतः उन्हें किसानों को कृषि योग्य भूमि पर छूट देनी चाहिए। दूसरे, उन्हें सभी राज्यों में प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए ताकि वे अपने गिरे हुए घर पुनः बना सकें।

तीसरी बात यह है कि सभी राज्यों के बेघर और आश्रयहीन लोगों को अपने मकान बनाने के लिए आवास निर्माण अनुदान राशि दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री अजय चक्रवर्ती : जी हाँ, महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। चौथी बात यह है कि उन्हें कृषकों को पशु खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए। अन्त में, मैं भारत सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि वह इन प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए अपने विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रैटों को कार्य पर लगाए क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम इन प्राकृतिक आपदाओं को देख रहे हैं।

मैं वर्ष 1990 से विभिन्न राज्यों, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में हुई घटनाओं के 10 अथवा 15 उदाहरण दे सकता हूँ। प्रत्येक वर्ष हम चक्रवाती तूफान और बाढ़ तथा अन्य कारणों की वजह से हुई इन प्राकृतिक आपदाओं को देख रहे हैं।

इसलिए मैं भारत सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि वह अपने टेक्नोक्रैट, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को इस कार्य पर लगाए ताकि वे प्राकृतिक आपदाओं को रोकने और उनसे लोगों को बचाने के लिए योजना तैयार कर सकें।

यह कार्य परमाणु हथियार कार्यक्रम से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे देश में आ रही प्राकृतिक आपदाओं को रोकना परमाणु हथियार कार्यक्रम तैयार करने से अधिक महत्वपूर्ण है।

अतः मैं भारत सरकार से सभी संभव वित्तीय सहायता देने और लोगों को बाढ़ से बचाने हेतु आगे आने का अनुरोध करता हूँ।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर) : मुझे दिए गए अवसर के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उस विध्वंस का उल्लेख कर रहा हूँ जिसने इस महीने की 17 और 18 तारीख को भारत के पूर्वी भाग में तबाही मचाई थी। मैं कालक्रमानुसार ब्यौरा देता हूँ ताकि माननीय सदस्य स्थिति की गम्भीरता को समुचित रूप से समझ सकें।

इस महीने की 17 तारीख को भुवनेश्वर के सहायक मौसम अधिकारी ने रेडियो और दूरदर्शन पर चेतावनी दी थी कि लगभग 100 किलोमीटर के वेग से हवा के साथ-साथ मूसलाधार वर्षा होगी। यह चेतावनी क्षति न पहुँचाने वाले स्वरूप की थी।

17 तारीख की सुबह लगभग शाम 7 बजे निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार ने यह कहते हुए कड़ी चेतावनी दी कि लगभग 200 कि. मी. प्रति घंटा की गति से आँधी आ सकती है।

मैं भारी मन से यह कहना चाहता हूँ कि उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही अत्यन्त अपर्याप्त थी।

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : क्या इस सभा में हम राज्य सरकार के आचरण यह चर्चा कर रहे हैं?

श्री अनादि साहू : यह मेरी टिप्पणी है।

श्री के. पी. सिंह देव : मैं सभापति महोदय से व्यवस्था चाहता हूँ।

सभापति महोदय : नहीं, माननीय सदस्य उड़ीसा राज्य सरकार के आचरण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री अनादि साहू : यह मामला उड़ीसा सरकार की अत्यन्त अपर्याप्त कार्यवाही से सम्बधित है। जब मैं प्राकृति आपदाओं के बारे में उड़ीसा सरकार की अत्यन्त अपर्याप्त कार्यवाही के बारे में कहता हूँ तो मैं उसका सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष विवरण देना चाहता हूँ कि 18 तारीख की सुबह वहाँ क्या हुआ था क्योंकि मैं पुरी जिले में पहले प्वाईंट पर पहुँच गया था। पुरी जिले में मेरे मित्र हैं। मेरी टिप्पणी खुर्द और पुरी जिलों के एक भाग सम्पूर्ण गंजम और कटक जिलों और सभापति महोदय आपके क्षेत्र श्रीकाकुलम क्षेत्र के एक भाग तक सीमित होंगी क्योंकि वे सभी समीपवर्ती क्षेत्र हैं।

खाली कोट पहला प्वाईंट है। वृक्षों से भरे पड़े इस सम्पूर्ण क्षेत्र ने चक्रवात के कोप का सामना किया था। मैंने तत्काल उस क्षेत्र के फारेस्ट रेंजर का पता लगाया और उनसे अनुरोध किया कि कम-से-कम घायलों

को बरहामपुर मेडिकल कॉलेज ले जाने हेतु एम्बुलेंस और छोटी गाड़ियों के लिए सड़क साफ करने में उनकी सहायता करें। उसने धृष्टता से मुझे बताया, "यह मेरी ड्यूटी नहीं है।" मैं इसे अत्यंत अपर्याप्त कार्यवाही इसलिए कहता हूँ कि राज्य में एक आकस्मिकता योजना है जहाँ प्राकृतिक आपदाओं और उस तरीके को परिभाषित किया गया है जिस तरीके से इन आपदाओं से निपटा जाना अपेक्षित है। मैं पुलिस अधीक्षक था इसलिए मैं कहता हूँ कि क्या किया जाना अपेक्षित है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर जानते हैं कि उन्हें इस विपत्ति के मामले में क्या करना है। राज्य प्रशासन को भी उस चार्टर आफ ड्यूटीज की जानकारी है जिसे उनमें किसी भी आपदा के मामले में किए जाने की आशा है।

इसलिए मैंने कहा था कि यह अत्यन्त अपर्याप्त कार्यवाही है।

मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि डी. आई. जी. जो अवकाश पर चले गए थे, को पुलिस महानिदेशक ने वापस आने का निर्देश दिया वह मुझे रास्ते में मिले थे। मैं और वह दोनों पुलिस कर्मी होने के नाते इकट्ठे आये, हमने लोगों को इकट्ठा किया और हम स्वयंसेवकों को लाए और सड़क साफ करने का कार्य शुरू कर दिया। पी. डब्ल्यू. डी. का एक जूनियर इंजीनियर भी हमारे बचाव के लिए आया। वह केवल तीन व्यक्तियों को साथ लाया था। मैंने उनमें 300 व्यक्तियों को लाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि यह उसके अधिकार से बाहर की बात है। मैंने उसमें पूछा कि उनके एस. डी. ओ., पी. डब्ल्यू. डी. कहाँ हैं तो उन्होंने कहा कि वे अवकाश पर चले गए हैं। मैंने कहा, "आपको दो दिन से चेतावनी दी गई थी और एस. डी. आए नहीं हैं।" फिर भी हमने साफ करने का कार्य शुरू कर दिया है और लोगों ने हमारी सहायता की है। हमने घायलों को ले जाने के एकमात्र उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ 20 किलोमीटर तक सड़क साफ करने का कार्य शुरू किया।

आप में से कुछ ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 पर हम्मा की साल्ट देखी होगी। यह लगभग 10 कि. मी. लम्बी और लगभग 8 कि. मी. चौड़ी है। वहाँ एक समुद्री पानी चैनल है जो नमक बनाने के किए लवणयुक्त पानी को उस साल्ट बे में लाता है और वहाँ लगभग 20 गाँव हैं। सम्पूर्ण क्षेत्र लवणयुक्त पानी से जलमग्न था। वहाँ मानव मलमूत्र, गोबर, पक्षियों की विष्ठा तथा पशु शव तैर रहे थे। लोगों को 10 घंटे तक पीने के पानी की एक बूँद भी नहीं मिली और उन्हें दूषित पानी ही पीना पड़ा। यदि उस क्षेत्र में प्रभावित लोगों को पेयजल की मूल आवश्यकता को पूरा करने में राज्य सरकार की यही पर्याप्त कार्यवाही है तो मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और माननीय सदस्य जिस तरीके से चाहें, वे आपत्ति कर सकते हैं।

महोदय, मैं गंजम के मुख्यालय छत्तरपुर में लगभग शाम 6 बजे पहुँचा। मैंने सुबह 6 बजे से लगभग 12 घन्टे तक यात्रा की। छत्तरपुर में प्रभावित लोगों को भोजन और राहत सामग्री की आपूर्ति के फिर कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और कलैक्टर वहाँ नहीं था। ए. डी. एम. भी किंकर्तव्यविमूढ़ खड़े थे मुझे पानी लाना पड़ा था और फिर उनकी सहायता की थी क्योंकि क्रुद्ध भीड़ ने उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी थी और उन्हें राहत कार्य शुरू करने के लिए कह रही थी। दो घण्टे तक कुछ भी नहीं किया जा सका। कोई पोलिथीन शीट उपलब्ध नहीं थी। मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं था और बिजली पूर्णतया फेल हो गई थी तथा यह देखा जा सकता था कि 33 के वी लाइन के खम्भे किसी बच्चे द्वारा तोड़े मरोड़े गए पतले हरे बाँस की तरह टूट गए थे। शरीर इधर-उधर तैर रहे थे। बरहामपुर के स्वयंसेवकों और बरहामपुर के भा. जा. पा. के कार्यकर्त्ताओं ने इस विध्वंस में मारे गए लगभग 30 से 40 युवा बच्चों के शरीर निकाले थे।

यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि मकानों के निर्माण से सम्बधित व्यक्तियों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि तूफान के पानी को जलाशयों से कैसे बहाना चाहिए। बरहामपुर में दो सैटेलाई कस्बे हैं जो लगभग तीन दिन तक जलमग्न रहे थे और लोगों के पास पीने के लिए पानी तथा खाने के लिए भोजन नहीं था। तीन दिन के पश्चात् स्वयंसेवकों ने रस्सियों के साथ जाकर उन्हें पानी दिया। चिकित्सा दवा का भी गठन नहीं किया गया था और उस क्षेत्र में कोई नहीं गया था। मुझे उखड़े हुए तथा परस्पर उलझे हुए वृक्षों तथा कीचड़ भरे धान के खेतों में से स्कूटर द्वारा छत्तरपुर से बरहामपुर तक लगभग 25 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ी थी और वहाँ हर जगह विलाप करती हुई भीड़ थी तथा कुछ भी नहीं किया जा सका था। वहाँ यही सब कुछ हुआ है।

सभापति महोदय, जब आप समुद्र तट के साथ-साथ जाएँगे तो आपको पान की लताएँ मिलेंगी। पान की लताओं को उगाने में तीन से चार वर्ष लगते हैं। सुपारी को उगाने में 10 वर्ष का समय लगता है। नारियल के उगाने में उत्पादन क्षमताओं पर निर्भर करते हुए 10 से 15 वर्ष लगते हैं।

यदि प्रकृति उन लोगों और नकदी फसलों के प्रति अत्यधिक क्रूर हो गई होती तो पूरा क्षेत्र तबाह हो गया होता। कत्थे, पान, नारियल, केले और केवड़े के बाग तथा प्रत्येक वस्तु नष्ट हो गई।

महोदय, इस मौसम में धान के खेतों में फूल आते हैं। इस समय धान में फूल आए। यदि लेज हवा होती है तो इससे धान के पौधों के लिए समस्या उत्पन्न होती है और उसमें फूल नहीं आएँगे। धान की हज़ारों एकड़ खेत पानी के डूब गए हैं।

इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई यह है कि हम हवा की गति के बारे में चेतावनी दे सकते हैं, लेकिन हम चिलका अथवा समुद्र में जल प्रवाह के बारे में चेतावनी नहीं देते हैं।

जब हवा की तीव्रता 100 कि. मी. अथवा 150 कि. मी. अथवा 200 कि. मी. प्रति घंटा होती है तो पानी में लहरें उठती हैं। अतः जल स्तर बढ़ता है। यह पाँच फुट से दस फुट तक बढ़ सकता है और यह धान के खेतों को जलमग्न कर देता है। धान के खेतों में खारापन अत्यधिक खतरनाक है और तीन से चार वर्षों तक धान के खेतों के लिए हानिकारक होता है।

धान की हज़ारों एकड़ भूमि खुर्दा जिले के तांगी प्रखण्ड (ब्लाक) से लेकर चिलका प्रखण्ड (ब्लाक) तक, गंजम और गजपति जिले का समग्र क्षेत्र और श्रीकाकुलम जिले का सोमपेटा खण्ड खारे पानी से पूरी तरह भर गया है। इसमें समय लगेगा। राज्य सरकार द्वारा ही इस क्षेत्र से खारा पानी निकालने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए ताकि क्षति को न्यूनतम

[श्री अनादि साहू]

किया जा सके। कल तक उन सभी क्षेत्रों में बिजली की बहाली नहीं हुई थी। उलझी तारों और खंभों को हटाया नहीं गया है।

काफी कठिनाई के साथ तीसरे दिन माननीय मंत्री श्री ज्यूल ओराम और श्री देवेन्द्र प्रधान उस क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर पाए क्योंकि गोपालपुर में हवाई पट्टी इतनी कीचड़दार थी कि वे वहाँ उतर नहीं सकते थे। तत्काल मामला माननीय प्रधानमंत्री की जानकारी में लाया गया और माननीय मंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया। अतः जो कुछ भी श्री चक्रवर्ती ने कहा वह वास्तव में सही नहीं है।

माननीय प्रधानमंत्री ने दो चीज़ों के बारे में निर्णय लिया है। उन्होंने 250 करोड़ रुपये दिए हैं। जिसमें से 200 करोड़ रुपये उड़ीसा में ही प्रशासन के संचालन के लिए हैं। उड़ीसा प्रशासन संकट में है। यहाँ कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है; यहाँ केवल एक अनियमितता है। उड़ीसा सरकार लगभग 15,000 करोड़ रुपये का ऋण ले रही है। उसे ब्याज अदा करना पड़ेगा, उन्हें सरकारी कर्मचारियों का वेतन देना पड़ेगा; और उन्हें बहुत सी अन्य चीज़ों का भी भुगतान करना पड़ेगा। परन्तु उन्हें 380 करोड़ रुपये नहीं मिल पा रहे हैं। अतः उन्हें जब कभी केन्द्रीय सरकार से सहायता अथवा अंतरिम राहत के रूप में अथवा अन्य संभव तरीके से धनराशि प्राप्त होगी तो वे उसे प्रशासन संचालन के लिए उपयोग करेंगे। पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिए आपदा राहत कोष से 25 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी। मुझे यह कहते हुए खेद है कि उस धनराशि का उपयोग राज्य सरकार के दैनिक कार्यों के लिए किया गया।

इस राज्य में अनेक मंत्री हैं और वे अच्छे वेतन ले रहे हैं। उन्होंने आई. ए. एस. अधिकारियों की पदोन्नति करके, उन्हें सुपर टाइम स्केल अथवा बेहतर प्रशासिन कैडर पद देकर तथा अन्य बहुत-सी चीज़ें देकर उनके वेतन में वृद्धि की है। इस तरह लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

महोदय, कृपया मुझे कुछ और समय दें। मैं अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा करूँगा। यह ऐसा मामला है जिसकी सभी को जानकारी होनी चाहिए।

सभापति महोदय : इस विषय के लिए केवल दो घंटे का समय आवंटित किया गया है।

श्री अनादि साहू : यह सच है लेकिन मैं इस विध्वंस का सबसे प्रभावित व्यक्ति हूँ। अतः मुझे कुछ और समय दिया जाए।

सभापति महोदय : कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री अनादि साहू : प्रधानमंत्री जी ने कृपालु तथा उदार दृष्टिकोण अपनाकर सरकार चलाने हेतु 200 करोड़ दिए। जब मैंने इस पर आपत्ति की तो उन्होंने पूछा कि जब तक सरकार नहीं चलती तो आपको सहायता अथवा राहत कैसे मिलेगी? इस तरह उन्होंने राहत के लिए 50 करोड़ रुपये दिए।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : आपने इस पर आपत्ति क्यों की?

श्री अनादि साहू : मैंने आपत्ति की क्योंकि उन्हें सरकार चलाने के लिए धनराशि देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : जो उन्होंने दी है वह केवल योजना के लिए अग्रिम राशि है।

श्री अनादि साहू : यह सच है लेकिन इसे बाद में भी दिया जा सकता था। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत सरकार के विभिन्न विभाग अपने अधिकारियों को तत्स्थानिक मूल्यांकन के लिए भेज सकते थे और जितनी धनराशि की आवश्यकता होती वह दे दी जाती। लेकिन मेरा निष्पक्ष मत है कि धनराशि सीधे राज्य सरकार को नहीं दी जानी चाहिए। अब मैं केन्द्रीय सरकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 लगाने और दो माह के लिए वित्तीय शक्तियाँ वापस लेने हेतु अनुरोध करता हूँ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (रायगंज) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में मंत्रिमंडल की नीति के बारे में उल्लेख किया है कि वे राज्यों को अधिक शक्तियाँ देंगे और अधिक विकेन्द्रीयकृत करेंगे। लेकिन आप बिलकुल विपरीत दृष्टिकोण अपना रहे हैं।

श्री अनादि साहू : मैं कहता हूँ कि इस राज्य की वित्तीय शक्तियों को दो माह के लिए ले लिया जाए और सहायता, राहत तथा अन्य सभी चीजों से सम्बन्धित सभी कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किए जाएँ। संविधान के अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत यह प्रावधान है। इसे लागू किया जा सकता है अथवा लागू नहीं किया जा सकता है।

महोदय, चूँकि आप मुझे अधिक समय नहीं दे रहे हैं इसलिए अब मैं एक अन्य अति महत्त्वपूर्ण मामले पर आता हूँ। प्याज के पौधे, बंदगोभी, नारियल अतिग्रस्त हो गए हैं। सोमपेटा और गोपालपुर क्षेत्रों में नारियल 50 पैसे में उपलब्ध है। सभापति महोदय, आपको इसके बारे में अवश्य पता होगा। वहाँ बहुत नुकसान हुआ था। प्रति नारियल 50 पैसे बेचने के लिए ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जा रहा है। लोगों के साथ यह कठिनाई है।

मैं यह सुझाव दूँगा कि केन्द्र सरकार को पूर्व और पश्चिम दोनों तटीय क्षेत्रों में तूफान का पता लगाने हेतु एक तंत्र स्थापित करे। पवन वेग जानने की तुलना में समुद्र में तूफान प्रचंडता जानने की अधिक आवश्यकता होगी। समुद्र तट पर रहने वाला मछुआरा क्या करेगा? इस बार भी मैंने देखा कि वे अपनी कमर से पत्थर और ईंटे बांध लेते हैं और तूफान के जाने तक नीचे लेटे रहते हैं।

ताड़ प्रपर्ण, छप्पर, नालीदार चादर और एसबेस्टो चादर अधिक वेग वाली हवाओं का सामना नहीं कर पाती हैं। मैं सुझाव देता हूँ कि भारत सरकार को तत्काल तूफान प्रचंडता तंत्र के बारे में विचार करना चाहिए और पूर्वी तट के साथ कम से कम प्रत्येक पांच किलोमीटर की दूरी पर तूफान आश्रय का निर्माण करना चाहिए जहाँ सदियों से तूफान एक प्राकृतिक और सतत घटना है। मेरे क्षेत्र में हम प्रत्येक वर्ष पचास हजार टन नमक का उत्पादन करते हैं। अब इस विध्वंस के कारण हम एक टन नमक का भी उत्पादन नहीं कर पाएँगे। चूँकि नमक केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है तो मैं केन्द्र सरकार को समुद्री नमक संरक्षण तंत्र जैसे कुछ उपायों के बारे में विचार करने हेतु सुझाव दूँगा।

इसके बाद में जलमार्ग के बारे में कहना चाहूँगा। समुद्र से आने वाले खारे जलमार्ग को इस तरह से योजित किया जाए कि जब कभी तूफान, अंधड़ आदि आएँ तो अतिरिक्त जल धान के खेतों में न आए और इस तरह लोगों को खारा पानी पीने के बोझ से मुक्ति मिल सके। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राहत संहिता को बदला जाए। राहत संहिता लगभग सौ वर्ष पूर्व 1860 अथवा 1870 में पहली बार आरंभ हुई थी। यह निराशाजनक रूप से अपर्याप्त है। एक लोकतांत्रिक ढांचे में हमें निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह कहने का किसी प्रकार का विवेकाधिकार अथवा शक्ति देनी चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं क्योंकि वे जानते हैं कि एक विशेष क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोई राज्य सरकार अथवा वहाँ मौजूद प्रशासकों के प्रशासनिक शक्तियों को छीन ले। यदि राहत संहिता बदलती है तो प्रत्येक अपना दिमाग एक साथ लगा सकता है और यह निर्णय ले सकते हैं कि किस तरह वे अपना कार्य कर सकते हैं। इस विशेष मामले में पाँच दिन से किसी को एक लीटर मिट्टी का तेल भी नहीं दिया गया और शहर अंधकार में डूबे रहे। मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से कुछ अतिरिक्त जनरेटर लाएँ और उन्हें अधिसूचित क्षेत्र परिषदों में लगाएँ जहाँ पेयजल आपूर्ति की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। उस क्षेत्र के लोगों को पाँच दिन तक पेयजल की आपूर्ति नहीं की गई। इसलिए मैं कहता हूँ, कि यह खेदजनक रूप से अपर्याप्त था।

[अनुवाद]

इन चीजों के लिए राज्य सरकार को किसी अन्य तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम सहायता संहिता में संशोधन करें तो मैं समझता हूँ कि हम इतनी वस्तुओं का भंडरण तो कर ही सकते हैं कि हम प्रकृति की बरबादी का सामना कर सकें जिसे कि हमें समय-समय पर झेलना पड़ता है और जो हमारे लिए समस्याएँ खड़ी करता है।

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, बड़े दुख के साथ मैं एक बार फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और बिहार में प्राकृतिक आपदाओं से हुए विनाश पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ...*(व्यवधान)* 1967 में जब मैंने इस सभा में पहली बार प्रवेश किया था तब से पिछले 32 वर्षों में हमने सूखा, बाढ और तूफान के मुद्दे पर लगभग 20 बार चर्चा की है और बहस की है। इस पर 1967, 1970, 1971, 1974, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1998 में चर्चा हुई थी। एक बार फिर हम उस वर्ष अर्थात 1999 में इस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे विनाशकारी तूफान उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में वर्ष 1967 में आया था जिसमें हजारों लोग प्रभावित हुए थे। वर्ष 1977 में आन्ध्र प्रदेश में बहुत बड़ा विनाशकारी तूफान आया था, उस समय मेरे मित्र श्री जनार्दन रेड्डी पुनर्वास मंत्री थे। वर्ष 1997-98 में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कुछ स्थायी उपाय किये थे। वर्ष 1967 में हमारे पास सभी वस्तुएँ अपर्याप्त थी जैसा कि मेरे मित्र श्री अनादि चरन साहू ने विशद रूप से प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है।

वस्तुतः मैं उनकी बहुत सी बातों से सहमत हूँ। कोई भी राज्य सरकार चाहे वो आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा हो, ऐसी स्थिति से नहीं निपट सकती जहाँ मौसम की उग्रता इतनी विषम हो, उसकी गहनता और व्यापकता समझ से बाहर हो। इससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था शक्तिहीन हो जाती है। यह मेरे शब्द नहीं हैं यह कृषि मंत्रालय का कथन है।

कृषि मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार को अभी एक संदेश भेजा है। दिनाँक 27.10.99 अर्थात कल रात 9 बजे प्राप्त सूचना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे भयंकर चक्रवाती तूफान ने और भी भयंकर रूप ले लिया है। तीन से पाँच मीटर ऊँची और खगोलीय ज्वार स्तर से ऊँची लहरें उठने की संभावना है। कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, एन. डी. एम. सेक्शन, कृषि भवन द्वारा 27 अक्तूबर को दी गई सूचना के अनुसार पारादीप से लगभग 550 कि. मी. दक्षिण पूर्व में एक अत्यधिक तीव्र चक्रवाती तूफान का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है और यह तूफान उत्तर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। 17 और 18 को आए भयंकर चक्रवाती तूफान, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, के तुरन्त बाद एक दूसरा तूफान उड़ीसा और बंगाल के तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है अतः हमें गम्भीरता से इस समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। जो विनाश और तबाही उड़ीसा में हुई है उसमें सब कुछ नष्ट हो गया। जीवन, अंग, स्वतंत्रता, घर, जैसा कि बताया गया है। कटने को तैयार खड़ी फसलें, सड़कें जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं, विद्युत संचार केन्द्र, कारखानें, स्कूल, कॉलेज, कार्यशालाएँ सब नष्ट हो गए हैं और नदियों और कुओं जिनसे पेयजल की आपूर्ति होती है, का जल भी इससे प्रदूषित हो गया है। अतः हमें उनका मरम्मत करने, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण करने और जीने का अवसर मिलने की आवश्यकता है।

उड़ीसा जैसी राज्य सरकार 1964-65 से इन समस्याओं का सामना कर रही है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को कालाहाण्डी के सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करना पड़ा था जहाँ के लोग भुखमरी से जूझ रहे थे। उस दिन से, श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक कई प्रधानमंत्रियों ने दौरे किए हैं। प्रत्येक प्रधानमंत्री को बाढ़, सूखा, चक्रवातीय तूफान के कारण उड़ीसा की यात्रा करनी पड़ी है। अतः पिछले साढ़े तीन दशक से भी अधिक समय से उड़ीसा में केवल प्राकृतिक आपदाएँ ही साथ रही हैं। हमारी कुल जनसंख्या के 22 प्रतिशत लोग आदिवासी हैं, 19 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के हैं और 58 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यह मेरा नहीं बल्कि योजना आयोग के प्रो. लकड़ावाला का कथन है। इसका अर्थ है कि 17 प्रतिशत लोग गैर अनुसूचित जाति या गैर आदिवासी हैं। पिछले 35 वर्षों में कर जुटाने या उड़ीसा को धनराशि प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस तरह से हम राज्य की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक उड़ीसा को कोई विशेष सहायता प्रदान नहीं की जाती। सरकार अभी तक उड़ीसा को विशेष दर्जा प्राप्त राज्य घोषित नहीं कर पाया है जैसा कि अनुसूची छः के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, हिमाचल या फिर उत्तरांचल और विदर्भ का मामला है। अतः सरकार को उड़ीसा को विशेष सहायता—अतिरिक्त और अतिशीघ्र सहायता देनी चाहिए। जैसा कि श्री साहू ने कहा है। इस राज्य सरकार की हालत खस्ता है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 250 करोड़ रुपये की धनराशि में से एक भी रुपया राज्य में नहीं पहुँचा है। यह अग्रिम योजना सहायता है जो हमें जनवरी, 2000 में प्राप्त होती लेकिन यह हमें अक्तूबर या नवम्बर, 1999 में मिल रही है। अतः यह कोई अनुग्रह राशि नहीं है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी अनेक प्रधानमंत्रियों ने 50 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये के बीच धनराशि की घोषणा की है

[श्री के.पी.सिंह देव]

किन्तु एक भी पैसा राज्य में नहीं पहुँचा है। सरकार ने जो घोषणा की है वह अग्रिम योजना सहायता है।

महोदय, मैं पुनः कृषि मंत्रालय के वक्तव्य को उद्धृत करूँगा... *(व्यवधान)* यह अग्रिम भुगतान है। आप पूर्व मुख्य मंत्री हैं, आप यह जानते हैं। महोदय, देश पर कई आपदाओं के आने के कारण, श्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने 1993-94 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम की शुरूआत की थी जिसमें सभी राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया था और कई गोष्ठियाँ और चर्चाएँ भी हुई थी। महोदय, आपके क्षेत्र हैदराबाद में भी चर्चा हुई थी। यह कृषि मंत्रालय की 1998 की वार्षिक रिपोर्ट में है जिसे मैं उद्धृत करता हूँ :

"सरकार का उत्तर :

वित्तीय सहायता व्यय की विद्यमान योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को आपदा राहत कोष के अन्तर्गत किये गये आवंटन से आवश्यक बचाव राहत और पुनर्वास के उपाय करने की आवश्यकता है। आपदा राहत कोष के अन्तर्गत 1998-99 के दौरान राज्यों के लिए 1328.15 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें 996.11 करोड़ रुपये का केन्द्र का भाग है और 332.4 करोड़ रुपये का राज्यों का भाग है। केन्द्र का सम्पूर्ण भाग राज्यों के लिए जारी कर दिया गया है। राहत कार्य में तेजी लाने के लिए अनेक राज्यों को आपदा राहत कोष में से केन्द्र के भाग की त्रैमासिक किस्तों का अग्रिम भुगतान किया गया है। आपदा राहत कोष के अतिरिक्त, भीषण आपदाओं के लिए आपदा राहत हेतु राष्ट्रीय कोष से राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। अभी तक 22 ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।"

अतः यह अनुग्रह राशि नहीं है। केन्द्र की तरफ से अनुदान के रूप में एक भी पैसा नहीं दिया गया है। यह अग्रिम योजना सहायता है जिसका मेरे मित्र 50 करोड़ रुपये, 150 करोड़ रुपये और 250 करोड़ रुपये कहकर उल्लेख कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* श्री साहू जी मैंने आपके भाषण में व्यवधान नहीं डाला था। आप राज्य प्रशासन में रहे हैं। आप यह मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं राज्य प्रशासन में नहीं रहा हूँ। आप पुलिस महानिरीक्षक रहे हैं और आप एक अच्छे अधिकारी रहे हैं। हम सभी को आप पर गर्व है। महोदय, यह हमारे साहित्य समाज के अध्यक्ष भी हैं। अतः, यह एक अच्छे वक्ता और साहित्यिक व्यक्ति हैं।...*(व्यवधान)*

महोदय, नई दिल्ली से प्रकाशित 'द इकॉनोमिक टाइम्स' के अनुसार 1998 में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के चार राज्यों के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं से 89 बिलियन डालर की क्षति हुई। अतः उस समय श्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के विषय पर विचार किया था। इतने वर्षों में संसद ने इस विषय पर 22 बार विचार-विमर्श किया है। अतः इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं अपने एक पुराने मित्र के कथन को उद्धृत करना चाहूँगा जो कि अब केरल विधान सभा के सदस्य हैं। वे लोक सभा के भी एक सम्मानित सदस्य थे। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्री सी. के. चन्द्रप्पा हैं। उन्होंने यह मुद्दा 1977 में चक्रवातीय तूफान आने के तुरन्त बाद उठाया था। उन्होंने चीन और ताशकन्द का उदाहरण दिया था। ताशकन्द भूकम्प से तबाह हो गया था और लाखों लोग मारे गए थे किन्तु एक वर्ष के अन्दर ही वे लोग उस जगह का पुनर्निर्माण कर सके क्योंकि तत्कालीन सोवियत सरकार ने सोवियत संघ के सभी 17 गणराज्यों से योगदान प्राप्त किया। यहाँ तक कि चीन ने भूकम्प की समस्याओं से निपटने के लिए बाहर से मदद प्राप्त की। अतः मैं इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन करना चाहूँगा। मुझे खुशी है कि यहाँ दो-तीन मंत्री उपस्थित हैं। सामान्यतः कृषि मंत्री उपस्थित रहते थे। किन्तु आज वित्त मंत्री भी उपस्थित हैं। यह केवल प्राकृतिक आपदा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपदा भी है।

अपराह्न 4.00 बजे

इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आज दोपहर ही हम उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजली अर्पित कर रहे थे जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिये। हम उनके परिवार के लोगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपील कर रहे हैं। अतः राष्ट्रीय आपदा और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है और ऐसे राज्य जो अत्यधिक गरीब हैं उन्हें इनसे निपटने के लिए अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए। अतः पिछले 32 वर्षों से उड़ीसा सूखा, तूफान और बाढ़ से जूझ रहा है जिसने राज्य के आर्थिक ढांचे को तोड़ दिया है। यह केवल आज या कल की बात नहीं है। उड़ीसा को यह हानि निरंतर हो रही है। अतः जब तक उड़ीसा को विशेष सहायता प्रदान नहीं की जाती तब तक राज्य का पुनरुत्थान नहीं हो सकता।

आज गोपालपुर पत्तन की स्थिति बहुत ही खराब है। केन्द्र की सहायता से इसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। मैं गोपालपुर तालचेर रेल लाइन का उल्लेख करता हूँ। मुझे याद है कि 1967 में, इस सभा में हुई चर्चा के फलस्वरूप, पारादीप-कटक रेल लाइन का निर्माण कार्य केन्द्र से मिले धन की सहायता से पूरा किया गया था। ऐसे ही कार्य तूफान से उत्पन्न कठिनाई से पार पाने के लिए किए जा सकते हैं, क्योंकि राहत और पुनर्वास कार्य पर्याप्त नहीं हैं। वहाँ के लोगों को अभी जीवित रहना है स्कूल जाने वाले बच्चों की पुस्तकें चली गई हैं। उनके स्कूल और कालेज बर्बाद हो गए हैं। जैसा कि ठीक ही कहा गया है, किसानों ने अपनी समस्त जीविका खो दी है। रेत हटाने और लवणता को दूर करने का कार्य करना होगा। महोदय, आप स्वयं एक किसान हैं, इसलिए आपको यह सब पता होगा। उड़ीसा के मुख्य मंत्री और उनकी सरकार स्थिति से दृढ़तापूर्वक निपटने का प्रयास कर रही है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है।

जैसा कि पहले बताया गया है, समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़कें, पुल और पुलिया सभी बह गए हैं। मछली पकड़ने की नौकाएँ पेड़ों की चोटी पर पाई गई हैं। सरकारी जीपें और अन्य वाहन तटीय क्षेत्रों से बहकर आंतरिक क्षेत्रों में पहुँच गए हैं। चक्रवात से मध्य जिले जैसे ढेंकानाल और अंगुल भी प्रभावित हुए हैं जहाँ पर यद्यपि कोई व्यक्ति नहीं मरा है, लगातार वर्षा और बाढ़ के कारण सड़कें, पुलिया और पुल बह गए हैं। अतः यह हमारी दुखद स्थिति है। अत्यधिक वर्षा, चक्रवात और सूखा, ये तीनों प्रतिवर्ष साथ-साथ आते हैं। उड़ीसा के अल्प संसाधन समाप्त हो गए हैं इसलिए उड़ीसा पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जैसा कि आप

आदिवासी विकास खंडों पर दे रहे हैं। इसके लिए एक विशेष उप-योजना बनाई जानी चाहिए। यदि आप संवैधानिक बाधाओं के कारण हमें विशेष दर्जा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम संसद और सरकार उड़ीसा के लिए एक विशेष सहायता कार्यक्रम तो बना ही सकते हैं क्योंकि उड़ीसा भी पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश की तरह ही चिरकाल से सूखे, बाढ़ और चक्रवात से प्रभावित होता रहा है। इसलिए आपकी स्थिति भी हमारे जैसी ही है। इसलिए महोदय, योजना आयोग और सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम बनाया जाना जरूरी है।

ऐसे विनाश से आज न केवल भारत अपितु सारे देश चिन्तित हैं। आज ही एक समाचार छपा है—'प्रोजेक्ट टु स्टडी स्टोर्म सर्ज इन इंडियन ओशन' (हिन्द महासागर में तूफान उमड़ने का अध्ययन करने की परियोजना) और वे इस कार्यक्रम पर 54 मिलियन डालर खर्च करने जा रहे हैं, जहाँ भारत, बंगलादेश, ईरान, मालद्वीप, मारीशस, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे सभी देश चिन्तित हैं क्योंकि वह भी हमारे और बंगलादेश की तरह ही तूफान से पीड़ित हैं। अतः यह एक राष्ट्रीय मामला है। इसे राज्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। हमें राज्य सरकार की सहायता करनी ही चाहिए। अधिकांश राज्य सरकारों के पास धन का अभाव है। वे वेतन या मजदूरी के भुगतान तथा अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार ले रहे हैं। प्रत्येक वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाता रहा है। इसलिए कोई भी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के संसाधनों की बराबरी नहीं कर सकती। जब तक केन्द्र सरकार पर्याप्त सहायता नहीं करेगी, लोग कष्ट झेलते रहेंगे। इस तूफान से हुई हानि उठाने के बाद एक और तूफान आ रहा है। मैं यह नहीं जानता हूँ कि इससे और कौन से जिले प्रभावित होंगे। इस समय नौ जिले इससे प्रभावित हैं और राज्य सरकार के पास इस कठिनाई से पार पाने के लिए संसाधान नहीं हैं।

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगरकुरनूल) : आदरणीय सभापति महोदय, मुझे प्राकृतिक आपदा, जिससे आंध्र-प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य और बिहार के कुछ भाग प्रभावित हुए हैं, पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किए जाने के लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ।

यद्यपि भारत के मौसम विभाग ने देश में एक सामान्य दक्षिण-पश्चिमी मानसून रहने की भविष्यवाणी की थी, किन्तु यह पूरी तरह गलत सिद्ध हुई और आंध्र-प्रदेश राज्य में सूखा पड़ा। विशेष रूप से रायलसीमा और तेलंगाना में फसल बर्बाद हो गई और पशुओं के लिए भी चारा नहीं बचा। इस स्थिति में, जैसे ही राज्य सरकार को मानसून की विफलता का आभास हुआ, हमारे मुख्यमंत्री ने स्थिति की समीक्षा करते हुए सूखे का मुकाबला करने के उपाय करने शुरू कर दिए और भारत सरकार को भी इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन भेजा। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उन जिलों का दौरा किया जो सूखे से प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने आपके नेतृत्व में एक संसदीय दल नियुक्त किया जिसे प्रधानमंत्री से मिलने और उनसे मौके पर स्थिति का आकलन करने हेतु एक केन्द्रीय दल भेजने का आग्रह करने के लिए कहा। जब से हमें इस आपदा का आभास हुआ हमारे मुख्यमंत्री ने सूखे से निपटने के उपाय शुरू कर दिए और केन्द्र सरकार को एक अनुरोध भेजा। किन्तु प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के उपाय शुरू कर दिए थे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। कृषि आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत राजसहायता पर बीज देने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी थी। छोटे क्षेत्रों में चारे के विकास के लिए आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत चारे के बीज की आपूर्ति के लिए 2.41 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए उपलब्ध राशि में ही जे. जे. एस. वाई., ई. ए. एस. पनधारा विकास कार्यक्रम आदि के तहत रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु भी कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, इस महीने की 17 तारीख को, प्रत्येक वर्ष आने वाले एक चिरस्थायी आगंतुक की तरह, उड़ीसा पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक तूफान आया। इससे हमें 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ जिसमें नारियल और अन्य बागानों को क्षति हुई। इलेक्ट्रानिक उपकरण और दूरभाष संचार प्रणाली को नुकसान हुआ। एक रिपोर्ट भेजने के अतिरिक्त, हमने तूफान और सूखा दोनों का मुकाबला करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। हमारे मुख्यमंत्री ने विशाखापत्तनम, विजयानगरम और श्रीकाकुलम के जिलाधीशों को सतर्क कर दिया था और जिले के अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी कह दिया था कि वे लोगों से मिलने के लिए उपलब्ध रहें।

इन परिस्थितियों में, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह हमारी अधिकाधिक सहायता करें क्योंकि हम केन्द्रीय सहायता की प्रतीक्षा किए बिना अनेक उपाय शुरू कर चुके हैं। इन परिस्थितियों में, जिसका मैंने उल्लेख किया है, राज्य सरकार को क्षेत्रवार धनराशि की आवश्यकता है। कृषि के लिए 212 करोड़ रुपये, पेयजल के लिए 302 करोड़ रुपये, रोजगार सृजन के लिए 110.69 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1.22 करोड़ रुपये, विशेष पोषाहार कार्यक्रम के लिए 28 करोड़ रुपये और पशु-पालन क्षेत्र के लिए 65.50 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस राज्य के अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में और अधिक विनाश हुआ है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि राज्य सरकारों के लिए यह कठिन है कि वे आगे आएँ और पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करें क्योंकि राज्यों के वित्तीय संसाधन बहुत ही सीमित हैं। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह अधिक से अधिक सहायता करे, और राज्यों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय आपदा निधि कार्यक्रम बनाए।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : माननीय सभापति महोदय, आज हम प्राकृतिक आपदा पर चर्चा कर रहे हैं।

जो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश में अभी कुछ दिन पूर्व तूफान आया, साइक्लोन आया, इससे ये राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन चार राज्यों में और खास करके मैं बताना चाहूँगा कि उत्तरी बिहार में तो इस ढंग से तूफान आया, वर्षा हुई कि लगी हुई धान की फसल के ऊपर से 2-3 फुट पानी बह रहा था, उससे बिहार में धान की लाखों हैक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। धान ही नहीं केले की भी काफी खेती हमारे यहाँ होती है। केले की खेती में बहुत पूँजी लगती है, मेहनत लगती है। केले की भी लाखों हैक्टेयर फसल हमारे यहाँ बर्बाद हो गई। आलू की खेती के लिए भी अधिकांश किसानों ने बीज तैयार किया था।

[श्री सुकदेव पासवान]

कुछ खेती भी कर चुके थे और कुछ करने वाले थे, उन सबकी आलू की फसल हो गई। हम लोगों का गरीब और शोषित इलाका है। वहाँ खेतिहर मजदूर हैं, जो कमाकर खाने वाले हैं और ज्यादातर कच्चे मकानों में रहते हैं। इस भीषण वर्षा और तूफान से उन लोगों के अधिकांश मकान गिर गए हैं। आम के पेड़, नारियल के पेड़ और अन्य पेड़ जो वहाँ लगे थे, अन्य फसलों के साथ बर्बाद हो गए हैं। इस नुकसान का सही आकलन करने के लिए अभी तक केन्द्र सरकार की तरफ से कोई टीम बिहार में नहीं भेजी गई है, यह दुखद बात है। वहाँ पक्की सड़कें, बाँध, पुल और पुलिया इस भीषण बारिश और तूफान के कारण बर्बाद हो गई हैं। बिजली और टेलीफोन की तो बात ही क्या करें, टेलीफोन कनेक्शन कई सप्ताहों तक कटे हुए हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : बिहार सरकार क्या कर रही है ?

श्री सुकदेव पासवान : आपके प्रधान मंत्री जी उड़ीसा जा सकते हैं, लेकिन बिहार नहीं गए। बिहार के साथ केन्द्र सरकार का हमेशा से सौतेला व्यवहार रहा है, जबकि हम ऐसी उम्मीद नहीं रखते।

अभी हाल ही में हुए लोक सभा के चुनावों में हमने देखा कि धान की खड़ी फसल से दो-तीन फीट ऊपर पानी बह रहा है। हिन्दुस्तान में बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहाँ पिछले लोक सभा चुनावों के समय इस भीषण बारिश और तूफान से चार संसदीय क्षेत्रों का चुनाव स्थगित करना पड़ा था। आज उन चार क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। लेकिन केन्द्र सरकार ने वहाँ की स्थिति का जायजा लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। वहाँ पशुओं के लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण सैकड़ों पशु मर गए हैं। आजादी के बाद से हम लोग लगातार बिहार के बारे में संसद में और बाहर चर्चा करते रहे हैं कि किसानों की फसल का बीमा किया जाए, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। केन्द्र सरकार किसानों के प्रति सिर्फ सहानुभूति रखती है, कोई ठोस कदम नहीं उठाती। देश को आजाद हुए 52 साल हो गए हैं, लेकिन किसान को जो राहत मिलनी चाहिए, केन्द्र सरकार की तरफ से वह नहीं मिल पा रही है। हमारा मत है कि फसल बीमा योजना निश्चित रूप से लागू होनी चाहिए और इसके लिए आवश्यक फंड की व्यवस्था आप करें। जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो तो उन्हें अविलम्ब उसकी क्षतिपूर्ति मिल सके।

उत्तरी बिहार में नदी-नालों, तालाब और पोखरों में कई लोग मछलीपालन का व्यवसाय करते हैं। भारी वर्षा से उन तालाब और पोखरों की मछलियाँ बह गईं। इस कारण मछली का व्यवसाय करने वालों के ऊपर बैंकों और व्यक्तिगत ऋणों का जो भार है, उससे उनकी स्थिति बदतर हो गई है। बैंकों द्वारा जो कृषि ऋण दिया जाता है या मालगुजारी है, प्राकृतिक आपदा के चलते वहाँ के गरीब किसान उसे नहीं दे पा रहे हैं, जबकि वहाँ के अधिकारी इसकी वसूली के लिए मिलिटरी लेकर जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि बिहार के चार राज्यों में जो प्राकृतिक आपदा से लोग परेशान हैं, उनके ऊपर चढ़े ऋणों की वसूली के लिए अविलम्ब रोक लगाई जाए।

किसानों से किसी भी प्रकार के ऋण की वसूली इन चार राज्यों में नहीं होनी चाहिए। इसको माफ किया जाना चाहिए। बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि राहत कोष में से कम-से-कम एक हजार करोड़ रुपए दिया जाए, ताकि बाढ़ और तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का विकास हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने बोलने के लिए जो मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : माननीय सभापति महोदय, मैं आंध्र-प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों को बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान के बारे में भारी दिल से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जब ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारे पास करने के लिए बहुत कम बचता है। हम उसे रोक नहीं सकते हैं। किन्तु नुकसान की मात्रा को अनुभव, व्यवसायपरकता, हिम्मत और उस प्रकार के ऐच्छिक प्रयास, जिसका माननीय सदस्य, जो मेरे से पहले बोले थे--मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ--ने उल्लेख किया है, से कम किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी राजनीति को दूर रखकर पीड़ित गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। जब कभी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसकी मार गरीब लोगों पर पड़ती है और अधिक मार उन लोगों पर पड़ती है जो झोपड़ियों में रहते हैं। इसलिए, हमें इस पहलू को याद रखना होगा और अपनी राजनीति को इससे दूर रखना होगा।

महोदय, जब कभी ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, तो मैंने सदैव यह अनुभव किया है कि कार्यवाही एक परम्परागत तरीके से शुरू होती है। प्रधानमंत्री या कुछ अन्य मंत्रीगण एक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में जाते हैं, हवाई सर्वेक्षण करते हैं, किसी विमानपत्तन पर उतरते हैं, आपदा के स्वरूप के आधार पर संबंधित राज्य को कुछ केंद्रीय सहायता देने की घोषणा करते हैं, वापस आकर नियम 193 के अंतर्गत संसद में उस बारे में चर्चा करते हैं और इस बारे में भूल जाते हैं। यह एक परम्परा बन गई है। प्रश्न यह नहीं है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री ने पर्याप्त राहत उपाय किए हैं या नहीं बल्कि प्रश्न यह है कि भारत सरकार को भी कुछ भूमिका निभानी होगी और किसी को इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी।

महोदय 16, अक्तूबर को उड़ीसा सरकार को पहली चेतावनी मिली और 17 अक्टूबर को दूसरी चेतावनी मिली। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक राज्य में एक योजना तैयार होती है--जैसा कि पूर्व पुलिस अधिकारी ने उल्लेख किया है चूँकि वे प्रशासन के बारे में जानते हैं--कि किस अधिकारी को किस स्थान पर जाना है और जिलाधीश के निर्देशों का पालन करना है आदि। तदनुसार राज्य सरकार ने 25,000 लोगों--यह कोई छोटी संख्या नहीं है--को उस क्षेत्र से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है और काफी क्षेत्र को लोगों से खाली करा दिया गया था। वास्तविकता तो यह है कि विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रभावित स्थानों पर दौरा किया है और पीड़ित लोगों से मिली हैं और उनकी दशा देखकर उन्हें भारी दुःख पहुँचा है। उन्होंने भारत सरकार से इसे अभूतपूर्व राष्ट्रीय आपदा मानने का अनुरोध किया है।

यदि हम प्रभावित लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं को देखें तो हम इस स्थिति को समझ सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी

और से बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने मिट्टी का तेल, मोमबत्तियाँ, पोलीथीन और चावल की आपूर्ति की है। उन्होंने 'खूदा' की आपूर्ति की है। उन्होंने अनेक कार्य किए हैं। राज्य सरकार तो इतना कुछ ही कर सकती है। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें भी बहुत कुछ करना होगा और वे यह कार्य कर भी रहे हैं। यह तो केवल एक पक्ष अर्थात् राहत और बचाव पक्ष है। पूर्व-स्थिति की बहाली के संबंध में क्या होगा? इस संबंध में मुख्यतः केन्द्र और राज्य सरकारों को परस्पर मिलकर कार्यवाही करनी है। कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सत्यनारायण राव, जो सम्भवतः अब तूफान के बाद की स्थिति और अन्य सम्बद्ध कार्यों की देख-रेख कर रहे हैं, वे एक महत्वपूर्ण जिले की जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं। वे जानते हैं कि जब कभी कोई तूफान आता है, तो पूर्वी गोदावरी जिले में लोगों को क्या-क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं। वे स्वयं भी इसके शिकार हुए हैं। श्री सत्यनारायण राव इन सभी बातों को राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। वे इन सब बातों से ऊपर उठकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के लोगों की सहायता करेंगे।

श्री रघुनाथ झा : बिहार के लोगों की सहायता क्यों नहीं करेंगे?

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : हाँ, बिहार के लोगों की भी। खेद है कि मैं इसका उल्लेख करना भूल गया। मैंने आपको नहीं देखा।

अब, मुख्य बात यह है कि श्री सिंह देव ने यह उल्लेख किया था कि जब श्री पी. वी. नरसिंह राव मुख्य मंत्री थे तब भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र नामक एक संस्थान शुरू किया गया था। अब यह अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने हैदराबाद और अन्य स्थानों पर संगोष्ठियाँ की हैं। मैं नहीं समझता कि उन्होंने किसी तूफान प्रभावित क्षेत्र का कभी दौरा किया हो और बंगाल की खाड़ी की तबाही के बारे में कोई अनुसंधान अध्ययन किया हो।

यदि आप विगत सौ वर्षों अर्थात् 1891 से 1990 का इतिहास देखें, तो पाएँगे कि बंगाल की खाड़ी में 383 बार तूफान आया है। 383 में से 220 बार तूफानों ने पृथ्वी पर नुकसान पहुँचाया है। इन 220 बार में से नेल्लौर जिले में 30 बार तूफान आया है। कृष्णा और गुंटूर जिलों में क्रमशः 22 और 15 बार तूफान आया है। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तूफान का इतिहास अत्यंत खराब रहा है। तूफान से बंगाल की खाड़ी में व्यापक तबाही हुई है। सर्वप्रथम तूफान 1737 में आया था, जिससे कलकत्ता को भी हानि पहुँची थी। इसमें 3,00,000 लोग मरे गए थे। इसके बाद, 14 नवम्बर, 1977 को आए तूफान से आंध्र प्रदेश को अत्यधिक हानि पहुँची थी। इसमें दस हजार लोग मारे गए थे। इसमें कुल 22000 करोड़ रुपए की क्षति हुई थी। तभी से, केन्द्र और राज्य सरकारों ने स्थिति से निपटने हेतु इस दिशा में कार्य किया है। हमने 1977 से इन तूफानों से होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक निश्चित कार्य योजना तैयार की है। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री और वर्तमान में प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था उस समय गृह मंत्रालय में वर्तमान राज्य मंत्री, श्री सी. एच. विद्यासागर राव एक कालोनी के निर्माण में एक स्वयं सेवी के रूप में कार्य में लगे हुए थे। तभी से हम एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किए जाने के लिए अनुरोध करते आ रहे हैं। श्री पी. वी. नरसिंह राव द्वारा विकसित शैक्षणिक संस्थान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हुआ। इसी कारण हमारी कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में एक नई मद शामिल की है जिसका पाठ इस प्रकार है :

> "कांग्रेस देश के विभिन्न संवदेनशील क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु कदम उठाएगी। यह राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर विस्तृत रूप में संचालित कार्य योजना होगी जिसमें निरंतर सुधार किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन हेतु एक कानून भी बनाएगी जिसमें विभिन्न एजेन्सियों की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण किया जाएगा और इन्हें आपदा प्रबंधन की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी।
>
> इस कानून में सामान्य और आपदा की स्थितियों के दौरान लागू की जाने वाली अनिवार्य कार्यविधि विनिर्दिष्ट की जाएगी। पर्याप्त शक्तियाँ और संसाधन प्रदान कर एक स्वतंत्र बहु-विषयी राष्ट्रीय आपदा प्रबंध एजेंसी की स्थापना की जाएगी। दीर्घकालिक उपायों, जिनसे आपदाओं का उपशमन होगा, को लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सभी कार्यकलापों के सहायतार्थ 500 करोड़ रुपये की समग्र निधि से एक राष्ट्रीय उपशमन कोष की स्थापना की जाएगी। इस कोष को एक विधायी निगमित निकाय के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा।"

मेरा यही अनुरोध है कि यह मत सोचिए कि यह कांग्रेस का घोषणा-पत्र है। हमने इसे तैयार किया है और मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि इसका अध्ययन कीजिए तथा इसके बारे में कांग्रेस के घोषणा पत्र के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में विचार कीजिए। आखिरकार सत्यनारायण राव गारू भी तो गांधीवादी हैं। अतः वे इसके बारे में विचार कर सकते हैं और इसे इस पहलू पर विचार करने के लिए माननीय मंत्री के पास भेज सकते हैं। इसका केवल यही समाधान है।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। महोदय, यह आपका गृह जिला है और इसी प्रकार 246 मंडल अत्यधिक सूखे की स्थिति से प्रभावित हुए थे। ऐसा नहीं है कि केवल यह सोचकर कि वहाँ पर तो तेदेपा की सरकार है, हमें वहाँ सहायता नहीं करनी चाहिए। हमें वहाँ सहायता करनी चाहिए। भारत सरकार को जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। जैसा कि पहले ठीक ही कहा गया है कि जब कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो उससे निर्धन व्यक्ति ही पीड़ित होता है। ऐसी स्थिति में हमें पार्टी बाजी में नहीं पड़ना चाहिए। हमें मामले का राजनैतिकरण नहीं करना चाहिए। मैंने समाचार पत्रों में यह पढ़ा है कि बीजद के नेता और मंत्री, श्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में राज्य सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : निष्क्रियता वाली बात सही है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : शायद कुछ निष्क्रियता हुई हो। सभी आपदात्मक स्थितियों में आप हरेक से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह सही कार्य करेगा। कुछ कमियाँ तो रह जाती हैं।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : हमने आपकी आलोचना नहीं की है, लेकिन हम सरकार का ध्यान खामियों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आपस में बहस मत कीजिए।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : मेरा यह कहना है कि खामियाँ हो सकती हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इससे राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। हमारे लिए निर्धनों की सहायतार्थ एक जुट होकर काम करने का समय है *(व्यवधान)* श्री वेंकटेस्वरलु मुझे बता रहे थे कि हमने राज्य सरकार की आलोचना की है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक मंत्री ने चावलों का भण्डारण किया हुआ था...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : कांग्रेस आंध्र प्रदेश में सभी राजनैतिक स्थितियों का फायदा उठाने के लिए विख्यात है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब, माननीय वरिष्ठ सदस्य आंध्र प्रदेश सरकार पर दोषारोपण की कोशिश कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : ऐसा वास्तव में अनुचित है। इस स्थिति का राजनैतिकरण नहीं किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* ऐसा करना अनुचित है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : मैंने आंध्र प्रदेश सरकार की कभी आलोचना नहीं की। बल्कि मैंने इसका समर्थन भी किया है। मैंने केवल यही कहा है, 'जब उन्होंने यह उल्लेख किया कि मैंने आलोचना की है। हाँ, हमने उन दिनों की आलोचना की है, जब एक मंत्री के घर में कुछ चावल रखा गया था' ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस समय चर्चा का विषय यह नहीं है।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : इस बात को निस्संदेह गलत सिद्ध कर दिया गया है। ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। यह कांग्रेसियों द्वारा दिया गया राजनीति से प्रेरित वक्तव्य था, जिसे गलत साबित कर दिया गया था ...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : माननीय सदस्य श्री वेंकटेस्वरलु उस समय भारत सरकार में शामिल थे। क्या उन्हें उस विषय के संबंध में मुख्य मंत्री के वक्तव्य की जानकारी है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, कृपया अपनी बात विषयवस्तु तक ही सीमित रखिए।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : मैंने उस वक्तव्य का अनुसरण किया था। एकत्रित किए गए चावल का कहीं भण्डारण करके रखा गया था। इसे बेचा गया था और इससे प्राप्त राशि जमा करा दी गई थी...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : आप दान के लिए दिए गए चावल को बेचकर पैसे कैसे कमा सकते हैं? मैं यही कह रहा था। उन्होंने उस बात की पुष्टि कर दी है, जो मैंने कही है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात को सूखे और तूफान की वर्तमान स्थिति तक ही सीमित रखिए।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, उन्होंने स्वयं यह कहा है कि हमने आपकी आलोचना की थी। जब सरकार ने कोई गलती की थी, तब हमने आपकी आलोचना की थी। लेकिन जब कोई खामी थी, तो हमने... *(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : शायद माननीय सदस्य इसे नहीं सुन पाए। मैंने उड़ीसा के संदर्भ में कहा था...*(व्यवधान)*

मैंने नेता की बात का उल्लेख किया था कि मुख्य मंत्री ने स्थिति पर अपनी पूरी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उन्होंने कहा कि वह राजनीति से ऊपर रहना चाहते हैं लेकिन वह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

मैंने केवल उन्हें यह स्मरण करवाया था कि कांग्रेस पार्टी करगिल मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। मैंने उन्हें स्मरण करवाना चाहा था...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : मैं अपने माननीय मित्र जो ताम्बूल की बेल के बारे में बता रहे थे, को स्मरण कराना चाहता हूँ। चक्रवात के समय ताम्बूल की बेल सदैव प्रभावित होती हैं क्योंकि यह काफी कमजोर होती है इससे हमें भारी क्षति होती है। यह हमारे राज्य में उगायी जाती है। हम ताम्बूल की बेल के लिए मुआवजा देते हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत नुकसान होता है।

आप धान की फसल के लिए खारे पानी की बात कर रहे हैं। धान की फसल अगर एक दिन भी खारे पानी में खड़ी रहे तो भी यह उससे प्रभावित होती है।

उड़ीसा और उन तीन राज्यों के प्रति हमारी सहानुभूति है जहाँ यह विनाशलीला हुई है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और किसी एक तटीय क्षेत्र अथवा देश के किसी अन्य भाग में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान जैसी संस्था स्थापित करनी चाहिए जिसमें सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हों।

जब भी बाढ़ आती है तो हमें गाँव में राशन ले जाने के लिए सड़क मार्ग अथवा किसी अन्य वहनीय साधन के उपलब्ध न होने की स्थिति में विशाखापतनम नौसेना कमान से नौकाएँ उपलब्ध कराने के लिए बोलना पड़ता है। नौकाएँ आती हैं लेकिन तब तक पानी वहाँ पर इकट्ठा नहीं रहता। यदि पानी का स्तर कम भी हो और आप नौकाओं का उपयोग करना चाहते हैं तो भी आपको नौसेना कमान से अनुमति लेनी पड़ेगी। अतः इन सभी बातों को पूरा करने के लिए 1977 में तत्कालीन सरकार ने सभी उपकरण उपलब्ध कराने पर विचार किया था। मेरे मित्र यह बता रहे थे कि उनके लिए सुबह 6.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक सड़क मार्ग से जाना संभव नहीं था। ऐसा हो सकता है। 1979 में आन्ध्र प्रदेश में तीन दिन तक आठ किलोमीटर सड़क मार्ग अवरुद्ध रहा और हमने विद्युत से चलने वाले आरे लाकर सैन्य कर्मियों की मदद से इसे काटा। इन उपकरणों को सुरक्षित रखना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू : यदि आपने आकस्मिक योजना बनाई हुई है, तो आप इसे जारी रख सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : आकस्मिक योजना पहले से ही बनी हुई है। यह कोई नई बात नहीं है। यह योजना 1977 से देश में, विशेष रूप से कुछ तटीय क्षेत्रों के लिए बनी हुई है।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि अधिकतर लोगों को ऐसी समस्याओं का अनुभव नहीं होता। इसलिए जब कभी केन्द्रीय दल भेजने की बात होती है तो हम स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से एक-एक अधिकारी ले लेते हैं और उन्हें वहाँ भेजते हैं। इनमें से अधिकांश अधिकारियों को यह भी पता नहीं होता कि चक्रवात के क्या-क्या प्रभाव होते हैं। इस प्रकार ये अधिकारी वहाँ जाते हैं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यहीं सारी बात समाप्त हो जाती है।

इस तरह की क्षति का जायजा लेने के लिए एक स्थायी तंत्र, स्थायी प्रकोष्ठ होना चाहिए। जब तक हम स्थायी आधार पर कोई कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम देश में विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी से लगे तटीय क्षेत्रों में इन आपदाओं का सामना नहीं कर सकते।

महोदय मैं इस सभा का समय नहीं लेना चाहता। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा (एन. डी. ए.) इन आपदाओं पर ध्यान नहीं देगा तो वे राष्ट्रीय आपदा मोर्चा बनकर रह जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : सभापति महोदय, मुझे इस सदन में दूसरी बार आने का मौका मिला है। उसके पहले मुझे बिहार में विधायक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं जब यहाँ पहुँचा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोक सभा के इस फोरम में किसी विषय पर बात कर उसके महत्व को बढ़ाने का मौका मिलेगा। जब श्री. के. पी. सिंहदेव अपनी बात रख रहे थे और कहा कि उन्होंने इस विषय की ओर सरकार का ध्यान बीस बार आकर्षित किया है, जब वे सरकार में रहे होंगे या जब वे सरकार से बाहर रहे होंगे। उन्होंने अपने संसदीय जीवनकाल में इस विषय को बीस बार उठाया था। मुझे इस विषय को उठाने का पाँचवीं बार मौका मिल रहा है क्योंकि यह बिहार से जुड़ा हुआ विषय है। मैं इस मुद्दे को बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूँ और इसे सदन और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य इस विषय को राज्य-केन्द्र के संबंध जोड़कर अपनी बात रख रहे हैं और मैं बार-बार कहकर किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाना चाह रहा हूँ। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि यह देश पिछले 20 वर्षों से किस प्रकार ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहा है और किस प्रकार हम लोगों ने राजनीति के क्रम में इसे तोड़-मरोड़कर राजनैतिक दृष्टिकोण से इसकी पूरी-पूरी परिभाषा की है। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिन्हें हम प्रीवेंट नहीं कर सकते। जो प्रकृति से प्रभावित होते हैं, उसके लिए आप निरोधात्मक कार्य कर सकते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, साइक्लोन आदि हैं। यदि हम इन विपदाओं को रोकना भी चाहें तो नहीं रोक सकते। सिर्फ इसमें निरोधात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए जब यहाँ चर्चा में उड़ीसा की बात हो रही थी या उसके पहले आन्ध्र प्रदेश में साइक्लोन की बात हो रही थी तो निश्चिततौर पर उसके सामने प्रबंधन का प्रस्ताव आता है। जब इस प्रकार की गतिविधि हो तो इसमें किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए ताकि लोगों को जो पीड़ा सहनी पड़ती है या इसमें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की क्या भूमिका हो जिससे हम सक्रियता से उस परिस्थिति से उबर सकते हों। इसमें दो प्रकार की परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें निश्चिततौर पर निरोधात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

सभापति महोदय, मैं पिछली बार 1996 में जब बाढ़ और अकाल की स्थिति पर इस सदन में चर्चा के लिए खड़ा हुआ, उस समय बोलंगीर और कालाहांडी में अकाल का प्रकोप था और आज जब इस चर्चा को उठा रहे हैं तो साइक्लोन की स्थिति है और दूसरी तरफ बिहार जैसे प्रान्त में बाढ़ का प्रकोप है। यदि आप इन दोनों मुद्दों को जोड़कर देखेंगे तो इन दोनों का विश्लेषण अलग-अलग रूप से किया जाना चाहिए। वस्तुस्थिति यह है कि आज हम साइक्लोन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जिस पीड़ा के साथ अपने क्षेत्र के बारे में श्री साहू जी और श्री पी. के. सिंहदेव कह रहे थे, निश्चित तौर पर वह चिन्ता का विषय है। श्री जनार्दन रेड्डी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको अनुभव भी रहा है। लेकिन मूल प्रश्न यह आता है कि इन दोनों परिस्थितियों में राज्य और केन्द्र सरकारों की क्या भूमिका होगी ? मैं साइक्लोन के विषय में अधिक नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि सदन में इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है लेकिन बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों के बारे में निश्चित तौर पर सदन में चर्चा रखना चाहूँगा। इस देश में सबसे ज्यादा और प्रतिवर्ष नुकसान बाढ़ से होता है। सन् 1950 में, जहाँ इस देश में डेढ़ करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे, वहाँ 1990 से 1999 के बीच में 5 करोड़ से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पिछले 50 सालों में इस देश में बाढ़ से 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

सभापति महोदय, प्रत्येक वर्ष बाढ़ से औसतन 1500 लोग मारे जाते हैं जबकि 1977 में लगभग 11 हजार लोग बाढ़ के प्रकोप के मारे गए थे। मैं किसी पर इस विषय पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन बाढ़ के सिलसिले में इस देश में सरकार द्वारा कुछ प्रमुख निर्णय लिए जाने चाहिए थे। हमारे देश में बाढ़ की सीमा केवल अपने देश में नहीं है, यह देश की सीमा के बाहर भी कुछ देशों से संबंध रखता है। जब हम हिन्दुस्तान में बाढ़ की बात करते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में जो नदियाँ नेपाल से बहकर हमारे यहाँ आती हैं, कुछ नदियाँ बांग्लादेश में जाती हैं या बांग्लादेश या भूटान की सीमा से सटकर गुजरती हैं। जब हम यहाँ बैठकर बात करते हैं तो केन्द्र सरकार को सब तरह से बात करनी चाहिए जब हम लोग बाढ़ के विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो विदेश मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को निश्चिततौर पर यहाँ रहना चाहिए, जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि यहाँ होना चाहिए।

निश्चित रूप से जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधि को यहाँ होना चाहिए और निश्चित रूप से पर्यावरण विभाग से जुड़े मंत्रालय के व्यक्तियों को यहाँ होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंधरपुर) : आपकी सरकार है, हमें क्यों कहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : रामदास जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह एक प्रस्ताव है, यह एक विचार है। मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं यह विषय दूसरे दृष्टिकोण से सदन के सामने रख रहा हूं क्योंकि इन मंत्रालयों का यहाँ होना ज़रूरी है। जब प्राकृतिक विपदाओं की बात करते हैं आप पर्यावरण की बात करते हैं। जब विशेष रूप से बिहार से सटी सीमाओं की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो नेपाल की अर्थ-तंत्र की जो अवस्था है, पिछले 50 वर्षों में उनके अर्थ-तंत्र का विनाश होता रहा है और उसी क्रम में जो वहाँ के पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिस क्रम से वहाँ पहाड़ों पर पेड़ों की कटाई हुई है और उनका अवरोहण होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने के कारण मिट्टी का प्रवाह नदियों में होता है, उससे जिस प्रकार से भारत की नदियों का अवक्रमण हुआ है और नदियों का जल स्तर ऊपर आ गया है, यह मुख्य कारण है जिसके कारण बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भी बरबादी हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैंने अभी बोलना शुरू ही किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : केवल बीस मिनट बचे हैं और अभी कई वक्ता बाकी हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इधर से केवल एक सदस्य ने ही अपने विचार रखे हैं और लगभग दस सदस्य बोलना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जी नहीं, आपकी ओर से एक सदस्य पहले से ही बोल चुका है। आप दूसरे वक्ता हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : जी हाँ, महोदय, इधर से केवल एक सदस्य ने ही अपने विचार रखे हैं। मैं यह देख रहा था कि इधर से एक माननीय सदस्य को दस बार बैठने को कहा गया। अतः कम-से-कम मुझे अपनी बात समाप्त तो करने दीजिए अन्यथा यह एक अनावश्यक चर्चा बनकर रह जाएगी। हर बार कुछ सदस्य बोलने लग जाते हैं और इसके बारे में कोई परवाह ही नहीं करता। अतः यदि ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो मैं अपना स्थान ग्रहण कर लेता हूं लेकिन किसी न किसी को तो इस पर विचार करना ही होगा कि यह सब कैसे हो सकता है। हम विगत पचास वर्षों से इस पर चर्चा करते रहे हैं। हम यहीं हर बार समय ही व्यतीत करते रहे हैं। यदि हम इस पर अब विचार नहीं करेंगे तो इस देश में आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी।

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं इसलिए यह सुझाव दे रहा हूं कि यदि व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा तो ऐसी संभावनाओं में निरंतर वृद्धि होगी। जिन नदियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से गुजरने वाली नदियाँ हों या बिहार के क्षेत्र से गुजरने वाली नदियाँ हों या उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली नदियाँ हों, इन तमाम नदियों की स्थिति यह है कि जिस प्रकार से बालू का प्रवाह इन पहाड़ी क्षेत्रों की नदियों से हो रहा है और जिस प्रकार से रेत नदियों में जमा हो रही है, निश्चित रूप से नैचुरल मैनेजमेंट का जो भी प्रयास करेंगे वह बड़े हद तक विफल होगा। प्रथम सुझाव यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बसने वाले देशों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि या वार्ता के माध्यम से इस मामले को हल करने पर हमें विचार करना चाहिए। दूसरा सुझाव यह है कि राज्यों पर जब इस तरह की विपदाएँ आती हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगा कि किन राज्य सरकारों द्वारा इसे किस प्रकार से हल किया जाता है, लेकिन विश्व में कहीं भी देखा गया है कि अगर कोई प्राकृतिक विपदा किसी राज्य के सामने है तो पूरे देश के संसाधन उस राज्य की तरफ केन्द्रित कर दिए जाएँ। अगर किसी भी राज्य में इस प्रकार की विपत्ति हो तो पूरे देश को उसी क्षण पहुँचकर उस भाग में जाकर मदद पहुँचानी चाहिए। राजनीति से प्रेरित होकर हम देश के किसी भी कोने की रक्षा नहीं कर सकते हैं।

महोदय, मैं जानता हूँ कि आपका हाथ फिर घंटी पर चला गया है, लेकिन मैं अपनी बातों को फिर संक्षिप्त रूप से कहना चाहूँगा कि यह विषय देश के समक्ष प्रत्येक वर्ष आने वाला है। अभी हम सत्र से हटेंगे, इसके बाद मार्च, अप्रैल में सत्र आएगा। मार्च के थोड़ा बाद एक बार फिर अकाल पर विमर्श करेंगे, 193 की बहस होगी, फिर तीन महीने बाद मानसून का महीना आएगा, तो बाढ़ पर चर्चा करेंगे, फिर बीच-बीच में साइक्लोन आता रहेगा। इसलिए हमें तय करना पड़ेगा कि सदन में विमर्श का औचित्य क्या हो और किस प्रकार से बहस का केन्द्रबिन्दु स्थापित किया जाए ताकि आने वाले दिनों में ऐसे मुद्दों का समुचित रूप से निराकरण कर सकें। मुझे अपनी सरकार पर भरोसा है कि इस मुद्दे की तरफ ध्यान देगी। प्रमोद महाजन जी जो जल संसाधन मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस मामले पर पहल करके जल संसधान से जुड़ी हुई, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी हुई जो बहस है उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, यहां जो चर्चा चल रही है वह खासकर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के बारे में चल रही है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हर साल ऐसा होता है। माननीय सदस्यों ने जिस तरह से और जिस स्तर से चर्चा शुरू की है, यह अच्छी बात है। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इस चर्चा से कोई नतीजा निकलना चाहिए। हर साल छः महीने बाद, छः महीने सुखाड़ या अभी अकाल या तूफान की स्थिति पैदा होती है। अभी आंध्र प्रदेश में तूफान आया है। इस बारे में सदन में जो सुझाव आ रहे हैं, उन सुझावों को सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। श्री के.पी. सिंहदेव साहब, जो हमारे बहुत पुराने मित्र रहे हैं, मैं इन्हें 9वीं लोक सभा से जानता हूं। उससे पहले भी उनका बिहार से रिश्ता रहा है, उनके भाषण में उनसे बिहार छूट गया था। ...

(व्यवधान) मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि क्षति की आज जो भी चर्चा हम कर लें। मैं खासकर बिहार के विषय में बताना चाहता हूं, उत्तरी बिहार के लगभग दो दर्जन जिलों में चाहे मधुबनी हो, सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, गोपालगंज हो, सहरसा हो, सुपौल हो, समस्तीपुर हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, भागलपुर हो, कटिहार हो या पूर्णिया हो, इन जिलों में लगातार छः महीने तक हर साल बाढ़ का भीषण प्रकोप रहता है और अभी तो तात्कालिक रूप से वर्षा और अतिवृष्टि ने किस तरह इन्हें प्रभावित किया है। मडोदय, नेपाल का जो वाटर इनक्रोचमेंट का एरिया है, जब तक इसके स्थायी समाधान की दिशा में सरकार विचार नहीं करेगी, भारत सरकार और नेपाल सरकार मिलकर इस पर विचार नहीं करेंगी, इसका समाधान नहीं होगा। इसीलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। पिछली बार बाढ़ से उत्तरी बिहार में लगभग दो करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें खासकर कमला नदी है, जहां शीशापानी नेपाल में एक जगह है, कमला नदी के बाद भूतीवालान है और एक जगह नेपाल क्षेत्र में नूनहार है। उसी तरह कोसी नदी का बराह क्षेत्र है जहां नेपाल से पानी जमा होता है, वही पानी उत्तरी बिहार को प्रभावित करता है और उत्तरी बिहार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल को भी प्रभावित करता है।

सभापति मडोदय, इस बारे में मल्टी परपज हाई लैवल डैम का एक प्रस्ताव आया था और जापान गवर्नमेंट से इस पर एक अध्ययन दल भेजकर इसका मुआयना किया गया था, जिसक लगभग 1250 करोड़ रुपये का एस्टीमेट किया गया था। लेकिन आज तक वह प्रस्ताव झूल रहा है, कोई सकारात्मक पहल उस प्रस्ताव पर नहीं हुई है। इस हाई लैवल डैम से न केवल उत्तरी बिहार की बाढ़ से सुरक्षा होगी, बल्कि उससे लगभग 3300 मेगावाट पनबिजली (हाइड्रो इलैक्ट्रिक) भी पैदा होगी, जो सस्ती दर पर किसानों और लोगों को उपलब्ध हो सकती है। लेकिन आज भी वह प्रस्ताव पैंडिंग है। उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। मैं मांग करूँगा कि केन्द्र सरकार इसे प्राथमिकता से लेकर एक सैंट्रल टीम भेजे और नेपाल तथा भारत सरकार एक वार्ता करके इसे तय करें। क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे न केवल उत्तरी बिहार को फायदा होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी हम पनबिजली दे सकते हैं। हाइड्रो इलैक्ट्रिक का जो उत्पादन होगा, उसमें संभावना बताई गई है कि उससे हम दो-तीन राज्यों को बिजली भी मुहैया करा सकते हैं। नेपाल को भी बिजली चाहिए वहाँ भी फ्लड का प्रॉब्लम है और बिहार में भी फ्लड का प्रॉब्लम है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हाई लैवल डैम जो बनेगा वह शीशा पानी या बराह क्षेत्र नेपाल में बनेगा और उसके बाद इरीगेशन की फैसिलिटी को भी हम चैनलाइज कर सकते हैं। नूनथर, शीशा पानी और बराह यह तीनों क्षेत्र प्रस्तावित हैं, यह मामला बहुत आगे बढ़ा हुआ है। इस मामले को जल संसाधन मंत्री गंभीरता से लें और इस पर एक निश्चित नतीजे पर पहुँचने के लिए कोई रास्ता ढूँढ़ना चाहिए।

सभापति मडोदय, एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस देश में पानी का मैनेजमेंट नहीं होगा, वह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता है। वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत चाहे अंडरग्राउंड वाटर, वर्षा का जल या सतही जल है। रिवर का जल हो, जब तक इन तीनों जलों की एक यूनिट बनाने की कोई योजना नहीं बनेगी, वर्किंग प्लान नहीं बनाया जाएगा तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है। इसलिए देश को उन्नत करने के लिए वॉटर मैनेजमेंट जरूरी है। मेरा मानना है कि जो देश वॉटर मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, निश्चित रूप से वह देश सम्मुनत नहीं हो सकता है। इसलिए इस पर हम खास तौर से ध्यान दिलाना चाहते हैं।

मैं आपका ध्यान गरीब राज्यों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पता नहीं आंध्र का क्या आधार बनाया गया है। पूरे देश में जो गाडगिल फार्मूला है, राज्य के बजट का जो आकार बनता है, या जो योजना हमारे राज्य को मिलती है, उसका आधार राज्य के आन्तरिक संसाधनों पर होना चाहिए। जब तक इंटरनल रिसोर्सेस के आधार पर राज्य का प्लान का आकार आधार बनेगा तब तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्य अफैक्टेड होते रहेंगे। उसका पिछड़ापन, उसकी बैकवर्डनैस दूर नहीं हो सकती। इसलिए एक विशेष पैकेज की जरूरत है। जब तक उस राज्य की गरीबी को आधार नहीं बनाया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। फार्मूले के तहत उस राज्य को प्लान का आकार दिया जाता है तो इससे नैशनल रिसोर्सेस कैसे मोबीलाईज होगा? जो राज्य बाढ़ से अफैक्टेड हैं, जो राज्य तूफान से अफैक्टेड हैं चाहे आंध्र हो, उड़ीसा हो या बिहार हो, अगर वहाँ प्लान का वही आकार रहेगा तो इंटरनल रिसोर्स मोबीलाइजेशन कैसे हो सकेगा। इसके लिए भारत सरकार को अपनी बुनियादी सोच में परिवर्तन करना होगा। इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि जो प्लान का आकार हो, वह उस स्टेट की नीड, पावर्टी और उसकी बैकवर्डनैस को आधार बनाकर ही होना चाहिए तभी हम इस समस्या का कोई परमानेंट हल निकाल सकते हैं।

अभी नेशनल ऐप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के जरिए इस देश के गरीब लोगों का एक सर्वेक्षण हुआ है जिसमें 16 प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन की आय तीन रुपये आंकी गई है। प्रति दिन तीन रुपये पाने वाला व्यक्ति चाहे बाढ़ से प्रभावित हो या साइक्लोन से प्रभावित हो, उसका क्या हश्र होगा?

अपराह्न 4.53 बजे

[उपाध्यक्ष मडोदय *पीठासीन* हुए]

उसकी फूड सिक्योरिटी का क्या हश्र होगा? इसलिए हम इसका जिक्र करना चाहते हैं कि नेशनल ऐप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने सर्वे किया है कि 16 परसेंट लोगों की प्रतिदिन की आय तीन रुपये है और 18 परसेंट लोगों की प्रतिदिन की आय मात्र पाँच रुपये है। जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्य हैं, उनमें जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के भोजन की समस्या भीषण है। उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में जो भुखमरी की स्थिति होती है, वह इस देश के लिए कलंक है।

आज हमारे देश की आजादी को 51 साल से ऊपर हो गए हैं। इतने वर्षों के बाद भी यहाँ के लोगों की पौष्टिक आहार के अभाव में जान चली जाए, तो यह देश के लिए बहुत गंभीर सवाल है। यह समस्या ज्वलंत है जिस पर हम इस सदन में बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। हम यहाँ कई समस्याओं जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर, देश को उन्नत करने पर विचार करते हैं लेकिन सबसे बुनियादी समस्या फूड सिक्योरिटी की है। इस देश में 35 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। उनकी भोजन की समस्या को हम अभी तक हल नहीं कर पाए हैं। जहाँ नैचुरल कैलेमिटी से अफैक्टेड लोग हैं उनकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना है।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

इसलिए हम इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि रोज सिर्फ चर्चा के लिए चर्चा न हो बल्कि किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिए। इसके लिए एक मास्टर प्लान चाहे साइक्लोन की संभावनाओं को देखकर या फ्लड की संभावनाओं को देखकर हो, बनाना चाहिए। इस पर भारत सरकार को कोई सकारात्मक या पौजीटिव स्टैप लेना चाहिए, हम यही माँग रखना चाहते हैं।

श्री महबूब जहेदी (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप फिर से चुनकर आए हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने का मौका दिया। इस शताब्दी के आखिर में बाढ़, तूफान और बर्बादी मिल रही है। इससे चारों राज्यों में करीब पाँच सौ जानें गई हैं, हजारों-लाखों हैक्टेयर जमीन बर्बाद हुई है और चार महीने हो गए हैं लेकिन हालत अभी तक खराब है। आपने मेरा चुनाव क्षेत्र देखा हुआ है। वहाँ चुनाव के समय 18-20 नावों में बूथ बनाए गए थे। 22 से 28 तारीख में करीब 247 एम. एम. बारिश हुई। इतनी बारिश पिछले कई सालों में नहीं हुई थी।

यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन ऐग्रीकल्चर में था। मैं तब भी बोलता था कि डिस्चार्ज ऑफ डैम और डिस्चार्ज ऑफ बैराज के बारे में कुछ किया जाए। इस बार पश्चिम बंगाल में इतनी बारिश हुई, उसी समय साढ़े अठारह लाख क्यूसिक फीट पानी एक साथ छोड़ा गया। पश्चिम बंगाल के 16 में से पूरे 14 जिले डूब गए हैं, 243 ब्लॉक डूब गए हैं और 90 लाख लोग इसके शिकार हुए हैं, बेघर हुए हैं। चार लाख घर बर्बाद हो गए हैं। तीन लाख घर कुछ-कुछ टूटे रह गए हैं। कुल मिलाकर बीस हजार करोड़ रुपये की बर्बादी हुई है। दो बार बाढ़ आई जिसमें एक बीस हजार करोड़ रुपये और दूसरी बार पचीस हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कल की खबर है कि तूफान उड़ीसा, बंगाल होकर भूटान तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यह हमें मालूम नहीं है। जान और माल की जो हानि हुई है, उस पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने 63 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कुछ और मदद भी करने की कोशिश की है। पंचायत द्वारा भी कुछ कोशिश की गई है लेकिन अफसोस है कि अभी तक सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल को एक पैसा भी नहीं मिला है, सिर्फ इन्क्वारी और कमीशन मिला है, जो अभी गया है। वह कब आएगा और कब रुपया देगा, यह पता नहीं है। क्या कभी किसी ने यह सुना था कि कलकत्ता शहर में नाव के द्वारा रिलीफ काम करवाना पड़ेगा ?

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन इस दफा हुआ था। हावड़ा में करवाना पड़ा, 45 म्यूनिसिपैलिटीज में करवाना पड़ा, ऐसे हालात हुए हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार की ओर से अभी तक एक पैसा वहाँ नहीं गया। वहाँ राज्य सरकार की ओर से जो 70 करोड़ रुपया खर्च किया गया, वह खर्च बस वहीं तक है। बाकी हालत अभी तक यह है कि रास्ता, घाट कुछ नहीं है, सब एकदम टूटे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि पंचायत से, किसी दूसरे साधन से, ठीक सूरत में उनको लाने के लिए काम शुरू किया है। मगर सवाल यह है कि हमने कहा था कि कम से कम जो 18 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है, वह भी उसी टाइम में छोड़ा गया है।

हमने स्टैंडिंग कमेटी में कहा था, उसमें नायडू साहब भी थे, वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि पहले इन डैम्स के काम को खत्म करो। दूसरी बात कही थी कि नदियों में बालू का जमाव हो रहा है। सब मर्ज हो रहा है। आज गाँव नीचे जा रहे हैं और नदियाँ ऊपर उठ रही हैं। हमने कहा था कि इनका कोई बन्दोबस्त स्थायी करना चाहिए। हमने यह भी कहा था कि दुर्गापुर बैराज में अगर करीब 35 करोड़ रुपये खर्च करेंगे तो 100 करोड़ रुपये का अनाज हमें ज्यादा मिल जाएगा। मगर कौन सुनने वाला है, न कुछ सुना गया, न कुछ किया गया। दो एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्ट्स यहाँ दी गई थीं, मगर उन रिपोर्ट्स की कोई रिकमेंडेशन स्वीकार नहीं की गई। हमने कहा था, अभी भी बड़ी बात कहते हैं कि भूटान में जितने सीमेण्ट के कारखाने हैं, उनमें जो क्लोमाइट होता है, वह सब आकर नदी में नीचे बालू में जम जाता है।

पश्चिम बंगाल में हर साल बाढ़ आती है और हर साल जिन्दगी उसके नीचे चली जाती है और सब कुछ उसमें खत्म हो जाता है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। अभी मेरे मित्र ने कहा कि नेपाल से, भूटान से इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए कि कैसे इन नदियों की गहराई को बचाया जा सकता है और गहरा किया जा सकता है ताकि पानी निकल जाए। हमारे यहाँ गैंजेस्टिक बैल्ट सबसे बड़ी है। इस गैंजेस्टिक बैल्ट में हर साल दो-चार गाँव गंगा के भीतर चले जाते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, इसकी रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी। मुर्शिदाबाद फरक्का से निकलकर आप बे ऑफ बंगाल तक चले जाइए और देखिए कि गाँव कहाँ-कहाँ नदी के भीतर चले जा रहे हैं। इसके लिए हमने कहा था कि गंगा एक्शन प्लान में ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन अभी तक गंगा एक्शन प्लान में भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया।

हम और ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहते। मेरे पास आँकड़े हैं, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि 10 साल के बजटरी प्रोवीजन इर्रीगेशन के बारे में बढ़ाने चाहिए। उसमें यह प्रोवीजन था कि 3,528 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँ और इसका कोई बन्दोबस्त किया जाए। आपको तमाम बात मालूम होगी, इसमें अभी तक दस साल में करीब-करीब 1,000 करोड़ रुपये खर्चा किया है। तो क्या कर सकते हैं, यह बाढ़ भी कैसे रोक सकते हैं, तूफान भी कैसे रोक सकते हैं। हमारी पश्चिम बंगाल सरकार बहुत कोशिश कर रही है, मगर इसको सैण्ट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। नेशनल डाइवेज़ पश्चिम बंगाल के नहीं हैं, सारी नदियाँ पश्चिम बंगाल में नहीं होंगी। इसमें केन्द्रीय सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री महबूब जहेदी : मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ।

बात यह है कि एग्रीकल्चर में जो डैमेज हुआ है, उसमें कम-से-कम छः लाख हैक्टेयर जमीन बर्बाद हुई। पश्चिम बंगाल में वैजीटेबिल वाली करीब दो लाख हैक्टेयर जमीन बर्बाद हुई है। 115 करोड़ रुपये की वैल्यू की इस दफा बर्बादी हुई है। एनीमल इन्डैंडरी, जिसका मैं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री था, उसमें कुछ काम हुआ है।

13 करोड़ रुपये एनीमल इन्डैंड्री के लिए दिए थे। आज सबसे ज्यादा जरूरत पीने के पानी की है, इसका वहाँ काफी नुकसान हुआ है, करीब 15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आप लोग प्लानिंग की, प्रोग्रामिंग

की बात करते हैं और कहते हैं कि सेंट्रल प्रोग्राम बनाने चाहिए। मेरा कहना है कि जो पहले से प्रोग्राम चले आ रहे हैं, जैसे डी. वी. सी. का शेष कार्य है, उसको जल्दी खत्म किया जाए। इन पर काफी पैसा खर्च हो चुका है, लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। आपको सबसे ज्यादा ध्यान कृषि, प्राणी संपदा विकास और पीने के पानी की तरफ देना चाहिए। इसके अलावा मकानों के लिए पैसा दिया जाए।

पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपनी पूरी ताकत से वहाँ राहत कार्य किए हैं, लेकिन केन्द्र की मदद के बिना यहाँ राहत पूरी सफलता से नहीं किया जा सकता है। हमने 721 करोड़ रुपये की माँग की है, वह हमें मिलने चाहिए। अगर यह राशि नहीं मिलती तो हम वहाँ प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएँगे। इसलिए खाली कमीशन या अध्ययन दल मत भेजिए, रिपोर्ट मत बनाइए, पैसा भेजिए, जिससे वहाँ के लोगों की तकलीफ कम हो सके और उनकी जिन्दगी बचाई जा सके।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश के कुछ तटीय जिलों, पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों विशेषकर जिला मिदनापुर और बिहार के कुछ हिस्सों में आई भारी आपदा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आई बाढ़ के बारे में इस सभा में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ मैं संविधान में वर्णित केन्द्र राज्य संबंध की अवधारणा का निष्ठापूर्वक आदर करता हूँ, वहाँ मैं यह भी मानता हूँ कि जब कभी प्राकृतिक आपदाएँ घटित होती हैं, तो भी हम एक-दूसरे के विरुद्ध राजनीति करने से बाज़ नहीं आते।

हम सभी यह जानते हैं कि उड़ीसा में बी. जे. पी.-बी. जे..पी. के गठबंधन को व्यापक जनादेश प्राप्त हुआ है। हम उन संसद सदस्यों का आदर करते हैं जिन्हें उड़ीसा के लोगों ने इस सम्मानित सभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। हम यह मानते हैं कि लोगों की परेशानियों के राजनीतिक अर्थ नहीं लगाए जाने चाहिए।

महोदय, हमने गत दिवस को इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से प्रधान मंत्री से भेंट की थी। प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार करते हुए हमें बताया कि हमारे पास अमरीका तथा अन्य देशों की तरह चक्रवात की संभावना वाले क्षेत्रों में चक्रवात की अग्रिम चेतावनी देने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यह सच है कि हमारे पास ऐसी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस माह की 16 तारीख को प्रभावित इस क्षेत्र की स्थिति की कल्पना कीजिए। सूर्यास्त होने के बाद 6.00 बजे चेतावनी दी गई और तब तक सभी प्रशासनिक कार्यालय बंद हो चुके थे। अगले दिन ठीक पाँच बजे उस क्षेत्र में चक्रवात आया। इस बीच किसी की तरह 25,000 लोगों को वहाँ से निकाला गया।

मैं किसी का समर्थन अथवा किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो वहाँ पर बाद में घटित घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ।

प्रधानमंत्री ने तबाही होने के बाद राज्य का दौरा किया। उन्होंने अपने दौरे के समापन पर वहाँ एक प्रैस सम्मेलन को संबोधित किया। प्रैस सम्मेलन में उन्होंने जो कुछ कहा, मैं उसके कुछ उद्धरण यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा की जनता को बहुत ही सटीक संदेश दिया। उन्होंने कहा :

> "मैं सभी को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि संकट की ऐसी घड़ी में हम अपने राजनीतिक मतभेदों को भुला देंगे। मैं सभी से यह अनुरोध करता हूँ कि वे दिवंगत परिवारों को सांत्वना देने में और इस बात को मानते हुए कि समाज के सभी वर्ग तथा विभिन्न राजनीतिक विचार धाराओं में आस्था रखने वाले सभी लोग एकजुट हैं, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने वाले लोगों का त्वरित और प्रभावी पुनर्वास देने में मेरा साथ देंगे।"

प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के समापन पर प्रैस सम्मेलन में यह कहा था।

लेकिन विलक्षण बात यह है कि उसी प्रैस मीडिया ने यह समाचार दिया कि जहाँ प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के लोगों को ऐसी प्रशंसनीय बातें कहीं, वहाँ परम्परा यह है कि जब कभी प्रधानमंत्री ऐसी आपदा होने पर किसी राज्य का दौरा करते हैं तो हवाई सर्वेक्षण में मुख्य मंत्री अथवा वित्त मंत्री उनके साथ होते हैं। मुझे याद है कि जब बंगाल में बाढ़ आई थी और राजीव गांधी ने वहाँ का दौरा किया था तो तत्स्थानिक सर्वेक्षण करने के लिए श्री असीम दासगुप्त वित्त मंत्री उनके साथ थे।

इस मामले में उड़ीसा के मुख्य मंत्री जनजाति से संबद्ध रखते हैं। उन्हें अधर में लटका दिया था। हवाई सर्वेक्षण में श्री नवीन पटनायक प्रधानमंत्री के साथ रहे और उनकी उपस्थिति में प्रैस सम्मेलन आयोजित किया गया था।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : ठीक किया।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ठीक किया जैसी बात नहीं है। आप कह सकते हैं, ठीक है। यह आपको अच्छा लग सकता है लेकिन संविधान की मर्यादा के अनुसार ऐसा उचित नहीं है। यदि हम एक ही भाषा में बोलते हैं, तो उससे राजनीति नहीं होगी।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, उड़ीसा के मुख्य मंत्री... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ ... *(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं : उड़ीसा के मुख्य मंत्री प्रैस सम्मेलन के साथ उपस्थित थे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खारवेल स्वाईं, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। वह विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्रधानमंत्री ने हमारे शिष्ट मंडल के दौरे हेतु तत्काल सहमति दी है और यह भी स्वीकारा है कि 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की जानी चाहिए। परन्तु हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि यह 250 करोड़ रुपये की धनराशि मात्र अग्रिम धनराशि है। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक भारत सरकार तथा राज्य सरकार एक साथ मिलकर कार्य नहीं करेंगे इस तरह की आपदा अकेले जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मुकाबला नहीं किया जा सकता है।

उड़ीसा की यह वर्तमान स्थिति है, हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक मुद्दा नहीं है। 17 अक्टूबर के बाद से ट्रक मालिकों की हड़ताल थी। उड़ीसा की अधिकांश सड़कों पर यातायात की आवाजाही पूरी तरह बन्द थी। इसे विश्वभर में टेलीविजन के माध्यम से दिखाया गया था। चक्रवात के कारण समग्र संचार नेटवर्क बन्द थे बल्कि हजारों की तादात में ट्रक सड़कों पर फंसे हुए थे तथा यह ऐसी नाजुक स्थिति थी कि स्वयं प्रधानमंत्री ने भी हमारे सम्मुख यह स्वीकार किया था कि बिना सब लोगों के सहयोग के स्थिति से निबटना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री की बात से सहमत होते हुए, इस सभा में यह कहना चाहता हूं कि जहाँ इस प्रकार की स्थिति है, वहाँ पर खाली दौरा करना अथवा जाँच कराना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ यह कहना आवश्यक है कि इस समस्या को हल्के रूप में न लिया जाए बल्कि कोई दीर्घकालिक समाधान जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाया है कि एक नवीनतम विकसित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय उपस्कर से सुसज्जित विपदा प्रबंधन संस्थान जैसे कि विश्वभर के उपलब्ध हैं, की स्थापना की जानी चाहिए। भारत को भविष्य में इनसे निबटने के लिए अपने आपको तैयार रखना चाहिए क्योंकि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कल इस तरह की घटनाएँ घट सकती हैं।

महोदय, आज दोपहर के भोजनावकाश के पश्चात्, जब मैं सभा में सम्मिलित होने के लिए आ रहा था तो मैंने दूरदर्शन पर देखा कि आज 3 बजे पारादीप से बंगाल की खाड़ी के तट पर पुनः 360 मील प्रति घण्टे की गति से 7 मीटर ऊँची लहरों वाला दूसरा भयानक चक्रवात आ रहा है। इस तरह से यह आपदा इतनी गंभीर है कि वह प्रबंधन प्राधिकारियों चाहे वह केन्द्र के हों या राज्य के, नियंत्रण से परे है। इसलिए हमें इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चितरूप से यह कहता हूं कि एक मुद्दे पर सत्ता पक्ष के कुछ अपने साथियों के साथ मैं सहमत हूं कि ऐसे मामलों में, यदि भारत सरकार यह महसूस करती है कि जो धनराशि, उन्होंने आवंटित की है उसे सही तरीके से उचित समय पर व्यय नहीं किया जाता है, तो राज्यों में एक स्थायी निगरानी एजेन्सी बनाई जाए जो यह देखे कि धनराशि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है उसी प्रयोजन पर व्यय की जाएँ। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक राज्य के लिए ठीक रहेगा। परन्तु हम ऐसे मामलों में संसाधनों के वितरण, प्रबंधन के कार्य में तथा के संदर्भ में केन्द्र राज्य संबंधों को बाधा नहीं पहुँचा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पश्चिम बंगाल के विषय पर आता हूं। श्री महबूब जहेदी इस मुद्दे पर काफी विस्तार से बोले हैं, उन्होंने मिदनापुर के बारे विशेषकर कोन्टई सब डिवीजन जो कि बुरी तरह से प्रभावित हुई है के बारे में बताया है। इसी तरह से मोहनपुर, दिगहा तथा आसपास के गाँवों ने भी उसी तरह की समस्या का सामना किया था जिस तरह की समस्या का सामना उड़ीसा ने किया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये गाँव उड़ीसा के काफी नजदीक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए उड़ीसा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए परन्तु आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के तटीय जिले जोकि समान रूप से प्रभावित हुए हैं, नुकसान की कृपया अवहेलना न करें।

महोदय, मैं पहले दिन सभा में उपस्थित नहीं हो सका तथा बाद में भी सभा में उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि जिस चुनाव क्षेत्र से मैं संबंधित हूं वह बाढ़ तथा चक्रवातों के कारण कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से पिछले एक मार्ग से पूरी तरह कटा हुआ था। यहाँ तक कि आज भी, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से कलकत्ता नहीं पहुँच सका और इसीलिए मुझे सिलीगुड़ी तक आकर हवाई जहाज से आना पड़ा।

एक खंड जिसे इटावा कहते हैं, पिछले एक माह से बुरी हालत में है। चुनाव के दौरान, नाव में मतदान केन्द्र स्थापित किए गए तथा लोग नावों के द्वारा अपना वोट डालने आए। लोगों ने लोकतंत्र के प्रति अपने दृढ़ विश्वास को व्यक्त किया है ताकि संसद एवं सरकार इस संकट को हल करने हेतु उचित कदम उठाएगी। उस समय, प्रत्येक व्यक्ति, राजनैतिक दल, प्रत्याशी एवं सरकार इस बात के प्रति गंभीर थे कि लोग आएँ और अपने मतों का प्रयोग करें परन्तु जैसे ही मतदान कार्य सम्पन्न हुआ बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र से लोगों को लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। यह बड़े ही दुःख की बात है कि चुनाव के पश्चात् उम्मीदवार लोगों को नहीं देखते हैं। यह वास्तव में बड़ी ही दुःखद स्थिति है।

अतः मैं यह अपील करता हूं कि इस मामले को बड़ी गंभीरता के साथ लिया जाए। जिलाधिकारियों का कहना है कि चुनाव के दौरान हमें निर्वाचन आयोग के निर्देशों को मानते हुए मतदाताओं से चुनाव में मत डलवाना होता है लेकिन अब हमें इसकी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जिलाधिकारी ऐसी बातें कह रहे हैं।

अतः महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जोकि आज इस मामले को देख रहे हैं, का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इन चार सुझावों, जो मैं दे रहा हूं, ये उन सुझावों के अतिरिक्त हैं जो मैंने आपदा प्रबंधन संस्थान के बारे में दिए हैं।

मानव जीवन के संबंध में हम सर्वथा, एक मजाक करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की हवाई दुर्घटना में मृत्यु होती है तो आप उसके लिए भारी मुआवजा देते हैं, और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु रेल दुर्घटना में होती है तो आप मुआवजा उसे कुछ और देते हैं। तथा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु चक्रवात अथवा बाढ़ के कारण होती है, तो आप 10,000 रुपये दे रहे हैं यह अनर्थकारी है सरकार को राज्य सरकार से परामर्श करके कोई निर्णय लेना चाहिए तथा यदि जरूरी हो तो नेशनल काउंसिल से बैठक करके, कोई धनराशि राष्ट्रीय आपदाओं अथवा दुर्घटनाओं में जीवन की क्षति हेतु निर्धारित कर दी जानी चाहिए। यह दुखद है कि यदि चक्रवात में किसी मजदूर की मृत्यु होती है तो आप 10,000 रुपये देते हैं और यदि किसी धनी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। मुआवजे की राशि समानरूप में होनी चाहिए।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि योजना आयोग जल संसाधन मंत्रालय तथा राज्य के संबंधित सिंचाई विभाग को तथा उनके अनुसार जो क्षेत्र पिछले 20 वर्षों से बाढ़ग्रस्त, चक्रवात ग्रस्त तथा सूखा ग्रस्त हैं उनके बारे में संसद में लाने के लिए निर्णायक दस्तावेज अथवा श्वेत-पत्र तैयार करना चाहिए कि वे योजनागत आवंटन, प्रौद्योगिकीय विकास, उपस्कर आदि को ध्यान में रखते हुए क्या तंत्र तैयार कर रहे हैं इसके अनुसार आप एक वर्ष के भीतर अपना अध्ययन कर दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और तब संसद से समर्थन देने के लिए कहें। प्रतिरक्षा संसाधनों के लिए जिस तरह का आवंटन आप करते हैं, पूरा सदन, मानव संसाधन प्रबंधन के लिए वैसा ही आवंटन करेगा।

यह मेरे कुछ सुझाव हैं यदि सरकार मंत्रिमंडल में इस पर विचार करती है यह भविष्य के लिए मददगार साबित होगा।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों तथा प. बंगाल के तटीय जिलों में 17 एवं 18 अक्तूबर 1999 को जो भयंकर चक्रवात आया था उसके कारण बहुत अधिक विनाश हुआ है। उड़ीसा में 27 अक्तूबर तक मरने वालों की संख्या 147 तक पहुँच गई है अकेले गंजाम जिले में यह संख्या 139 है। पुरी, खुर्द, गजापति क्योंझर तथा ढेंकानाल जिलों में भी कई मौतें हुई हैं। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा के जगतसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक तथा बलासौर जिलों में भी काफी नुकसान हुआ है। मकानों के ढहने तथा वृक्षों के टूटने से सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चक्रवात से राज्य के तटीय जिलों में दूरसंचार, बिजली, सड़कों तथा रेलवे आदि का समस्त नेटवर्क तबाह हो गया है।

हजारों मछुआरों की नावें गुम हो गई हैं उनमें से कुछ अभी भी बंगाल की खाड़ी तथा चिल्का झील में लापता हैं। उनको अभी तक राज्य सरकार द्वारा खोजा नहीं जा सका है।

बाकी सारे विषयों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूँ। हजारों एकड़ में खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है तथा हजारों नारियल के पेड़ उखड़ गए हैं तथा तटीय जिलों की पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इस दुखद घटना के परिणामस्वरूप 5 लाख से अधिक लोग बुरी हालत में हैं हजारों लोग पहले ही बेघर हो गए हैं, राज्य सरकार द्वारा उनको कोई भी राहत नहीं दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जो भी राहत प्रदान कराई गई है वह बहुत ही खराब हालत में है तथा यह लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा जो राहत प्रदान कराई गई वह लोगों तक चार अथवा पांच दिन बाद पहुँची है।

मैंने स्वयं 21 ता. को अपने निर्वाचन क्षेत्र जो कुछ हद तक इससे प्रभावित हुआ है, से पता किया है वहाँ यह राहत कल यानि 21 तारीख को पहुँची। मैंने पुनः अपने निर्वाचन क्षेत्र से पता किया तो पाया कि केवल 3 कि. ग्रा. चावल प्रति परिवार दिया गया है।

जिन लोगों का घर और संपत्ति इसमें बर्बाद हुआ है और जो अब सड़कों पर हैं उन्हें यही राहत सहायता उपलब्ध कराई गई है। विद्युत पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है तथा आपूर्ति नहीं हो रही है। बेघरों तथा प्रभावित लोगों को किरासीन तेल की भी आपूर्ति नहीं की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा ऐसी राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार स्थिति का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ रही है तथा लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरी है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया राहत कार्य संतोषजनक नहीं था।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे अनुरोध पर हमारे राज्य का दौरा किया था। उन्होंने प्रभावित लोगों के प्रति गंभीर चिंता जाहिर की है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री के आभारी हैं। उन्होंने योजना अग्रिम के रूप में हमें 2,000 करोड़ रुपये तथा आपदा राहत कोष से 50 करोड़ रुपये देने का वायदा भी किया है। राज्य को योजना अग्रिम एक बकाया राशि होती है जिसे बाद में भी दिया जा सकता था किन्तु राज्य वित्तीय संकट से गुजर रहा है और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति में भी नहीं है इसलिए इससे स्थिति को बेहतर बनाने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। राज्य सरकार पूरी तरह से ऋण जाल में फंस गई है। इसलिए, केन्द्र सरकार राज्य को सहायता देने के लिए आगे आई है किन्तु यहाँ सर्वाधिक महत्व का प्रश्न यह है कि प्रभावित लोगों को कैसे राहत उपलब्ध कराई जाए।

केन्द्र सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। यह हमारी माँग है ताकि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से कुछ विशेष राशि अलग से जारी कर सके। अतः हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह प्रभावित लोगों को, जिनकी हालत बहुत ही खराब है, कुछ सहायता उपलब्ध कराये। भारत सरकार से हम इस विशेष सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हैं और यह भी चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार की राजनीति न हो। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कोई मनमानी नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के पीछे कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कुछ राज्य केन्द्र सरकार की मेहरबानी से तथा कुछ, जहाँ स्थिति उतनी गंभीर नहीं होती है, राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने में सफल रहते हैं। लेकिन जब देश के अन्य भाग में भयानक तबाही होती है तो भी वहाँ राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जाता है। अतः राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कतिपय दिशानिर्देश होने चाहिए।

उड़ीसा तथा अन्य भागों में, जो इससे प्रभावित हुए हैं, ऐसी स्थिति है। अतः इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस उद्देश्य के लिए राज्य को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए। धन्यवाद।

*श्री कालवा श्रीनिवासुलु (अनन्तपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में आए भयंकर तूफान तथा प्राकृतिक आपदा के प्रति इस सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूँ। हमें आन्ध्र प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप तटवर्तीय क्षेत्रों में तूफान से आए बाढ़ तथा राज्य के कतिपय अन्य भागों से सूखे की स्थिति जैसी दो अत्यन्त विषम परिस्थिति देखने को मिली है। यह आवश्यक हो गया है कि वहाँ बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू किया जाएँ जो कि करीब एक हजार करोड़ रुपये का है।

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा कोष से प्राप्त 725 करोड़ रुपये की लागत से प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य शुरू किया है। बारह मंडलों की सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। राज्य सरकार

*मूलतः तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री कालवा श्रीनिवासुलु]

ने उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। हमारे राज्य के माननीय मुख्य मंत्री श्री चन्द्र बाबू नायडू ने इस मुद्दे को उठाते हुए माननीय प्रधानमंत्री को इस स्थिति से अवगत कराया है।

अनेक माननीय सदस्य : महोदय, भाषांतरण की व्यवस्था नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीनिवासुलु आप कृपया एक मिनट इंतजार कीजिए। मैं पता करता हूं। क्या उन्होंने लिखित में दिया है?

श्री कालवा श्रीनिवासुलु : मैं अंग्रेजी में बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री कालवा श्रीनिवासुलु : यह मेरा परम कर्तव्य है कि मैं आन्ध्र प्रदेश में निरंतर सूखे की समस्या से सदन को अवगत कराऊँ। रायलसीमा और तेलंगाना दो ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित रहते हैं। सरकारी आँकड़ों के अनुसार भी ये क्षेत्र पाँच वर्षों में से तीन वर्ष सूखे से प्रभावित रहे हैं। विशेषकर अनन्तपुर जिला, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ वह न केवल सूखे से प्रभावित है अपितु उसे रेगिस्तानग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बार-बार और हमेशा सूखे के परिणामस्वरूप वहाँ से हर वर्ग के लोगों विशेषकर भूमिहीन, महिलाओं तथा बच्चों और कमजोर वर्ग के बूढ़े लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारी संख्या में लोगों का शहरों तथा हरे भरे जगहों में पलायन आम हो गया है। सामान्यतः परिवार के हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति, महिलाओं, बच्चे और बूढ़े को वहीं छोड़कर दूसरे जगहों में चले जाते हैं।

वहाँ से व्यक्तियों का अस्थाई रूप से जाने के कारण पारिवारिक संबंध बिगड़ते हैं और परिवार टूटता है जिससे महिलाओं और बच्चों जिनकी आवश्यकताओं और समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है को भूख और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ता है।

शुष्क खेती करने वाले किसानों को अनाज उगाने के लिए प्रतिवर्ष भारी निवेश करना पड़ता है तथा वर्षा की कमी के कारण उन्हें उनका लागत भी वापस नहीं होता है। जब फसल खराब हो जाती है तो एक ओर उनके सामने परिवार और पशुओं को खिलाने की समस्या रहती है तो दूसरी ओर अगली फसल के लिए निवेश जुटाने की। जब सूखे के समय में उन्हें ही भूखमरी का सामना करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में यदि उन्हें पशुओं के लिए चारा खरीदना पड़े तो उनके लिये पशुओं की देखभाल असंभव हो जाती है। अतः पशुओं को निर्वयतापूर्वक बूचड़खानों में बेच दिया जाता है।

सूखे से उत्पन्न एक और महत्वपूर्ण समस्या लोगों तथा पशुओं के लिए पेयजल की उपलब्धता है।

आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना और रायलसीमा क्षेत्र में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण गरीबी, खराब स्वास्थ्य और निरक्षरता आम बात है। इस आर्थिक पिछड़ेपन के अतिरिक्त वहाँ निरन्तर सूखे के फलस्वरूप लोगों की निर्धनता और कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं। सूखा और निर्धनता जैसी दोहरी समस्या रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्र के पिछड़ेपन और अविकास का कारण है।

अतः इस क्षेत्र में सूखा और पिछड़ापन दो समस्याएं पैदा करती हैं जिनमें से एक तात्कालिक समस्या तथा दूसरा दीर्घावधिक है। तात्कालिक समस्या भुखमरी, खराब-स्वास्थ्य, पशुओं का वध पेयजल की कमी, मजदूरों का पलायन आदि हैं। दीर्घावधिक समस्याएँ ऋणग्रस्तता, संपत्तियों को मजदूरी में बेचना, किसानों का शहरों में स्थायी रूप से पलायन, कृषि के प्रति उदासीनता तथा अन्य गैर-सामाजिक गतिविधियाँ जैसे हलबन्दी, गैर-कानूनी धंधा आदि हैं। दोनों समस्याओं का समाधान शीघ्रता से तथा सुनिश्चय से करना होगा।

सर्वप्रथम, मेरा अनुरोध है कि सूखे की प्राकृतिक आपदा के रूप में पहचान की जानी चाहिए। इस पर बाढ़ संबंधी मानदंड अपनाया जाना चाहिए और तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अल्प-कालिक राहत के रूप में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करना, पेयजल उपलब्ध कराना, चारा आपूर्ति करना तथा फसल की बर्बादी हेतु क्षतिपूर्ति जैसे कार्य युद्ध-स्तर पर किए जाने चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इस समस्या का स्थायी तौर पर समाधान के लिए दीर्घावधिक उपाय किए जाना चाहिए। इस समस्या का स्थाई तौर पर समाधान के लिए यह आवश्यक है कि कृष्णा और गोदावरी के अतिरिक्त पानी के रायलसीमा और तेलांगना के सुखाग्रस्त क्षेत्रों में पहुँचाया जाए।

महोदय, वर्तमान सिंचाई तथा अंतःस्रवण टैंकों की मरम्मत एवं इन्हें पुनः चालू किए जाने के कार्य को शीघ्र किया जाना चाहिए। नदियों के किनारे अनेक अधस्तल बाँधों के निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। दूसरी बात अनंतपुर में कृत्रिम वर्षा अनुसंधान केन्द्र के बारे में है। रायलसीमा तथा तेलंगाना क्षेत्र दक्षिणी पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अनंतपुर में कृत्रिम वर्षा अनुसंधान केन्द्र ही स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। इस कार्य को शीघ्र किया जाना चाहिए।

*श्री रनेन बर्मन (बालुरघाट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा आन्ध्र प्रदेश के बारे में नियम 193 के अधीन महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी इसके लिए आपको धन्यवाद। महोदय, मेरे राज्य पश्चिम बंगाल के 13 जिले विनाशकारी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा कुछ और जिले बाढ़ से लगभग डूब गए हैं। बाढ़ के कारण राज्य में कुल 2.5 हजार करोड़ रुपयों के नुकसान होने का अनुमान है। केवल मालदा में ही बाढ़ के कारण 900 करोड़ रुपयों के नुकसान होने का अनुमान है। जहाँ तक कृषि फसल का सवाल है, इसमें शतप्रतिशत नुकसान हुआ है। गंगा नदी में तटों के कटाव के कारण मुर्शिदाबाद तथा मालदा को विनाशकारी तूफान का सामना करना पड़ा है। परिणामस्वरूप अनेक गाँव पूर्णतः बह गए। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बंगलादेश की सीमा के साथ-साथ सड़कों का निर्माण कर दिए जाने के कारण दक्षिण दिनाजपुर हमेशा भयंकर बाढ़ से डूबा रहता है। लेकिन पुल तथा पुलियों की संख्या अपर्याप्त है। पुलों की संख्या पर्याप्त नहीं हैं, परिणामस्वरूप दक्षिण दिनाजपुर में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है। मालदा की भी यही स्थिति है जो बंगलादेश सीमा से काफी नजदीक है।

अतः मेरा पुरजोर अनुरोध है कि सीमा से लगने वाले क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पुलों का निर्माण किया जाए ताकि भयंकर बाढ़ पर अंकुश लगाया जा सके। पश्चिम बंगाल सरकार ने सहायतास्वरूप 721 करोड़ रुपये जारी

*मूलतः बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

करने के लिए कहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यथाशीघ्र उक्त राशि जारी करे। मेरा यह भी अनुरोध है कि सरकार गंगा के तटों को कटाव से रोकने के उपायों के लिए धनराशि स्वीकृत करे। हमारे जिला तथा मेरे चुनाव क्षेत्र बलूरघाट की सड़कें भयंकर बाढ़ के पानी से पूर्णतः डूब गए हैं। सभी जिलों में संचार व्यवस्था बिल्कुल ठप्प है। दरअसल सभी क्षेत्रों में संचार के साधन चरमरा गए है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य जनजीवन पूर्णरूपेण बाधित है। लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह हर वर्ष की बात हो गई है। मैं मालदा से बलूरघाट तक सड़कों को ऊँचा किए जाने का अनुरोध करता हूँ। यदि सड़कें ऊँची होंगी तो वे बाढ़ के पानी में डूबेंगी नहीं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं केवल तीन-चार मिनटों में अपनी बात समाप्त करूँगा। मेरे दल की ओर से कुछ माननीय सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा न होने के कारण पूरे आन्ध्र प्रदेश में तथा विशेषकर रायलसीमा एवं तेलंगान जिलों में सूखे की स्थिति है। इस क्षेत्र में 500 तालुक मंडल हैं। कम वर्षा की श्रेणी वाले आन्ध्र प्रदेश के कुल 1099 जिला ग्रामीण मंडलों में से 47 प्रतिशत मंडल इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं।

राज्य सरकार ने पहले ही 2318 करोड़ रुपये का घाटा होने का आकलन किया है। केन्द्रीय सहायता के रूप में 720.36 करोड़ रुपयों की माँग की गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सरकार को पहले ही एक ज्ञापन सौंपा हुआ है। ज्ञापन प्राप्त होने के बाद एक केन्द्रीय दल ने आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंपी। तूफान ने मेरे चुनाव क्षेत्र श्रीकाकुलम तथा उड़ीसा से लगने वाले तट को भी प्रभावित किया है। तूफान से 237 करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान है। लगभग 10 लाख नारियल के पेड़ जड़ से उखड़ गए और इससे 200 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और सड़कों तथा विद्युत उपकरणों की क्षति 37 करोड़ रुपये तक आँकी गई। केन्द्रीय सरकार के पास दो रिपोर्टें लंबित हैं। अब तक आन्ध्र प्रदेश के लिए एक पैसा भी जारी नहीं किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने उड़ीसा का दौरा किया और तत्काल 200 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता तथा 50 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा की। आन्ध्र प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है। राज्य सरकार आपदा राहत कोष के अन्तर्गत आवंटित राशि से अधिक राशि व्यय कर चुकी है। हाल ही में सूखा पड़ने के कारण विभागों को उपलब्ध कराई गई बजट धनराशि समाप्त हो चुकी है। हम लोगों ने जल संभरण कार्यक्रमों तथा वाटर हारवेस्टिंग स्कीम को बड़े पैमाने पर अपनाया है।

इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि वह प्रभावित राज्यों को तत्काल केन्द्रीय सहायता जारी करे ताकि वहाँ सहायता कार्य तत्काल शुरू किया जा सके। केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष से दी जाने वाली राशि बहुत ही कम है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक जैसे राज्यों को प्रतिवर्ष सूखा, बाढ़ अथवा तूफान का सामना करना पड़ता है। केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष से दी जाने वाली राशि में अवश्य वृद्धि करनी चाहिए क्योंकि 100 अथवा 200 करोड़ रुपये सहायता कार्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि इस राशि को बढ़ा कर 1000 करोड़ रुपये कर देना चाहिए ताकि प्रभावित राज्यों को पर्याप्त राशि दी जा सके। जब तक ऐसा नहीं होगा, केन्द्र सरकार किसी भी राज्य को कोई मदद नहीं कर पाएगा। प्रभावित क्षेत्रों का केवल हवाई सर्वेक्षण कर लिया जाता है। अथवा केन्द्रीय दल प्रभावित राज्य में दौरा कर अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। बिना पर्याप्त राशि के प्रभावित राज्य को मदद पहुँचाना संभव नहीं है। मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष से दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि करे। आन्ध्र प्रदेश में सूखा पड़ा है। गृह तथा कृषि दोनों मंत्रालयों के मंत्री आन्ध्र प्रदेश से हैं। पूरा तेलंगाना क्षेत्र सूखे की चपेट में है और लोग अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इस पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएँ शुरू की हैं लेकिन इसके लिए धनराशि बहुत कम है। अतः केन्द्रीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह आन्ध्र प्रदेश को धनराशि आवंटित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ ताकि राज्य को इस स्थिति से बचाया जा सके।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, हम लोग एक अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हवा के कम दबाव के साथ-साथ समुद्र में ऊँची लहरें भी उठीं। डी. वी. सी. बाँध से पानी छोड़े जाने के कारण मेरे चुनाव क्षेत्र में स्थिति और भी खराब हो गई। 22 दिसम्बर को हवा के कम दबाव के कारण काफी वर्षा हुई और सर्वाधिक ऊँची समुद्री लहरें भी साथ-ही-साथ आईं। दामोदर नदी के ऊँचाई वाले क्षेत्रों पंचेट, तिलैया, माइथेन में बाढ़ रोकने के उद्देश्य से बाँधों का निर्माण किया गया था, लेकिन सभी जलाशयों से पानी छोड़ दिया गया। दो लाख पन्द्रह हजार क्यूसेक से भी अधिक पानी छोड़ दिया गया जिससे मेरे चुनाव क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूब गया। दूसरी ओर कंसावाती जलाशय से पानी छोड़े जाने से मेरे चुनाव क्षेत्र का घाटल इलाका पानी में डूब गया। मेरा चुनाव क्षेत्र इससे सर्वाधिक प्रभावित है। इस विशेष स्थिति के कारण जबकि ऊँची समुद्री लहरों के साथ हवा का कम दबाव बना और जलाशयों से पानी भी छोड़ दिया गया, के परिणामस्वरूप पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा।

गंगा नदी में बाढ़ के कारण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता तक पूरे तटीय क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा तथा पश्चिम दिनाजपुर जैसे सारे जिले बुरी तरह प्रभावित थे। गत वर्ष, हमने 700 करोड़ रुपये की माँग की थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को केवल 60 करोड़ रुपये दिए और वह भी मार्च के अंत में दिए। गत वर्ष राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष से पश्चिम बंगाल सरकार को 30 मार्च को सहायता दी गई थी। उसी प्रकार की आपदा पुनः इस वर्ष भी आई है और इसके साथ-साथ दूसरा खतरा एक बार फिर से वायु के कम दबाव की स्थिति बनने का है जिससे बंगाल तथा उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में विनाश हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्रीय सरकार इस ओर शीघ्र ध्यान दे। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश तथा बिहार जो इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित हुए हैं वहाँ आन्ध्र प्रदेश जहाँ ते. दे. पा. का शासन है और जो केन्द्र सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है, को छोड़कर सभी राज्यों में विपक्षी दलों का शासन है।

महोदय, मैं समझता हूँ कि राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने में कुछ राजनीति है। जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं तो केन्द्र के पास सूचनाएँ होती हैं। उनके पास वर्षा, कम दबाव, उच्च ज्वार, पानी के बहाव

[श्री अनिल बसु]

की जानकारी होती है। फिर वे इन्तजार क्यों कर रहे हैं? इसकी व्यवस्था ऐसी है कि कृषि मंत्रालय का एक केन्द्रीय दल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा, वे स्थिति का जायजा लेंगे और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद प्राकृतिक आपदा राहत कोष से राज्यों को निधि जारी की जाती है। जब इतनी बड़ी मात्रा में आपदा आती है तो निधियों को तुरंत जारी करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केन्द्रीय आरक्षित निधि और राज्य बजट में होने वाली धनराशि खर्च की जा चुकी होती है। उसके अलावा राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की है। केन्द्र से तुरन्त सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार का क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं दिखता।

महोदय, अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बाँधों का निर्माण 1957, 1958 और 1959 में हुआ था। तब से लेकर 40 वर्ष बीत गए हैं। आठ बाँधों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। परन्तु केवल चार ही बाँधों का निर्माण किया गया था। जल भंडारों के माध्यम से केवल 50 प्रतिशत अतिरिक्त पानी को ही नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी। पूरी योजना के दौरान आठ बाँधों का निर्माण किया जाना था परन्तु चार बाँधों का निर्माण किया गया था। पिछले 40 वर्षों के दौरान नदी के जलग्रहण क्षेत्र में जंगलों की भारी कटाई के कारण इन चार बाँधों में भी गाद भर गया है। अब उनमें सारा पानी नहीं रोका जा सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति के कारण बाँधों की क्षमता में लगातार कमी आ रही है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अगर बाढ़ को नियंत्रित करना है तो यह बात ध्यान में रखनी होगी कि देश-भर में विभिन्न क्षेत्र तथा स्थान हैं, जिनकी अनेक विभिन्नताएँ हैं। इसलिए पूरी स्थिति का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए।

वर्ष 1988 में एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था जिसने कुछ सिफारिशें की थी। परन्तु केन्द्र सरकार ने और राज्य सरकार में से किसी ने भी इस रिपोर्ट की ओर ध्यान नहीं दिया। अब 19 वर्ष बीत गए हैं और हम फिर एक अन्य गंभीर आपदा का सामना कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि एक अन्य बाढ़ आयोग का गठन करे ताकि वह पूरी स्थिति का अध्ययन कर सके और इसके लिए किए जाने वाले आवश्यक अपचारात्मक उपायों की सिफारिश कर सके। उन उपायों को इस योजना में शामिल किया जाना है। उन पर योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा चर्चा की जानी चाहिए तथा इस देश में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक योजना बनानी होगी। अन्यथा इस तरह की आपदा को रोका नहीं जा सकता और जनता के दुःख को कम नहीं किया जा सकता।

पश्चिम बंगाल में नुकसान 2,000 करोड़ रुपये का हुआ था और पश्चिम बंगाल को 721 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी। कृषि मंत्रालय का एक केन्द्रीय दल पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों का दौरा कर रहा है। मेरा विचार है कि वे आज दिल्ली वापस आ जाएँगे, फिर भी आप प्राकृतिक आपदा राहत कोष से धन जारी कर दें।

महोदय, मैं श्री के. येरननायडू की बात का पूरा समर्थन करता हूँ कि धनराशि बढ़ाई जानी चाहिए। आप यह कैसे सोच रहे हैं कि पूरे देश की ऐसी स्थिति का सामना केवल 200 करोड़ रुपये से कर सकेंगे? राज्यों को पर्याप्त राशि देनी होगी।

पश्चिम बंगाल के मामले में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को चाहिए कि पश्चिम बंगाल को उनके द्वारा माँगे गए 721 करोड़ रुपये बाढ़ों के लोगों के पुनर्वास और बहाली कार्य के लिए दिए जाने चाहिए। पूरी स्थिति का अध्ययन करने तथा समुचित सिफारिशें करने के लिए एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया जाना चाहिए ताकि इस देश में प्राकृतिक आपदाओं को रोका जा सके।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : श्री महबूब जहेदी ने सभा में कहा था कि कुल 20,000 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। परन्तु श्री अनिल बसु जी कह रहे हैं कि यह क्षति 2,000 करोड़ रुपये की है। मैं नहीं जानता कि क्या सी. पी. एम. के संसद सदस्य वास्तविक क्षति के बारे में जानते हैं या नहीं। क्या 20,000 करोड़ रुपये और 2,000 करोड़ रुपये के बीच कोई अंतर नहीं है?...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : उन्हें सभी आँकड़े जोड़ लेने चाहिए।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम प्राकृतिक आपदाओं और विशेषकर उड़ीसा में चक्रवात से होने वाले अप्रत्याशित नुकसान के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

चक्रवात अप्रत्याशित था। इस प्रकार की घटनाओं का सामना करने के लिए बनी हुई राज्य व्यवस्था इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। मूल रूप से यह देखा गया है कि जब किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार होती है तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी चक्रवात के रूप में उड़ीसा में कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कालाहांडी में सूखा पड़ता है तो उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

आज आप देखेंगे कि 1998 में गुजरात की तुलना में उड़ीसा में होने वाले नुकसान की मात्रा लगभग 400 करोड़ रुपये अधिक की है। गुजरात में यह नुकसान लगभग 600 करोड़ रुपये था परन्तु आज उड़ीसा में होने वाला नुकसान लगभग 1000 करोड़ रुपये है। अगर उड़ीसा जैसे गरीब राज्य को पूरी मदद नहीं मिलती तो गंजाम और तटीय जिलों के लोग इस प्राकृतिक आपदा से नहीं निकल सकते। आप जानते हैं कि गंजाम के लोग मुख्यतः खेती, बागवानी और सब्जी की फसल पर निर्भर करते हैं। उड़ीसा में गंजाम ही पूरे राज्य को सब्जियों की आपूर्ति करता है। इस बार लाखों एकड़ जमीन पर सब्जियों के पौधे लगाए गए थे जो पूरे राज्य और देश के लिए ही थे। परन्तु अब वे पूरी तरह बह गए हैं। इसलिए गंजाम और अन्य तटीय जिलों को कृषि के क्षेत्र में तुरंत सहायता दी जानी चाहिए।

इसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ चल रही सभी विकास परियोजनाएँ भी बर्बाद हो गई हैं। उस क्षेत्र का पूरा वातावरण खराब हो गया है और उसे तुरंत व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है। अब एक अन्य चक्रवात आ रहा है। ऐसे चक्रवात क्यों आ रहे हैं? इसका कारण बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में पर्यावरणीय असंतुलन है जो उस क्षेत्र की पूरी पर्यावरणीय व्यवस्था को नियंत्रित करता है। आज पूर्वी घाट में जंगल बिल्कुल नहीं हैं। सामान्यतः हमें दक्षिण-पश्चिम मानसून मिलता है परंतु इस बार उत्तर-पूर्व मानसून आया जो अचानक आ गया और इसने उड़ीसा के तट को प्रभावित किया तथा कम दाब के कारण चक्रवात आया था। उड़ीसा में भूमंडलीय ताप का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा है। इसे रोका जाना चाहिए।

आप जानते हैं कि सभा में भी प्राकृतिक आपदा निधि के गठन की माँग होती रही है और हमारे वरिष्ठ सदस्य जी प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा है कि प्राकृतिक विनाश और आपदा की समस्याओं की जाँच करने के लिए एक संस्थान का गठन किया जाना चाहिए। यह एक अच्छा कदम होगा। हमें इस संबंध में रचनात्मक सुझाव मिले हैं न कि आलोचनात्मक। केन्द्र सरकार ने कुछ नहीं किया था।

आज प्रधानमंत्री उड़ीसा गए थे। उन्होंने 250 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा की थी वह दी जा रही है। इसे उड़ीसा में जरूर खर्च किया जाएगा। परंतु मुझे बहुत संदेह है कि क्या राज्य सरकार के पास इससे संबंधित मशीनरी है।

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : यह एक अतिरिक्त अग्रिम राशि है न कि कोई अनुदान।

श्री विक्रम केशरी देव : यह चाहे कुछ भी हो। यह राज्य में खर्च किए जाने के लिए राज्य को दिया जाने वाला धन है। इसे उड़ीसा में तथा प्रभावित क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। परंतु मुझे बहुत संदेह है। क्या उड़ीसा सरकार इस दुर्घटना का सामना कर सकेगी? आज श्री गिरधर गमांग की सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। वे प्राइमरी स्कूल टीचरों को वेतन नहीं दे सकते। वे कॉलेजों को वह अनुदान सहायता नहीं दे सकते जिसका उन्होंने आश्वासन दिया था।

आज आप पाएँगे कि गंजाम जिले के अधिकांश ब्लाकों में, जो केवीके जिलों के अंतर्गत आते हैं, कोई ब्लाक अधिकारी नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है और कोई वी. एल. डब्ल्यू. नहीं है। मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र, श्री अनादि साहू जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, मेरी बात से सहमत होंगे।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि चक्रवात से गंभीर रूप से प्रभावित उस क्षेत्र में अतिरिक्त ऋण दिया जाना चाहिए। परन्तु चूँकि नियम 193 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के बारे में चर्चा हो रही है इसलिए मैं कालाहांडी का उल्लेख करना चाहूँगा।

सूखे से उत्पन्न स्थितियों से निबटने के लिए कालाहांडी को विशेष सहायता प्रदान की जानी चाहिए और परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सूखा बहुत ही कड़ा था। इस वर्ष कालाहांडी जिले में बहुत ज्यादा वर्षा हुई है। परन्तु पिछले सात वर्षों में सूखे का प्रभाव इतना ज्यादा हुआ था कि समस्याओं से निबटने और सामान्य स्थितियों के लौटने में और सात वर्षों का समय लगेगा।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन (शिवगंगा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रतिष्ठित संसद में पहली बार भाषण देते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। वस्तुतः मुझे अपने पहले भाषण के विषय के रूप में प्राकृतिक आपदाओं के बजाय कोई और विषय चुनना चाहिए था।

शिवगंगा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है और यहाँ पर चक्रवात भी आते रहते हैं। इस क्षेत्र के नाम में सिर्फ 'गंगा' शब्द जुड़ा है जबकि वहाँ पर कोई 'गंगा' नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सदस्य द्वारा दिए जा रहे प्रथम भाषण में व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन : मैं पिछले चार दिनों से इस प्रतिष्ठित संसद में आ रहा हूँ। सुबह चक्रवात पर चर्चा हो रही थी परन्तु चक्रवात पर चर्चा के बाद एकदम शांति छायी हुई थी। इसलिए, ऐसी शांति में, मैं कुछ सकारात्मक पहलुओं पर बोलना चाहता हूँ, जिन पर विचार किया जाना चाहिए। मुझे याद है कि सत्ता पक्ष में बैठते हुए जवाहर लाल नेहरू भारत के बारे में क्या सपना देखते थे। उन्होंने भारत में कई स्थानों पर बाँधों का निर्माण किया, उद्योगों को स्थापित किया, कई भवनों का निर्माण किया और कृषि का भी विकास किया। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाएँ अत्यधिक सफल रहीं जिसके कारण सूखाग्रस्त क्षेत्रों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। फिर भी, राज्य सरकारों की कतिपय अक्षमताओं के कारण लक्ष्यों को पूरी तरह नहीं प्राप्त किया जा सका। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तब उन्होंने गरीबों के परिवार-वार और समूह-वार उत्थान के लिए गतिशील दृष्टिकोण अपनाया, जिससे कि उनके जीवन स्तर को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके।

लगभग 14 वर्ष पहले श्री राजीव गांधी ने सपना देखा था कि भारत का विकास किस प्रकार किया जाए, वैज्ञानिक रूप से इसे किस प्रकार विकसित किया जाए और वैज्ञानिक ज्ञान के साथ स्थितियों से किस प्रकार निबटा जाए। इसी कारण, उन्होंने कृषि भवन में एक अभिकरण को सृजित किया था जोकि चक्रवात या सूखा या बाढ़ की चेतावनी देने के लिए सीधे जिला मुख्यालय से सम्पर्क करेगी जिससे कि वे प्राकृतिक आपदा से निबटने की तैयारी कर सकें और समुचित कार्रवाई कर सकें। सब कुछ सीधे कृषि भवन द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यह 14 वर्ष पहले किया गया सफल कार्य था। परन्तु उस व्यवस्था का क्या हुआ? उड़ीसा में यह त्रासदी क्यों घटी? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तंत्र समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा था। यह मुख्य बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 50 वर्षों में आधारभूत सुविधाओं, संपत्ति और परिसम्पत्तियों को सृजित किया गया था। परन्तु हम उनकी रक्षा किस प्रकार कर रहे हैं?

हम उनका पुनर्निर्माण किस प्रकार कर रहे हैं? यह प्रश्न इस समय सरकार के सामने है। इसीलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस विषय पर इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाए।

अब, सरकार को यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। सरकार को यह सोचना चाहिए कि पिछले पचास वर्षों में उन्होंने भारत का निर्माण इस प्रकार किया है, उन्होंने भारत का विकास इस प्रकार किया है, उन्होंने बाँधों का निर्माण किया है, कृषि का विकास किया है, और उद्योग का विकास इस प्रकार किया है और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अब सरकार को यह सोचना होगा कि वह किस प्रकार से ऐसा करेगी, इसे और अधिक रचनात्मक ढंग से कैसे करेगी और अधिक व्यवस्थित ढंग से इसे किस प्रकार करेगी और वैज्ञानिक ढंग से इसे किस प्रकार करेगी। उनका ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए न कि किसी प्रकार स्वर्गीय नेता श्री राजीव गांधी पर आरोप पत्र दाखिल करने का प्रयास कर उनकी छवि को धूमिल करने की मंशा होनी चाहिए। इस प्रकार वे इस प्रतिष्ठित संसद में एक राजनीतिक दल के समक्ष भी अनावश्यक समस्याएँ खड़ी कर रहे हैं।

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

महोदय, मैं बाईस वर्ष बाद काफी सपने सँजो कर लाया हूँ। मैं सातवीं लोक सभा में ही संसद सदस्य बनने वाला था परन्तु मैं 13वीं लोक सभा में आ पाया। मेरी आकांक्षा है कि संसद से गरीबों का और अधिक भला होना चाहिए। सभी विद्वान वक्ताओं को सुनने के बाद मुझे एक बात पता चली है। हमारे पास सरकार का तीसरा स्तर भी है। परन्तु उसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा भुला दिया गया है। जब आप जनता के साथ कार्य करते हैं तो आप लोगों को एक दल के रूप में देखिए, जोकि एक प्रादेशिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जहाँ पर वे जाति से मुक्त रहते हैं। जब वे आपदा का सामना करते हैं तब वे जाति बन्धन से मुक्त होते हैं। उनका कोई धर्म नहीं है। ऐसी कोई बात उन पर लागू नहीं होती है। वे बहुत ज्यादा कष्ट उठा रहे हैं। अन्य जानवरों, मछलियों इत्यादि के साथ कई मनुष्य भी कष्टों को उठा रहे हैं। मछुआरे पीड़ित हैं। वस्तुतः सभी कष्ट उठा रहे हैं। मंत्री महोदय, आप उनकी सहायता किस प्रकार कर रहे हैं? आपका बड़ा आयोग अत्यधिक धन व्यय करता है। लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। आप बड़ी मात्रा में धन इस मद पर खर्च कर रहे हैं। कृपया हवाई यात्राएँ बन्द की जाएं। कृपया इस धन लगभग 30 लाख, को गरीबों को दीजिए। वे कम-से-कम दो या तीन दिनों तक भोजन कर पाएँगे। सरकार इस दृष्टिकोण के साथ लोगों के छोटे दल पर विचार नहीं करती है। पंचायतों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार जो भी धनराशि देना चाहती है उसे पंचायतों को दिया जाना चाहिए। यही कामराज योजना है। श्री कामराज ने तमिलनाडु में ऐसा किया था। यदि केन्द्र सरकार 10 करोड़ रुपये देना चाहती है तो इसमें राज्य को 10 करोड़ रुपये और मिलाने चाहिए और इन 20 करोड़ रुपयों को गाँवों में बाँटा जाना चाहिए। पंचायतों को धनराशि मिलेगी। गाँव का विकास होगा। गाँव इसमें सक्रिय रूप से भाग लेगा। गाँव बाढ़ नियंत्रण कार्य करेगा। वे सूखा सहायता कार्य करेंगे। वे बाँधों का निर्माण करेंगे। उनकी अपनी नहरें होंगी और उनके अपने गाँवों में सब कुछ होगा। पहले भी उन्होंने इनकी अपनी संपत्ति के समान रक्षा की है। उन्होंने इसे सामुदायिक परिसम्पत्ति माना है। अब ऐसा सामुदायिक दृष्टिकोण क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? अब क्यों परिसम्पत्तियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि लोग यह सोचने लगे हैं कि ये उनका काम नहीं है, उन्हें कष्ट उठाना पड़ेगा, उन्हें भिक्षा माँगनी पड़ेगी और उन्हें उस राहत कार्य के दौरान ही कुछ मिल पाता है। वे सोचते हैं कि अधिकारी चले जाएँगे, राजनेता चले जाएँगे और मंत्रीगण भी चले जाएँगे। ऐसा उनका दृष्टिकोण है। कृपया इस प्रकार के दृष्टिकोण को बदलिए। कृपया सामान्य गरीब आदमी को धनराशि दीजिए। वे जानते हैं कि समस्या से किस प्रकार से निबटा जाना चाहिए। कृपया यह मत सोचिए कि उन्हें किसी प्रकार की वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। उन्हें वैज्ञानिक जानकारी है। वे जानते हैं कि चक्रवात या बाढ़ या सूखे की स्थिति में समस्या से किस प्रकार निपटना है और समस्या का किस प्रकार सामना करना है।

एक दूसरा पहलू भी है। आजकल हम बीमा कम्पनी विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि निजी बीमा कम्पनियाँ गरीबों को किसी प्रकार की धनराशि नहीं देने वाली है। यदि हम चक्रवात प्रभावित लोगों के लिए माँग कर रहे हों तो उनके लिए भी बीमा सुरक्षा होनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भी बीमा सुरक्षा होनी चाहिए। सूखा प्रभावित लोगों के लिए भी बीमा सुरक्षा होनी चाहिए। फसल बीमा भी होना चाहिए। पशुधन बीमा भी होना चाहिए। परिसम्पतियों का बीमा, गृह बीमा, सेवा बीमा और प्रत्येक चीज का बीमा होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि निजी बीमा कम्पनियाँ ऐसे लोगों की सहायता के लिए आगे आएँगी? वे गारन्टी के रूप में कुछ परिसम्पत्तियों की माँग करेंगे। इसीलिए सरकार को इस बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर लेना चाहिए।

सुबह वित्त मंत्री ने हमें आश्वस्त किया था कि ऐसी बातों का ध्यान रखने के लिए जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम हैं। कृपया इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और आम आदमी और गरीब आदमी के लिए इस प्रकार का बीमा लेकर आइए। ऐसे मामलों में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित कीजिए। पंचायतों को कुछ धनराशि का भुगतान करने दीजिए। व्यक्ति विशेष को कुछ धनराशि का भुगतान करने दीजिए। राज्य सरकार को इससे ज्यादा का भुगतान करने दीजिए। केन्द्र सरकार को इससे भी ज्यादा का भुगतान करने दीजिए। इस प्रकार, गाँवों में कष्ट उठा रहे सामान्य जनों की सुरक्षा कीजिए। उन्हें आश्रम स्थलों की आवश्यकता है। वहाँ पर स्थाई आश्रय स्थल होने चाहिए। तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है। तमिलनाडु में हमारे पास चक्रवात पीड़ित क्षेत्रों के लिए स्थाई संरचनाएँ हैं। हमारे पास सब प्रकार की वस्तुएँ उपलब्ध हैं परन्तु प्रबन्ध कुछ अलग प्रकार का है।

दूसरी बात यह है कि राज्य सरकारें धनराशियों का अन्यत्र प्रयोग कर रही हैं। ऐसा प्रत्येक राज्य में हो रहा है क्योंकि राज्य सरकारों के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। इसीलिए वे धनराशियों का अन्यत्र प्रयोग कर रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को पैसा क्यों दिया जाना चाहिए? उसे पैसे को सीधे पंचायतों को देना चाहिए। श्री राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने पंचायत यूनियन के अध्यक्ष के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट भेजा था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। ये कार्य श्री राजीव गांधी के शासन काल में हुआ था। मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं उस समय अपने गाँव की पंचायत यूनियन का अध्यक्ष था। मैं जानता हूँ लोग कितने खुश थे। सभी गाँव वालों ने मुझे घेर लिया था। हजारों लोग बैठे हुए थे। मैं, उन्हें मुझे भेजा गया ड्राफ्ट दिखा रहा था। जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पंचायत के अध्यक्ष को 20,000 रुपये भेजे थे। लोगों ने खुद सड़क बनाने का निर्णय किया था। केवल आधी मजदूरी लेकर भी उन्होंने कार्य में भाग लिया था।

सायं 6.00 बजे

उन्होंने आधी मजदूरी पर काम किया था और उन्होंने अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए मकानों का निर्माण किया था।

श्री बिजेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : यदि आप यहाँ से एक रुपया भेजते हैं, केवल 10 पैसे ही गाँव पंचायत तक पहुँचते हैं। क्या आप यह बात जानते हैं?

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : ऐसी स्थिति पहले थी और इसी कारण धनराशि सीधे पंचायतों को भेजी गई थी। यदि आप इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्री राजीव गांधी के पाँच साल के शासन काल के दौरान कई साहसिक कदम उठाए गए थे। उन्होंने 21वीं सदी के लिए कई महान् कार्य किए थे। परन्तु आप इन कार्यों को भूल गए हैं और आप उन्हें सूली पर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोग यह गलत कार्य कर रहे

हैं। श्री राजीव गांधी द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए आप उनका नाम तक नहीं लेना चाहते हैं। परन्तु उन्होंने 21वीं सदी की नींव रखी थी जिस पर आज आप खड़े हैं। आपके पास 1984 से 1989 तक श्री राजीव गांधी के शासनकाल के बारे में कहने के अलावा महान् कुछ भी नहीं है। उसी नींव पर भारत आज खड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मुझे आपके भाषण में व्यवधान डालना पड़ रहा है और आपको अपना भाषण समाप्त करने के लिए कहना पड़ रहा है?

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन : ठीक है; मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं परन्तु, आपकी अनुमति से मैं केवल एक निवेदन करूंगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जब सभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो पंचायतों को सीधे धनराशि प्रदान करके पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को भी सम्मान दिया जाना चाहिए।

अन्ततः शिवगंगा जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में, जहाँ से मैं चुनकर आया हूं, मछुआरों के लिए भी किसी प्रकार की बीमा योजना होनी चाहिए क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के समय उन्हें ही बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्रों के समान मानना होगा। मैं अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक राज्य में शिवगंगा जैसे निर्वाचन क्षेत्रों को आदर्श निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में ग्रहण करना होगा और इसे चुनौती मानकर पाँच वर्षों की अवधि में ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का समुचित ढंग से विकास करना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सत्र का अन्तिम दिन है। इसीलिए हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देना है और राष्ट्रपति को धन्यवाद देना है। इसीलिए जैसा कि कार्यमंत्रणा समिति में निर्णय लिया गया था, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा की बैठक के समय को दो घण्टे बढ़ाया जाए और हमें अधिकाधिक वक्ताओं को अवसर देने के लिए 8 बजे तक बैठना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का निर्णय कार्य-मंत्रणा समिति में किया गया था और सभी दलों के नेता भी इससे सहमत थे। अन्यथा हम उस वाद-विवाद को पूरा नहीं कर पाएँगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा अधूरी रह जाएगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 8 बजे तक बैठने वाली बात से सहमत हूं परन्तु उसके बाद बैठने से सहमत नहीं हूं। परन्तु मेरा मानना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबन्धन, समाजवादी पार्टी, वाम दलों और कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य बोलना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कई व्यापक विषयों का उल्लेख किया गया है। कोई भी इस बारे में पहले से नहीं कह सकता कि कल की कार्यसूची का क्या होगा क्योंकि कई विषय उठ सकते हैं। हम निश्चितरूप से 8 बजे तक बैठेंगे परन्तु यदि कल सभा का माहौल इस प्रकार का होता है कि यदि कई और सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना चाहते हों तो सरकार के उत्तर को अगले सत्र तक लम्बित रखने में क्या हर्ज है? ऐसा कल और अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर देने के लिए किया जा सकता है।

महोदय, हमें बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री अस्वस्थ हैं। हम सबकी शुभेच्छा है कि वे शीघ्र स्वस्थ हों और हम उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। इसीलिए यह उचित होगा कि यदि कल सदस्य पूरा दिन भी ले लेते हैं और प्रधानमंत्री स्वस्थ होकर अगले सत्र में वाद-विवाद का उत्तर दें। यदि आवश्यक हुआ तो ऐसा किया जा सकता है। यही मेरा अनुरोध है। यदि हमें कल ही वाद-विवाद को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। किन्तु मैं महसूस करता हूं कि कई सदस्य कल वाद-विवाद में भाग लेना चाहेंगे।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार आपके निर्देश के अध्यधीन यह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है, जोकि संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित करने के लिए धन्यवाद देने के लिए है। यदि हम कल शाम तक धन्यवाद नहीं करते हैं तो प्रस्ताव रद्द हो जाता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं; यह नियमों के अनुसार सही नहीं है। जब तक प्रस्ताव पर वाद-विवाद होता रहे तब तक प्रस्ताव रद्द नहीं होता है। उत्तर दिए जाने तक कार्यवाही चलती रहती है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1994 में उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर हमारे द्वारा चर्चा पूरा करना तो क्या उसे आरंभ करने से पहले ही कई सप्ताह तक कार्यवाही में बाधा डाली थी, इसीलिए पूर्वोदाहरण के रूप में कोई कारण नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : हम कल सभा में बैठेंगे। हम इस पर आज ही चर्चा कर समय क्यों व्यर्थ करें?

श्री मणिशंकर अय्यर : हम कल बैठ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अभी इस पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी।

अब हम सभा के समय को बढ़ाते हैं। क्या सभा समय को आठ बजे तक बढ़ाने के लिए सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब समय बढ़ा दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे। उसके बाद हम धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में भी भयंकर बाढ़ आई थी। विदिशा और होशंगाबाद में बाढ़ के कारण दो बार चुनाव आगे बढ़ाना पड़ा। वहीं नर्मदा नदी से आई बाढ़ के कारणा हजारों मकान डूब गए इसलिए हमें भी अवसर दिया जाए।

श्री रामदास आठवले : हमें भी मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, महाराष्ट्र में न तो बाढ़ आई है और न ही चक्रवात आया है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब भी श्री अमर रायप्रधान लगभग तीन मिनट तक बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : दस मिनट तक।

उपाध्यक्ष महोदय : दस मिनट तक नहीं।

श्री अमर रायप्रधान (कृष्णबिहार) : महोदय, प्राकृतिक आपदा से देश का एक बड़ा हिस्सा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश प्रभावित हुआ है, लगभग 200 लोग मारे गए हैं। कुल क्षति की सूची मेरे पास नहीं है। किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में 2086 करोड़ रुपये के जान माल की क्षति हुई, 5,59000 मकान प्रभावित हुए थे, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। सड़कों की मरम्मत के लिए 321 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, पश्चिम बंगाल सरकार ने 721 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की है।

आपके माध्यम से मैं विशेष रूप से गृह मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वे यहाँ उपस्थित हैं क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 721 करोड़ रुपये की माँग कब की थी? उन्होंने राज्य सरकार को कोई पैसा नहीं दिया है? इसके क्या कारण हैं? क्या वे हमें बता सकते हैं कि क्या उनका इरादा राहत के नाम पर कुछ राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का है? क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रति उनके मन में सौतेली भावनाएँ हैं? मैं इस बारे में स्पष्टतः जानना चाहता हूँ।

इस संबंध में मैं संबंधित मंत्री अर्थात् कृषि मंत्री से कहना चाहता हूँ कि प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, में कृषि ऋण और सहकारी ऋण माफ किए जाने चाहिए।

प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हमने अनेक योजनाएँ बनाई हैं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी कहाँ हैं। वे राज्यों के बारे में बोले हैं। अतीत में भी हमने अनेक योजनाएँ बनाई किन्तु वे लापरवाहीपूर्वक बनाई गई थीं। क्या यहाँ कोई असम का सदस्य है? वे इसे अच्छी तरह जानते हैं। संपूर्ण असम एक ही राज्य था यह सात राज्यों में विभाजित नहीं किया गया था। असम को बचाने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र-गंगा नहर नामक एक योजना थी, इस संबंध में सर्वेक्षण कराया गया। उस समय इस योजना की अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपये थी। किन्तु कुछ नहीं हुआ। उस योजना में यह भी कहा गया था कि यदि आवश्यक हुआ तो ब्रह्मपुत्र को गंगा से और फिर कावेरी से जोड़ा जाएगा। संपूर्ण देश को जोड़ा जाएगा और देश को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।

बिहार के मेरे सहयोगी सदस्यों ने कहा है कि यदि आप उत्तरी बिहार को बचाना चाहते हैं तो आपको नेपाल के साथ बातचीत करनी होगी और यदि आप उत्तरी बंगाल को बचाना चाहते हैं तो आपको भूटान के वार्ता करनी होगी। इस उद्देश्य के लिए साठ के दशक में मानसिंह समिति ने रिपोर्ट दी थी।

मैं जानना चाहता हूँ कि मानसिंह समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ। इसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। उस समय जो भी सरकार थी—स्वाभाविक रूप से कांग्रेस सरकार थी—उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरा कहना है कि समय आ गया है कि हम इस संबंध में कुछ करें। मैं नहीं जानता कि इस संबंध में क्या हो रहा है। किन्तु यह कार्य लापरवाहीपूर्वक नहीं किया जाना चाहिए। आज की मौसम संबंधी जानकारी के अनुसार कल फिर चक्रवाती तूफान आ रहा है। ऐसा हो सकता है। अगले सत्र में इसी विषय पर पुनः वाद-विवाद होगा। हमारे देश की जनता को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए हमें कुछ योजनाएँ और कार्यक्रम बनाने चाहिए। उस उद्देश्य के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। विगत 52 वर्षों में हमने कुछ नहीं किया अब कम-से-कम एक शुरूआत हो।

महोदय, संबंधित माननीय मंत्री से मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि वे इसे एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में न लें। पश्चिम बंगाल या बिहार या उड़ीसा के लोग बाढ़ और तूफानों के कारण काफी कष्ट झेल रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इन राज्यों में तत्काल राहत सामग्री भेंजे। इन शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : महोदय, पाँच मिनट दिए जाएं। दो-दो बार हमारे यहाँ इसी कारण से चुनाव टले कि हमारे यहाँ बाढ़ आ गई। *... (व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, फिर आठ बजे तक सदन का समय बढ़ाने का क्या मतलब है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा सब्जेक्ट है, उस पर चर्चा शुरू होगी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस तलब करके अंतिम आइटम पर बहस हो रही है और अचानक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस करेंगे। माननीय सदस्य सोचें कि अंतिम आइटम पर बहस हो रही है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस नहीं है, तो वे चले गए।

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर इस बहस के खत्म होते ही बहस शुरू करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं वही बात कह रहा हूँ। माननीय सदस्य जान गए कि अंतिम आइटम पर बहस हो रही है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस नहीं है, इसलिए वे घर चले गए। छः बजे अचानक फैसला हो रहा है, तो वे सदस्य वंचित रह जाएँगे। क्या उनको सूचना मिली कि आठ बजे तक सदन का समय बढ़ाकर बहस होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया है। समय बढ़ाने का प्रस्ताव अभी रखा और समय को एक्सटैंड भी किया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : छः बजे के पहले सदन को अवगत हो जाना चाहिए था, तब तो सदस्य प्रतीक्षा करते रहते कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस करनी है, लेकिन वे चले गए। अंतिम आइटम प्राकृतिक आपदा का है और उस पर बहस चल रही है। लोग चले गए, समझे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज बहस नहीं होगी। छः बजे माननीय सदस्य चले गए, अब वे वंचित रह जाएँगे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुबह 11 बजे जानकारी दी। सवेरे उन्होंने एनाउन्स किया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह विषय हम आप कर छोड़ते हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, पाँच मिनट दे दीजिए। बाढ़ पर चर्चा हो रही है, सदस्य सूखे पर विचार रख गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मिनिस्टर महोदय बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए कहा है। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। सभी वर्गों और सभी पार्टियों के कई वक्ता बोल चुके हैं। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे वरिष्ठ सदस्य भी वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय की कमी है। मैंने माननीय मंत्री का नाम पुकारा है। प्रत्येक सदस्य के लिए प्रत्येक विषय पर चर्चा में भाग लेना आवश्यक नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ऐसे क्षेत्र के बारे में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनका और मेरा क्षेत्र मिला जुला क्षेत्र है। वहाँ इतनी भंयकर बाढ़ आई है कि एक-दो बार चुनाव भी टालना पड़ा। कृपा करके इनको आप चार-पाँच मिनट बोलने का समय दे दें तो इनकी बात आ जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमने आठ बजे तक हाउस का टाइम एक्सटेंड किया है। इन्हीं के जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह जी तथा अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं। हमें दूसरी आइटम्स को भी पूरा करना है, इसलिए मैंने मंत्री जी को बुलाया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : आप सब को दो-दो मिनट बोलने दीजिए।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, सब को दो-दो मिनट दे देते हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी और सहायक नदियों पर तीन बाँध हैं–'बर्गी, बारना और तवा।" वहाँ तीनों बाँधों से एक साथ पानी छोड़ दिया गया और तीनों बाँधों से एक साथ पानी छोड़ने के कारण लगातार सात दिन तक सैकड़ों गाँव डूबे रहे और पूरा क्षेत्र लगभग तबाही की स्थिति में पहुँच गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ जो राहत के काम होने थे उनमें मध्य प्रदेश की सरकार ने आपराधिक लापरवाही की है, कहीं राहत के काम नहीं हुए और न ही कहीं पुनर्वास का काम प्रारम्भ हुआ। लाखों हैक्टेयर की फसल नष्ट हो गई। अतिवृष्टि के कारण पूरे क्षेत्र में जहाँ सोयाबीन बच गया, वह फलियों में से ही अंकुरित हो रहा है। ज्वार के भुट्टों में से अंकुर निकल आए। लगभग पूरे क्षेत्र में तबाही मच गई है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस पर केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे। वहाँ एक केन्द्रीय दल भेजे, जो पूरे इलाके का सर्वेक्षण करे और सर्वे करके उस इलाके को राहत तथा मुआवजा दिलाने की पूरी व्यवस्था करे। मेरा एक निवेदन यह भी है कि बाँधों से पानी छोड़ने की एक सुविचारित नीति बननी चाहिए ताकि ऐसी विपत्तियाँ बार-बार न आएँ और जो तीनों जिले होशंगाबाद, रायसेन और सिहोर हैं उनको हमारी नई फसल बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए ताकि कम-से-कम उन इलाकों को इस योजना का लाभ मिल सके। वहाँ पूरे इलाके की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पुल-पुलिया टूट गई हैं, इसके लिए एक विशेष पैकेज बना कर वहाँ राहत और पुनर्वास के काम प्रारम्भ किए जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के चार राज्यों में जो प्राकृतिक आपदा हुई है उससे मुकाबले के लिए और उससे जो पीड़ित लोग हैं उन्हें कैसे राहत पहुँचाई जाए तथा सहूलियत दी जाए, इस पर सदन में बहस चल रही है। रूटीन वर्क में दसवें फाइनेंस कमीशन ने अनुशंसा की, हरेक राज्य को अलग-अलग रिलीफ के लिए फंड का इंतजाम किया। जिसमें मैं बिहार का उदाहरण देता हूँ, उसको 52 करोड़ रुपया दिया गया। इसमें तीन हिस्सा केन्द्र सरकार को देना था और एक हिस्सा राज्य सरकार को देना था। राज्य सरकार में इतना फाइनेंशियल क्राइसेस है कि अपना हिस्सा भी राज्य सरकार नहीं दे पाती और केन्द्र सरकार निश्चिंत हो जाती है, जो तीन हिस्से दसवें फाइनेंस कमीशन के हिसाब से फंड का एलोकेशन हुआ है वह देने से केन्द्र सरकार समझती है कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में जो प्राकृतिक आपदा समुद्री तूफान, बाढ़ या ओले पड़े हैं या भूकम्प आते हैं उससे मुकाबले के लिए राज्य सरकार सक्षम नहीं है। श्री येरननायडू ने जो प्रस्ताव किया है कि जो राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष है, जिसमें सौ करोड़ रुपए नाममात्र का फंड एलोकेशन होता है, वह बढ़ना चाहिए। जिसके कृषि मंत्रीजी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी रोटेशन से उसमें सदस्य हैं। उन्होंने प्रस्ताव किया है कि नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड बढ़ना चाहिए। उसमें अभी जो सौ करोड़ का प्रावधान है उसमें कम-से-कम एक हजार करोड़ रुपये बढ़ना चाहिए, पीड़ित जनता के साथ बड़ मजाक नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जाकर यह ऐलान कर दें कि ढाई सौ करोड़ रुपये की मदद की और उसी राज्य को सेंट्रल असीस्टेंस का एडवांस दे दें, अन्य कोई रिलीफ में मदद नहीं कर पाते, चूँकि बजट में प्रावधान नहीं है। इसलिए नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड में सौ करोड़ रुपये से बढ़ा कर एक हजार करोड़ रुपये करने वाले हैं या नहीं।

मंत्रीजी इस बात का जवाब दें कि वह उस पर विचार करने वाले हैं या नहीं? क्या असत्य आश्वासन ही दिए जाते हैं? ऐसी घोषणाएँ करके मानवता के साथ मजाक होता है। हम इस बात का घोर प्रतिवाद करते हैं। हिन्दुस्तान एक बड़ा परिवार है। यहाँ के लोग प्राकृतिक आपदा से जूझते हैं। बिहार में हर साल बाढ़, सुखाड़ से तबाही होती है। नेपाल की

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

अन्तर्राष्ट्रीय नदियों से तबाही और बरबादी होती है। इससे करोड़ों रुपये की फसल बरबाद होती है, जान-माल की क्षति होती है, सड़कें टूट जाती हैं, जानवर मर जाते हैं। इससे सरकारी धन की बरबादी होती है। इस बरबादी का केन्द्र सरकार को जिम्मा लेना चाहिए। ऐसी तबाही के समय राज्य सरकारों को पर्याप्त सहायता देनी चाहिए।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के भिन्न-भिन्न भागों में चाहे समुद्री तूफान से, बाढ़ से, ओलावृष्टि से या सुखाड़ और अकाल से जो परिस्थिति पैदा हुई है, उस पर बहस हो रही है।

अपराह्न 6.21 बजे

[श्री के. येरननायडू पीठासीन हुए]

यह बात सर्वविदित है कि तूफान से उड़ीसा भयंकर रूप से प्रभावित हुआ है। उसका असर आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार पर भी पड़ा है। हम लोग बिहार प्रदेश से आते हैं। उत्तर बिहार प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आता है। मैं ऐसे मौके पर अपने प्रिय नेता स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करना चाहता हूँ। वह बराबर असेम्बली में कहते थे कि जब तक भारत सरकार की नेपाल से वार्ता नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा, तब तक बिहार का दुःख दूर नहीं होगा। हमारे यहाँ नेपाल की नदियों से बरबादी होती है। इससे हमारी जमीन बरबाद होती है। इनफ्रास्ट्रक्चर जो साल भर में तैयार होता है, वह बरबाद हो जाता है। भारत सरकार को जिस तरह से मदद करनी चाहिए, वह नहीं करती है।

जहाँ तक बिहार का सवाल है, रघुवंश बाबू, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ रिलीफ का पैसा घोटाले में चला आता है। रघुवंश बाबू मेरे मित्र रहे हैं। हम साथ-साथ रहे हैं और आज भी हैं।

...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया बैठे जाइए। श्री झा अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। आपस में तर्क-वितर्क न करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बस करें अन्यथा मैं मंत्री को उत्तर देने के लिए कहूँगा।

...(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इसलिए इस चर्चा से किसी किस्म का राजनीतिक लाभ प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। हर सदस्य को इस बारे में चिन्ता होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल परसों जब सदन में चर्चा हो रही थी तो सदन में गरिमा बनाए रखने के लिए सभी पक्ष के माननीय सदस्यों ने एक बार नहीं दो बार, माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय उपाध्यक्ष महोदय के चुनाव के समय आश्वासन दिया था। हमारी पार्टी के माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा जी को आपके आदेश से बोलने की अनुमति दी गई थी। बीच में बिना आपकी अनुमति के रघुवंश बाबू जो कि पुराने सदस्य हैं, मंत्री भी रहे हैं और पार्टी के नेता भी हैं और उनके लोक सभा में सात मैम्बर हैं, यदि आगे इसी तरह का रवैया अपनाएँगे तो सात से शून्य पर आ जाएँगे। सभी को सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। सदन में सब की भावना का ध्यान रखना चाहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, नियमावली के मुताबिक राज्य सरकार के विषय पर असेम्बली या सदन में बहस होगी। जब चार राज्यों में आई इस प्राकृतिक विपदा पर माननीय सदस्य बहस कर रहे हैं कि कहाँ त्रुटि है, कहाँ मदद हो सकती है और केन्द्र सरकार को क्या करना चाहिए तो समय उस राज्य सरकार पर हमला किया गया और कहा कि घोटाला हो गया। उसके तुरंत बाद हमने कहा कि आप घोटाले के सरदार रहे हैं। चूँकि कितने दिन अलग रहे हुए हैं, मंत्री पद पर ज्यादा दिन रहे हैं..

श्री रघुनाथ झा : आप क्या थे?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, इसलिए मैं आपका नियमन चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकार के विषय पर यहाँ बहस हो सकती है। इसको देख लिया जाए, परम्परा को देख लिया जाए। जब हमने उठकर कहा कि ये लालू के मंत्रिमंडल में ज्यादा दिन रहे हैं तो उसके बाद इन्होंने कैसे शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए हम जानते हैं कि सदन की गरिमा सर्वोपरि है। माननीय सदस्य को संसदीय इतिहास और संसदीय मर्यादा के अधीन रहना चाहिए। यदि उसमें इस तरह से उल्लंघन होगा तो उसमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और देंगे और इसे कोई रोक नहीं सकता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको मौका दूँगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मा नंद मंडल (मुंगरे) : सभापति जी, यदि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को पैसा जाता है जो उस पर बातचीत की जा सकती है, यह नियमावली में है।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : सभापति महोदय, यहाँ असंसदीय शब्दों का बहुत बुरा प्रयोग किया गया है और जो वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी जुबान से हुआ है। मेरी विनती है कि उन शब्दों को निकलवा दिया जाए। चूँकि रघुवंश बाबू ने बहुत बार ऐसे शब्द कहे हैं। यही मेरी विनती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है। मैं उन सभी शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूँगा। श्री रघुनाथ झा, कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : माननीय सभापति महोदय, मैं खत्म कर रहा हूँ। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। मैं सदन का भले पहली बार सदस्य चुनकर आया हूँ लेकिन मेरा सार्वजनिक जीवन 27 वर्षों का रहा है और मैं लगातार 27 साल तक विधायक चुनकर आता रहा हूँ। मैं नौ वर्षों तक मंत्री रहा हूँ और काजल की कोठरी से बेदाग निकला हूँ। आज लालू के दर्जनों मंत्रियों पर सी. बी. आई. की जाँच चल रही है। मैं चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार से जो फंड्स बिहार सरकार को जाते हैं और जिस मद में जाते हैं, उन सबकी जाँच होनी चाहिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि यदि बिहार सरकार ने उन फंड्स का प्रापर यूटिलाइजेशन किया हो तो अपने सांसद पद से इस्तीफा देकर चला जाऊँगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम भी तैयार हैं। जाँच कराइए, कोई माई का लाल भारत सरकार से आकर जाँच करे कि कितना मदद हुआ है, कितना खर्च हुआ है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रघुनाथ झा, कृपया आप अपने भाषण को विषय तक सीमित रखें और अपने सुझाव दीजिए।

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, आज तक बिहार सरकार सारे पैसे का दुरुपयोग करती रही है। हम लोगों की जिस तरह से बरबादी हुई है, रिलीफ के मामले में पैसा नहीं बंटा है। हमारे इलाके में गोपालगंज और सीतामढ़ी में सड़कें टूटी पड़ी हैं। तटबंध कोई नहीं बना है। चारों तरफ लूट हो रही है। इस लूट को खत्म करने के लिए इस सरकार को भारत सरकार ने खत्म करना चाहा लेकिन आप लोगों की कृपा से वह रह गई थी। ऐसी सरकार को फिर से जनता ने रिजैक्ट कर दिया है। मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री जी इस मामले की जाँच कराएं।

[अनुवाद]

श्री जारबेल स्वाइं (बालासोर) : सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा के मुद्दे के बारे में मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्य सचेतक व वरिष्ठ सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी के सूचनार्थ मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के राज्य के दौरे के दौरान उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री गिरधर गमांग उपस्थित थे। प्रेस को साक्षात्कार देते समय भी वे उनके साथ थे। मैं उनके सूचनार्थ यह कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है कि वे जनजातीय हैं इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री के साथ जाने का मौका नहीं दिया गया था। यह सच नहीं है। वे वहाँ उपस्थित थे। हर किसी ने उन्हें टेलीविजन में देखा है।

मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं उड़ीसा में तूफान की समस्याओं के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि उसके बारे में माननीय सदस्य श्री अनादि साहू पहले ही विस्तार से बोल चुके हैं। मैं केवल दो मिनट केवल बाढ़ के बारे में बोलूँगा। उड़ीसा में पाँच विनाशकारी नदियां हैं--महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा और बुढ़बलांग। दुर्भाग्य से सुवर्णरेखा और बुढ़बलांग मेरे निर्वाचन क्षेत्र से होकर बहती हैं। सुवर्णरेखा नदी का तटबंध क्षेत्र लगभग 18900 वर्ग कि. मी. है। चाण्डिल में बाढ़ नियंत्रण जलाशय है जिसका निर्माण कार्य विगत 20 वर्षों से पूरा नहीं हुआ है। भगवान ही जानता है कि बिहार सरकार इसे कब तक पूरा करती है। किन्तु इसके पूरा होने पर भी यह सुवर्णरेखा नदी की बाढ़ की तबाही को कम नहीं करेगा। इसलिए मैं उड़ीसा सरकार और भारत सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि वे भी स्थिति में सुधार के लिए आगे आएँ क्योंकि विगत पचास वर्षों से काम चलाऊ काम किया जा रहा है। अब हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका के कारण राहत कार्य किए जाते हैं। आप विगत पचास वर्षों में लोगों को दी गई कुल राहत राशि पर गौर करें। यदि हम चेक डैम बना सकते उनका निर्माण बाढ़ राहत के लिए दी गई राहत राशि से कम राशि में कर सकते थे। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि भारत की सभी नदियों के लिए एक मॉडल अध्ययन कराएँ और एक मास्टर प्लान बनाएं क्योंकि प्रत्येक राज्य सरकार उस मॉडल प्लान के अनुसार बाढ़ नियंत्रण उपाय करेगी।

इन सुझावों और सूचना के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : महोदय, मैं जबलपुर के बारे में कहना चाहती हूँ। वहाँ नर्मदा नदी पर जो ब्रिज है, उसकी जो देख-रेख होनी चाहिए वह नहीं हो पाती जिसके कारण आजू-बाजू जो लोग रहते हैं, वह हमेशा बेघर-बार हो जाते हैं। इसलिए केन्द्र से जो राशि प्राकृतिक विपदाओं के लिए दी जाती है, वह उनको भी दी जाए, यही मेरा आग्रह है।

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. वी. पी. वी. के. सत्यनारायण राव) : माननीय सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस अल्पावधिक चर्चा में अपनी काफी रुचि ली और विभिन्न राज्यों में आई आपदाओं के संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त की। देश के विभिन्न भागों में इन आपदाओं से प्रभावित लोगों के प्रति मैं भी अपनी चिन्ता व्यक्त करता हूं। चूँकि विभिन्न सदस्यों ने बहुत से संगत मुद्दे उठाए हैं और मेरे विचार में अनेक बातें दोहराई भी गई हैं, मैं सभी सदस्यों को अलग-अलग जवाब नहीं दूँगा लेकिन मैं सदस्यों द्वारा उनके भाषणों में उठाए गए मुद्दों का निश्चित रूप से उत्तर देना चाहूँगा।

[श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव]

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों से निपटने से पहले मैं माननीय सदस्यों तथा इस सभा को देश की घटनाओं की प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति तथा उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में सूचित करना चाहूँगा।

हमारे देश में सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकम्प चट्टानों के खिसकने और हिमधाव जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाएँ आती ही रहती हैं। 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़प्रवण हैं और औसतन 8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। समुद्र तटवर्ती क्षेत्र 5700 कि. मी. लम्बा होने के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होने वाले समुद्री तूफानों से पूरा देश प्रभावित होता है। देश का लगभग 50 से 60 प्रतिशत क्षेत्र विभिन्न तीव्रता वाले भूकम्पों से आरक्षित है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आए भूकम्प यह दर्शाते हैं कि जो क्षेत्र अब तक सुरक्षित समझे जाते थे, वास्तव में सुरक्षित नहीं हैं।

वर्ष 1999 के मानसून के मौसम के दौरान अर्थात् जून से सितम्बर तक देश का 81 प्रतिशत क्षेत्र, जिसमें मौसम विज्ञान संबंधी 35 उप प्रयागों में से 28 उप प्रयाग शामिल हैं और जिसमें देश के 67 प्रतिशत जिले शामिल है, में सामान्य से अधिक वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप वर्ष 1999 लगातार ग्यारहवीं ऐसा वर्ष रहा जिसे सामान्य मानसून वाला वर्ष मान लिया गया। उत्तर प्रदेश के छः पहाड़ी जिलों में गंभीर भूकम्प आए जिसमें चमोली और रुद्रप्रयाग सर्वाधिक प्रभावित हुए। अधिकतर राज्य भारी वर्षा अथवा बाढ़ से प्रभावित हुए जिससे जान-माल की हानि हुई और फसलों, मकानों तथा सार्वजनिक सम्पति को हानि पहुँची। कुछ राज्यों में विभिन्न परिमाणों के सूखे की जानकारी प्राप्त हुई थी। बंगाल की खाड़ी में आए हाल ही के चक्रवात से आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य प्रभावित हुए जिससे उड़ीसा में काफी जान-माल की हानि हुई।

प्राकृतिक आपदाओं के आने पर बचाव, राहत और पुर्नवास संबंधी कार्य करने की मूल जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकार की होती है। भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से केन्द्र सरकार की भूमिका सहायक है और परिवहन, चेतावनी देने और खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने जैसे क्षेत्रों में पूरक भूमिका होती है। आपातकालीन कार्यों के निर्वहन के लिए राहत पुस्तिकाएँ और संहिताएं उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय आकस्मिक कार्य योजना अविलम्ब राहत कार्य करने की व्यवस्था करती है। इस योजना में प्राकृतिक आपदाओं के आने पर विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों अथवा विभागों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया गया है और प्रशासनिक तंत्र में केन्द्र बिन्दु निर्धारित करती है। राज्य सरकारों द्वारा भी इसी तरह की योजनाएँ बनाई जाती हैं। राज्य स्तर पर राज्य राहत आयुक्त राहत कार्यों संबंधी निर्देश देता है और उन्हें नियंत्रित करता है।

प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित राज्यों को राहत व्यय के लिए वित्त प्रदान करने के लिए नीति बनाने तथा प्रबंध कार्य समय-समय पर नियुक्त वित्त आयुक्तों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार किए जाते हैं। वर्ष 1995-2000 की अवधि के लिए लागू वर्तमान योजना दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। 1 अप्रैल, 1995 से लागू योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत तथा पुनर्वास कार्य करने के लिए 3 : 1 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के योगदान से आपदा राहत निधि गठित की गई है। वर्ष 1995-96 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए 6,304.27 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जिसमें केन्द्र का अंशदान 4,728.19 करोड़ रु. और राज्य का अंशदान 1,576.08 करोड़ रुपये है। आपदा राहत निधि के अतिरिक्त गंभीर प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय निधि का सृजन किया गया है। आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय निधि से सहायता दिए जाने के विषय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है। पिछले चार वर्षों के दौरान आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय निधि से राज्यों को 1,264.24 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है।

जैसा कि पहले बताया गया है हाल ही के चक्रवाती तूफान से आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुए हैं जिसमें से उड़ीसा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इन राज्य सरकारों को आने वाले तूफान की सूचना दी गई थी और निचले इलाकों तथा आरक्षित इलाकों में रहने वाले लोगों से वह जगह खाली करवाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और मछुआरों को समुद्र में जोखिम न उठाने देने जैसे निर्देश देने संबंधी उपयुक्त पूर्वोपाय करने का अनुरोध किया था। भारत सरकार उच्चतम स्तर पर इन राज्य सरकारों के साथ संपर्क में रही और स्थिति की निगरानी करती रही।

सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों ने राहत तथा जीर्णोद्धार संबंधी उपायों तथा क्षतिग्रस्त आधारभूत ढाँचे की तत्काल मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। मृतक के निकट संबंधी को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में से 50,000 रु. की एक मुश्त राशि प्रदान की गई है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 24 अक्तूबर, 1999 को प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित जनता के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और राज्य सरकार को आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार इस तबाही के प्रभाव को कम करने के लिए हर आवश्यक और संभव सहायता प्रदान करेगी। मेरे साथी, श्री जुएल उराम और श्री देवेन्द्र प्रधान ने भी स्थिति के मूल्यांकन के लिए 19 अक्तूबर, 1999 को प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था।

वर्ष 1999-2000 के दौरान आपदा राहत कोष से 60 करोड़ रु. बिहार को, 143 करोड़ रु. आन्ध्र प्रदेश को, 56 करोड़ रु. उड़ीसा को और 59 अथवा इससे अधिक पश्चिम बंगाल को आवंटित किए गए। केन्द्र के हिस्से की तीन त्रैमासिक किश्तों में बिहार को 33.80 करोड़ रु., आन्ध्र प्रदेश को 80.77 करोड़ रु., उड़ीसा को 31.88 करोड़ रु. और पश्चिम बंगाल को 33.38 करोड़ रु. की धनराशि पहले से ही जारी कर दी गई है। केन्द्र के हिस्से की चौथी त्रैमासिक अग्रिम राशि आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा को जारी की जा रही है।

हाल ही के चक्रवात को देखते हुए केन्द्रीय सहायता के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा सरकारों से आए अनुरोधों पर विचार किया जा रहा है और तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए जाएँगे।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरे बारे में उल्लेख किया था। एक व्यक्ति के रूप में मैं बाढ़ों तथा चक्रवातों के बारे में जानता हूँ। जब मैं पंचायत बोर्ड का अध्यक्ष था तो मेर जिले में गोदावरी नदी में बारह जगह दरार आई थी और एक तिहाई कृषि भूमि जलप्लावित हो गई थी। वर्ष 1996 में बहुत भारी और अभूतपूर्व चक्रवात आया था। मैंने अनेक चक्रवात देखें लेकिन इस तरह का नहीं देखा था। एक घंटे के लिए एक ही दिशा से हवा आई और फिर आधे घंटे के लिए विपरीत दिशा से हवा आई। सारे पेड़ गिर गए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि आन्ध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने हवा की गति से अधिक तीव्रता से राहत भेजी और हमने प्रत्येक का पुनर्वास किया। राज्य सरकार को इस तरह से कार्य करना चाहिए और केवल तभी राहत प्रदान की जा सकती है।

महोदय, वर्ष 1995-2000 की अवधि के लिए वित्त आयोग ने आपदा राहत के लिए नैकाधिक कोष में 700 करोड़ रु. आवंटित किए हैं। माँग को देखते हुए हमने पहले ही इस धनराशि को बढ़ा दिया है और 1264 करोड़ रु. जारी कर दिए हैं। इस वर्ष भी, विभिन्न राज्यों से आई माँग को देखते हुए और प्राकृतिक आपदा को देखते हुए मेरा विभाग भी इस कोष को और बढ़ाने के लिए सभी कदम उठा रहा है।

महोदय, अब तक बिहार सरकार ने वहाँ हुए नुकसान के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है और इसलिए हम धनराशि जारी नहीं कर सके।

श्री अनिल बसु : महोदय, एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि आपके मंत्रालय में एक भी पैसा नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया माननीय मंत्री जी को अपनी बात समाप्त करने दीजिए और उसके पश्चात् आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

... *(व्यवधान)*

श्री एस. बी. पी. बी के. सत्यनारायण राव : महोदय, जैसे ही बिहार राज्य से हमें रिपोर्ट मिलेगी मंत्रालय धनराशि जारी कर देगा... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब अभी पूरा कहाँ किया है उनके जवाब के पूरा होने के पश्चात् मैं अपको मौका दूंगा, आपको मौका मिलेगा।

... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति जी, 1996 से बिहार सरकार की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अन्य सदस्यों के साथ तर्क-वितर्क मत कीजिए।

श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव : महोदय, जहाँ तक आन्ध्र प्रदेश राज्य का सम्बन्ध है सभापति महोदय आपका निर्वाचन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। फल देने वाले सभी वृक्ष उखड़ गए थे। हमने निदेशक स्तर का अधिकारी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए भेजा है और जैसे ही वह अपनी रिपोर्ट भेजेगा, हम शीघ्र कार्यवाही करेंगे और धनराशि दी जाएगी ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया कुछ समय के लिए इंतजार कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा।

... *(व्यवधान)*

श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव : कई माननीय सदस्यों ने बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए हैं जो क्षति की जाँच करने के लिए उपयोगी और आवश्यक हैं। हम मामले की तह तक जाएंगे। हम अन्य मंत्रालयों के साथ भी परामर्श करेंगे और हम देखेंगे कि भविष्य में ऐसी स्थिति से किस प्रकार निपटा जा सकता है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस संबंध में सभी कदम उठाए जाएंगे। मैं यह भी आश्वासन देना चाहूँगा कि यह सरकार गरीब लोगों के लिए है और हम देखेंगे कि उनके पुर्नवास के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाए।

फसल के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि सभी राज्यों में इस वर्ष की पहली अक्टूबर से सभी फसलों का बीमा किया गया है। यदि उन्हें कोई क्षति हुई है तो किसानों को बीमा कम्पनियों से धन मिलेगा। सभी राज्यों की सारी फसलें इस योजना के अन्तर्गत शामिल की गई हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ. प्र.) : माननीय सभापति जी, अभी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको मौका दूंगा। मैंने अभी किसी को मौका नहीं दिया है।

... *(व्यवधान)*

श्री एस. बी. पी. बी. के सत्यनारायण राव : एक माननीय सदस्य ने बाढ़ आयोग के गठन के बारे में सुझाव दिया है। यह एक अच्छा सुझाव है। हम इस मामले पर भी विचार करेंगे।

कृषि सहायता देने के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि एक अक्तूबर में 'फसल बीमा योजना' आरम्भ हो गई है। हम यह भी महसूस करते हैं कि हम ऋण देकर किस प्रकार उनकी सहायता कर सकते हैं। हम बैंकों के साथ यह मामला उठाएँगे और देखेंगे कि उनके पुर्नवास के लिए और अधिक ऋण दिए जाएं। मैं समझता हूँ कि अब मैंने सभी मुद्दों पर चर्चा कर ली है... *(व्यवधान)*

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूँ चूँकि हम लोगों की मदद करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं।... *(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : बिहार का क्या होगा?

श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव : वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आई है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। .... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव : मुझे अपनी बात समाप्त तो करने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय सभापति जी, अभी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी जो भावनाएँ सदन के समक्ष व्यक्त की हैं, उसमें उन्होंने माना है कि केवल यह देश की सीमा की परिधि के अन्दर ही बाढ़ की समस्या का सवाल नहीं है बल्कि इससे नेपाल और भूटान भी संबंधित हैं। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है। हम आपके माध्यम से सदन से माँग करते हैं कि हिमालय रीज़न से जहाँ से ये नदियाँ निकल रही हैं, उनके उद्गम स्थल से कितना पानी निकलकर आ रहा है, इसका पूरा मूल्यांकन किया जाए, सर्वेक्षण किया जाए। उसके संबंध में एक स्पष्ट नीति तैयार की जाए जिसमें जल संसाधन मंत्रालय, राहत और पुनर्वास मंत्रालय व विदेश मंत्रालय तीनों की एक संयुक्त समिति बने। वह संयुक्त समिति नेपाल, भूटान, भारत और बंगलादेश में बाद से जितने इलाके प्रभावित हो रहे हैं, उन इलाकों का सर्वेक्षण करें और एक ठोस कार्य योजना बनाकर इस पर कार्य प्रारम्भ करें वर्ना यह चर्चा अधूरी ही रहेगी।

यह हम रस्म अदयगी कर रहे हैं कि बाढ़ से, तूफान से इतने लोग प्रभावित हुए, इतनी जान-माल की क्षति हुई, उनको हम इतना पैसा देने की माँग करेंगे। इससे समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं निकलेगा। अभी पूर्व में राजीव प्रताप रूडी जी के विचार आ चुके हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हम मात्र निरोधात्मक कार्यवाही कर सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें ठोस कार्य योजना बनाकर उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। बाढ़ की समस्या का निराकरण किया जा सकता है। माननीय गृह मंत्री बैठे हुए हैं। नेपाल हिन्दू राष्ट्र है, हमारा मित्र राष्ट्र है। नेपाल के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह बाढ़ की समस्याओं से खुद निजात पाएगा। हम उस सीमावर्ती इलाके से ही चुनकर आए हैं। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित मेरा महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि तीनों मंत्रालयों की एक समिति बना दी जाए और इसमें एक संसदीय समिति का भी गठन किया जाए ताकि सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल, भूटान और बंगलादेश जाए और समस्या का स्थाई समाधान निकाले।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस समय आप पूरा भाषण दे रहे हैं। मंत्री जी के उत्तर के पश्चात् आप केवल स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार में बाढ़ से प्रति वर्ष जनजीवन परेशान होता है। बाढ़ के चलते बिहार में चार-चार चुनाव स्थगित हुए हैं और वहाँ आज ही चुनाव हो रहा है। बिहार सरकार प्रतिवेदन नहीं दे रही है। बिहार के मामले में सदन भी अवगत है, सरकार भी अवगत है कि बिहार में जंगल राज है। वैसी स्थिति में हम केन्द्र सरकार से निवेदन करेंगे कि केन्द्र सरकार एक टीम भिजवाकर बिहार की क्षति का मुआयना कराए और जो लोग परेशानी में हैं, उनको राहत दिलाए।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : किसी को ऐसे जंगल राज कहने का अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस तरह से अनियमित बातें होंगी और आप इजाजत देंगे तो सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ेगी। जहाँ तक राज्य सरकार से प्रतिवेदन का सवाल है, 1995-96 की रिपोर्ट मंत्रालय में है या नहीं।...*(व्यवधान)* मैं चुनौती देता हूँ कि 1100 करोड़ रुपये की बर्बादी का प्रतिवेदन भारत सरकार के पास लंबित है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इन्होंने कौन सी मदद की है? ... *(व्यवधान)* मंत्री जी को जानकारी भी नहीं होगी कि किस तरह से रिपोर्ट आती है और किस तरह से कमेटी जाती है।...*(व्यवधान)* बिहार में अभी तक केन्द्र से अफसरों की कमेटी नहीं गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वेंकटेस्वरलु के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री महोदय आपके प्रश्नों का बाद में उत्तर देंगे।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय मैं दो बातों पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मैं आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्य करने की शैली के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी द्वारा व्यक्त की गई उनकी भावना के लिए उनको धन्यवाद करता हूँ। उनका कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रभावित लोगों की समस्याओं को बताने में मुख्यमंत्री जी वहाँ चली तेज हवाओं से अधिक गति से कार्य किया है। उनके द्वारा की गई टिप्पणी के लिए मैं उनका आभारी हूँ। दो बातें हैं जिन पर मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ। पहली यह कि जब आन्ध्र प्रदेश में अभूतपूर्व सूखा पड़ा था सर्वेक्षण किया गया था और भारत सरकार को पूरे तथ्य प्रस्तुत किए गए थे।

सूखे के दौरान 2300 करोड़ रुपये से भी अधिक की कुल क्षति का अनुमान लगाया गया था। केन्द्र सरकार से 720 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता माँगी गई थी तथा और 200 करोड़ रुपये की तात्कालिक सहायता माँगी गई थी।

महोदय, भारत सरकार कुल क्षति का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दल भेजने में काफी उदार रही है। लेकिन रिपोर्ट दे दिए जाने के पश्चात् भी अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया गया है। मैं यह राहत राशि प्रदान न करने के कारणों के बारे में जानना चाहता हूँ। आन्ध्र प्रदेश में 60 दिनों के अभूतपूर्व सूखे के साथ वहाँ बाढ़ भी आई थी। यद्यपि यह उतनी प्रचंड नहीं थी जितनी उड़ीसा में थी। सभापति महोदय, आपके अपने जिले श्रीकाकुलम में भी क्षति हुई थी। नारियल के पेड़ों और संचार व्यवस्था को हुई क्षति के साथ-साथ सड़कें भी टूट गईं। इस प्रकार 200 करोड़ रुपये से अधिक की कुल हानि आंकी गई और आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 40 करोड़ रुपये की राहत राशि की माँग की गई थी।

महोदय, जब अन्य राज्यों को सामान्य राहत प्रदान की जाती है—मैं नारियल के पेड़ों की क्षति के लिए राहत देने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे यह भी पता है कि नारियल बोर्ड इसकी जाँच करेगा—कम से कम कुछ सामान्य राहत तो हमें प्रदान की जा सकती थी। अतः हमें सूखे और चक्रवात दोनों के लिए राहत राशि प्रदान नहीं की गई है। मैं अपने राज्य को राहत राशि न दिए जाने के कारण जानने के लिए स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

दूसरी बात महोदय, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि पहली अक्तूबर से सभी राज्यों में सभी फसलों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाया गया है। महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्षति का आंकलन करते हुए गाँव को इकाई के रूप में लिया जा रहा है अथवा यह एक मंडल है जिसे इकाई के रूप में लिया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से इसी बात पर विवाद रहा है।

सर्वमान्य राय यह है कि क्षति का हिसाब लगाते समय गाँव को एक यूनिट माना जाना चाहिए। जिस योजना का उल्लेख माननीय मंत्री महोदय कर रहे हैं, उसके अन्तर्गत मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गाँव को एक यूनिट माना जा रहा है। अथवा मंडल को एक यूनिट के रूप में माना जा रहा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं दो मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूँ। चर्चा का जवाब देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने कहा चूँकि उन्हें बिहार राज्य से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए वह इस समय जवाब नहीं दे सकते हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि राज्य सरकारों की रिपोर्टों के आधार पर अभी तक कोई सरकार कार्य नहीं कर रही थी।

सबसे पहले, माननीय प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 25 अक्तूबर को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन के बाद एक रिपोर्ट भी भेजी गई थी जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि भारत सरकार अग्रिम राशि के रूप में ऋण सहायता देना चाहती है जो कि वास्तव में सहायता तथा राहत नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अन्तरिम रिपोर्ट पर विचार करते हुए क्या माननीय मंत्री सहायता के रूप में और राहत प्रदान करने पर विचार करेंगे?

दूसरा, मैंने माननीय मंत्री महोदय को एक सुझाव भी दिया था। मुझे खुशी है कि वह अपने विभाग को संभाल रहे हैं जिससे कि वह जाने जाते हैं। राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवन में वे अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं उनके अनुभव का बहुत सम्मान करता हूँ। अब हम नई सहस्राब्दि की ओर बढ़ रहे हैं। इस समय तक उनके विभाग को यह सूचना मिल गई होगी कि भारत के तटीय क्षेत्र में कौन से चक्रवात प्रवण जिले हैं और कौन-से सूखा प्रवण जिले हैं।

क्या आप कृपया अगली सहस्राब्दि के आरम्भ में श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए एक सामूहिक नीति तैयार करेंगे कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए किस तरह के उपकरण और सामान्य सहायता तत्काल उपलब्ध करवाई जाएगी? उड़ीसा में हाल ही की आपदाओं के परिणाम को देखते हुए क्या आपकी सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेगी? इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए आपको क्या रुकावट है? क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करते कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है? मैं आपसे यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक गांधीवादी हैं और मैं महसूस करता हूँ कि आपका हृदय इस बात को महसूस कर रहा है।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय यह उचित नहीं है अथवा किसी खास राज्य सरकार के विरुद्ध लेखापन अपनाना अनुचित है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूँ कि क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है अथवा क्या उन्होंने इस तबाही की गंभीरता का मूल्यांकन करने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा करने का निर्णय लिया है?

सायं 7.00 बजे

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है अथवा उन्होंने इस तबाही की गंभीरता का मूल्यांकन करने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा करने का निर्णय लिया है?

तीसरा, आज तक पश्चिम बंगाल सरकार को एक पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ है। हमें केवल आपका उत्तर मिला है। इससे अधिक कुछ नहीं। अतः मैं माननीय सदस्य श्री पी. आर. दासमुंशी से सहमत हूँ कि आपको एक श्वेत पत्र तैयार करना चाहिए कि आपने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों को किस तरह की सहायता दी है अथवा देने जा रहे हैं।

श्री के. पी. सिंह देव : मैं तीन मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूँ। पहला यह है कि चक्रवात बहुत गंभीर है और यहाँ तक कि कृषि विभाग द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया है। ऐसा क्यों है कि भारत सरकार ने अब तक यह घोषणा नहीं की है?

[श्री के.पी. सिंह देव]

दूसरा, पिछले 35 वर्षों से, उड़ीसा सूखा, बाढ़ और चक्रवात जैसी अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है। तीस वर्ष एक पीढ़ी है और इसलिए मैंने इस मुद्दे का उल्लेख किया था कि जनजातीय विकास खंडों और निगम की तरह क्या बुरी तरह से सूखा प्रभावित, बाढ़-प्रवण और चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को एक विशेष दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि संविधान के अन्तर्गत उड़ीसा को उत्तरांचल अथवा कुमाऊँ के पहाड़ी इलाके अथवा हिमाचल प्रदेश अथवा गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र की तरह विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है? क्या आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित पिछले 35 वर्षों में बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों को विशेष सहायता नहीं दी जा सकती है जैसे कि टी. डी. ब्लॉक को दी गई है?

श्री अनिल बसु : माननीय मंत्री महोदय स्वयं एक सम्माननीय अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। इस चर्चा का उत्तर देते हुए, वह विभिन्न राज्य-सरकारों को सहायता प्रदान करने की बात कर रहे थे। जो कुछ भी सूचना उपलब्ध है, मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या वे इस सभा को विश्वास में लेंगे और बताएँगे कि क्या यह सच है कि जब आप इस वाद-विवाद, चर्चा का उत्तर दे रहे हैं, आपके मंत्रालय में प्राकृतिक आपदा कोष में एक भी पैसा नहीं है और आप राज्य सरकार को सहायता के रूप में एक भी पैसा प्रदान नहीं कर पाएँगे जब तक कि आप और आवंटन के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल के पास न जाएं। आप हमें केवल यह बताएँ कि क्या यह सच है अथवा नहीं।

अपने भाषण के दौरान, मैंने सरकार से अपील की है कि वे पिछले अनेक दशकों के दौरान हुई इस तरह की घटनाओं के विस्तार में जाने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन करें और गहन अध्ययन करें तथा उपचारात्मक उपायों के लिए उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करें। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या आप इस सुझाव पर विचार करेंगे अथवा नहीं।

श्री अनादि साहू : माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि फसल बीमा की सुविधा सभी राज्यों और सभी फसलों के लिए प्रदान की जाएगी। लेकिन सम्बन्धित राज्यों के लिए लागत का प्रश्न है। जब तक कि राज्य सरकारें सहमत नहीं हो जाती मैं नहीं समझता कि यह सुविधा उन्हें दी जा सकती है। उड़ीसा में भी यही मामला है। राष्ट्रीय आपदा और प्राकृतिक आपदा को परिभाषित नहीं किया गया है। जहाँ तक कि राष्ट्रीय आपदा का संबंध है, यह एक बोझिल प्रक्रिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि बचाव तथा राहत कार्यों के माध्यम से बिन माँगे राहत सहायता देनी चाहिए।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : मैं जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषणा करने के लिए क्या मानदंड हैं। अभी तक कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। अतः किसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करना केन्द्र सरकार पर निर्भर करता है। चक्रवात द्वारा उड़ीसा तथा अन्य स्थानों में तबाही के परिमाण को देखते हुए, मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना उपयुक्त समझती है और क्या सरकार उड़ीसा को चक्रवात राहत के लिए कोई विशेष सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है।

जैसा कि मैंने पहले बताया है माननीय सदस्यों ने बाढ़ नियंत्रण के संबंध में काफी अच्छे सुझाव दिए हैं। हम उन पर विचार करेंगे। मैं लगभग उन सभी सुझावों से सहमत हूँ जो कि उन्होंने दिए हैं। मैं बाढ़ों तथा चक्रवातों दोनों के संबंध में जानता हूँ चूँकि मैंने दोनों का सामना किया है।

जहाँ तक उड़ीसा का प्रश्न है, माननीय प्रधानमंत्री तत्काल वहाँ गए। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया तथा तत्काल 200 करोड़ रु. की धनराशि अग्रिम राहत के रूप में देने की घोषणा कर दी। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूँ कि स्थिति पर उनकी उम्मीदों से अधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। जब वह उड़ीसा गए थे प्रधानमंत्री जी वहाँ से चले गए थे उन्हें हमें बताना था कि हमें क्या करना है। अतः माननीय सदस्यों को इन्तजार करना चाहिए। जब कोई बीमार डाक्टर के पास जाता है, वह उसे सबसे पहले केवल प्राथमिक चिकित्सा ही देगा। उपयुक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने के बाद ही वह उसे अन्य दवाएँ दे सकेगा। विभिन्न विभागों से विभिन्न रिपोर्टें प्राप्त होनी हैं कि कितने घर प्रभावित हुए हैं और कितनी फसल प्रभावित हुई है इत्यादि। यह सभी रिपोर्टें आनी हैं...*(व्यवधान)* कार्य शीघ्रता से हो रहा है। रिपोर्टें शीघ्र प्राप्त हो जाएँगी। हम अब तत्काल सहायता प्रदान कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि राष्ट्रीय निधि पर्याप्त नहीं है। हम धनराशि बढ़ा रहे हैं। हम उसे बढ़ाएँगे...*(व्यवधान)*

राज्य सरकार ने अपना प्रथम ज्ञापन भेजना है। केवल तभी हम कार्यवाही कर सकते हैं। यह सभी राज्यों द्वारा भेजी जा रही हैं...*(व्यवधान)* बिहार के संबंध में, हमें यह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : वे रिपोर्ट नहीं देंगे तो केन्द्रीय दल भिजवाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मानंद मंडल : वहाँ की जनता को छोड़ दिया जाए कि मरने दो।

श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव : उक्त दल वहाँ जाने के लिए तैयार है, एक दल पहले ही पश्चिम बंगाल गया है और उसके एक या दो दिन में वापस आने की संभावना है...*(व्यवधान)* एक दल ने आंध्र प्रदेश की स्थिति का पहले ही जायजा ले लिया है और उसकी रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। हम तत्काल कार्यवाही करेंगे।

महोदय अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : चर्चा पूरी हो गई है। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, मेरे दो प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार सभी सुझावों पर विचार करेगी।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मंत्री महोदय, मैं सादर कहता हूँ कि आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया है ... *(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई अन्तरिम रिपोर्ट आपकी मेज पर है.... *(व्यवधान)*

श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव : हम तुरंत कार्यवाही कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उस विषय पर चर्चा पूरी हो गई है। कृपया बैठ जाइए। हमें दूसरी मद लेनी है।

...(व्यवधान)

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, आंध्र प्रदेश के लिए धनराशि जारी किए जाने की क्या स्थिति है ?

श्री अमर रायप्रधान : महोदय, उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ नहीं कहा जो सर्वाधिक प्रभावित राज्य है और हम विरोधस्वरूप बहिर्गमन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए हम बहिर्गमन कर रहे हैं ... *(व्यवधान)*

सायं 7.08 बजे

इस समय श्री अमर रायप्रधान, श्री अजय चक्रवर्ती और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानंद मंडल : बिहार के संबंध में केन्द्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है ?

[अनुवाद]

श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव : महोदय, राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम आप से वहाँ दल भेजने का अनुरोध कर रहे हैं।

श्री एस. बी. पी. बी. के सत्यनारायण राव : जी हाँ, हम राज्य सरकार के अनुरोध के बिना भी केन्द्रीय दल भेज रहे हैं।

सायं 7.09 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अगली मद—राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेते हैं।

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर) : महोदय, मेरे विचार से हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पर आ गए हैं।

कल मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित बातों पर बोलने का अवसर दिया गया था।

आज भी मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित बातों पर बोलने की अनुमति लेता हूँ और बाद में उन बिन्दुओं पर बोलने की अनुमति लूँगा जिनका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं किया गया था। मुझे यह पता नहीं है कि मुझे बोलने के लिए कितना समय दिया गया है। यदि पर्याप्त समय हो तो मैं इन बिन्दुओं पर विस्तार से बोल सकता हूँ और यदि पर्याप्त समय न हो तो तब...

सभापति महोदय : आपने पहले ही 34 मिनट ले लिए हैं।

श्री शिवराज वी. पाटील : यह सही है मैं इस को जानता हूँ और मैं आपके निर्देशों का पालन करूँगा।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री शिवराज वी. पाटील : मैं देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में बोल रहा था। मेरे विचार से इस प्रयोजन के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि हम विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध कराएँ। भारत सरकार इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराती है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। इस कार्य के लिए हमें राज्य सरकारों से भी धन लेना होगा। हम इस मामले पर राज्य सरकारों तथा योजना आयोग से विचार-विमर्श कर सकते हैं और राज्य सरकारों को राज्य के लिए प्रासंगिक विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कुछ धनराशि अलग से आवंटित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस कार्य के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी अधिक धन जुटा सकते हैं। यदि वे कुछ वस्तुओं का विनिर्माण कर रहे हैं और यदि वे इस वस्तु से संबंधित विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास कर सकते हैं तो उन्हें इस प्रयोजन के लिए अधिक धन जुटाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। निश्चिततौर पर निजी क्षेत्र को भी और धन जुटाने के लिए कहा जा सकता है।

सायं 7.12 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं जानता हूँ कि हमने निजी क्षेत्र को कुछ रियायतें दी हैं। यदि निजी क्षेत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश करता है तो उन्हें आय कर अधिनियम व अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कुछ रियायत दी जानी चाहिए। इस मामले पर गहनता से विचार-विमर्श किया जा सकता है और हम अधिक धन जुटा सकते हैं।

इस संबंध में दूसरा सुझाव यह है कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास मिशन-मोड एप्रोच' में किया जा सकता है। हम कुछ मिशन चुन सकते हैं और उन्हें धन उपलब्ध कराया जा सकता है तथा हम उन्हें निश्चित समयावधि में कुछ परिणाम देने के लिए कह सकते हैं। ऐसा करने से वास्तव में सहायता मिलेगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में मेरा अगला सुझाव यह है कि सभी क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास कार्य चलाना भारत या किसी अन्य देश के

[श्री शिवराज वी. पाटील]

लिए संभव नहीं हैं। अतः हमें ऐसे क्षेत्रों को चुनना होगा और हम ऐसे क्षेत्र चुन सकते हैं जिनमें हम वास्तव में कुछ कर दिखा सकते हैं वे क्षेत्र कौन से हैं जिनमें भारत कुछ कर दिखा सकता है?

आनुवंशिकी एक ऐसा क्षेत्र है। आनुवंशिकी की दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध है। यहाँ आनुवंशिक सम्पदा उपलब्ध है। यदि हम आनुवंशिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं तो यह बहुत उपयोगी होगा। इलेक्ट्रॉनिकी भी एक ऐसा ही क्षेत्र है। इलेक्ट्रॉनिकी के अंग सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हम बहुत कुछ सकते हैं। तीसरा क्षेत्र पदार्थ है। पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। सिलिकॉन, कई अन्य पदार्थ और अयस्क बहुत महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। सौर ऊर्जा भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं और सामुद्रिक संसाधनों का विकास भी किया जा सकता है। समुद्री जल को पेयजल बनाया जा सकता है। इसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है हम इसका विकास कर सकते हैं और इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। इसलिए हम इन बातों को चयनात्मक ढंग से कर सकते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में एक और सुझाव यह है कि हम विदेशों से कुछ अत्याधुनिक उपकरण प्राप्त कर रहे हैं तथा जब हम विदेशों से इन अत्याधुनिक उपकरणों को प्राप्त करने के लिए करार करते हैं तो हम उस करार में एक ऐसा खंड रखने का प्रयास करते हैं जिसमें प्रावधान हो कि जिस उपकरण को हम ले रहे हैं उसके साथ उसकी प्रौद्योगिकी भी हमें हस्तान्तरित की जाएगी। किन्तु मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार या हमारा देश एक कदम और आगे बढ़े और करार में ऐसा खंड शामिल कराएँ जिसमें प्रावधान हो कि प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण ही काफी नहीं है अपितु भारतीय वैज्ञानिकों व प्रौद्योगिकीविदों को उन देशों के वैज्ञानिकों व प्रौद्योगिकीविदों के साथ उनकी प्रयोगशालाओं में साथ-साथ कार्य करने की अनुमति दी जाए ताकि उनके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी स्वतः ही हमें उपलब्ध हो जाए।

यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय व आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय शक्ति का विकास करना होगा तथा हमें इस पहलू पर पूरा ध्यान देना होगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में न्यायिक सुधारों के बारे में उल्लेख किया गया है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में राष्ट्रीय न्यायिक सुधार आयोग की नियुक्ति की बात की गई है। जब हम राष्ट्रीय न्यायिक सुधार आयोग की नियुक्ति करेंगे तो इस मामले पर न्यायपालिका के सदस्यों के साथ चर्चा करना संभव होगा। इस मामले पर न्यायपालिका के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किए बिना हम समुचित ढंग से न्यायिक सुधार करने में सक्षम नहीं होंगे। हमें इस मामले पर विधिक व्यवसाय के सदस्यों से विचार-विमर्श करना चाहिए। हमें इस मामले में अन्य लोगों से भी विचार-विमर्श करना चाहिए। इसका उल्लेख कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी किया गया है। यह जानकर हमें प्रसन्नता हुई है।

यह सुझाव दिया गया है कि मामलों के निपटान में विलम्ब कम किया जाना चाहिए, व्यय कम किए जाने चाहिए और सही न्याय किया जाना चाहिए। मामलों के निपटान में विलम्ब कम करने के लिए अधिक न्यायालय व अधिक न्यायाधीश हों। रिक्तियों को रिक्त नहीं रखा जाना चाहिए। सभी रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। न्यायालयों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। अभी तक न्यायालयों में साक्ष्य व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं। साक्ष्य कैमरा और मशीनों का प्रयोग कर यांत्रिक विधि से लिए जा सकते हैं। इससे निश्चित रूप से मामलों के निपटान में विलम्ब कम होगा। यहाँ पर न हमारे पास इन सब विषयों के ब्यौरे में जाने का समय है और न यह उसके लिए उचित स्थान है। किन्तु आयोग इन सभी विषयों पर विस्तार से विचार कर सकता है।

मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कानूनों में सुधार किए जाने का उल्लेख किया गया है। कानून इस तरह के होने चाहिए कि उन्हें आसानी से समझा जा सके। इस तथ्य का उल्लेख कांग्रेस के घोषणा-पत्र में भी किया गया है। अब समय आ गया है कि जब हमारे पास विभिन्न प्रकार के कानून हों... ऐसे कानून जो महासागरों में, अन्तरिक्ष में और बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में हमारी गतिविधियों से संबंधित हों। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर नए विधान की आवश्यकता है। इसीलिए ऐसे कानूनों पर विचार करना जिन्हें हम इस समय कार्यान्वित कर रहे हैं और प्रवर्तित कर रहे हैं, हमारे लिए लाभदायक रहेगा। कानूनों को सरल स्पष्ट और भविष्यदर्शी होना चाहिए। कानूनों को इस प्रकार होना चाहिए कि वे सामाजिक अभियांत्रिकी का कार्य करें। कानून की नई परिभाषा है : "यह सामाजिक अभियांत्रिकी के लिए मशीनरी है।"

समाज में लोगों के हित होते हैं और उनके हित परस्पर विरोधी होते हैं। यह न्यायाधीशों और विधायिका के सदस्यों का कर्त्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन परस्पर विरोधी हितों को इस प्रकार साधा जाए कि अधिकतम परिणाम प्राप्त हों, जिसे सामाजिक अभियांत्रिकी कहते हैं। इस पहलू पर भी हमें ध्यान देना चाहिए।

महिलाओं के लिए आरक्षण का भी उल्लेख था। इसका उल्लेख कांग्रेस के घोषणा-पत्र में भी है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि हमें पूरी तरह निष्कपट होना चाहिए। यदि हम इसका उल्लेख केवल इसलिए करते हैं कि चुनावों में इससे लाभ होगा तो हमें अन्ततः इस बात का फायदा नहीं मिलेगा। अब, यहाँ पर हित टकरा रहे हैं, महिलाओं और पुरुषों के हित टकरा रहे हैं।

कभी-कभी महिलाएँ आगे बढ़कर कहती हैं कि पुरुषों की इस दुनिया में यह सरलतापूर्वक नहीं हो पाएगा। कभी-कभी हमें यह देखने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि विधान सभाओं में और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। परन्तु मानवीय सोच कमजोर नहीं है, यह पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है और हमारे लिए यह सम्भव है कि लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभाओं और विधान परिषदों में कुछ उपायों को खोजकर और उनका निर्माण कर तीस प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा सकता है।

यदि हम सामाजिक न्याय चाहते हैं, तो ऐसे तरीके और उपाय हैं जिन पर हमें यह सुनिश्चित करने के लिए निश्चितरूप से विचार किया जाना चाहिए कि सभी दलों के हित पूरे किए जाते हैं और ऐसा किया जाता है। कुछ लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सहानुभूति की भावना घर से ही शुरू होनी चाहिए। हमें अपने परिवार के सदस्यों, माताओं, बहनों, बेटियों और पत्नियों के साथ सामाजिक न्याय करना चाहिए। यह ठीक बात

नहीं है कि हम केवल इसके बारे में बात ही करें परन्तु उस पर अमल न करें। इस बात का विरोध करने वालों को उदार होना चाहिए। उन्हें हमें ऐसे तरीकों को खोजने देना चाहिए जो महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना सुनिश्चित कर सकें। यद्यपि वे लोग इससे संतुष्ट हो जाएँगे फिर भी मैं कहूँगा कि यह न्यायपूर्ण आरक्षण नहीं है। उन्हें 50 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। परन्तु हम उन्हें 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हम ऐसी दलीलों को पेश कर रहे हैं जोकि विघटनकारी सिद्ध हो सकती हैं। यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मेरे विचार से सरकार यह प्रस्ताव लाएगी और सभा के विद्वान सदस्य महिलाओं को न्याय प्रदान करने में आवश्यक कार्य कर अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में विश्व व्यापार संगठन का भी उल्लेख है। मुझे बताया गया है कि मैं बहुत अधिक समय नहीं ले सकता।

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस पार्टी के लिए आवंटित समय 58 मिनट है।

श्री शिवराज वी. पाटील : यदि सभा का समय बढ़ाया जाता है तो बढ़ाए गए समय का एक भाग हमें मिलेगा।

विश्व व्यापार संगठन का अस्तित्व काफी समय तक रहेगा। यह अदृश्य नहीं होने वाला है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनना चाहता है। चीन 'गैट' का सदस्य बनना चाह रहा था और विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनना चाह रहा है। एक सुझाव दिया गया था कि सरकार को विश्व व्यापार संगठन से सदस्यता वापस ले लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि यह सुझाव गम्भीरतापूर्वक नहीं दिया गया है और इसे सरलतापूर्वक स्वीकार नहीं किया जाएगा। परन्तु तथ्य यह है, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसे एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं, सामान, सेवाओं, बौद्धिक सम्पदाओं के मुक्त आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। कुछेक देशों द्वारा इस संगठन का उपयोग अत्यधिक विवेकपूर्ण ढंग से, अपने हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। कभी-कभी इस बात के लिए भी इसका प्रयोग किया जा रहा है कि उन्हें ज्यादा लाभ मिले। यह बात इस संगठन को समझने और इसके घोषणा-पत्र को समझने में निहित है जिसे इसके स्थापना के समय दिया गया था। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संगठन को इस प्रकार उपयोग में लाना चाहिए कि हमारे हितों की रक्षा हो। हमारे हितों की रक्षा करते समय, हमारा गहत्वपूर्ण हित यह सुनिश्चित करने में है कि विभिन्न देशों के बीच सहयोग हो और हम अन्तर्राष्ट्रीय मुख्यधारा में भी शामिल हों। एक ओर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि हमारे हितों की रक्षा हो और दूसरी ओर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक, संतुलित ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल हों।

अब मैं विदेश नीति की चर्चा करूँगा जिसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख हुआ था और मैं तीन या चार मुद्दों पर संक्षेप में प्रकाश डालूँगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह पढ़कर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि सरकार का विचार हमारे पड़ोसी देशों, विश्व के अन्य देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अच्छे संबंध रखने का है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध हों। कृपया मुझे यह कहने के अनुमति दें कि इस बात को सुनिश्चित करते समय हमें वक्तव्य देते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। हम दूसरे देशों के साथ यह कहकर अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं कि ये देश हमारा शत्रु नम्बर एक है और वो देश हमारा शत्रु नम्बर दो है। ऐसे वक्तव्य जिम्मेदार पदों पर नियुक्त व्यक्ति दे रहे हैं। इससे हमारे लिए समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

यह न केवल सरकार के हित में है अपितु यह देश के हित में भी है कि इस प्रकार के वक्तव्य नहीं दिए जाएं। यदि ऐसे वक्तव्य दिए जाते हैं और उन्हें फिर नकारा जाता है तो इससे भिन्न प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। परन्तु बेहतर यह होगा कि इस प्रकार के वक्तव्यों से बचा जाए।

सभा में दूसरी चेतावनी हम यह देना चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण सावधानीपूर्वक करना चाहिए। यदि हम एक अच्छा कदम उठाते हैं तो हमें इसके बारे में अति उत्साहित नहीं होना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि इससे देशों के बीच अच्छे संबंधों को बनाने में आने वाली सारी बाधाएँ दूर हो गई हैं। यदि हम उल्लासित हो जाते हैं और यदि हम इसको अत्यधिक महत्व देते हैं तो हम गलतफहमी में रहेंगे और हम एक ऐसी स्थिति में होंगे जिसमें हम भी परेशान होंगे और दूसरे भी परेशान होंगे। यदि हम हमारे पड़ोसी देश को बस में जाते हैं तो यह एक अच्छी बात है और हमें इसके बारे में प्रसन्न होना चाहिए। परन्तु यदि आप यह कहते हैं कि इससे सारी समस्याएँ हल हो जाएंगी तो इससे किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होगा। एक या दो महीनों के भीतर ही हमें यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ा था कि जब हम मिल रहे थे तब घुसपैठिए हमारे क्षेत्र में घुस रहे थे। इस प्रकार की बात हमारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि ये देश या वे देश शत्रु हैं। इसी के साथ हमें हमारे संबंधों के प्रति उत्साहित नहीं होना चाहिए और उठाए गए कदमों के प्रति अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। इसी बात की वास्तविक रूप से आवश्यकता है और यही अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्वहन का विवेकपूर्ण तरीका है। यदि एक गलती यहाँ होती है और एक गलती वहाँ होती है तो भी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लिए ऐसा करना कठिन नहीं होगा। परन्तु इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी कारण, हम इस बात का उल्लेख कर रहे हैं।

महोदय प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जिसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं हुआ है। परन्तु अब समय आ गया है कि हम अपने देश के प्रशासन की ओर देखें। कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं, प्रयोग में लाए गए उपायों और जन सम्पर्क सभी पर विचार करना होगा। हमने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग को गठित किया जाना चाहिए। सुशासन के लिए प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं और मैं आशा करता हूँ, कि सरकार इन आवश्यकताओं पर ध्यान देगी।

मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपदा पर, जिसका हम चार राज्यों में सामना कर रहे हैं, चर्चा करते समय कई सदस्यों ने सुझाव दिया था कि आपदा प्रबन्धन के लिए स्थायी प्रणाली होनी चाहिए। सबसे पहले एक नीति बनाई जानी चाहिए। दूसरी बात देश में आपदा से निपटने के लिए प्रणाली होनी चाहिए, तीसरी बात इस उद्देश्य हेतु धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए चौथे, जानकारी तत्काल मिलनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

[श्री शिवराज वी. पाटिल]

तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूँ, जो कि अभिभाषण में नहीं था, सौभाग्य से हमारे पास राष्ट्रीयस्तर पर मानवाधिकार आयोग है। क्या यह सम्भव नहीं है कि राज्यस्तर पर भी मानवाधिकार आयोग गठित हो?

यह भारत सरकार का कार्य नहीं है कि वे राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग का गठन करे लेकिन निश्चय ही इस मामले पर राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा सकता है और हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि वे राज्यस्तर पर मानवाधिकार आयोग का गठन करें।

कांग्रेसी सदस्यों के विचार से एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जैन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और हमने उस पर चर्चा की। माननीय गृहमंत्री जी ने जवाब दिया जिससे उस समय हममें से कई सदस्य सन्तुष्ट थे। सौभाग्य से वे आज यहाँ हैं। हम अनुरोध करते हैं कि हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के पीछे छिपे षड्यंत्र के कारणों की तह तक पहुँचने के लिए जैन आयोग रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से निकाले जाने चाहिए। इसमें विलम्ब करना ठीक नहीं होगा और लोग इसे ठीक नहीं समझेंगे। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमने इस अभिभाषण को अत्यन्त ध्यानपूर्वक पढ़ा है। यह अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया गया है और हमारे माननीय राष्ट्रपति के मार्फत से संसद और लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह नीतिगत दस्तावेज है। यह दस्तावेज मेरी राय में न केवल इस वर्ष के लिए बल्कि यह संसद के कार्यकाल के बाकी वर्षों के लिए भी संगत होगा।

अतः इस दस्तावेज का विशेष महत्व है। हमें पता चला है कि यहाँ बताए गए कई मुद्दे काग्रेस दल के घोषणापत्र में भी उल्लिखित हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने ये बातें हम से ली हैं बल्कि ऐसा लगता है कि वे स्वयं स्वतंत्र रूप से भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे जो हमने भी निकाला और जिसका हमने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में उल्लेख किया है। इसीलिए हम समझते हैं कि आज वह समय है जब स्वतंत्र रूप से विचार करने वाले लोग भी इसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं जो समान किस्म के हों। विचारों की समानता हो। यदि विचारों में मेल है तो हमें दुखी होने के बजाय प्रसन्न होना चाहिए। हमें सहयोग देते हुए यह देखना चाहिए कि उन विचारों को कार्यान्वित किया जाए।

जब हम सहयोग की बात करते हैं तो लोग उनकी आलोचना करते हैं जो कहते हैं कि वह सहयोग करेंगे। जब हम विरोध की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हम हमेशा विरोध करते हैं।

सरकार का कार्य प्रस्ताव करना है और विपक्षी दल का कार्य इसकी जाँच करना है। यदि यह विपक्षी दल को स्वीकार्य हुआ तो वे उसे स्वीकार करेगा। यदि उनके भिन्न विचार हुए तो वे अपने भिन्न विचार व्यक्त करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो वे विरोध भी करेंगे। वे कहते हैं कि विपक्ष का कार्य विरोध करना है और सत्तासीन पार्टी को सत्ता से हटाना भी है। मैं यह नहीं कहूँगा परन्तु ऐसा भी समय हो सकता है जब सहयोग से हमारी मदद हो सकती है और ऐसा भी समय हो सकता है जब विरोध करना आवश्यक हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सहयोग की बात नहीं समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विरोध को नहीं समझते हैं।

कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्षी दल है। जहाँ पर विचारों में साम्यता है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी लोक सभा और राज्य सभा में जनहित एवं राष्ट्रहित में सभी दलों के साथ सहयोग करेगी। जहाँ पर विचारों की साम्यता नहीं होगी वहाँ पर वे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करेंगे। मेरे विचार से लोकतंत्र में हमें सहयोग और आलोचना दोनों करना पड़ता है। आलोचना और सहयोग लोकतंत्र का ही अंग है और हम, एक जिम्मेदार विपक्षी दल के नाते, निश्चित रूप से लोकतंत्र के नियमों और संसदीय प्रणाली के नियमों के अनुसार कार्यवाही में भाग लेने का प्रयास करेंगे।

परन्तु मैं भी यह कहना चाहूँगा कि यदि हम अन्य दलों से सहयोग चाहते हैं तो हमें स्वयं इस प्रकार से व्यवहार करना होगा कि अन्य दलों को सहयोग करना आसान हो। यदि सत्ताधारी वर्ग के लोग तंत्र का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य हेतु करते हैं जिससे दूसरों की भावनाएँ आहत होती हैं और इससे संदेश जाता हो कि कतिपय कदम राजनीतिक कारणों के चलते उठाए गए हैं और राजनीति से प्रेरित कदम उठाए गए हैं जो विधिसम्मत सही और न्यायपूर्ण कदम नहीं हैं तो एक ऐसे माहौल का निर्माण कठिन हो जाता है जिसमें सहयोग प्रदान करना आसान हो। इस प्रकार यह आदान-प्रदान की स्थिति है। यह एक दोहरा रास्ता है। विपक्ष को सहयोग करना चाहिए और सत्तारूढ़ दलों को भी इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि अन्य दलों को उनसे सहयोग करना आसान हो। यदि विपक्ष में यह भ्रांति पैदा होती है कि की गई कार्रवाइयों को रोका जा सकता था परन्तु उन्हें रोका नहीं गया और उन्हें राजनीतिक लाभ हेतु किया गया तो सहयोग के लिए हाथ बढ़ाना कठिन हो जाता है।

इसी कारण, सत्ताधारी दलों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे भी इस ढंग से कार्य करें जिससे कि दूसरों को भी सहयोग में आसानी हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह उनकी गलती होगी और उन्हें ही परेशानी उठानी पड़ेगी। विपक्ष का कार्य विरोध करना है परन्तु सरकार को कार्य करना होगा और सरकार को परिणाम लाने होंगे। न्यायपूर्ण होना सरकार के हित में है। यदि हम सत्ता में हैं तो हमें न्यायपूर्ण होना होगा। यदि हम सत्ता में हों तो हमें इस ढंग से कार्य करना होगा कि कुछ भी अनौचित्यपूर्ण न हो। सरकारी तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, विधि प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है, कानूनों को उपयोग में लाया जा सकता है और सरकारी अधिकारों को किसी भी प्रकार प्रयोग में लाया जा सकता है।

जब इनका किसी भी ढंग से प्रयोग होता है तो यह दो धारी तलवार के समान कार्य करते हैं और ये दोनों ओर से काट सकते हैं। जब मैं कहता हूँ कि एक जिम्मेदार दल के रूप में हम सहयोग करेंगे तो तब हम ये भी कहेंगे कि हम यह भी चाहेंगे कि सत्ताधारी दल भी हमारे साथ सहयोग करे।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज पाटील, अब आपको अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, आपको याद होगा कि नेताओं की बैठक में हममें यह सहमति हुई थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए आवंटित समय 12 घण्टे होगा न कि आठ घण्टे परन्तु सचिवालय ने ही दलों के बीच समय का विभाजन

आठ घण्टे के आधार पर ही किया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप सचिवालय को दलों के बीच समय का आवंटन तद्नुसार करने का परामर्श दें।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह 13 घण्टे है भी तो आप समय बढ़ा लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं समय की गणना के बारे में बोल रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने के लिए उनके प्रति धन्यवाद के लिए जो प्रस्ताव इस सदन में रखा गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देने के साथ-साथ, मैं इस देश की महान जनता के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिसने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत देकर पाँच साल तक के लिए इस देश में एक स्थाई, पारदर्शी और ईमानदार सरकार चलाने के लिए जनादेश दिया।

महोदय, मैं अभी पाटिल साहब का भाषण सुन रहा था। वे न केवल इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं, अपितु इस सदन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुझे उनके भाषण को सुनकर खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि वे एक रेस्पांसीबल अपोजीशन बनकर काम करेंगे। सोनिया जी यहाँ नहीं हैं। वे कांग्रेस पार्टी की नेता हैं। उनको भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। यदि वे एक वोट से पूर्व सरकार को नहीं गिरातीं, तो हम जैसे लोगों को इस सदन में आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से सरकार को गिराया, अगर यही कोआपरेशन कांग्रेस पार्टी का है और रहने वाला है, तो हम नहीं समझते कि इस देश में इस तरह की कोई अच्छी शुरूआत होगी।

महोदय, आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस का इतिहास देखें, तो आपको मालूम होगा कि देश को अस्थिर करने का, चाहे राज्यों की सरकारें हों या केन्द्र की सरकार हो, जो भी और जहाँ भी गैर-कांग्रेसी सरकारें रहीं हैं, उनको गिराने में मुख्य भूमिका, कांग्रेस ने सदैव अदा की है। कांग्रेस सत्ता के बिना रहने वाली नहीं है। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, उसी तरह कांग्रेस पार्टी बिना सत्ता के नहीं रह सकती। यही कारण है कि एक वोट से सरकार गिरा दी गई। जिन लोगों ने सरकार गिराई, उन लोगों ने सरकार क्यों नहीं बनाई? देश की जनता ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम किया है। यहाँ मुलायम सिंह जी नहीं हैं। उन्होंने भी सरकार गिराने में साथ दिया, लेकिन बनाने में उन्होंने साथ नहीं दिया। उन्होंने जो सवाल उठाया और उस सरकार को समर्थन नहीं दिया, उसके लिए मैं मुलायम सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने सही फैसला लिया और इस कारण से सरकार नहीं बनी। कांग्रेस की नेता चाहतीं, तो सरकार बना सकती थीं भले ही ज्योति बाबू को प्रधान मंत्री बनातीं, शरद पवार बनते, प्रणव मुखर्जी हो सकते थे। मतलब यह कि 'एको हम द्वितीय नास्ति' के सिद्धान्त पर चलकर कि होंगे तो हम, दूसरे की सरकार नहीं बनने देंगे। इस कारण चुनाव हुए। क्या चुनावों पर खर्च नहीं हुआ? चुनाव में हजारों करोड़ों रुपए खर्च हुए।

कुँवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ. प्र.) : आप फिर यहाँ कैसे आते?

श्री रघुनाथ झा : इसीलिए आपको बधाई दी। सोनिया जी को मैंने इसलिए बधाई दी कि चुनाव हुए जिसमें हम लोग यहाँ आये।

महंगाई के सवाल पर विपक्ष की ओर से जो हाय-तौबा मचाई जा रही थी, वह भी मुनासिब बात नहीं है। आज इस स्थिति को हमको और आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। आज हम जिस स्थिति पर पहुँचे हैं, हम कांग्रेस के वरीय सदस्यों से यही प्रार्थना करेंगे कि आप कृपा करके पाँच साल तक कोई हेराफेरी मत करिये, नहीं तो जो संख्या कम हुई है, उससे भी आप कम पर चले जाओगे। इस देश की जनता इसको पसंद नहीं करती है। आज मंत्रिमंडल में हमारे बहुत से लोग बैठे हैं। आपको अभी मौका नहीं मिलने वाला है। आप पाँच बरस तक इंतजार करिये।... *(व्यवधान)* हम जगन्नाथ मिश्र से लेकर लालू यादव के मंत्रिमंडल में नौ बरस तक रहे।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में महात्मा गांधी की उस उक्ति को कोट किया है कि मैं एक ऐसे संविधान के लिए संघर्ष करूँगा जो भारत को सभी बंधनों और आश्रयों से मुक्ति दिलाये, मैं एक ऐसे भारत के लिए कार्य करूँगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति यह महसूस कर सके कि यह देश उसका है जिसके निर्माण में उसकी प्रभावशाली भूमिका रही है, एक ऐसा भारत जिसमें न उच्च वर्ग होगा और न कोई निम्न वर्ग होगा, एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदायों की सेवा मिल-जुलकर करेंगे—यही है मेरे सपनों का भारत इससे कम में मुझे संतुष्टि नहीं होगी। महामहिम राष्ट्रपति जी ने महात्मा गांधी की उस उक्ति को कोट किया है।

महोदय, आजादी के बाद इस देश में 45 वर्षों तक शासन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को कहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि :

यह क्या विडम्बना है देश में
जेठी की दुपहरी की तरह भूखनाथ थी।
अवमानना की बात है गांधी के देश में
सुसंग दमन के मध्य में मानवता कांपती।

आज यह स्थिति पहुँचाने का काम किसने किया। आपने बार-बार इस देश को अस्थिर करके, सही रास्ते पर न ले जाने के कारण इस स्थिति में पहुँचाने का काम किया है। आज इस देश में शासन होगा, एक ही परिवार का शासन होगा, एक ही बाप का शासन होगा।

कोटि-कोटि देश के बच्चे उदास क्यों
बाप, बेटी, बेटे के माथे पर ताज क्यों
जनतंत्र में विरासतों का दौर कहाँ से
आतंक की सियासतों का दौर कहाँ से

[श्री रघुनाथ झा]

यह एक नहीं, दो नहीं, यह चार पीढ़ियाँ
संसद में राजवंश की तरह है सीढ़ियाँ
चुल्लु में रखकर पानी में डूब जाये जवानी
गद्दी पर विदेशी रगड़ रही हैं एड़ियाँ।

आज हमें और आपको इस सवाल को छेड़ना पड़ेगा और आगे देखना पड़ेगा। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिन बातों का जिक्र किया, आज बिहार में जंगल राज है, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हाई कोर्ट ने दो-दो बार अपनी रूलिंग में कहा है कि जंगल में भी कोई कानून होता है लेकिन बिहार में कोई कानून नहीं है...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बनांचल जंगल राज को कहते हैं। जंगल राज ये लोग बनाना चाहते हैं। अभी जंगल राज नहीं है, बिहार राज है। भाजपा और जनता (यू) वाले जंगल राज बनाना चाहते हैं। बनांचल की मांग करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बनांचल है, बनांचल मायने जंगल राज।

श्री रघुनाथ झा : माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में करगिल युद्ध की चर्चा की है। देश के उन वीर जवानों के प्रति भी उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की, सदन ने भी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। लेकिन यह सदन और इस देश की जनता कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जानना चाहती है कि लोक सभा को एक वोट से गिराओ और जब करगिल में हमारे बहादुर जवान हजारों फीट ऊँची जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हों, उस समय राज्य सभा का सैशन बुलाकर बहस करो।

कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमारे जवानों के मनोबल को नीचे गिराने का काम किया। आज ऐसी परिस्थिति में जो बात हो रही है, कहा जा रहा है कि करगिल में हमारी इतनी सेना मरी, सवाल उठाया जा रहा है कि इस देश में बहस होनी चाहिए लेकिन इस देश के बंटवारे के लिए कौन जवाबदेह है? चीन की लड़ाई में हमारी जो जमीन कब्जा हुई थी, आजादी के बाद से आज तक, वह वापस क्यों नहीं ली गई? पाकिस्तान की लड़ाई में हमारे जवानों ने जमीन पर कब्जा किया था। बंगलादेश की लड़ाई में एक लाख सेना का सरैंडर हुआ था। वे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने उस सेना को वापस किया था? आज अटल जी की सरकार के समय पाकिस्तान ने घुसपैठ करने का काम किया, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। एक तरफ लाहौर में दोस्ती की बात कर रहा था और दूसरी तरफ उसने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया तो अटल जी की सरकार के नेतृत्व में जहाँ हमारे बहादुर वायुसेना के लोगों ने उन सैनिकों को भारत की सीमा से बाहर खदेड़ने का काम किया, वहीं कूटनीतिक क्षेत्र में देश की आजादी के बाद से आज तक इतनी बड़ी सफलता कभी नहीं हुई जितनी अटल जी के नेतृत्व में इस सरकार ने हासिल की है। ...*(व्यवधान)*

मैंने बहुत कुछ कहना था लेकिन आप समाप्त करने को कह रहे हैं। हम इस सदन से निवेदन करना चाहेंगे, माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, बिहार में 90 से लेकर आज तक 28 सामूहिक नरसंहार हुए हैं, 300 से अधिक लोग मारे गए हैं और बिहार में विधि-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में 18 आदमी प्रतिदिन की दर से मारे जा रहे हैं। कोई कानून नहीं है। हम सरकार को धन्यवाद देंगे कि इसने एक बार कदम उठाया था जिसे कांग्रेस पार्टी ने समर्थन न देने का काम किया। बिहार की जनता ने उनको उसकी सजा दी है और आने वाले दिनों में और सजा देने का काम करेगी। हम सरकार गिराने के पक्ष में नहीं हैं, सरकार अपने आप भड़भड़ा कर गिरने वाली है। आतंक और पाखंड का राज बिहार से समाप्त होने वाला है। हम बिहारवासी इसके लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों को जवाब देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ।

श्री पी. राजेन्द्रन (विल्लोन) : अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं नवनिर्वाचित सदस्य हूँ और यह मेरा पहला भाषण है। अतः मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरा भाषण धैर्यपूर्वक सुनें।

सर्वप्रथम मैं भाकपा (मा.) की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी आपत्ति दर्ज करता हूँ। डीजल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के मामले में सरकार के धोखे के प्रति भी अपना विरोध दर्ज करता हूँ, वास्तव में यह जनादेश के साथ धोखा है, सरकार ने बहाना बनाया कि डीजल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हुई है। यदि ऐसा है तो हम लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में धकेल रहे हैं। फिर यहाँ सरकार की क्या आवश्यकता है?

सबसे पहले मैं खेद के साथ कहता हूँ कि लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी व्यावहारिक कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

क्या कोई भारत की वर्तमान स्थिति पर गर्व कर सकता है? क्या इस सरकार को गांधी जी की भावनाओं व दर्शन को अपनाने का नैतिक अधिकार है? एक ऐसी शक्ति जिसने गांधी जी को शारीरिक व राजनीतिक दृष्टि से नष्ट करने का प्रयास किया और सभी क्षेत्रों में गांधी जी के विचारों को मिटाने का प्रयास किया वह यहाँ पाखंडपूर्ण ढंग से गांधी जी के विचारों की प्रशंसा कर रही है।

एक गौरवशाली व समृद्ध भारत के लिए सरकार का एजेंडा क्या है? वह इस देश की निर्धनता, निरक्षरता, बेरोजगारी तथा अन्य कई सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को कैसे दूर करेगी? करोड़ों भारतीय बेहतर जीवन दशाओं से वंचित हैं। भारत के लोगों की समस्याओं को केवल प्रचार के लिए जोर-शोर से उठाया जाता है। क्या इस सरकार के पास इन समस्याओं के निराकरण के लिए इच्छाशक्ति है और वह इन समस्याओं के निराकरण के बारे में सत्यनिष्ठ है?

स्वतंत्रता प्राप्ति के पाँच दशक से अधिक समय के बाद भी लोग कष्टमय जीवन जी रहे हैं। ग्रामीण जनता की वास्तविक स्थिति क्या है? सुअवसरों व वार्षिक राष्ट्रीय समारोहों के अवसर पर करोड़ों बेघर, निरक्षर बेरोजगार भारतीयों ने अनेक घोषणाओं को सुना। किन्तु उन्होंने कोई बदलाव महसूस नहीं किया।

अभिभाषण में सरकार ने हाल ही में संपन्न चुनावों के परिपेक्ष्य में भारतीय लोकतंत्र की प्रगति के बारे में कहा है। एक ऐसी पार्टी जिसने एक

दलीय शासन के सिद्धान्त का प्रचार किया था अब उसने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उस सिद्धान्त को त्याग दिया है। सभी जानते हैं कि 1996 के चुनावों तक भाजपा का नारा एक दलीय शासन था उस समय भाजपा ने लोगों से अपील की थी, "आपने औरों को परखा है। अब भाजपा की बारी है।" अब उनका नारा है, "अवसरवादी गठबंधन सरकार की बारी है।" अब इस दोगलेपन का पर्दाफाश हो गया है।

1996 में जब 13 पार्टियों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा सरकार बनाई तो भाजपा उसे धिक्काती थी, किन्तु अब 23 पार्टियों और परस्पर विरोधी हितों वाले अनेक गुटों के साथ भाजपा भारतीय लोकतंत्र के शानदार भविष्य की कल्पना करती है।

यह इतिहास ही बताएगा कि यह सरकार कितनी स्थिर है। सत्ता की भागीदारी के सिवाए सत्तारूढ़ गठबंधन का कोई राजनीतिक या वैचारिक आधार नहीं है, यह भाजपा के गुप्त एजेंडा के लिए एक आवरण मात्र है। इसमें गर्व करने वाली क्या बात है? इस चुनाव में लोक सभा में भाजपा की सदस्य संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

हमें हमारे जवानों पर गर्व है जिन्होंने करगिल में देश के लिए लड़ाई लड़ी। किन्तु तब सरकार क्या कर रही थी जब घुसपैठिए हमारे क्षेत्र में आए और वहाँ महीनों तक बसे रहे? हमारे प्रिय प्रधानमंत्री लाहौर बस यात्रा का नेतृत्व करते हुए अपने हाथ हिला रहे थे। करगिल संघर्ष ने भाजपा द्वारा परमाणु परीक्षणों के बारे में दी गई दलीलों का खोखलापन भी उजागर कर दिया है। उसका तर्क था कि चूँकि अब भारत परमाणु शक्ति बन गया है अतः यह युद्ध या आक्रमण के लिए प्रभावी सुरक्षा कवच है। किन्तु करगिल संघर्ष ने साबित कर दिया है कि किसी भी समय किसी भी प्रकार का टकराव पैदा हो सकता है। उनका सारा रक्षा दृष्टिकोण पूर्णतः गलत था। मुझे तो इस बारे में संशय है कि क्या अभिभाषण के दूसरे भाग–सामाजिक, आर्थिक घोषणाओं में लेशमात्र सच्चाई भी है या नहीं।

क्या कोई विश्वास कर सकता है कि यह सरकार निर्धनता, निरक्षरता, बेरोजगारी इत्यादि के विरुद्ध लड़ेगी? क्या सरकार की उसके लिए भविष्य में कोई योजना अथवा संकल्प-शक्ति है? पीने के पानी के लिए क्या प्रस्ताव है?

आवास योजना के लिए क्या वित्तीय प्रबंध किए गए हैं? प्रति वर्ष एक करोड़ रोजगार के अवसरों के सृजन के सम्बन्ध में क्या हुआ, कृषि क्षेत्र अथवा औद्योगिक क्षेत्र अथवा ग्रामीण विकास द्वारा कब और कहाँ रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ? इसके लिए कितना निवेश किया जाएगा? उसके लिए क्या कार्यक्रम है?

महोदय, यहाँ तक कि सार्वभौमिकीकरण द्वारा न्यायिक प्रणाली भी खतरे में है। मीडिया जिसमें से अधिकतर ने सार्वभौमिकीकरण की विचारधारा की प्रशंसा की थी, अब विदेशी मीडिया के प्रवेश का विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह सरकार इस सार्वभौमिकीकरण और कृषि उत्पादों के आयात की नीति के परिणामस्वरूप भारतीय कृषकों की दुर्दशा के बारे में सोच सकती है?

इस लोकतंत्रात्मक प्रणाली का क्या प्रयोजन है जहाँ भूमिहीन, बेघर, अनपढ़ और बेरोज़गार लोग दुःखी हैं? लोकतंत्र का क्या अर्थ है? मैं बहुत विनम्रता से सरकार को चुनौती देता हूँ कि क्या वे भूमि सीमा के संबंध में कानून बना सकते हैं और हज़ारों एकड़ भूमि वितरित कर सकते हैं जो कि भारत में ज़मीदारों के कब्जे में पड़ी है? क्या सरकार साक्षरता अभियान चलाने के पक्ष में है जैसा कि हमने केरल में किया है?

सार्वभौमिकीकरण की नीति ने केवल उद्योग नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। बहुत अच्छे तरीके से सोची गई गोल्डन शेक-हैंड भी इस प्रवृत्ति का परिणाम है। गलत यह हो रहा है कि अधिकतर कर्मचारी अपने भविष्य की चिन्ता में इस शेक-हैंड नीति का स्वागत कर रहे हैं और रोज़गार से बाहर हो रहे हैं। इस दस्तावेज़ में इन मुद्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। अधिकतर उद्योग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से घबरा रहे हैं। यहाँ तक कि दूरसंचार और बीमा क्षेत्र को भी इन शैतानों को सौंप दिया गया है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है और उन परिणामों को सत्यापित करने के लिए तैयार है जो कि इस सार्वभौमिकीकरण की नीति द्वारा हम पर पड़े हैं।

यदि यह सरकार भारतीय लोगों की समृद्धि को बचाने, भारतीय उद्योगों और कृषि को बचाने के लिए कदम उठाने, कृषि उत्पादों के आयात को रोकने; हथकरघा, जूट, काजू इत्यादि परम्परागत उद्योगों को बचाने का प्रयास करें तो हम इनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें कृषकों के दुःख और कृषि मज़दूरों की व्यथा का कोई उल्लेख सुनने को नहीं मिल रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि भूमि सुधार के बिना ग्रामीण विकास की गारंटी कैसे दी जा सकती है।

मैं जानना चाहूँगा कि अभिभाषण के पैरा 12 में लोगों की व्यथा के बारे में बताने के बाद जैसा कि भाषण में उल्लेख किया गया है यह सरकार किस प्रकार भविष्य के लिए एक नया कार्यक्रम बना सकती है। इन लाइनों का यही अर्थ निकलता है कि धनवानों के भविष्य का अधिक ध्यान रखा गया है। दूरसंचार और बीमा क्षेत्र की नीतियों के संबंध में हुई इस घोषणा पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को गर्व होगा। डीज़ल की कीमतों में वृद्धि और इन नीतियों के कारण जनता के दुःख और बढ़ गए होंगे।

महोदय, इसका विरोध करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा, कल, 29 अक्तूबर, 1999 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.59 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 29 अक्तूबर, 1999/7 कार्तिक, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।